राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] सातवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 5

सोमवार

दिनांक 12 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

गलियाकोट, डूंगरपुर को सुरक्षित करने हेतु तटबन्ध का निर्माण

105. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में गलियाकोट को सुरक्षित करने हेतु एक तटबन्ध का निर्माण कराया गया था और उस निर्माण कार्य में घोटाले व भ्रष्टाचार होने की शिकायतें भी हुई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तटबन्ध का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं किया गया था? यदि हां, तो निर्माण में विलम्ब के लिये दोषी ठेकेदार के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया? कृपया निर्माण हेतु आमन्त्रित निविदा की प्रति तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर समाप्त होने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस निर्माण कार्य के प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता श्री के. बी. जैन थे और निर्माण के लिये ठेका लेने वाली फर्म मैसर्स पी. एस. जैन एण्ड कम्पनी श्री के. बी. जैन के साले व पत्नी की भागीदारी फर्म थी?

सिंचाई मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) यह सही है कि डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे में दरगाह एवं माताजी मन्दिर को सुरक्षित करने हेतु राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)
एवं गुजरात सरकार के बीच 1975 में हुए समझौते के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित रूपांकन व स्पेसिफिकेशन के आधार पर रिंग बांध के निर्माण का कार्य गुजरात राज्य निर्माण निगम द्वारा गुजरात राज्य सरकार के खर्चे पर कराया गया था जो गुजरात सरकार का एक राजकीय उपक्रम है। एक शिकायत विस्थापितों के अन्य कई मुद्दों के साथ इस सम्बन्ध में भी 1979 में प्राप्त हुई थी, जो बाद जांच के निराधार पायी गयी।

(2) उपरोक्त समझौते के अनुसरण में निगम के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार निगम द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य दिनांक 19-11-1975 से प्रारम्भ किया जाकर 30-6-1977 तक सम्पूर्ण करना था जबकि निगम ने यह कार्य चार माह पूर्व ही सम्पूर्ण कर दिया था। 1975 के समझौते की अनुपालना में निविदा आमंत्रित नहीं की जानी थी अतः उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) गुजरात कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन ने रिंग बांध की निर्माणाधीन अवधि में कुछ कार्य श्री पी. सी. जैन सहित अन्य छोटे ठेकेदारों से अनुमोदित दरों पर करवाये थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय, यह शिकायत किन विन्दुओं और मुद्दों पर हुई थी और किसके द्वारा जांच करायी गई थी।

श्री परसराम मदेरणा : शिकायत का एक मुद्दा पी. सी. जैन का था और अन्य मुद्दों में विस्थापितों को बसाने के लिए सोगवाड़ा कालोनी, जूहीतलाई कालोनी और बीतरी कालोनी में प्लाट दिये गये थे अलग-अलग माप के उनका अलाटमेन्ट ठीक तरह से नहीं होने के, सम्बन्ध में मेन मुद्दा था। जो शिकायत 1979 में जनता पार्टी के सरकार के समय प्राप्त हुई वह शिकायत जांच होने पर निराधार पायी गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : पी. सी. जैन के बारे में क्या शिकायत थी ?

श्री परसराम मदेरणा : पी. सी. जैन के बारे में गलतफहमी है। उससे पीस वर्क पर गुजरात कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन ने काम लिया था। 1975 में सप्लीमेन्ट्री समझौता हुआ था 1966 के समझौते में। समझौते के समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री राजस्थान, तत्कालीन मुख्य मन्त्री गुजरात, केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मन्त्री उपस्थित थे। उनके गुड आफिसेज को यूज करते हुए उनके दस्तखत हैं। सप्लीमेन्ट्री समझौते में यह उल्लेख था कि गुजरात कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन रिंग रोड को गुजरात सरकार के खर्चे पर गुजरात कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन की रेट पर बनायेगा जो मुकर्रर है। जैसे हमारे राजस्थान ब्रिज कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन की है। इसको बनाने का खर्चा वह देंगे और यदि भविष्य में रिपेयर्स की आवश्यकता हुई तो वह भी वह देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : पी. सी. जैन के बारे में शिकायत क्या थी ?

श्री परसराम मदेरणा : पी. सी. जैन के बारे में शिकायत थी कि उसने काम नहीं किया। वही ठेकेदार है, यह गलतफहमी है। पी. सी. जैन के अलावा बहुत से कान्ट्रेक्टर्स को गुजरात कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन ने पीस वर्क दिया था। माननीय सदस्य जानते हैं कि कार्पोरेशन और बड़े ठेकेदार छोटे-छोटे काम जैसे लोडिंग अनलोडिंग, अर्थ वर्क और स्पैड करने का काम छोटे ठेकेदारों से कराते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या मन्त्री महोदय जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : आप तो उस वक्त मन्त्री थे, आपने यह जांच रिपोर्ट पढ़ ली होगी इसीलिए सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या 106

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमीन खां।

[अनुपस्थित : कृपया आगे देखें]

प्रश्न संख्या 107

श्री चुन्नीलाल।

[अनुपस्थित कृपया आगे देखें]

श्री हीरालाल आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी।

वन विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियम

108. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वन विभाग में कार्यरत अभियांत्रिकी और अधीनस्थ कर्मचारियों के सेवा नियम शीघ्र बनाने की घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त सेवा नियम अभी तक नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं तथा अब सरकार उक्त नियम कब तक बना देगी ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) :—

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी मैंने प्रश्न उठाया था तो उस वक्त मन्त्री महोदय का यह जवाब था कि इनके लिए सेवा नियम नहीं हैं इसलिए इनके सेवा नियम बनाने का विचार कर रहे हैं लेकिन अब मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन दैनिक कर्मचारियों के सेवा नियम बने हुए हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह इस घोषणा से सम्बन्धित है कि सेवा नियम बनाये जायेंगे। लेकिन कोई इस

(५)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

प्रकार की घोषणा सदन के पटल पर नहीं की गयी इसलिए यह जवाब दिया। वैसे परियोजनाओं में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं इनके सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए एक प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अभी यह मामला लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि घोषणा नहीं हुई। अभी फाइल मेरे पास नहीं है, मैं लेकर नहीं आया, मैं मन्त्री महोदय को बताऊंगा जो मन्त्री महोदय ने पूर्व प्रश्न का उत्तर दिया है वह यह है कि विचार कर लिया है और अप्रूव करने के लिए भेजा हुआ है। उस वक्त यह बात थी और आज भी यही बात फर्मा रहे हैं। इस विभाग के कर्मचारियों के दूसरे विभाग के कर्मचारियों के बनिस्बत वेतनमानों में भारी अन्तर है। इससे उनको बहुत परेशानी है। इनके प्रमोशन्स अटके हुए हैं। आदमी वहीं के वहीं हैं जहां लगे थे। इस प्रकार के सैंकड़ों कर्मचारी हैं। हर बार आप आश्वासन देते हैं कि कारस्पान्डेन्स चल रही है लेकिन करते नहीं हैं। घोषणा करने के बाद कहते हैं कि इस प्रकार की घोषणा ही नहीं की। आज सैंकड़ों कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय हो रहा है इसलिए शीघ्र घोषणा करें कि कब तक कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 27-10-1978 को मुख्य मन्त्री ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे, वह कोई वेतनमानों के संशोधन के सम्बन्ध में नहीं थे, वह सेवा नियमों में तरक्की किस प्रकार हो, उनको एनकेडर करने के लिए प्रस्ताव थे क्योंकि वन विभाग के रूल्स में इनका जिक्र नहीं था। 27-10-1978 को भेजने के बाद यह प्रस्ताव 10-2-1979 को गया। उसके बाद यह प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा। उनसे बातचीत चलती रही। 2-6-1983 को कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा। वित्त विभाग ने 20-12-1983 को लोक सेवा आयोग को भेजा है। अब उनके पास विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयालजी।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्री ने तो कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न है कि 20-10-1977 को नियम बनाने की बात हुई ? 1977 से 84 आ गया। माननीय मन्त्री महोदय, मुझे ध्यान है कि 17-3-1983 को इसी सदन में माननीय मन्त्री महोदय ने इस प्रकार का उत्तर दिया था कि राज्य सरकार स्वयं चिन्तित है, वह स्वयं नियम बनाना चाहती है क्योंकि वन विभाग में नियम नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 22-10-1977 को नियम बनाने के लिए कहा गया और दो साल के बाद 30-10-1982 को कार्मिक विभाग को गया····

श्री अध्यक्ष : 30-10-1983 को आगे भेजा गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियम अब कब तक बना देंगे और लागू करा देंगे ? क्या यह आपके कार्यकाल में ही लागू हो जायेंगे या जैसे आपसे गृह विभाग चला

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया उसी तरह से वन विभाग भी चला जायेगा ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सदस्य, यह बात बता रहे हैं, तो तीन साल का समय तो आपके राज का भी शामिल है।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे राज में ही यह काम हुआ था।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जब आपके प्रश्न से यह बात मेरे ध्यान में आई, मैंने मीटिंग की 12-6-1983 को। मैंने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र नियम बनाये जावें। अब यह प्रक्रिया पूरी होने जा रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि अगले सत्र तक यह समस्या हल हो जावेगी ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : लोक सेवा आयोग से अनुमोदन आने के बाद शीघ्रातिशीघ्र नियम बना दिये जायेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग के अधिकारियों को इन सेवा नियमों के नहीं होने से एक सौ से डेढ़ सौ रुपये महीने का नुकसान हो रहा है फिर भी आप कह रहे हैं कि शीघ्र कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

जिला आयुर्वेद अधिकारियों के रिक्त पद

109. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में जिला आयुर्वेद अधिकारी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पर चयनित व्यक्ति कार्यरत हैं एवं कितने पद मात्र प्रतिनियुक्ति से भर रखे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला आयुर्वेद अधिकारी के कितने पद कितने समय से रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि रिक्त पद रहने का कारण मात्र समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होना है ? यदि हां, तो समिति की अन्तिम बैठक कब हुई ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा समय पर बैठक नहीं कराने से कई व्यक्तियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी):

(1) राज्य में जिला आयुर्वेद अधिकारी के कुल 25 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 18 पदों पर चयनित व्यक्ति कार्यरत हैं। 6 पदों पर विभागीय चिकित्सक उनकी स्वयं की वेतन श्रृंखला में जिला आयुर्वेद अधिकारी के पदों पर लगा रखे हैं। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) वर्तमान में जिला आयुर्वेद अधि

(श्री दिनेश डांगी)

कारी का केवल एक पद 1 जनवरी, 1984 से रिक्त है।

जी हां, यह सही है कि पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो पाने से पद नहीं भरे गये हैं। इन पदों के लिए पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक अक्टूबर, 1982 में हुई थी।

(3) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने प्रश्न के उत्तर में कहा, केवल एक पद रिक्त है और जैसा आपने जवाब दिया, पिछले डेढ़ साल से जिला आयुर्वेद अधिकारी के छः पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लोग काम कर रहे हैं व डेढ़ साल से पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हुई है तो इसका क्या कारण है? इसके कारण से कई ऐसे लोग हैं जिनका रिटायरमेंट हो गया या दस-पन्द्रह दिन में रिटायरमेंट हो जाएगा। आखिर जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर एफीशियेंट अधिकारी को लगाने के लिए सारी पोस्टों पर सलेक्टेड व्यक्ति लगाने के लिए, आप मीटिंग नहीं करा सकते हैं, इस देरी के पीछे क्या कारण है?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि पदोन्नति समिति की बैठक के लिए मैंने आदेश दे दिये हैं। लेकिन जब तक सभी अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन एकत्रित नहीं हो जावें तब तक मीटिंग नहीं हो सकती है। फिर भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया, केवल एक पद रिक्त है झालावाड़ का। छः पदों पर सीनियर मोस्ट व्यक्ति उनकी वेतन शृंखला में जिला आयुर्वेद अधिकारी के पदों पर लगा रखे हैं जिससे कार्य सुचारु रूप से चल सके।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्रतिनियुक्ति पर लगाने का आपका आधार क्या है?

श्री दिनेश डांगी : प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा रखा है, ये डेपुटेशन पर नहीं हैं, उनकी स्वयं की वेतन शृंखला में जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर लगा रखे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपके पास पचासों व्यक्ति हैं उनमें से किसी व्यक्ति को यह आप अवसर देते हैं कि आप जिला आयुर्वेद अधिकारी का काम करें। आखिर इसका कोई क्राइटेरिया तो बनाया होगा कि इस क्रम से इतने पदों पर ये व्यक्ति काम करेंगे?

श्री दिनेश डांगी : सारे राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची मैंने बना रखी है उसमें जो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं उनको सूची के क्रमानुसार लगा रखा है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सूची बना कर क्या लाकर में रख रखी है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं उनको पे स्केल अलग से मिल रहे हैं या अपनी स्केल में काम कर रहे हैं?

श्री दिनेश डांगी : जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरे पास कोई भी व्यक्ति डेपुटेशन पर नहीं है। जो विभाग के ही वरिष्ठतम अधिकारी हैं, वैद्य हैं, वे राजस्थान के ही हैं उनमें से छः व्यक्तियों को छः रिक्त पदों पर उनकी खुद की वेतन शृंखला में जिला आयुर्वेद अधिकारी लगा रखा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कानून कौनसा है जिसके तहत काम तो ले रहे हैं बड़े पद का और वेतन दे रहे हैं लोअर कैटेगरी का ? यह कौनसा कानून है ? जरा बताने का कष्ट करें ।

श्री दिनेश डांगी : जब तक डी.पी.सी. नहीं हो उनको उनकी लास्ट पे पर इस पद पर कार्य करने के लिए कार्य भार दिया गया है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : काम तो किसी बड़े पद पर कर रहे हैं और वेतन छोटे पद का पा रहे हैं, यह कौनसे कानून के तहत किया जा रहा है ? मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : सरकार का पैसा बचा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : डी.पी.सी. जल्दी ही बैठने वाली है, तब तक के लिए रिक्त पदों पर वरिष्ठतम अधिकारियों को लगा रखा है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : काम बड़ा ले रहे हैं और वेतन छोटे पद का दे रहे हैं यह किस कानून के तहत कर रहे हैं ? यह बताइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बतायें कि पहले डी.पी.सी. की बैठकें समय-समय पर बुलवाई जाती थीं, अब अक्टूबर, 1982 के बाद कब-कब बैठक बुलाई ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आ चुका है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जवाब नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री दिनेश डांगी : डी.पी.सी. की बैठक जल्दी करने के लिए मैंने आदेश जारी कर दिये हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका मतलब है कि आपके आदेशों की पालना नहीं हो रही है ।

श्री दिनेश डांगी : आप सुन लीजिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल इसलिए नहीं हो रही है कि आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से आपके × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर, आर्डर ।

श्री दिनेश डांगी : बिल्कुल निराधार बात है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, शान्त रहें । आपस में बातें नहीं करें····

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 110.

श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भगवानदास शास्त्री ।

अजमेर नगर की सड़कें

111. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की मुख्य सड़कें उपरोक्त विभाग के अधीन आ चुकी हैं ? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों में पूरे अजमेर नगर की सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ? कितनी धनराशि वर्तमान समय मार्च, 1984 तक खर्च करनी है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की सामान्यतः मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन प्रमुख सड़कों की कारपेट डामर कोटिंग शीघ्र कराई जावेगी ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) :—

(1) अजमेर नगर की कुल 29 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के रख-रखाव की सूची में हैं। उन पर वर्ष 1980-81 में 7.10 लाख रु., वर्ष 1981-82 में 26.00 लाख रुपये और वर्ष 1982-83 में 27.70 लाख रुपये खर्च किये गये। 1983-84 में लगभग 22 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है ।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग की रख-रखाव की सूची में सम्मिलित सड़कों की हालत अच्छी है ।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों पर डामर का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अभी बताया गया है कि वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में खर्च 27 लाख तक पहुंच गया और इस वर्ष 22 लाख ही खर्च होने का अनुमान है तो यह कम होने का क्या कारण है जबकि हालत खस्ता है ? आपको पता है कि कल क्या हुआ है ? मार्टण्ड ब्रिज पर एक ट्रक जम्प खा कर पुलिया पर लटक गया। अगर पैसेन्जर वाली गाड़ी होती तो क्या होता ? दो आदमी तो आन दी स्पाट ही मर गये हैं। आप टूटू को तो बम्बई की चौपाटी रोड बना रहे हैं और बड़े शहरों को शमशान बना रहे हैं। छोटी जगहों पर खर्चा कर रहे हैं। अब शहरों से तो चुनाव लड़ने की आपकी शक्ति रही नहीं। कम से कम नगरों को तो आप ठीक करें····

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर नगर की सड़कों की हालत खस्ता है इसलिए वर्ष 1982-83 में तो आप 27 लाख तक ले गये तो वर्तमान वर्ष में क्या बाकी सड़कें 22 लाख में ही ठीक हो जावेंगी ? टेण्डर

(श्री भगवान दास शास्त्री)

भराने से पहले सौदा तय हुआ । पर्सेन्टेज तय होने के वाद में टेण्डर दिये गये, वाद में दस पर्सेन्ट और अपनी जेब भराऊ टैक्स के बढ़ा दिये । तो आज वहां का कोई ठेकेदार टेण्डर देने को तैयार नहीं है । आपकी साख गिरती जा रही है । अजमेर के ठेकेदारों ने तय कर लिया है कि हम टेण्डर नहीं देंगे । वे सेन्ट्रल पी. डब्ल्यू. डी. और रेलवे वालों का ठेका लेकर काम चला रहे हैं । राजस्थान सरकार की साख का भट्टा बैठ गया है ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री भगवानदास शास्त्री : इस वर्ष 22 लाख रखने का क्या कारण है ? क्या इससे अजमेर नगर की सड़कें बिल्कुल ठीक हो जावेंगी ? आप कहते हैं कि सड़कों की हालत अच्छी है तो विवरण दीजिए कि कौन सी सड़क ठीक है जो आपको पसन्द आ गई है ।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्य ने पूछा है कि पिछले साल 26-27 लाख था तो इस साल 22 लाख ही रखने का क्या कारण है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सड़कों के रख-रखाव के लिए नार्म्स बने हुए हैं ।, सड़कें मेटल्ड हैं, ग्रेवल हैं उनकी लम्बाई 41740 किलोमीटर है । उनके रख-रखाव के नार्म्स बने हुए हैं जिनके हिसाब से चालू वित्तीय वर्ष में 45.58 करोड़ की आवश्यकता होगी । लेकिन 45.58 करोड़ के बदले में हमें 22.86 करोड़ मिले हैं यानि 50 प्र.श. पैसा मिला है । यह पैसा पूरे राजस्थान के लिए है इसलिए पूरे राजस्थान में वितरण करना पड़ता है । ऐसी कोई बात नहीं है कि अजमेर को ज्यादा प्राथमिकता दें या बिल्कुल पीछे छोड़ दें । रख-रखाव के लिए जिस हिसाब से पैसा आता है उसी हिसाब से पैसा रखते हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : लेकिन आप समान रूप से सभी जगह पैसा नहीं लगाते····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य । आसन पैरों पर है ।

अगला प्रश्न । श्री महाराम चौधरी ।

रासायनिक खाद पर टैक्स

112. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में रासायनिक खाद पर टैक्स लगाते हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और कितने-कितने प्रतिशत ?

(2) क्या भारत के अन्य प्रान्तों में रासायनिक खाद पर बिक्री कर लगता है ? यदि हां, तो किस-किस प्रान्त में कितना-कितना प्रतिशत ?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) :

(1) जी हां । राजस्थान में रासायनिक खाद पर विक्रय कर लागू है ।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्तमान में कर-दर 5 प्रतिशत है तथा केन्द्रीय विक्रय कर के अधिनियम के अधीन कर-दर 'सी' प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 4 प्र.श. तथा बिना 'सी' प्रपत्र के 10 प्र.श. है। राज्य बिक्री कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर के अलावा रासायनिक खाद पर स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में चुंगी वसूल करते हैं जो कि भिन्न-भिन्न जगहों में एक प्रतिशत ली जाती है।

(2) महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली को छोड़ कर अन्य राज्यों में बिक्री कर लगता है। प्रान्तों के अनुसार कर-दरों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कर-दरों की सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अन्य प्रान्तों से राजस्थान के किसानों को कितने प्रतिशत ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : यह सूची दी है ना। इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) **:** अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की है तो क्या यह बिक्री कर लगाना इस नीति के विपरीत नहीं है ? क्या यह सरकार की नीति के हित में है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्स लगाने या कम करने का सवाल है यह वित्त विभाग से पूछा जाय तो अच्छा रहेगा। मेरे यहां जो सूचना थी वह मैंने प्रस्तुत कर दी है।

श्री भैरू'लाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने बताया कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यानि जो राजस्थान के चारों तरफ के पड़ोसी राज्य हैं, उनमें खास तौर से बिक्री कर नहीं है। यह स्वयं मन्त्रीजी भी मानते हैं जो अपने आपको किसानों का हिमायती भी बताते हैं। तो क्या वह यह महसूस नहीं करते कि वित्त विभाग को राय दें कि जब पड़ोसी राज्य बिक्री कर नहीं लगा रहे हैं तो राजस्थान में लगा कर किसानों का अहित ही कर रहे हैं ? नीति सम्मत भी यह है, जहां राजस्थान किसानों के प्रति सर्वाधिक ध्यान देने वाला प्रान्त गिना जाता है और राजस्थान सरकार किसानों की काफी हिमायती सरकार मानी जाती है वहां यह बिक्री कर नहीं लगना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, इस सम्बन्ध में क्या स्थिति रहती है, बजट आ रहा है, जब वह पेश होगा उस पर वाद-विवाद के समय इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने इस बिक्री कर के सम्बन्ध में जो सजेशन दिया है, उस सम्बन्ध

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में मेरा निवेदन है, क्या यह सही है कि राजस्थान के किसान पड़ोसी राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के बनिस्बत गरीब हैं क्योंकि वहां पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं और सिंचाई पर कम खर्चा भी आता है। राजस्थान में गहरे कुओं से पानी निकाल कर सिंचाई करनी पड़ती है इसलिये खर्चा ज्यादा आता है और उनकी आमदनी भी प्रति एकड़ या प्रति टन राजस्थान के मुकाबले ज्यादा है। इसके बावजूद सरकार इन सब बातों को देखते हुए राजस्थान में जो खाद पर टैक्स लगा हुआ है उसको माफ करना क्या उचित समझती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक बात का उत्तर आने दीजिये। आर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह एक विसंगति है इसको दूर करने के लिये, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बजट के समय प्रस्तुत करें, सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री अपना बोझ दूसरों पर डाल रहे हैं। मैंने यह पिछली बार भी कहा था कि सारे देश में राजस्थान ही ऐसा है जहां कृषि पर चुंगी लगती है। राजस्थान में सबसे अधिक टैक्स है। आप अपना दोष स्वीकार करते हैं तो क्या आपने लिखा है कि राजस्थान में किसानों पर टैक्स कम किया जाय ? जबकि राजस्थान में तो क्या देश में कहीं भी चुंगी नहीं लगती हैं। तो आप अपना बोझ वित्त विभाग पर क्यों डाल रहे हैं ? आप भी किसानों के हिमायती हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : वैसे तो हमारे इधर बैठे हुए माननीय सदस्य आपसे ज्यादा हिमायती हैं किसानों के....

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप कैसे हिमायती हैं जबकि अपना बोझा दूसरों पर डाल रहे हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कोई नई बात हो तो पूरक प्रश्न पूछें।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, Terms of payment adverse to the farmers चार साल में 85.1 प्रतिशत किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि terms of payment adverse to the farmers; आपके गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की है। कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार यह किसान के विपरीत जा रहा है तो क्या राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय को कोई सिफारिश की है कि इस पर बिक्री कर और चुंगी कर को खत्म किया जाये ? अगर नहीं की है तो क्या राज्य सरकार का कृषि विभाग इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश करने वाला है। मन्त्री महोदय को न केवल

(श्री यदुनाथ सिंह)

इस टैक्स को खत्म कराना चाहिये बल्कि इसको सब्सिडाइज भी किया जाये ताकि किसान उत्पादन बढ़ा सकें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं लूणी से आने वाले माननीय सदस्य की राय से सहमत हूं। मैं भी गुजरात का पड़ोसी हूं। गुजरात में इस तरह का कोई टैक्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गुजरात में टैक्स है।

श्री रतनाराम चौधरी : मन्त्री महोदय का यह कर्तव्य है कि वे नोट बना कर वित्त मन्त्रालय को भेजें और यह टैक्स माफ करावें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इससे तस्करी को बढ़ावा मिलता है और जो खाद की खपत है वह कम होती है। राज्य सरकार द्वारा जो आंकड़े दिये जाते हैं उनका आधार भी गलत हो जाता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। अनेक राज्यों में टैक्स लगता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास डोसी। प्रश्न संख्या 113।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जब भी सवाल पूछता हूं संक्षेप में पूछता हूं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं स्पेसिफिकली it is a question of policy matter about tax on the farmers, जो बजट इस सैशन में आने वाला है क्या उसमें इस पर टैक्स कम कर दिया जायेगा ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भगवान दास डोसी।

प्रश्न संख्या 113

बाड़मेर जिले के अकालग्रस्त ग्राम

113. श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के 116 गांवों के साथ चौहटन विधान सभा क्षेत्र के 48 गांव अकालग्रस्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने अभी उक्त गांवों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक अकालग्रस्त गांवों में सभी प्रकार की वसूलियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर वसूली रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री (श्री चेतराम मीणा) :

(1) जिलाधीश ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा है कि जिले के 865 ग्रामों में से 116 ग्राम ऐसे हैं जिनमें फसल खरीफ

(श्री चेतराम मीणा)

सम्वत् 2040 में वर्षा की कमी के कारण फसल में क्षति 50 प्रतिशत या इससे अधिक है। इन ग्रामों में 48 ग्राम तहसील चौहटन के हैं।

(2 एवं 3) इस वर्ष राज्य में बहुत सीमित क्षेत्रों में फसल खरीफ में नुकसान होने के प्रतिवेदन आये हैं। जिन ग्रामों में फसल में क्षति होने के बाबत प्रतिवेदन आये हैं उन प्रतिवेदनों पर अकाल घोषित करने हेतु राज्य सरकार विचार कर रही है। यह तो फिलहाल निर्णय कर ही लिया गया है कि उन्हें राहत देने के लिए भू-राजस्व की वसूली के बाबत रियायत बरती जावे। इस हेतु राजस्व विभाग ने आदेश जारी करके सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देश दे दिये हैं।

श्री भगवान दास डोसी : अध्यक्ष महोदय, जब हर वर्ष कलेक्टर की रिपोर्ट दिसम्बर, जनवरी में आ जाती है तो इस वर्ष ऐसा क्यों नहीं हुआ ? 31 मार्च तक वसूली जोरों से हो रही है। वहां पर चार-चार साल से अकाल है और यह पांचवां साल है फिर भी किसानों को वसूली के लिए तंग किया जा रहा है इसलिए तत्काल इसको अकालग्रस्त घोषित किया जाये।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश ने असल में 50 फीसदी से अधिक का खराबा होने की रिपोर्ट भेजी थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिन कोड के पैरा 38-सी में जो मापदण्ड दिये हुए हैं उनके अनुसार उन्होंने सूचना नहीं भेजी है। जिलाधीश को यह कहा गया है कि फेमिन कोड के पैरा 38–सी के अन्तर्गत जो मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं उनके आधार पर रिपोर्ट भेजें। वह रिपोर्ट आने पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) **:** अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि जिलाधीश महोदय ने पूरी रिपोर्ट नहीं भेजी है। हमेशा खराबा होने की सरकार के पास दिसम्बर तक रिपोर्ट आ जाती है। इस वर्ष की भी आपके पास सूचना है, 116 ग्रामों में पचास फीसदी से ज्यादा खराबा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद भी राज्य सरकार चुपचाप बैठी है। जिलाधीश पर दोष लगा कर इसको टाला जा रहा है। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच साल से अकाल है फिर भी, अकाल राहत कार्य खोलना तो दूर रहा वहां पर किसानों से बड़े जोर से वसूली की जा रही है। जिस ढंग से वसूलियां हो रही हैं, वह इस तरह से हो रही हैं। वहां के लोगों के पास खाने को अनाज का दाना नहीं है, उनके पास देने को एक पैसा नहीं है। किसानों पर राजस्व के अलावा सहकारिता का भी लोन है और दूसरे प्रकार के लोन भी हैं जिनसे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। परन्तु वे इन लोन का किस प्रकार चुकारा करें ? इस तरह से यह वसूली की कार्यवाही हो रही है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है राजस्व की वसूली रोकने के लिये। मैं इस आदेश

(श्री हेमाराम चौधरी)

को यहां पर पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, "राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप-2 विभाग। विषय : 2040 की भू-राजस्व की वसूली स्थगित करने के सम्बन्ध में। महोदय, सम्वत् 2040 में कुछ गांवों में अधिक वर्षा हो जाने के कारण उन ग्रामों में फसल का खराबा हो गया है। ऐसे ग्रामों का विवरण निम्न प्रकार है·····" और आखिर में यह लिखते हैं, "इन ग्रामों की जिलेवार, तहसीलवार सूची संलग्न है। उक्त ग्रामों में सम्वत् 2040 की वसूली हेतु दमनकारी तरीके प्रयोग में न लिये जायें। जो किसान भू-राजस्व स्वेच्छा से चुकाना चाहें उनसे रकम की वसूली कर ली जावे"। यह लिखा है कि दमनकारी तरीका नहीं अपनाया जाये। यानि वसूली दमनकारी तरीके से हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह आदेश दमनकारी तरीके से वसूली करने का है या यह वसूली बन्द करने का आदेश है, मन्त्री महोदय इसका जवाब देने का कष्ट करें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह आदेश निकला था मैंने राजस्व विभाग को रेफर किया था। उन्होंने "दमनकारी" कोअर्सिव प्रोसेस शब्द को अमेण्ड करके "सख्त तरीके नहीं अपनाये जायें" यह शब्द लिखा है। मैं मानता हूं कि "दमनकारी" शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। परन्तु यह अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है जिसे सुधार दिया गया है। यह कहा गया है कि कोई किसान स्वेच्छा से राजस्व जमा कराना चाहे तो उससे ले लिया जाये। जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि किस तारीख तक आप गजट में साया कर देंगे? 20 तारीख, 25 तारीख, कोई डेट आप तय कर दें जिस तारीख तक यह जो 116 गांव हैं इनको अकालग्रस्त घोषित कर दिया जायेगा। जब तक आप ऐसा आदेश नहीं जारी करेंगे यह होता रहेगा।

अकाल राहत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, 116 गांव ही नहीं जिन गांवों में भी फसलों की क्षति पचास फीसदी से ज्यादा हुई है उनके बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार एक-दो दिन में निर्णय ले लेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद।

टौंक एवं निवाई नगर की पुनर्गठित जल योजना

114. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टौंक एवं निवाई नगर में पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण पुनर्गठित योजना तैयार की गई थी? यदि हां, तो योजनानुसार सम्पूर्ण मोहल्लों में

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
मापदण्डों के अनुसार पानी उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि व्यय करने का किन-किन वर्षों में प्रावधान रखा गया? कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अब तक भी प्रत्येक मोहल्लों में पानी भेजने की व्यवस्था नहीं की गई है एवं विभाग के नार्म्स के अनुसार जल क्षमता नहीं बढ़ाई गई है?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री देवेन्द्र सिंह): (1) जी हां, टौंक के लिए वर्ष 1978 में पुनर्गठित जल योजना बनाई गई थी। इस योजना की कुल लागत रुपया 26.37 लाख थी। निवाई के लिये जल वृद्धि (आगमेन्टेशन) योजना सन् 1981 में बनाई गई थी। इस योजना की लागत 4.65 लाख रुपये थी। इन योजनाओं पर वर्ष-वार बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	टौंक बजट प्रावधान	व्यय (लाखों रुपयों में)	निवाई बजट प्रावधान	व्यय (लाखों रुपयो में)
1978–79	3.00	3.00	—	—
1979–80	10.25	10.25	—	—
1980–81	11.20	11.20	—	—
1981–82	1.51	1.51	4.65	4.66
1982–83	0.41	0.30	—	—
योग	26.37	26.26	4.65	4.66

दोनों योजनाओं की रूपरेखाओं की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, टौंक के तीन मोहल्लों व निवाई के चार मोहल्लों में अतिरिक्त जल वितरण पाइप लाइन की मांग है। टौंक शहर की जल योजना से विभाग के मापदण्डों के अनुसार 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल वितरण किया जा रहा है तथा निवाई में 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर 62 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल वितरण किया जा रहा है।

(योजनाओं की रूपरेखा के लिये परिशिष्ट 3 देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो टौंक और निवाई की पुनर्गठित जल योजना बनाई है और जिसकी प्रति सदन के पटल पर रखी है उसमें जो उन्होंने खर्चा बताया है उस खर्चे के आधार पर यह योजना बनाई है या 1978 में योजना बना ली थी?

श्री देवेन्द्र सिंह : मेरा निवेदन है कि यह टौंक और निवाई की योजना वर्ष 1978 में बनी थी, उसी आधार पर प्रति व्यक्ति 90 लीटर प्रतिदिन पानी मिल रहा है। जिन मोहल्लों में पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए भी मैंने स्वीकार किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह पूछ रहा हूं कि योजना अनुसार प्रति व्यक्ति 90 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए उसी आधार पर वास्तव में इनको पानी मिल रहा है या नहीं ? आपके प्रोविजन के अनुसार तो सभी मोहल्लों में पानी मिलना चाहिए । जिन मोहल्लों में पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए आपने स्वीकारा भी है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूं कि टोंक में प्रति व्यक्ति 90 लीटर प्रतिदिन पानी मिल रहा है और निवाई शहर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 90 लीटर के स्थान पर 62 लीटर जल वितरित किया जा रहा है । इसकी प्रति भी सदन के पटल पर रख दी गई है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब दिया जा रहा है । इन्होंने जैसे 6-8-80 को जबाव दिया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । नियमों के अनुसार ही जवाब दिया गया है । जो प्रश्न पूर्व में पूछे जा चुके हैं उनकी विस्तार से यहां पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह पूछ रहा हूं कि वर्ष 1978 में जल योजना बनाई गई थी उसके नार्म्स के अनुसार ही प्रति व्यक्ति जल 90 लीटर निवाई शहर में भी दिया जाना चाहिए। जिन मोहल्लों में पानी की मांग है वहां पर भी जल वितरित किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आ गया है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : घुमा फिरा कर उत्तर दिया गया है। यह गलत है । जिन मोहल्लों में पानी नहीं है वहां पर मन्त्री महोदय जांच करायें । प्रत्येक मोहल्लों में पाइप लाइन की व्यवस्था करें । इसके अलावा निवाई शहर में मापदण्ड के अनुसार पानी मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है । वहां पर एक घण्टे भी पानी नहीं मिल पाता है । 90 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्थान पर 62 लीटर पानी दे रहे हैं । वहां भी नार्म्स के अनुसार जल क्षमता बढ़ायें । यह पानी की उपलब्धता आप कब तक पूरी करवा देंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन मोहल्लों में पानी दिया जा रहा है उनकी मेरे पास सूची है मैं पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री अध्यक्ष : सूची लम्बी होगी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान में किया गया था ।

श्री देवेन्द्र सिंह : राजस्थान में 201 शहर ऐसे हैं जहां पर नार्म्स के अनुसार पर-केपिटा पानी देने का प्रावधान है, लेकिन 62 शहर ऐसे हैं जहां परकेपिटा 10 लीटर पानी दिया जा रहा है । प्राथमिकता के आधार पर पहले हम पानी वहां पूरा करेंगे उसके बाद जो दूसरे शहर हैं जहां 62 लीटर पानी मिल रहा है वहां पर क्षमता बढ़ायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी।

सी० एम० एच० ओ०, कोटा द्वारा खरीदी गई औषधियां

115. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा नगर में भिन्न-भिन्न अस्पतालों के लिए गत 2 वर्ष में सी० एम० एच० ओ० द्वारा कितने-कितने मूल्य की औषधियां क्रय की गईं तथा किस माध्यम से ?

(2) क्रय की गई औषधियां कहां-कहां वितरित की गईं ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) कोटा नगर में भिन्न-भिन्न अस्पतालों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गत दो वर्षों में क्रय की गई औषधियों का मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष 1982–83	18,86,850.00
वर्ष 1983–84	15,25,000.00

यह औषधियां विभागीय रेट कान्ट्रेक्ट से एवं खुले बाजार से नियमानुसार क्रय की गईं।

(2) क्रय की गई औषधियां कोटा शहर के निम्नलिखित संस्थानों में वितरित की गईं :—

1. महाराव भीमसिंह अस्पताल
2. जनाना अस्पताल
3. रामपुरा डिस्पेन्सरी
4. सूरजपोल डिस्पेन्सरी
5. भीमगंज मण्डी डिस्पेन्सरी
6. छावनी डिस्पेन्सरी
7. टिपटा डिस्पेन्सरी
8. दादाबाड़ी डिस्पेन्सरी

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, किन-किन माध्यम से औषधियां क्रय की गई हैं, मेरा यह प्रश्न है, और कितने रुपये की क्रय की गई हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वर्ष 1982–83 में 15 हजार रुपये की औषधियां क्रय की गई थीं....

श्री दाऊदयाल जोशी : 15 लाख होंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 15 लाख नहीं 15 हजार ही हैं।

1983–84 में 17 हजार 280 रुपये की दवाइयां क्रय की गई थीं। ये दवाइयां रेट कान्ट्रेक्ट की लिस्ट में नहीं हैं, क्योंकि इमर्जेन्सी मरीजों की जान खतरे में थी, उनके लिए ये दवाइयां अति आवश्यक थीं इसलिए क्रय की गई ?

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : किन-किन माध्यमों से क्रय की गई ?

श्री अध्यक्ष : माध्यम से मतलब ?

श्री दाऊदयाल जोशी : व्यक्तियों से मतलब है। क्योंकि जो ग्लूकोज के पैकेट्स क्रय किये गये थे वे नकली थे। उसके कारण कई व्यक्तियों को रिएक्शन हुआ····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, नकली दवाइयां खरीदी गई जिससे एक महिला की मृत्यु हो गई····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है।

श्री हीरालाल आर्य : नकली दवाइयां खरीदकर लोगों के जीवन के साथ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अंकित न हो

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायें अंकित नहीं हो रहा है। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यदि कोई माननीय सदस्य स्पेसिफिक उदाहरण देना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में वह बात स्पष्ट रूप से प्रश्न में होनी चाहिये थी तो उनका जवाब दिया जा सकता था। अब विस्तृत प्रश्न पूछा जाय, एक दवा के बारे में या यंत्र के बारे में तो उसका उत्तर देना संभव नहीं है।

अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा,

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा सोडियम वेपर लेम्प की खरीद

116. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1982–83 में सोडियम वेपर लेम्प की खरीद में अनियमितताओं के कारण न्यास को रुपये 1,53,516/– की हानि पहुंचाई जिसका आक्षेप लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा भी किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 93(ए) के अन्तर्गत उपरोक्त हानि की राशि वसूल

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नन्दलाल मीणा)

कर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया सम्बन्धित ऑडिट पैरा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगर आयोजन (श्री प्रद्युम्न सिंह : (1) वर्ष 1982–83 का ऑडिट प्रतिवेदन लोकल फण्ड ऑडिट विभाग से न्यास में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) ऑडिट रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है, ऑडिट रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि लोकल फण्ड ऑडिट की रिपोर्ट अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई तो वर्ष 1982–83 में····

(व्यवधान)

जोधपुर यू. आई. टी. का और किसी संस्थान ने ऑडिट नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैंने पढ़ लिया प्रश्न को। आपने लोकल फण्ड ऑडिट की रिपोर्ट को अपना आधार बनाया था। इन्होंने कह दिया कि अभी लोकल फण्ड ऑडिट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1982–83 में सोडियम वेपर लेम्प की खरीद में अनियमितताओं के कारण न्यास को रुपये 1,53,516/– की हानि पहुंचाई जिसका आक्षेप लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा भी किया गया ? मैंने "भी" शब्द का इस्तेमाल किया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1982–83 में जोधपुर, यू. आई. टी. का किन-किन संस्थाओं ने ऑडिट किया ? सोडियम वेपर लेम्प की खरीद में अनियमितताओं के कारण 1,53,516/- की हानि हुई है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप गौर करें प्रश्न के भाग (क) पर "क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1982-83 में सोडियम वेपर लेम्प की खरीद में अनियमितताओं के कारण न्यास को रुपये 1,53,516/– की हानि पहुंचाई जिसका आक्षेप लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा भी किया गया ?"

अब, अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि और किसी संस्था ने ऑडिट किया है। अध्यक्ष महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाओं का ऑडिट लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा ही किया जाता है। और किसी संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि एक निश्चित रकम बताई है ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थिति स्पष्ट कर दी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जब यह प्रश्न मंत्री महोदय के पास पहुंचा, इसमें 1 लाख 53 हजार की हानि का द्योतन किया गया तो क्या मंत्री महोदय की जिम्मेदारी नहीं है बताने की? चाहे ऑडिट रिपोर्ट आये या नहीं आये, इतनी बड़ी राशि के गबन का मामला है, एक माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय को सूचना दे दी तो क्या शब्दावली पर जायेंगे? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी उपेक्षा की जा रही है। एक तरह से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया तो क्या मन्त्री महोदय को बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ है, गबन हुआ है अथवा हानि हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय। अगर राज्य सरकार के पास जानकारी नहीं है तो स्थगित किया जाय?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न आया तो मैंने वहां से जानकारी प्राप्त की। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मेरे पास है और जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर जोधपुर नगर विकास न्यास में कहीं कोई गबन साबित नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय चतुर्वेदीजी ने गबन शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिया है। प्रश्नकर्ता ने गबन शब्द लिखा ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उसके तत्कालीन अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, स्थिति बतला दी। रिपोर्ट आने के बाद जानकारी प्राप्त की जायेगी। अगर आप चाहें तो सैक्शन 10 लोकल फण्ड ऑडिट पढ़कर सुना देता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी आपके सामने नहीं बोलता हूं। जितना मैं नियमों में रहता हूं उतना ही आप दबाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

श्री नन्दलाल मीणा : वर्ष 1982-83 की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नहीं आई तो उसके बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाओं का ऑडिट लोकल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फण्ड ऑडिट द्वारा किया जाता है, और किसी आर्गेनाइजेशन द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है। न जोधपुर नगर विकास न्यास में ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई और ना ही सरकार को ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई।

श्री नन्दलाल मीणा : ऑडिट हुआ है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मान लीजिये ऑडिट हुई तब भी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट आ जायेगी तो कुछ कर सकते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : वर्ष 1982-83 की ऑडिट कब हुई और उसकी रिपोर्ट कब तक अपेक्षित है ?

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास रिपोर्ट नहीं आई तो कब तक उसकी रिपोर्ट मंगवाकर सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रक्रिया होती है, लोकल फण्ड ऑडिट विभाग ऑडिट करता है। उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद एक प्रति न्यास को और एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाती है। उसके उपरान्त न्यास को 3 मास का समय दिया जाता है। जो आक्षेप होते हैं उनका उत्तर दिया जाता है कि इसको ड्राप किया जाय। जो-जो ऑडिट पैरा स्वीकार करते हैं उन-उन पर कार्यवाही करते हैं। उसके बाद सरकार अग्रेतर कार्यवाही करती है यह एक प्रोसेस है। अब पता नहीं इनके पास कहां से ऑडिट रिपोर्ट आ गई, कहां से कागज गायब हो गये, हमारे से पहले इनके पास कैसे रिपोर्ट आ गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये

कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गडरा रोड में डिस्पेन्सरी खोलना

106. श्री अमीन खां (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती कस्बा, गडरा रोड में एक चल चिकित्सालय है और कब से है ?

(2) क्या यह सही है कि गडरा रोड में कस्बा से 40–50 किलोमीटर से नजदीक शिव पंचायत समिति क्षेत्र में कोई डिस्पेन्सरी या पी. एच. सी. नहीं है ?

(3) क्या सरकार गडरा रोड चल चिकित्सालय के स्थान पर डिस्पेन्सरी का प्रावधान करेगी और उसके भवन निर्माण का प्रावधान भी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

गडरा रोड में वर्ष 1967 से एक चल चिकित्सालय कार्यरत है।

(2) यह सही नहीं है। शिव पंचायत समिति क्षेत्र में शिव व गूंगा में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और भीयाड़ में एक डिस्पेन्सरी है।

(3) योजना मद में प्रावधान उपलब्ध होने पर तथा स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पर अवश्य विचार किया जावेगा।

नगरपालिका सवाईमाधोपुर द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

107. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका, सवाईमाधोपुर ने वर्ष 1983 में कितने कवि सम्मेलन, मुशायरे एवं अन्य कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया ?

(2) नगरपालिका ने उक्त कार्यक्रमों के आयोजन में कितनी धनराशि व्यय की और क्या इस राशि के व्यय हेतु पूर्व में सरकार से स्वीकृति ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका सवाईमाधोपुर द्वारा वर्ष 1983 में कवि सम्मेलन, मुशायरे आदि 10 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(2) नगरपालिका ने इन कार्यक्रमों के आयोजन में कुल 37040.40 रु० व्यय किया है। इस धनराशि को व्यय करने का नगरपालिका के बजट में प्रावधान था, इसलिए पृथक से स्वीकृति नहीं ली गई।

राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या

110. श्री जर्नादन सिंह गहलोत (करौली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है व अन्तिम बार सेन्सस कब हुआ ? कृपया जिलेवार संख्या बताते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल के कारण कब-कब दुधारू पशुओं का कितना-कितना निष्क्रमण हुआ व किन-किन जिले में कितने-कितने पशु मारे गये ?

(3) राजस्थान में कुल दूध का उत्पादन कितना है ? प्रति व्यक्ति दूध की औसत आवश्यकता कितनी है ?

उत्तर

(1) राज्य में अन्तिम बार पशुगणना 1983 में हुई है जिसके आधार पर 134.65 लाख गौ वंश है तथा 60.34 लाख भैंस वंश है।

दुधारू पशुओं की पृथक से सूची अभी तक प्रसारित नहीं की गई है। पशुगणना की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पशुपालन राज्य मन्त्री)

(2) इस प्रकार की सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(3) राजस्थान में कुल दूध का वार्षिक उत्पादन 3450 हजार टन है।

प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की औसत आवश्यकता 220 ग्राम है जब कि वर्तमान में उपलब्ध दूध की मात्रा प्रति व्यक्ति 280 ग्राम है, जो सिफारिश से 60 ग्राम अधिक है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बी. एड. कालेज विद्या भवन, उदयपुर के आचार्य का चयन

145. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बी. एड. कालेज, विद्या भवन, उदयपुर के वर्तमान आचार्य कौन हैं एवं कब से इस पद पर कार्यरत हैं ?

(2) क्या आचार्य पद की रिक्तता का विज्ञापन निकाला गया ? यदि हां, तो किस पत्र में और कब ?

(3) उक्त विज्ञापन के आधार पर किन-किन आवेदकों ने अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये ?

(4) क्या राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय ने भी किसी विशेषज्ञ की नियुक्ति की ?

(5) क्या प्राचार्य का चयन विधिवत् हुआ है ?

उत्तर

(1) बी० एड० कालेज विद्या भवन, उदयपुर के वर्तमान में आचार्य डॉ. आर. एस. शुक्ला हैं। श्री शुक्ला इस पर दि. 15 नवम्बर, 80 से कार्यरत हैं।

(2) जी हां। निम्न समाचार पत्रों में उल्लिखित दिनांक को विज्ञापन निकाले गये—

1. दि. 3-5-80 को हिन्दुस्तान टाइम्स में।
2. दि. 11-7-80 को हिन्दू मद्रास में।
3. दि. 19-7-80 को अमृत बाजार पत्रिका इलाहाबाद में।
4. दि. 20-7-80 को हिन्दू मद्रास में।

(3) निम्न आवेदकों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये—

1. डॉ. सत्यप्रकाश सिंह
2. डॉ. गुरु प्रसाद मेहरोत्रा
3. डॉ. सी. एल. आनन्द
4. डॉ. आर. सी. सक्सेना
5. डॉ. आर. एस. शुक्ला

(4) राज्य सरकार की ओर से श्री बी. एल. व्यास, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर ने तथा विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. के. के. महर्षि, निदेशक, स्कूल ऑफ बेसिक साइन्स

(उच्च शिक्षा मन्त्री)

एण्ड हम्योनिटिक्स, उदयपुर ने विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनिधित्व किया।

(5) जी हाँ।

जिला सवाईमाधोपुर में कोआपरेटिव बैंकों द्वारा इनामों का वितरण

146. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में कोआपरेटिव बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा सन् 1982-83 में बोर्ड के मैम्बरों को तथा कर्मचारियों को इनाम बांटने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो किस-किस संस्था द्वारा यह निर्णय कब-कब लिया गया तथा कितनी-कितनी राशि की इनाम बांटी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशासक और व्यवस्थापकों को भी यह इनाम बांटी गई थी? यदि हां, तो यह इनाम क्या थी तथा कितनी-कितनी राशि की? किस कम्पनी की खरीदी गई थी?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सवाई माधोपुर; भूमि विकास बैंक लि०, सवाई माधोपुर; भूमि विकास बैंक, हिण्डौन तथा क्रय विक्रय सहकारी समितियां क्रमशः गंगापुर सिटी, हिण्डौन, मण्डावर एवं चौथ का बरवाड़ा द्वारा वर्ष 1982–83 में बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों को इनाम बांटने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। सवाई माधोपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० द्वारा दिनांक 31-7-82 को इस प्रकार का निर्णय लिया गया था तथा 6000/– रुपये की राशि इनाम बतौर बांटी गई थी किन्तु सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव अपखण्डित करने पर संस्था में समस्त राशि जमा हो चुकी है।

(2) जी हां। प्रशासक एवं व्यवस्थापक को भी 500/– रुपये प्रत्येक को नकद राशि इनाम बतौर दी गई थी किन्तु राशि वापस संस्था में जमा हो चुकी है।

परियोजना अधिकारी, भूमि विकास बैंक, कोटा द्वारा वाहनों के पार्ट्स की खरीद

148. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कार्यवाहक परियोजना अधिकारी, भूमि विकास बैंक, कोटा द्वारा बैंक वाहनों के पार्ट्स एक ही फर्म खन्ना आटोमोबाइल्स से क्रय किये गये हैं?

(2) क्या बैंक वाहनों का समस्त मरम्मत कार्य एक ही फर्म प्रकाश आटो-मोबाइल द्वारा करवाया गया है?

(3) क्या उक्त मरम्मत कार्य व पार्ट्स क्रय करने के कार्य में बैंक द्वारा निर्धारित नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है?

(4) क्या यह सच है कि एक ही वाहन

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

के एक ही फर्म के एक ही दिन में एक से अधिक बिल प्राप्त हुए हैं ?

(5) क्या यह भी सच है कि इन बिलों को अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित करवाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। पार्ट्स खन्ना आटोमोबाइल से क्रय किये गये हैं।

(2) जी नहीं। बैंक वाहनों का समस्त मरम्मत कार्य ही फर्म प्रकाश आटोमोबाइल से नहीं करवाया गया है। अलग-अलग फर्मों से कार्य हुआ है।

(3) जी हां। उल्लंघन नहीं किया गया है।

(4) जी हां। जीप नं. आर० एस० ओ० 4648 का मै. खन्ना आटोमोबाइल के दिनांक 17-9-83 के बिल संख्या 1810 रुपये 130/– का तथा बिल संख्या 1811 रुपये 63/–का है।

(5) जी नहीं। बैंक के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही बिल्स प्रमाणित किये गये हैं।

जिला पाली की पंचायत समितियों में पाली डेयरी द्वारा विकास कार्य

149. **श्री भैरू सिंह गुर्जर** (खारची) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 के दौरान पाली डेयरी द्वारा क्या-क्या विकास कार्य कराये गये ?

(2) और क्या-क्या नये कार्य प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिला द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. द्वारा जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया। इस अवधि में रानी व देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र में कोई समिति गठित नहीं की गई।

दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध विपणन एवं दुग्ध उत्पादन वर्धन कार्यक्रम की सुविधाएं पशुपालकों को दी जाती है।

(2) जुलाई, 1984 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन एवं देसूरी क्षेत्र में क्रमशः 4 व 8 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां और गठित की जावेंगी।

श्री बाबूलाल, सरपंच अजीतगढ़ (सीकर) के विरुद्ध दर्ज मामला

150. **श्री घनश्याम जैन** (वैर) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर में श्री बाबूलाल, सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़ (सीकर) के विरुद्ध कु. स्वदेश सक्सैना का अवैध रूप से गर्भ गिरा कर की गई हत्या के सम्बन्ध में कोई मामला जांच विचाराधीन है ?

(श्री घनश्याम जैन)

(2) यदि हां, तो कब से एवं अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(3) उक्त मामले में अब क्या कार्यवाही की जानी शेष है ? अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में थाना शाहपुरा पर अभियोग नं. 189/80 धारा 314, 201 ता०.हि० में दिनांक 27-9-80 को पंजीबद्ध हुआ था जिसका चालान मुलजिमान सर्वश्री बाबूलाल सरपंच, नम्रता सक्सैना, श्रीमती जेतन बाई, श्री चांद मोहम्मद, श्री शिवशंकर सक्सैना, श्री रामचन्द्र सक्सैना तथा डॉ० सुभाष सक्सैना के विरुद्ध दिनांक 7-9-83 को प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन सत्र न्यायालय जयपुर में है ।

(2) सूचना प्रश्न 1 के उत्तर में अंकित है ।

(3) मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के रीजनल कार्यालय

151. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी वर्ष 1981-82 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर ने अपने चार-पांच रीजनल कार्यालय स्थापित किये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) इन रीजनल कार्यालयों की स्थापना के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या थे ? और क्या उनकी पूर्ति हुई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) इन रीजनल कार्यालयों के स्थापना की तिथि से दिनांक 31-1-84 तक प्रत्येक का कुल कितना-कितना प्रशासनिक खर्च हुआ तथा उसके द्वारा किये गये कारोबार की लाभ-हानि क्या रही ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । चार रीजनल कार्यालय भरतपुर, अजमेर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में स्थापित किये हैं ।

(2) इन रीजनल कार्यालयों की स्थापना के उद्देश्य प्रमुखतः संघ के व्यवसाय को बढ़ावा देना, उपभोक्ता वस्तुओं को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाना, लीड समितियों को उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराना, ग्रामीण उपभोक्ता योजना की क्रियान्विति करना, सार्वजनिक वितरण योजना में योगदान आदि हैं । वर्ष 81-82 में इन रीजनल कार्यालयों के व्यापार का लक्ष्य 1 करोड़ था जिसके विरुद्ध केवल 8 लाख का व्यापार इनके द्वारा किया गया । वर्ष 82-83 में 1 करोड़ 50 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 30 लाख का व्यापार इनके द्वारा किया गया ।

(3) इन रीजनल कार्यालयों की स्थापना की तिथि 31-1-84 तक जो खर्चा

(सहकारिता मंत्री)

व लाभ हानि रही उसका विवरण प्रत्येक रीजनल कार्यालयवार निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम कार्यालय	प्रशासनिक व्यय		लाभ/हानि
1.	अजमेर	65,713.31	—	59,477.77
2.	भरतपुर	80,013.86	—	51,976.28
3.	जोधपुर	91,400.71	—	43,725.55
4.	गंगानगर	1,08,859.00	—	72,000.00

जिला बाड़मेर, जैसलमेर में अकाल राहत के तहत सड़कें

152. श्री अमीन खां (शिव) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिले के अन्दर सम्वत् 2037 से 2039 तक अकाल राहत कार्यों के तहत कितनी सड़कें बनाई गई हैं उनकी कितनी-कितनी लागत आई ?

(2) अकाल राहत कार्यों के तहत कितने टांके बनाये ?

(3) उनमें कितने सम्पूर्ण कराये व कितनें अधूरे हैं ?

उत्तर

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में इस अवधि में अकाल राहत कार्यों के तहत बनाई गई सड़कें एवं उनकी लागत निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम जिला	बनाई गई सड़कों की संख्या	लागत (लाखों में)
1.	बाड़मेर	615	1464.85
2.	जैसलमेर	92	323.03

(2) इस अवधि में बाड़मेर जिले में 180 एवं जैसलमेर जिले में 130 टांकों का कार्य कराया गया।

(3) इनमें से बाड़मेर जिले में 135 टांके पूर्ण हुए तथा 45 अपूर्ण रहे। जैसलमेर जिले में 25 टांके पूर्ण हुए तथा 105 अपूर्ण रहे।

शिव टिन फैक्ट्री, दौसा के भागीदार के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

154. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) एवं **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिव टिन फैक्ट्री, दौसा के भागीदार सर्वश्री ब्रजकिशोर शर्मा, आनन्द बिहारी शर्मा आदि के विरुद्ध थाना दौसा में मुकदमा दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो कृपया एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस मुकदमे में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है।

(2) अभियोग का अनुसन्धान अभी किया जा रहा है। सम्बन्धित गवाहान से पूछताछ की गई है। अनुसन्धान जारी है।

(एफ. आई. आर. की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)।

सुल्तानपुर एवं सांगोद क्षेत्र में दर्ज मुकदमे

155. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले के सुल्तानपुर एवं सांगोद क्षेत्र के पुलिस थानों में गत 2 वर्ष में कितने केस किस-किस श्रेणी के दर्ज हुए ?

(2) उनमें से कितनों में अपराधियों को पकड़ा गया, कितनों के चालान हुए व अब उनमें क्या-क्या प्रक्रिया कहां-कहां जेरकार है।

(3) कोर्ट में भेजे गये केसेज में से कितनों में किस-किस को क्या-क्या सजाएं हुई व कितने केसेज में किस-किस को बरी या निरपराध घोषित किया गया ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है।

(2) वांछित सूचना संलग्न है।

(3) वांछित सूचना संलग्न है।

(वांछित सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सहकारी उपभोक्ता संघ की विभिन्न प्रवृत्तियों की जांच

156. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने स्वयं की पहल पर अथवा सूचना दी जाने पर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर की विभिन्न प्रवृत्तियों से सम्बद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच की है अथवा विचारधीन है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण की ?

(2) इन जांचों में से पिछले तीन सालों में किस-किस प्रकरण की जांच पूरी कर ली उसके क्या निष्कर्ष रहे तथा किस-किस प्रकरण की जांच वर्तमान में कब-कब से विचाराधीन है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) विवरण संलग्न है।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पंचायत समिति इटावा तथा अन्ता क्षेत्र में लघु उद्योग केन्द्र द्वारा ऋण व अनुदान

157. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या लघु उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति इटावा तथा अन्ता में लघु उद्योग केन्द्र द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को वर्ष 1983–84 में कितना ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाने का लक्ष्य था ?

(2) क्या उक्त लक्ष्य की पूर्ति करली गई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को किस हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया ? नाम, पता, धन्धा, ऋण अनुदान कुल राशि आदि की पूर्ण सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अन्ता एवं इटावा में वर्ष 83–84 के लिये लघु उद्योगों एवं ग्रामीण दस्तकारों को ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने का निम्न प्रकार से लक्ष्य रखा गया था:—

पं. स. इटावा	**पं. स. अन्ता**
48 इकाइयां	90 इकाइयां

(2) जी हां । लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि हुई है । लाभान्वित इकाइयां :—

इटावा	**अन्ता**
66	141

सूची परिशिष्ट "अ" और "ब" संलग्न है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

कामां में पम्प हाउस के निर्माण में अनियमितता

158. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या मुख्य मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कामां में पम्प हाउस के निर्माण का डिजाइन वदल देने से वह कार्य प्रथम टेण्डर चौबीस हजार रुपयों में कराने के वजाय विना टेण्डर पचपन हजार रुपयों में कराने की वित्तीय अनियमितता के लिये अधिशाषी अभियन्ता श्री एम. बी. माथुर के विरुद्ध कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो यह आरोप पत्र कब जारी किया गया और उसके क्या परिणाम रहे ? कृपया आरोप पत्र की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) श्री माथुर को इस सम्बन्ध में दिये गये आरोप पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

30

(मुख्य मंत्री)

(2) आरोप पत्र दिनांक 1–7–80 को जारी किया गया। श्री माथुर ने अपना लिखित अभिकथन दिनांक 18–12–83 को प्रस्तुत कर दिया जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

(प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जिला जैसलमेर में सूत्र "ग्रामीण उद्योग धंधे" के तहत लक्ष्य

159. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : (जैसलमेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिये वर्ष 1982–83, 1983–84 में सूत्र "ग्रामीण उद्योग धन्धे" के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे व क्या-क्या उपलब्धियां अर्जित की जा चुकी हैं ?

उत्तर

बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र "ग्रामीण उद्योग धन्धे" के अन्तर्गत जिला जैसलमेर के लिये माहवार एवं वर्षवार निर्धारित किये गये लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष 1982–83 :

मद	लक्ष्य	उपलब्धि
छोटे उद्योग	20	20
कामदारों को रोजगार	135	162
ग्रामीण उद्योग	50	209

वर्ष 1983–84 :

मद	लक्ष्य	उपलब्धि (फर. 84 तक)
छोटे उद्योग	20	31
कामगारों को रोजगार	140	106
ग्रामीण उद्योग	50	132
हाथ करघे	5	—

अजमेर वाटर सप्लाई स्कीम के निर्माण

160. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर वाटर सप्लाई स्कीम के निर्माण के अन्तर्गत प्रथम फेज, द्वितीय फेज, तृतीय फेज तथा चतुर्थ फेज में क्या-क्या निमाण कार्य कितनी-कितनी लागत से कब-कब कराये गये ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) इस स्कीम में निर्माण के प्रारम्भ में अब तक कुल कितने डीजल एवं बिजली के पम्प, इंजन, वाटर बूस्टर आदि मशीनरी पानी के स्रोत से पानी वितरण तक कहां-कहां, कब-कब, किस-किस मूल्य के लगाये गये और कब-कब खराब होने या काम के नहीं रहने से बदला गया और ऐसे खराब या बदले गये पम्प, इंजन, बूस्टर आदि मशीनरी कहां पर रखे गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस स्कीम में निर्माण से अब तक मरम्मत, एडीशन, आल्टरेशन आदि पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

कब-कब, किस-किस कारण से कितना-कितना व्यय किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इसके द्वारा अजमेर नगर व अन्य स्थानों को कितना-कितना पानी उपलब्ध कराना प्रस्तावित था और वास्तव में कितना पानी उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) अजमेर वाटर सप्लाई स्कीम निर्माण को दो फेज के अन्तर्गत पूरा कराना था। प्रथम फेज में निर्माण कार्य के अन्तर्गत नेगडिया से एस० आर० 7 तक पाइप लाइन डालना व पी० एस० 1 से 6 तक पानी के हौज बनाना, पम्पों को लगाना एवं एस० आर० 7 से दौलतबाग तक पाइप बिछाना था नेगडिया पर 40 ट्यूब वैल इत्यादि का कार्य प्रथम फेज के अन्तर्गत था। यह कार्य 1962से 1970 तक बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किये गये। सोर्स(कुओं)और कुओं से सम्बन्धित पाइन लाइन पर 18.56 लाख। मैन पाइप लाइन पर रुपये 1,86,97,000/–, सिविल वर्क्स पर रुपये 20,99,000/–, टंकी 7 नं. पर 3,12,000/– रुपये, मशीनरी पम्प पर 12,50,000/– व अन्य मदों पर 39,14,000/– व्यय किये गये।

द्वितीय फेज में नेगडिया पर इन-फिल्ट्रेशन गैलरी व कुओं के कार्य पर रु० 26.53 लाख, सी० डब्ल्यू० आर० दयानन्द मार्केट एवं टंकियों शास्त्रीनगर, नाका मदार व शहर की पाइप लाइनों पर 48.09 लाख, मैन पाइप लाइनों हेतु 341.64 लाख रुपये, सिविल कार्य आफिस बिल्डिंग सर्ज टैंक इत्यादि पर रु. 24.49 लाख, पम्प मशीन पर रु. 50.85 लाख तथा अन्य मदों पर 61.62 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। इस फेज को सन् 1978 से अब तक क्रियान्वित दिया जा रहा है।

(2) इस स्कीम में निर्माण मे अब तक निम्न प्रकार बिजली पम्प स्रोत से पानी वितरण तक निम्नांकित मूल्य के लगाये गये :—

प्रथम फेज 1962 से 1970 तक

1. स्रोतों पर 3 एल 3 पम्प 40 नग

2. बीच के पम्प रूम स्टेशन 1 से 5 तक व अजमेर।

(क) 150 एच० पी०—2 नग

(ख) 250 एच० पी०—17 नग

3. नसीराबाद पम्प रूम
220 एच० पी०—5नग

4. बीच के पम्प रूम 1 से 5 तक
70 एच० पी०—10 नग

5. शहर के अन्य बूस्टर
5 से 15 एच० पी०—5 नग

उपरोक्त की कुल लागत रुपये
12,50,000/–

द्वितीय फेज 1978 से चालू समय तक

1. स्रोतों पर 60 एच. पी. पम्प 3 नग

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

2. पम्पिंग स्टेशन नं. 1, 2, 3, 4, 6 पर 300 एच० पी० पम्प 6 नग

3. पम्पिंग स्टेशन नं. एक 270 एच० पी० पम्प–3 नग

4. मध्य पम्पिंग स्टेशन 150 एच० पी० पम्प–2 नग

उपरोक्त की कुल लागत रुपये 12,14,108/–

खराब होने की अवस्था में पम्प मशीनें नाकारा नहीं की गई हैं। रिपेयर के पश्चात् उपयोग में लाई जाती रही हैं।

(3) एडीशन आल्ट्रेशन मरम्मत कार्य पर खर्चे का हिसाब बनास योजना के साथ अन्य स्रोत गनेड़ा, भांवता, फाईसागर, लोकल वैल की योजनाओं के सम्मिलित रूप से रखा जाता है। इस योजना के तहत खर्चे 1968 से हो रहे हैं, अतः पृथक् से सूचना संकलित करना सम्भव नहीं है।

(4) प्रथम फेज में 38 लाख गैलन पानी उपलब्ध कराना प्रस्तावित था। जिसमें नसीराबाद, रेलवे-अजमेर व अजमेर शहर को क्रमशः 6.3 व 29 लाख गैलन पानी दिया जाता था। प्रथम फेज में अजमेर को 20 लाख गैलन पानी, नसीराबाद को 6 लाख गैलन, अजमेर-रेलवे को 3 लाख गैलन, केकड़ी व सरवाड़ को 2 लाख गैलन इस प्रकार 30 से 32 लाख गैलन पानी प्रतिदिन वास्तव में उपलब्ध हुआ।

द्वितीय फेज में कुल पानी 64 लाख गैलन उपलब्ध कराना प्रस्तावित था। जिसमें से अजमेर को 53 लाख गैलन, नसीराबाद को 6 लाख गैलन, अजमेर-रेलवे को 3 लाख गैलन, केकड़ी सरवाड़ को 2 लाख गैलन उपलब्ध कराना था। वास्तव में द्वितीय फेज क्रियान्वित होने पर अजमेर को 37 लाख गैलन, रेलवे-अजमेर को 3 लाख गैलन, नसीराबाद को 2 लाख गैलन, केकड़ी को 4 लाख गैलन, सरवाड़ को 2 लाख गैलन, ग्राम सूरजपुरा प्रतापपुरा को 0.20 लाख गैलन, रेलवे-नसीराबाद व नसीराबाद कालेज को 0.50 लाख गैलन पानी वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में कुल मिलाकर बनास योजना से 58.70 लाख गैलन पानी उपलब्ध हो रहा है। बचे हुए बिजली कार्य के पूर्ण किये जाने के पश्चात् 4 लाख गैलन पानी की अतिरिक्त मात्रा बनास से और उपलब्ध होने पर नसीराबाद-एम० ई० एस० को और दी जा सकेगी।

इस तरह कुल मिलाकर द्वितीय फेज पूर्ण हो जाने पर बनास से 62.70 लाख गैलन पानी उपलब्ध होगा।

झालावाड़ एवं डग पंचायत समिति के ग्रामों के खराब हैण्ड पम्प

161. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ व डग पं. स. में किन-किन ग्रामों के कितने-कितने हैण्ड पम्प कितने समय से खराब पड़े हुए हैं? कृपया ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(2) उक्त ग्रामों के हैण्ड पम्प कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की पंचायत समिति डग में 6 हैण्ड पम्पों के अलावा इस समय सभी हैण्ड पम्प सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) उक्त हैण्ड पम्पों में पाइप एसम्बली गिर जाने से खराबी आ गई है जिसे शीघ्र निकाल कर ठीक करवाने के प्रयत्न जारी हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम भोज्याडंड में हैण्ड पम्प

162. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव भोज्या-डंड में दो हैण्ड पम्प लगाये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से एक हैण्ड पम्प बहुत दिनों से खराब हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस खराब हैण्ड पम्प के कारण गांव वालों को पानी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ?

(4) क्या सरकार इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुए इसे ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। एक हैण्ड पम्प को जून, 83 के मरम्मत अभियान में बेकार घोषित किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। इसके पास 70-80 मीटर दूरी पर दूसरे चालू हैण्ड पम्प से जनता पानी की आपूर्ति कर रही है।

(4) जी हां। इस बेकार हुए पम्प के स्थान पर दूसरा हैण्ड पम्प खुदवाने की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है।

यमुना नदी के पानी में राजस्थान का हिस्सा

163. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा के गत सितम्बर, 1983 के अधिवेशन के पश्चात् राजस्थान सरकार की ओर से, यमुना नदी के पानी में राजस्थान का हिस्सा निर्धारित कराने हेतु क्या-क्या प्रयास और चेष्टाएं अब तक की गई हैं ?

(2) उक्त चेष्टाओं के फलस्वरूप क्या यमुना नदी के जल में से पैरीनियल सिंचाई हेतु कोई पानी की मात्रा उपलब्ध हो सकेगी ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

(3) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्थान को यमुना

(श्री राजबहादुर)

जल में निश्चित हिस्सा पैरीनियल व नान-पैरीनियल सिंचाई के लिये मिले ऐसी कोई पहल व चेष्टा की गई है? यदि हां, तो क्या और कब? और उसका फल अब तक क्या निकला है?

(4) क्या राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो यमुना जल से जिस-जिस मात्रा में, उक्त हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों ने अपने-अपने सिंचाई साधन व क्षेत्र-फल बढ़ा लिये हैं वह उनके निहित अधिकार नहीं माने जायेंगे और यमुना जल का न्याय-पूर्ण बंटवारा तीनों राज्यों में होगा?

उत्तर

(1) गत सितम्बर, 1983 के अधिवेशन के पश्चात् इस मामले को निपटाने हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 9 व 10 जनवरी, 1984 को एक बैठक हुई जिसमें सम्बन्धित राज्यों के प्रति-निधियों से विचार-विमर्श किया गया और सभी राज्यों से कुछ और सूचनाएं चाही गई हैं। इन सूचनाओं के प्राप्त होने पर अगली बैठक बुलाई जावेगी।

(2) इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(3) प्रश्न एक के उत्तर के अनुसार।

(4) जी हां, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कई बार स्पष्ट रूप से लिख दिया है और तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सामने भी यह प्रगट किया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में जो अनाधिकृत योजनाएं बना ली हैं, उनको मान्यता नहीं दी जावे।

मोती सागर बांध की जल क्षमता

164. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोती सागर के बांध की जल क्षमता के अनुरूप कितनी सिंचाई होनी चाहिये और वर्तमान में सिंचाई कितने क्षेत्र में की जा रही है?

(2) क्या यह सच है कि क्षमता के मुकाबले सिंचाई कम क्षेत्र में हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इन कमियों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) मोती सागर बांध की जल क्षमता के अनुरूप इस बांध से 3500 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होनी चाहिए। वर्तमान में 3000 एकड़ में सिंचाई की जा रही है।

(2) वर्तमान परिस्थितियों में क्षमता के मुकाबले सिंचाई ठीक-ठीक हो रही है।

जिला पाली की पंचायत समितियों में खोदे गये हैण्ड पम्प

165. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या भू-जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

देसूरी व रानी पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 के दौरान कितने ट्यूबवैल्स खोदे गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) कितने ट्यूबवैल्स खोदने हेतु आवेदन-पत्र लम्बित हैं एवं वे कब तक खोदे जा सकेंगे ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भू-जल विभाग द्वारा पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन देसूरी व रानी पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक बनाये गये नलकूपों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

(2) उपरोक्त पं. समितियों में नलकूप बनाने के लिए भू-जल विभाग के पास कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है ।

(ग्रामवार सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सिंचाई विभाग के अभियंताओं के कन्फर्मेशन

166. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सर्विस आफ इन्जीनियर्स (इरिगेशन ब्रांच) रूल्स, 1954 के रूल 6 (2) के अन्तर्गत अन्तिम तौर से निर्धारित परमानेन्ट कॅडर स्ट्रेन्थ कितनी है ?

(2) इस स्ट्रेन्थ में कितने अभियन्ता किस वर्ष तक कन्फर्म किये जा चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि परमानेन्ट केडर स्ट्रेन्थ पद रिक्त होने के बावजूद इस सेवा में कार्यरत अभियन्ताओं को कन्फर्म नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया कारणों का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(4) अब ये कन्फर्मेशन कब तक कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान सर्विस आफ इन्जीनियर्स (इरिगेशन ब्रांच) नियम, 1954 के नियम 6 (2) के अन्तर्गत परमानेन्ट केडर स्ट्रेन्थ मार्च, 1977 में प्रकाशित की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1. मुख्य अभियन्ता	3
2. अतिरिक्त मुख्य अभि.	1
3. अधीक्षण अभि. (सिविल)	14
4. अधीक्षण अभि. (यान्त्रिक)	1
5. अधिशासी अभि. (सिविल)	60
6. अधिशासी अभि. (यां.)	4
7. सहायक अभि. (सिविल)	246
8. सहायक अभि. (यान्त्रिक)	7

(सिचाई मंत्री)

इसके पश्चात् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31-12-80 द्वारा विभाग के स्थाई पदों में वृद्धि की जाकर स्थाई पदों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गई है—

1. मुख्य अभियन्ता	3
2. अति. मुख्य अभि.	2
3. अधीक्षण अभि. (सिविल)	23
4. अधीक्षण अभि. (यां.)	1
5. अधिशासी अभि. (सि.)	86
6. अधिशासी अभि. (यां.)	6
7. सहायक अभि. (सिविल)	341
8. सहायक अभि. (यां.)	30

(2) स्थाई पदों में से निम्नलिखित अभियन्ताओं को कन्फर्म किया जा चुका है एवं दिनांक जिस तक कन्फर्म किये जा चुके हैं—

1. मुख्य अभि.	3	1-1-80
2. अति. मु. अभि.	2	1-12-80
3. अधीक्षण अभि. (सिविल)	21	1-3-80
4. अधीक्षण अभि. (यान्त्रिक)	1	1-3-77
5. अधिशासी अभि. (सिविल)	58	1-3-80
6. अधिशासी अभि. (यान्त्रिक)	4	1-3-80
7. सहायक अभि. (सिविल)	172	1-3-77
8. सहायक अभि. (यान्त्रिक)	17	1-3-80

(3) मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के वर्ष 1980 व 1981 के पश्चात् हुए रिक्त पदों पर स्थाईकरण के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। तथा अन्य पदों के सम्बन्ध में न्यायालयों में विचाराधीन मामलों एवं कुछ प्रशासनिक बाधाओं के कारण कन्फर्मेशन किये जाने में बाधा आ रही है।

(4) इस सम्बन्ध में प्रयास जारी हैं।

जिला चित्तौड़गढ़ में बागान सिचाई परियोजना के तहत नहर निर्माण

167. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बागान सिचाई परियोजना जिला चित्तौड़गढ़ के नगर निर्माण का काम कब से आरम्भ किया गया ? क्या कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? नहर निर्माण में कितने खातेदार कृषकों की कृषि भूमि अवाप्त की गई ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखते हुए यह बताने का कष्ट करें कि

(श्री नन्दलाल मीणा)

अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किस दर से कितने कृषकों को चुका दिया गया है ? अब कितने किसान किन कारणों से मुआवजे से वंचित है ?

उत्तर

वागन सिंचाई परियोजना जिला चित्तौड़ का निर्माण कार्य वर्ष 1977–78 से प्रारम्भ किया गया एवं वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

नहर निर्माण में कुल 941 खातेदार कृषकों की कृषि भूमि अवाप्त की गई है। नहरवार व प्रत्येक नहर के अन्तर्गत गांववार सूचना प्रपत्र "अ" में संलग्न है। अब तक 470 खातेदार कृषकों को मुआवज़े का भुगतान किया जा चुका है। मुआवजे का भुगतान 500 रु. से लेकर 6000 रु. प्रति बीघा की दर से किया गया है। अब 471 खातेदार कृषकों का मुआवजा भुगतान करना बाकी है। इनको भुगतान एवार्ड जारी नहीं होने के कारण एवं कुछ मामले न्यायालय में विचारधीन होने के कारण नहीं किया जा सका है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राज्य के सब डिवीजनल मुख्यालयों के चिकित्सालयों की क्रमोन्नति

168. श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य में सब डिवीजनल मुख्यालयों के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर 20 या इससे अधिक बैड के चिकित्सालय किये जाने का प्रावधान किया गया है ?

(2) क्या यह भी सच है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अकलेरा नगरपालिका एवं डिवीजनल मुख्यालय है ? अकलेरा में यह सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां के चिकित्सालय को भी प्रावधान के अनुसार क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आगामी वर्ष में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी हां। प्राथमिकता के आधार पर अन्य स्थानों के साथ-साथ अकलेरा के बारे में भी अवश्य विचार किया जावेगा।

तहसील मांगरोल एवं बारां के उप स्वास्थ्य केन्द्र

169. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मांगरोल तहसील एवं बारां तहसील में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, इनमें से कितने केन्द्रों में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ? क्या इनके कर्मचारियों को नसबन्दी शिविरों में लगाने के कारण ये केन्द्र बन्द पड़े हैं ? इन उपकेन्द्रों में पिछले पांच वर्षों में कितनी महिलाओं का प्रसूति कार्य सम्पन्न हुआ है ?

उत्तर

मांगरोल तहसील में 19 एवं तहसील बारां में 15 उप केन्द्र स्वीकृत हैं। मांगरोल तहसील के दो नव सृजित उप केन्द्र भटवाड़ा एवं सोरखण्ड कलां को छोड़कर सभी उप-केन्द्रों में कर्मचारी नियुक्त हैं। नसबन्दी शिविरों के कारण कोई उपकेन्द्र बन्द नहीं है। केवल केम्प के समय स्टाफ को वहां भेजा जाता है। पिछले 5 वर्षों में मांगरोल तहसील में 788 महिलाओं का एवं बारां तहसील में 812 महिलाओं का प्रसूति कार्य सम्पन्न हुआ।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा प्रशासन शहरों की ओर अभियान के दौरान केम्प

170. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या नगर आयोजन राज्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासन शहर की ओर अभियान में नगर सुधार न्यास, अजमेर ने कितने दिन कहां-कहां पर केम्प लगाये और प्रत्येक केम्प में क्या-क्या कार्य सम्पन्न किया और किस-किस काम के भविष्य में करने का आश्वासन दिया गया ?

(2) क्या भविष्य में सम्पन्न किये जाने वाले कामों को निपटाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने निपटा दिये गये हैं और कितने निपटाये जाना शेष हैं और अब कब तक निपटाये दिया जायगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) "प्रशासन शहरों की ओर अभियान" में नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा न्यास की विभिन्न नियमित योजनाओं में तथा कच्ची बस्ती योजनाओं में निम्न विवरण अनुसार केम्प लगाये गये :—

दिनांक 1	समय 2	शिविर का स्थान 3
15–9–83	प्रातः 10 से 5	न्यास प्रांगण
16–9–83	प्रातः 7 से 1 व अपराह्न 2 से 8	आनासागर
17–9–83 व 19–9–83	,, ,,	जवाहर नगर
20–9–83 व 21–9–83	,, ,,	नागफणी
22–9–83 व 23–9–83	,, ,,	लौंगिया मोहल्ला
24–9–83	,, ,,	धानका बस्ती
26–9–83	,, ,,	न्यास प्रांगण
27–9–83	,, ,,	धानका बस्ती

(राज्य मन्त्री, नगर आयोजन)

1	2		3
28 से 30–9–83	प्रातः 7 से 1 व अपराह्न 2 से 8		अशोक नगर भट्टा
1–10–83	,,	,,	नागबाई
3–10–83	,,	,,	कंजर बस्ती
4–10–83	,,	,,	भगवानगंज
5–10–83	,,	,,	पहाड़गंज
6–10–83	,,	,,	न्यास कार्यालय
10–10–83	,,	,,	मलूसर रोड
11–10–83	,,	,,	जवाहर नगर
12 व 13–10–83	,,	,,	शान्ति नगर
18 से 20–10–83	,,	,,	जादूघर
21–10–83	,,	,,	वालूपुरा
22–10–83	,,	,,	पूवरा [illegible]
24–10–83	,,	,,	कालू की ढाणी
25–10–83	,,	,,	नाका मदार
26–10–83	,,	,,	कुम्हार का बाड़ा
27–10–83	,,	,,	धानका बस्ती
28 व 29–10–83	,,	,,	लोहाखान

इन प्रत्येक केम्प में मौके पर ही संबंधित क्षेत्र की समस्या जैसे :—

भवन निर्माण प्रकरण, भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति, भूखण्डों के कब्जे दिये जाने, भूखण्डों का आवंटन एवं पट्टा वितरण, खांचा भूमि का निष्पादन, अवैध कब्जों का नियमन व पट्टा वितरण, शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन व कब्जे दिये जाने, सड़कें व नालियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य, विद्युत व जल व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, वृक्षारोपण, शहरी जमाबन्दी की वसूली आदि को निपटाये गये जिनकी सूची परिशिष्ट 1 के बिन्दु संख्या "अ" पर एवं भविष्य में जिन कार्यों को किये जाने का आश्वासन दिया गया उनकी सूची बिन्दु "ब" पर संलग्न है।

(2) अभियान के पश्चात् जिन कार्यों को निपटाने का आश्वासन पूर्व में दिया गया था उन्हें निपटाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। जिन कार्यों को अभियान के पश्चात् निपटा दिया गया है उसका

(राज्य मंत्री, नगर आयोजन)

ब्यौरा परिशिष्ट 2 बिन्दु "क" पर एवं जो कार्य निपटाये जाने शेष हैं का ब्यौरा बिन्दु "ख" पर प्रेषित है। बचे हुए कार्यों को यथासंभव अतिशीघ्र दो माह में निपटा दिये जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा निर्मित आनासागर एस्केप चेनल

171. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में नगर परिषद्, अजमेर द्वारा बाढ़ बचाव कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कराई गई आनासागर एस्केप चेनल का निर्माण ठीक नहीं हुआ है और चेनल के दोनों ओर की दीवारों के बीच में कई जगह कुछ स्थान बिना दीवार बनाये छोड़ देने से बाढ़ से बचाव उद्देश्य अधूरा रह गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इसके निर्माण के बाद से ही इसकी मरम्मत व सफाई पर भारी राशि व्यय करने के बावजूद भी यह पूरी तरह साफ नहीं कराई गई और कई जगह पर टूटी-फूटी है ?

(3) कृपया इस एस्केप चेनल की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं नक्शे की प्रतियां तथा इसके निर्माण, मरम्मत एवं सफाई पर आज तक व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1981-82 में कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। अतः ठीक नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) आनासागर एस्केप चेनल की सफाई एवं मरम्मत का कार्य इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है और न ही अब तक सफाई एवं मरम्मत पर इस विभाग द्वारा कोई खर्चा किया गया है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने का मापदण्ड

172. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने का क्या आधार है ?

(2) क्या पंचायत बासनी; जिला नागौर उक्त मापदण्ड में आती है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायतों को अब तक नगरपालिका में क्रमोन्नत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अनुसार 8000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को नगरपालिका से क्रमोन्नत किया जा सकता है।

(2) जी हां। परन्तु यहां की अधिकतर आबादी बाहर रहती है जो अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति प्रायः नागौर से करते हैं। वासनी ग्राम में कोई मण्डी नहीं है। यहां अधिक मात्रा में सामान भी नहीं आता-जाता है ऐसी स्थिति में नगरपालिका में क्रमोन्नत करने पर उसका दैनिक कार्य एवं विकास कार्य होना संभव नहीं होगा।

(3) जी नहीं। प्रश्न के भाग (2) के उत्तर के वाद प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जयपुर नगर के मुख्य बाजारों के बरामदे

173. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर के मुख्य बाजारों के वरामदों के खाली करवाने या नहीं करवाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि मेन रोड पर दुकानों के सामने बने हुए वरामदों में पिछले दो वर्षों में अतिक्रमण किया गया ? यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमण की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पिछली अवधि में कई बरामदों को खाली करवाया गया ? यदि हां, तो किन-किन को और कब ?

उत्तर

(1) इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी हां। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। निम्नांकित अतिक्रमणों को हटाया गया—

1. डॉ. एन. के. कूलवाल,
   सूरजपोल वाजार।
2. श्री हरिनारायण शर्मा,
   आदर्श ज्ञान विद्यालय,
   सूरजपोल वाजार।
3. श्री सूरजमल वैद्य,
   किशनपोल वाजार।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

(42)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा किया गया अवैधानिक एक्सचेंज डीड

174. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर के पत्र संख्या सीलिंग/82–83 दिनांक 1–3–83 में जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/1, 513/3 एवं 513/10 की लगभग 91 बीघा भूमि के नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा हस्तान्तरण पर रोक लगा दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक जिलाधीश, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 73/72 एवं 72/72 में जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 513/1, 513/3 क्रमशः की भूमि के सम्बन्ध में दखलन्दाजी न करने के लिए नगर सुधार न्यास, जोधपुर को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 1–4–72 को दी थी जिसकी पुष्टि दिनांक 20–12–74 को की गई एवं राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर, ने इस पुष्टि को अपने निर्णय दिनांक 24–12–75 द्वारा कायम रखा अतः यह निषेधाज्ञा आज तक चालू है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दोनों न्यायालयों के आदेश की अवहेलना कर के नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में 53 एक्सचेन्ज डीड जुलाई, 83 में जारी किए जिनके रजिस्ट्रेशन पर जिलाधीश जोधपुर ने रोक लगा दी है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अवैधानिक एक्सचेन्ज डीड को निरस्त कर सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वाद सं. 73/72, 72/72 में खसरा सं. 513/1 व 513/3 की भूमि से सम्बन्धित निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसकी पुष्टि दिनांक 20–12–74 को की गई। दिनांक, 20–12–74 के आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील की गई थी जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 24–12–75 को निरस्त कर दी गई। तत्पश्चात् राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल में रिवीजन याचिका प्रस्तुत की गई। उक्त रिविजन जब विचाराधीन था तब वादीगणों की ओर से राजीनामा कर लिया।

(3) वादीगणों एवं न्यास के बीच समझौता होने के फलस्वरूप एवं समझौता राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करने के पश्चात् एक्सचेन्ज डीड जारी किये गए। जिलाधीश (रजिस्ट्रार) जोधपुर द्वारा उक्त एक्सचेन्ज डीड की रजिस्ट्री पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश न्यास कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

(4) इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है। उचित कार्यवाही न्यायालय निर्णय के पश्चात् ही की जा सकेगी।

जिला चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति व जन जाति पर वन भूमि अतिक्रमण के मामले

175. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1971 के पूर्व अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के कितने मामले चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक चल रहे हैं ?

(2) उक्त अतिक्रमण के मामलों में कितने मामले न्यायालय तथा कितने विभाग के पास विचाराधीन हैं ? विचाराधीन मामलों में से कितने कृषकों को वेदखल कर दिया गया है ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा जांच किये जाने पर चित्तौड़गढ़ जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों में से 57 प्रकरण 1 जनवरी, 1971 से पूर्व के पाये गये ।

(2) उक्त सभी मामलों में विभाग द्वारा नियमन की कार्यवाही की जा रही है और किसी कृषक को वेदखल नहीं किया गया है ।

सांगानेर तहसील में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण

176. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा तहसील सांगानेर में वर्ष 1981-82 और 1982-83 में कितने पेड़ किस-किस स्थानों पर लगाये गये थे ?

(2) उक्त लगाये गये पेड़ों में से प्रत्येक में कितने पेड़ जीवित हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

तहसील डीडवाना के गांव तंवरा व रिडमलास में औषधालय खोलना

178. श्री रामधन (लाडनू) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्राम तंवरा, रिडमलास, तहसील डीडवाना के ग्राम पालोट, जहां कि भवन की व्यवस्था भी है, में सरकार औषधालय

(श्री रामधन)

खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले तीन सालों से लाडनूं तहसील में एक भी औषधालय नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लाडनूं के ग्राम तंवरा एवं रिडमलास तथा पंचायत समिति डीडवाना के ग्राम पालोट में से रिडमलास को छोड़ कर अन्य दोनो स्थानों पर भवन व्यवस्था उपलब्ध कराने का आश्वासन नवीन औषधालय खोलने के प्रस्तावों के साथ प्राप्त हुआ है। ग्राम रिडमलास में औषधालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। पंचायत समिति डीडवाना में पूर्व से ही 10 से अधिक औषधालय संचालित होने के कारण राज्य नीति के अनुसार इस पंचायत समिति में नवीन औषधालय खोलना सम्भव नहीं है। पंचायत समिति लाडनूं में इस वर्ष 1983-84 में ओडीट में नवीन औषधालय खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(2) जी हां। वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में राज्य में किसी भी स्थान पर नवीन औषधालय नहीं खोला गया था। चालू वर्ष 1983-84 में तहसील एवं पंचायत समिति लाडनूं के ग्राम ओडीट में नवीन औषधालय स्वीकृत किया जा चुका है।

ग्राम सिलनवाद व मिठडी में पशु चिकित्सालय खोलना

179. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्राम सिलनवाद व मिठडी में भवन तथा पशुओं की संख्या देखते हुए वहां पशु चिकित्सालय खोलना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्रदेश में अभी इन स्थानों से भी अधिक जनसंख्या एवं पशु संख्या वाले स्थान बाकी हैं, जो कि पशु चिकित्सा संस्था से वंचित हैं। अतः फिलहाल ग्राम सिलनवाद एवं मिठडी में पशु चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

उदयपुर शहर में नेशनल हाई-वे बाई पास का सर्वे

180. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर शहर में नेशनल हाई-वे बाई पास का सर्वे एवं निर्धारण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इसे बनाने हेतु जमीन की अवाप्ति हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या इस बाई पास की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति केन्द्र सरकार से मिल चुकी है ? यदि हां, तो अब तक कितना धन प्राप्त हो चुका है ?

(4) क्या सरकार इसे अति शीघ्र बनवाने हेतु विशेष प्रयत्न करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य 1982 में कराया गया।

(2) जी नहीं।

(3) इस कार्य हेतु जहाजरानी एवं परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु तखमीना प्रेषित कर दिया गया है परन्तु अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(4) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जावेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड टौंक में सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य

181. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड टौंक में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 तक सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष में किस-किस काम के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक वर्ष में किस-किस काम पर कितना-कितना व्यय किया गया ? कृपया प्रत्येक का अलग-अलग ब्यौरा वर्षवार सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

वांछित ब्यौरा प्रपत्र 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के चुनाव

183. श्री घनश्याम जैन (वेगूं) **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(2) उक्त संस्थाओं के चुनाव कराये जाने का सरकार कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कुछ स्वायतशासी संस्थाओं के चुनाव होना शेष है।

(2) उक्त संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराए जायेंगे।

राजस्थान बीज निगम द्वारा बाजरे का क्रय

184. श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

(श्री महाराम चौधरी)

क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान बीज निगम ने सन् 1980 से 31 जनवरी, 1984 तक बाजरे का, गेहूं का, बीज खरीदा ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में किन-किन फ़र्मों से खरीदा गया है ?

(2) क्या उपरोक्त खरीदे गये बीज के जर्मिनेशन सम्बन्धी शिकायतें हुई ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या जर्मिनेशन सम्बन्धी नुकसान के लिए किसानों को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राजस्थान बीज निगम ने उक्त वर्षों में जिस वर्ष जितना बीज खरीदा उसे उसी वर्ष वितरण किया ? यदि नहीं, तो कितना-कितना शेष रहा और क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण इस प्रकार है :—

(मात्रा क्विंटल में)

1980	1981	1982	1983	1984
गेहूं–525 (मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम से)	–	—	2000 (हरियाणा राज्य बीज विकास निगम)	—
बाजरा 3582.00 (एन.एस.सी.)	1856.00 (ग्रोवेल एग्रो ट्रेडर्स, जालना) 11592.00 (कार्तिक सीड्स कं. अहमदाबाद) 8510.00 (एन.एस.सी.) 2500.00 (किसान सेवक सीड्स कं. अकोला)	5925.00 (स्वास्तिक सीड्स कं. अहमदाबाद) 3008.00 (नवभारत सीड्स कं. अहमदाबाद)	7614.54 (स्वास्तिक सीड्स कं. अहमदाबाद)	—
	24458.00			

(राज्य मन्त्री, कृषि)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रति वर्ष कुछ न कुछ मात्रा में बीज अवितरित रहा, कारण निम्न हैं–

1. असामयिक तथा अपर्याप्त वर्षा बीज का वितरण अपेक्षित मात्रा में न होने का सबसे प्रमुख कारण रहा है। पिछले तीन वर्षों से राज्य के अधिकांश भागों में खरीफ में वर्षा या तो समय से पूर्व ही हो गई अथवा विलम्ब से हुई।

2. अधिकांश स्थानों पर खरीफ सीजन में बी-कम्पोनेन्ट ऋण स्वीकृत न होने के कारण भी बीज वितरण प्रभावित हुआ।

3. प्रतिवर्ष शेष रहे बाजरा बीज की मात्रा निम्नानुसार है—

(मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	मात्रा
1980	162.00
1981	10637.00
1982	10449.00
1983	12554.00

मांगरोल व इन्द्रगढ़ की हरिजन बस्तियों में पेयजल

185. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पीपल्दा क्षेत्र की नगरपालिका क्षेत्र मांगरोल व इन्द्रगढ़ की हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त बस्तियों में शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र मांगरोल की हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अब तक चार हैण्ड पम्प व एक सार्वजनिक नल लगाए गए हैं तथा एक बंद सार्वजनिक नल को भी चालू किया जा रहा है। इन्द्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की अनगौरा हरिजन बस्ती के अलावा सभी हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था है। अनगौरा हरिजन बस्ती में भी शीघ्र पेयजल व्यवस्था की जा रही है।

(2) जी हां। नगरपालिका मांगरोल द्वारा मांगरोल की जिन हरिजन बस्तियों की सूची उपलब्ध कराई गई है उनमें पेयजल व्यवस्था कर दी गई है। इन्द्रगढ़ की एक अनगौरा हरिजन बस्ती में भी पेयजल व्यवस्था बजट उपलब्धि के अनुसार और की जा सकेगी।

गडरा रोड पंचायत को डिस्पेंसरी हेतु भूमि

186. श्री अमीन खां (शिव): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार बाड़मेर जिले के गडरा

(श्री अमीन खां)

रोड ग्राम में पुलिस चौकी की जमीन गडरा रोड पंचायत को डिस्पेन्सरी के लिए देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो उक्त जमीन किस कार्य में आएगी ?

उत्तर

जी नहीं, जमीन का उपयोग चौकी में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

मैसर्स शिव टिन इन्डस्ट्रीज, दौसा को लोहे व इस्पात का आवंटन

187. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मैसर्स शिव टिन इन्डस्ट्रीज, दौसा को 1 अप्रेल, 1977 से लेकर अब तक कितना-कितना लोहे व इस्पात की टिनें विभाग द्वारा आवंटित की गई तथा फर्म ने इन्हें किन-किन तारीखों को उठाया ?

(2) मैसर्स शिव टिन इन्डस्ट्रीज, दौसा ने अपने उत्पादित माल को 1 अप्रेल, 1977 से लेकर अब तक किन-किन फर्मों को बेचा ?

(3) वर्तमान में यह लघु औद्योगिक इकाई किस-किस स्थान पर उत्पादन कर रही है ?

(4) क्या औद्योगिक क्षेत्र दौसा में भी मैसर्स शिव टिन इन्डस्ट्रीज के नाम से भू-खण्ड का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) वर्तमान में यह इकाई प्लाट नं. 201 झोटवाडा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में कार्यरत है।

(4) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विनियोजन निगम (रीको) द्वारा 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्लाट ई–9 दौसा, औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 22-9-1982 को आवंटित किया गया जिसकी लीज डीड दिनांक 1-3-1984 को हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना

188. श्री भैरू लाल मीणा (मनोहर थाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में पर्वन नेवज छापी आदि नदियों में अथाह पानी होने के उपरान्त भी उन पर सरकार की ओर से कोई लघु सिंचाई योजना लागू नहीं है ?

(2) क्या यह भी सच है कि इन देहों

(श्री भेरूलाल मीणा)

की समस्त समीपवर्ती कृषि भूमि उपजाऊ है किन्तु प्यासी के कारण कृषक अपने श्रम का पूरा लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त देहों पर लिफ्ट सिंचाई योजनायें चालू कर कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां। मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में किसी लघु सिंचाई योजना पर कार्य चालू नहीं है। छः परियोजनाओं मानपुरा, पाड़लिया, अकावदाकलां, देवखा, खोमपुरी व रीछड़ी पर सर्वेक्षण का कार्य प्रस्तावित है। छापी नदी पर छापी बांध का कार्य शुरू कर दिया गया है जो एक मध्यम सिंचाई योजना है।

(2) इस क्षेत्र की नेवज नदी से पानी लिफ्ट कर 2660 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक मध्यम सिंचाई योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

जयपुर में वर्ष 1981 की बाढ़ में मिट्टी उठाने पर व्यय

189. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1981 की बाढ़ में जयपुर शहर में मिट्टी उठवाने के काम पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

(2) क्या इस खर्च का लेखा जोखा तैयार हो गया ? यदि हां, तो कृपया इस खर्चे का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1981 की बाढ़ में जयपुर शहर में मिट्टी उठवाने के लिए नगर परिषद् ने 1507758.90 पैसे एवं जयपुर विकास प्राधिकरण ने 773434/– रु० का खर्चा किया है।

(2) इस कार्य पर किये गये खर्च का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

टोंक नगर परिषद् द्वारा बस स्टेण्ड सुविधाओं पर वसूल किया गया टैक्स

190. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक नगर परिषद् द्वारा बस स्टेण्ड सुविधाओं के नाम पर वर्ष 1983-84 में कितना टैक्स वसूल किया गया एवं बस स्टेण्ड सुविधा हेतु कितना पैसा किस-किस काम के लिए खर्च किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टोंक नगर परिषद् द्वारा बस स्टेण्ड सुविधाओं के नाम पर कोई टैक्स वसूल नहीं

(राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन)

किया जाता है। अलबत्ता टौंक में आने व जाने वाले यात्रियों से 0.25 पैसे प्रति यात्री, यात्री कर वसूल किया जाता है। उक्त यात्री कर से वर्ष 1983-84 में दिनांक 1-4-83 से 29-2-84 तक 307013/– वसूल किये गये हैं।

बस स्टेण्ड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को दिया हुआ है एवं नगर परिषद् द्वारा वहां की गई व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

इण्डियन मेडिसन बोर्ड के निर्वाचन

191. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इण्डियन मेडिसन बोर्ड के गठन के बाद से अब तक कब-कब बोर्ड के विधिवत् निर्वाचन हुए ?

(2) निर्वाचन हेतु क्या नियम है ?

(3) समय पर निर्वाचन न करवाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या अब बोर्ड का निर्वाचन करने का सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान जयपुर के गठन के बाद से अब तक 1957, 1963 एवं 1971 में निर्वाचन हुए हैं।

(2) राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद निर्वाचन कराये जाने का नियम है एवं धारा 7 के अनुसार निर्वाचन न होने पर राज्य सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन करने का प्रावधान है।

(3) निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन हेतु लगभग 5-6 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। इस राशि के उपलब्ध न होने के कारण निर्वाचन नहीं कराये जा सके।

(4) जी हां, उक्त धन राशि उपलब्ध होने पर चुनाव कराना सम्भव होगा।

अजमेर नगर में लगी सार्वजनिक नल टूंटियां

192. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर में जल वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल कितनी सार्वजनिक टूंटियां (पब्लिक हाइड्रन्ट्स) लगे हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसमें से कई टूंटियां लम्बे समय से बन्द पड़ी हैं और

(श्री कैलाश मेघवाल)

कई सड़क व गली की सतह से भी नीचे लगी हुई हैं ? कृपया ऐसी टूंटियों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जल वितरण की पाइप लाइन पुरानी जीर्ण-शीर्ण हो गई है ? यदि हां, तो इसके पुनरुद्धार की क्या योजना है ?

(4) पिछले तीन साल में समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर की हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन डालने हेतु कितना-कितना अनुदान दिया गया और इससे किस-किस मोहल्ले में पाइप लाइन डाली गई ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में जल वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 719 सार्वजनिक टूंटियां (पब्लिक हैण्ड पम्प) लगे हुए हैं ?

(2) अजमेर शहर में लगी सार्वजनिक टूंटियों में से 6 टूंटियां जो निम्न प्रकार हैं, दो माह से बन्द पड़ी हैं ।

1. श्रीनगर रोड चन्द्रा. स्टोर के सामने ।

2. पाल बिछला

3. नसीराबाद रोड कब्रिस्तान के पास

4. नगरा रैगरों की बस्ती

5. जादूगर लक्ष्मण चौक

6. मेयो लिंक रोड ।

इनके अतिरिक्त तीन टूंटियां गूजर धरती नसीराबाद रोड की सड़क के सतह पर लगी हैं ।

(3) जी हां, जीर्ण-शीर्ण लाइनों के पुनरुद्धार हेतु द्वितीय फेज में समय-समय पर प्राप्त धनराशि के अनुसार 16.30 लाख रुपये व्यय किया जाकर सुधार किया गया है ।

(4) पिछले तीन साल में समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर की हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन डालने हेतु 0.44 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई और इससे कमला बावड़ी, लोंगिया मोहल्ला, गुरुनानकगंज, रैगर मोहल्ला माखुपुरा, अनुसूचित जाति की तथा काठावत चौक, धोबी मोहल्ला, पन्नीग्राम चौक, भजनगंज पीर माली की जमीन, भजनगंज, धन्ना मन्ना गली की लाइन व प्रतापनगर अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में पाइप लाइन डाली गई ।

सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एलोपैथिक दवाखाना खोले जाने का विचार

193. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एलोपैथिक दवाखाना खोलने का विचार रखती है ?

(श्री रामकंवार बैरवा)

(2) यदि हां, तो कब तक यह पूरी कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(3) क्या सरकार ने पंचायत मुख्यालय पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने की नीति बना ली है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार के वित्तीय साधनों को देखते हुए यह व्यावहारिक तौर पर वर्तमान में सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के वित्तीय साधनों को देखते हुए यह व्यावहारिक तौर पर वर्तमान में सम्भव नहीं है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री गज्जा पटेल एवं श्रीचन्द्र सिंह बर्फा के निधन पर शोकाभिव्यक्ति व उनको श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति इस सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गज्जाजी पटेल एवं श्री चन्द्रसिंहजी बर्फा के निधन पर।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि गज्जा पटेल, जो कि द्वितीय राजस्थान विधान सभा के दौसा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए थे, का देहावसान हो गया।

श्री गज्जा पटेल ने अपना जीवन कृषक की तरह प्रारम्भ किया था। अपनी प्रबल राजनीतिक अभिरुचि के कारण उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। वह दूसरी राजस्थान विधान सभा का चुनाव जीत कर इस सदन में आये। वह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। उनके देहावसान से उस क्षेत्र को और उनके परिवार को बहुत ही अपूरनीय क्षति हुई है।

मैं मेरी ओर से और सदन की ओर से श्री गज्जा पटेल के निधन पर हार्दिक दुःख प्रकट करता हूं। उनके शोक सन्तप्त परिवार को दुःख को सहन करने की शक्ति ईश्वर दे ऐसी प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री चन्द्रसिंहजी बर्फा, जो ग्राम भावी के रहने वाले थे और तृतीय राजस्थान विधान सभा में बिलाड़ा क्षेत्र से निर्वाचित हो करके आये थे, के भी निधन से हम सब लोगों को गहरा खेद है।

श्री बर्फा पहले राजकीय सेवा में थे। वह पशुपालन विभाग में काम करते थे। राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे करके उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और तृतीय विधान सभा के चुनाव में निर्दलीय सदस्य की हैसियत से जीत करके आये।

उनकी रुचि सामुदायिक विकास परियोजनाओं में, खेती-बाड़ी में थी। सामाजिक और खास तौर से गांवों की आर्थिक उन्नति में वह बड़ी रुचि रखते थे। वह सहकारी संस्थाओं से बहुत जुड़े हुए थे। उनकी सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में भी विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने

(श्री शिवचरण माथुर)

विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानों से जुड़ करके समाज की सेवा की। वह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, सहृदय थे। मेरा स्वयं उनसे अच्छा परिचय था। उनके असामयिक निधन से समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।

मैं उनके निधन पर सदन की ओर से गहरा दु:ख प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह शान्ति प्रदान करें उनकी आत्मा को और उनके परिवार, जन को इस दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं अपने आपको उसमें शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दोनों ही स्वर्गीय सदस्य किसानों के प्रतिनिधि रहे हैं। किसानों की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, इन दोनों को ही इस बात की पूरी जानकारी थी। इस दृष्टि से उनका इस हाउस में जो कण्ट्रीब्यूशन हो सकता था, उसको देखा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि गांवों में रहने वाले व्यक्ति गांव की समस्याओं का वास्तविक निदान समझते हैं। गज्जाजी पटेल चाहे पढ़े-लिखे न हों लेकिन किसानों का या गांवों का भी प्रश्न आता था तो निश्चित रूप से वह अपना ऐसा सुझाव देते थे, जो व्यावहारिक हो और गांवों की दृष्टि से उचित हो।

श्री चन्द्रसिंहजी वर्मा पढ़े-लिखे थे लेकिन गांवों की समस्याओं से अपरिचित नहीं थे। वह उनकी वकालात सही प्रकार से विधान सभा में करते थे।

दोनों ही सदस्य हमारे बीच से उठकर चले गये, इसका हमें दु:ख है। मैं इन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक सन्तप्त परिवार को उनके अभाव से जो कष्ट होगा उसको सहने की उनकी शक्ति प्रदान करे, इस सम्बन्ध में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के दो भूतपूर्व सदस्य श्री पटेल और श्री वर्मा के निधन पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको और अपने दल को सम्मिलित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को शांति प्रदान करें।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी और अपोजीशन के नेतागणों ने जो प्रस्ताव रखे हैं उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं गज्जाजी पटेल, जो दूसरी विधान सभा के सदस्य थे, किसानों के हिमायती थे और गरीबों का पार्ट लेते थे। गरीबों के विकास में, गांवों में ज्यादा रूचि रखते थे शहरों के बजाय।

चन्द्रसिंहजी को मैं नहीं जानता था लेकिन वह भी बड़े प्रतिष्ठित थे। वह विधान सभा में अपनी भूमिका निभाने में सफल हुए।

इन नेताओं के साथ-साथ मैं अपने

(श्री रामकंवार बैरवा)

दल की ओर से भी उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति खेद व्यक्त करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को उनके निधन पर जो दुःख हुआ है उसको सहने की शक्ति प्रदान करें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने और विरोध पक्ष के नेताजी ने, और दलों के माननीय नेताओं ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं भी आपको अपने उसमें शरीक करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गज्जाजी पटेल और चन्द्रसिंहजी, वैसे मैं तो बहुत ही जूनियर हूं, कभी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन जो सुना गया है, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और समाज को बहुत कुछ देने वाले व्यक्तित्व थे। वह दोनों हमारे बीच से उठ गये।

मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मन्त्रीजी ने गुजरे साथियों के बारे में, सदस्यों के बारे में शोक प्रस्ताव रखा है, मैं मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से जो उनका शोक संतप्त परिवार है उसके प्रति संवेदना जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय, विपक्ष के नेता महोदय और इस सदन के अलग अलग दलों के नेताओं ने जो शोकाभिव्यक्ति प्रगट की है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

श्री गज्जा जी पटेल और श्री चन्द्रसिंह वर्मा, इन दोनों से ही मेरे निजी संबंध थे। वह जब कभी भी जयपुर में आते तो मेरे से अवश्य मिलते थे। इन दोनों के बारे में सबसे बड़ी बात थी कि यह बहुत ही सीधे-सादे ग्रामीण की तरह थे और बहुत ही भले इनसान थे। जो कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंच गया उसकी वह सदैव मदद करने की कोशिश करते थे। ग्रामों के विकास के बारे में, ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा फैले, कुरीतियां दूर हों, सहकारिता आन्दोलन आगे बढ़े, कृषि, अन्य व्यवसाय गांवों में तरक्की करे, यह उन दोनों की रात-दिन चिन्ता का विषय रहता था। इस तरह के व्यक्तियों का हमारे बीच से उठ जाना हम सबके लिए बड़े दुःख की बात है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस महान् दुःख को वहन करने की शक्ति दे।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट तक मौन खड़े होकर उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)।

अब कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

व्यवस्था का प्रश्न

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के निधन की जिला प्रशासन द्वारा सूचना देने में विलम्ब

श्रीमती विद्या पाठक : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व विधायक श्री घासीराम का निधन अभी कुछ दिन पहले हुआ । दिनांक 5-3-84 को आपने प्रशासन को सरकार के माध्यम से चेतावनी भी दी थी कि अगर किसी माननीय सदस्य की मृत्यु हो जावे तो उसकी सूचना तुरन्त दी जावे । यह तो सच है कि जीवन और मृत्यु का हर एक व्यक्ति का सरकार हिसाव नहीं रख सकती लेकिन किन्हीं माननीय सदस्य का अगर निधन हो जावे और यहां पर सूचना नहीं आवे तो यह खेद का विषय है । मेरा निवेदन है, जो आज दो भूतपूर्व विधायकों को सदन में श्रद्धान्जलि अर्पित की गयी है उनके शोक प्रस्ताव में इनका नाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, अखवारों में तो यह खबर आ चुकी है । सोए हुए प्रशासन को यह भी पता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । प्रशासन की जानकारी में नहीं आया होगा ।

श्रीमती विद्या पाठक : जानकारी कव तक करेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर व्यवस्था देते वक्त स्वयं कहा था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । मैंने इसके लिये व्यवस्था दी थी पर इसकी एक प्रक्रिया होती है । सूचना आने पर इसकी व्यवस्था कर दी जाती है !

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के माननीय सदस्यों के निधन होने पर भी अपने कर्तव्यों का पालन सरकार नहीं करती है, सदन की मर्यादाओं और सदन की गरिमा का भी प्रशासन को ध्यान नहीं है तो मैं समझती हूं, देश में किसी भी चीज की मर्यादा नहीं रहेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो पूरी तरह से डिसआर्डर है । आप तो इन्हें आर्डर में रखें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप अपने ही सचिवालय से ऐसी व्यवस्था करावें कि आपके पास सूचना आ सके । यह सरकार तो इस प्रकार की व्यवस्था कर नहीं सकती है, आप अपने सचिवालय से ही कोई ऐसी व्यवस्था करायें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । ऐसी पहले व्यवस्था आसन की तरफ से की हुई है और अब यह व्यवस्था की गई है । आपने सूचना दी है, उसकी सूचना आने पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में आयुर्वेद के 251 से अधिक स्नातक बेरोजगार होने के बावजूद राज्य के बाहर के स्नातकों को नियुक्ति देने के विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा व श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पंचायत समिति खराबाद के विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की अध्यापिकाओं को परेशान किये जाने के विषय में,

(3) श्री फतेसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जन जाति छात्रावास में सहायक अधीक्षक द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के विषय में,

(4) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान मुख्य नहर व उसकी शाखाओं पर पेयजल उपलब्ध न होने से पशुओं की मृत्यु के विषय में,

(5) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से रूपावटी, थाना, रानीवाड़ा जिला जालौर के निवासी श्री अन्ना द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रंगू की हत्या करने पर पुलिस द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाये जाने के विषय में,

(6) श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील हिन्डौन में गत 6 मार्च को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों की अवैधानिक हड़ताल के विषय में,

(7) श्री हंसराज शर्मा व श्री कुन्जीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर में एरोड्रम के लिये ली गयी जमीन को आबादी से निकाल देने के बावजूद उसका लगान किसानों से मांगा जा रहा है, इस विषय में,

(8) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनन्तकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत तीन मार्च को विधायक श्री राम प्रसाद के निवास स्थान पर गुण्डों द्वारा पत्थर फेंकने तथा कातिलाना हमला करने के विषय में,

(9) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से हाल ही में कालेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर में प्रवेश के लिए बुलाई गई नर्सिंग की योग्यता वाली छात्राओं के चयन की कार्यवाही को यकायक रोक देने के कारण अन्य राज्यों से आई हुई छात्राओं को हुई परेशानी के विषय में,

(10) श्री बन्शीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा में आजाद नगर व राधाकृष्ण नगर में कृषि भूमि पर बने मकानों को नगर विकास न्यास,

(श्री अध्यक्ष)

भीलवाड़ा द्वारा पिछले दिनों तोड़ दिये जाने की घटना के विजय में,

(11) श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले के महावीरजी तथा नादौती क्षेत्र में बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी की घटना के विषय में,

(12) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री भूपालसिंह, श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा आगामी 15 मार्च से आम हड़ताल करने का नोटिस देने के विषय में,

(13) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 मार्च से अजमेर नगर परिषद् सीमा में नगर बस सेवा के 23 वाहनों के द्वारा हड़ताल कर देने के विषय में,

(14) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर ज़िले की भीण्डर पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध दिनांक 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के समय पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के विषय में,

(15) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में गत 9 मार्च को दो गुण्डों द्वारा 15 वर्षीय बालक दिनेश कुमार जोशी की हत्या के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की सड़कों की हालत खराब होने के विषय में।

यह प्रस्ताव किसी हाल की घटना से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्या चाहे तो राज्यपाल के अभिभाषण की बहस अथवा आगामी बजट पर आम चर्चा के दौरान या अन्य अवसर पर चर्चा कर सकती हैं। अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इस पर आज कोई चर्चा नहीं की जायेगी।

(2) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पूर्व में जनगणना विभाग के सेवामुक्त कर्मचारियों के बेरोजगार होने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी।

राज्य सरकार ने इस पर सूचित किया है कि जनगणना विभाग केन्द्र सरकार का विभाग है और इस विभाग द्वारा–छंटनी किये गये कर्मचारियों को रोजगार देने का दायित्व केन्द्र सरकार का था किन्तु राज्य सरकार ने सहानुभूति रखते हुए नियमों में शिथिलता कर इन कर्मचारियों को रोजगार देने का पूरा प्रयास किया है। उन कदमों का भी हवाला दिया है जो इस विषय में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये हैं अंत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा। जो जनगणना के कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध

(श्री अध्यक्ष)

में मैंने उनका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, उस सम्बन्ध में चाहें तो दो मिनट बोल····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । उस पर वक्तव्य दिया जा रहा है, कृपया शान्त रहें ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : शीत लहर के सम्बन्ध में····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जनगणना के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सदन में आश्वस्त किया गया था कि किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया जायेगा, सबको रोजगार दिया जायेगा । उन लोगों को नियुक्ति देने के लिए स्पष्ट आश्वासन दिया गया था । 400 स्थान उनके लिए तय किये गये, जिनमें केवल 122 को ही नियुक्ति दी गई । मैं कहना चाहूंगी कि उनमें 69 स्नातकोत्तर हैं, 113 स्नातक हैं और 134 अधि-स्नातक हैं, 43 सैकण्डरी पास कर्मचारी हैं । उनमें से 71 तो 28 वर्ष से अधिक के हैं, 28 वर्ष के 89 हैं, 25 वर्ष के 178 हैं । उनकी ओवर-एज हो गई है, अगर उनको नियुक्ति नहीं दी गई तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जायेगा । मान्यवर, 1971 में सरकार ऐसा कर चुकी है कि अस्थाई कर्मचारियों, जिनको जनगणना में नियुक्ति दी गई थी, को एब्जोर्ब किया गया था । मान्यवर, यह कोई नई बात नहीं है । यह ओवर-एज हो चुके हैं । उनको रोजगार निदेशालय से अपना कार्ड निकलवाना पड़ा था, उनको दुबारा नियुक्ति दी गई । जो चयन के अवसर थे इन तीन वर्षों में वह चयन के अवसर इनको नहीं दिये गये । इससे वह बहुत पिछड़ गये हैं । मान्यवर, सरकार ने जो नियुक्ति देने का सदन में आश्वासन दिया था उसके आधार पर और 1971 के आधार पर मैं कहना चाहूंगी उन लोगों को जो अब जगह निकलें, उन पर पहले नियुक्ति दी जाय, तब और किसी की भर्ती की जाय । उनका भविष्य अन्धकारमय हो, यह कदापि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । वह लोग आन्दोलन पर हैं । उनको पुलिस के अधिकारी पकड़ कर जबर्दस्ती अस्पताल ले गये । उनको वहां पीड़ित घोषित किया गया । मैं नहीं चाहती कि उनको किसी तरह की परेशानी हो । सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह बेरोजगारों को रोजगार दे । यहां तो उनका सीधा आश्वासन था । वह आपसे मिले, प्रधान मंत्री से मिले, राजीव गांधी से मिले, पायलेट साहब से मिले । सरकार का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, जो केबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनसे नहीं मिले हों,····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहती हूं कि उनका भविष्य अंधकार में न रखें । उनको नियुक्ति के अवसर दें । स्वरोजगार योजना सरकार चला रही है उसके आधार पर उनको प्रतिनियुक्ति के अवसर दें । अध्यक्ष महोदय, आप सर्वेसर्वा हैं, आप सरकार को कहें कि जो गत वर्ष

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सदन में आश्वासन दिया गया था, उसके अनुसार उनको नियुक्ति दें, उनको बेरोजगार होने से बचायें। मुझे आशा है आप इस पर गौर करेंगे और उनको रोजगार दिलवायेंगे।

श्री महाराम चौधरी : शीत लहर के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में यहां कोई प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। जो इच्छुक हैं इन विषयों पर वह मेरे से अलग से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री महाराम चौधरी : एयर कण्डीशनर तो बन्द करवा दीजिए, जुकाम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : राज्य सरकार के विभागों के जिन स्थगन प्रस्तावों के उत्तर आ गये हैं कृपया जिनकी जानकारी प्राप्त हो गई है उनकी तो जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : एक की जानकारी प्राप्त हुई है, उसका उत्तर दे दिया। माननीय सदस्या को बोलने का अवसर भी दे दिया, अन्य के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा नहीं हो सकती, समय नष्ट नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, राज्य सरकार से उत्तर आना चाहिये, वह नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : कोई चर्चा नहीं होगी। मैंने निवेदन किया है कि यदि माननीय सदस्य अति उत्सुक हैं किसी विषय के बारे में तो अलग से मेरे से मिलें। इस पर इस सम्बन्ध में अभी मैं चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : हम दिक्कत तो आपके सामने रख सकते हैं। 20-20 दिन तक राज्य सरकार से उत्तर नहीं आवे तो आप राज्य सरकार को पाबन्द करें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायें। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : शिक्षकों ने 15 तारीख से हड़ताल करने का आह्वान किया है 22 मार्च से परीक्षायें हैं, विद्यार्थियों का जीवन....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें. आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारा जो स्थगन प्रस्ताव था उसकी भी व्यवस्था आ गई तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : आई है या नहीं, आपको सुनना चाहिए। इसीलिए मैं बार-बार निवेदन करता रहता हूं कृपया ध्यान से सुनें, शान्त रहें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। विधायी कार्य।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले में नहर के पानी के बहाव के सम्बन्ध में सरकार चर्चा करने वाली थी····

श्री अध्यक्ष : उसके लिए दिन निश्चित कर दिया।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय लेने की आवश्यकता नहीं है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। श्री हीरालाल देवपुरा।

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984

श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का अध्यादेश संख्या 9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

गंगानगर में प्रारम्भ किया गया रास्ता रोको आन्दोलन के बारे में। इस पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये थे।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मेघराज तावड़, श्री राजबहादुर, श्री त्रिलोक सिंह, श्री नाथूसिंह । इसी सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : तालियां किस बात की ।

शासकीय वक्तव्य

किसानों की मांगों को लेकर गंगानगर में प्रारम्भ किया गया रास्ता रोको आन्दोलन

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा इस पर वक्तव्य इस प्रकार है :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं में गंगानगर क्षेत्र में भाखड़ा नहर, गंग कैनाल एवं राजस्थान नहर के द्वारा सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत लाखों बीघा जमीन की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है । परन्तु इसके साथ भूतपूर्व देशी राज्यों के पुराने कानून के असमान दृष्टिकोण से उत्पन्न किसानों के अधिकारों के संबंध में कई विषमतायें बनी रहीं । सरकार ने प्रगतिशील भूमि सुधार कानून के माध्यम से बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त कर किसान को जमीन का खातेदार बनाकर उसका सीधा सम्बन्ध सरकार से जोड़ा है । किसानों की कठिनाइयों और समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार ने सदैव सहानुभूति रख कर समय-समय पर उनके निराकरण के निर्णय लिये हैं ।

इसके पहले कि मैं सदन के सामने सारी तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में भूमि सम्बन्धी जो समस्याएं हैं, वे मुख्यत: लम्बे अर्से तक प्रचलित कानून की अवहेलना करने से उत्पन्न हुई हैं । इसके बावजूद सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इन समस्याओं के प्रति जागरूक रही है और इनके समाधान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही है । व्यक्तिश: इस प्रकरण में मैं बहुत चिन्तित रहा हूं । यही कारण है कि जब-जब गंगानगर के जन-प्रतिनिधि मुझसे मिले हैं, मैंने इस क्षेत्र की समस्याओं को पूरे मनोयोग के साथ सुना है और उनके निराकरण के लिए प्रयत्न करता रहा हूं । गंगानगर की समस्याओं को सरकार कितनी अहमियत देती है, इसका अनुमान इसी तथ्य से किया जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार अगस्त, 1982 में पूरी मन्त्री परिषद् ने वहां पहुंच कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया था । इसके ठीक एक माह बाद अक्टूबर, 1981 में मैंने स्वयं केन्द्रीय कृषि मन्त्री, राव वीरेन्द्र सिंह के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया और वहां जन प्रतिनिधियों तथा समस्याओं से प्रभावित लोगों से सम्पर्क कर मूलभूत प्रश्नों की गहराई से छानबीन की । इसके बाद अभी 14-15 फरवरी को मैंने फिर गंगानगर की यात्रा की थी और वहां की ताजा स्थिति को प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । 15 फरवरी को राजस्थान नहर से गंग नहर को जोड़ने की लिंक परियोजना की शुरूआत भी की गई थी जिसका उद्देश्य भी गंगानगर क्षेत्र के कृषकों को लाभ पहुंचाना ही है ।

(श्री शिवचरण माथुर)

एक ओर जब ये सारे प्रयत्न हो रहे थे, उधर कतिपय राजनीतिक विरोधी दलों ने 25 जनवरी को किसानों को आन्दोलन के लिए उकसाने की शुरूआत कर दी। आम सभा का आयोजन किया गया और रास्ता रोको आन्दोलन की घोषणा की गई। 14 फरवरी को रायसिंहनगर में मेरा घेराव करने का प्रयत्न किया गया। 20 फरवरी से 23 फरवरी के बीच शान्ति भंग करने के अनेक प्रयत्न किये गये। ये आन्दोलनात्मक गतिविधियां जिन समस्याओं को मुद्दा बनाकर शुरू की गईं, उनके बारे में मैं सदन के सम्मुख संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

जैसी कि सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है, गंगानगर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में भूमि का अवैध बेचान, विवादास्पद खातेदारी हक़ूक, खालों के निर्माण के सिलसिले में ऋण राशि पर ब्याज की वसूली आदि मुख्य हैं।

विस्तृत अध्ययन के बाद राज्य सरकार ने द्रुत गति से कार्यवाही प्रारम्भ की। सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 दिनांक 4-8-83 को जारी किया गया जिससे सन् 1955 से पूर्व के उन काश्तकारों, जिन्हें अपनी कृषि भूमि पर दाय योग्य अधिकार (पूरिटेबिल राइट्स) ही प्राप्त थे परन्तु भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार प्राप्त नहीं थे, को भी सन् 1983 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं।

ऐसे काश्तकारों के सम्बन्ध में यह भी छूट दी गई कि खातेदारी अधिकार प्रदान करने के उपलक्ष में उनके द्वारा धारित प्रथम मुरब्बा भूमि के लिए किसी प्रकार की राशि वसूल नहीं की जावेगी परन्तु जिन काश्तकारों के पास एक मुरब्बा से अधिक भूमि है सीलिंग सीमा तक उनसे एक मुरब्बे से अधिक भूमि के लिए उस भूमि के आरक्षित मूल्य के समकक्ष राशि ली जावेगी।

इस क्षेत्र में भूमि की बाजारू दर आरक्षित दर से बहुत अधिक है फिर भी इस क्षेत्र में भूमि का आरक्षित मूल्य ही लेने का प्रावधान किया गया। इस महती परियोजना में सम्पूर्ण राजस्थान की जनता ने योगदान देकर इसे सफलीभूत किया है जिसका अधिकतम लाभ गंगानगर क्षेत्र के कृषकों को ही प्राप्त हुआ है। अतः उनसे भी अपेक्षा है कि वे योजना की लागत के अंशमात्र के लिए ही आरक्षित मूल्य देकर अपना योगदान दें।

इस क्षेत्र की एक अन्य ज्वलन्त समस्या यह भी थी कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के विपरीत काश्तकारों ने बिना जिलाधीश की अनुमति के उपनिवेशन क्षेत्र में अवैध हस्तान्तरण कर दिये थे। इस समस्या को निपटाने और पुराने हस्तान्तरणों को काश्तकारों के हक में नियमित करने हेतु 5 अगस्त, 1983 को राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 जारी किया गया जो बाद में अधिनियम बन गया, जिसके अनुसार इन हस्तान्तरणों को आरक्षित मूल्य के बराबर कम्पाउन्डिग फीस लेकर नियमित करने का प्रावधान रखा गया। काश्तकारों को यह

(श्री शिवचरण माथुर)

रियायत देने के बावजूद गंगानगर क्षेत्र के काश्तकारों ने यह चाहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए में आरक्षित मूल्य एकमुश्त चुकाने में कठिनाई है, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए में जो कम्पाउन्डिग फीस रखी गई है वह अधिक है और उसे भी वे एक-मुश्त चुकाने में असमर्थ हैं। मैंने स्वयं मन्त्रि-मण्डल के सदस्यगण के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया और जन-प्रतिनिधियों और काश्तकारों से मौके पर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। भविष्य के लिए उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का हस्तान्तरण सुनियोजित हो व काश्तकारों के हित में रहे इसके लिए राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य कालोनी) (संशोधित) शर्तें, 1984, 13 फरवरी, 1984 को जारी की गई।

उपनिवेशन क्षेत्र में दौरे के दौरान गंग नहर की मरम्मत हेतु लिंक चैनल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो इस क्षेत्र के काश्तकारों के लिए वरदान है। इसके बाद 2 मार्च को पुनः वहां के जन-प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार विमर्श हुआ और काश्तकारों द्वारा दर्शायी गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए और रियायतें देने का निश्चय किया गया जो निम्न प्रकार हैं :—

(1) भूतपूर्व बीकानेर के रियासत के मौरूसी, दाखिलकार (आक्यूपेन्सी) तथा खातेदारी की श्रेणी में आने वाले काश्तकारों द्वारा किये गये भूमि बेचानों पर अब राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान लागू नहीं होने से ऐसे काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि के बेचान से पूर्व न तो राज्य सरकार व न जिलाधीश की पूर्व स्वीकृति ही लेनी होगी और न ही उन्हें ऐसे बेचानों के लिए कम्पाउन्डिग शुल्क ही देना होगा।

इसके अतिरिक्त, जिन आवंटी काश्तकारों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि विक्रय से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था परन्तु विक्रय से पहले यह स्वीकृति नहीं ली गई, उनके मामले भी नियमित कर दिये जायेंगे। साथ ही उनसे अब बहुत रियायती दरों पर कम्पाउन्डिग शुल्क लिया जावेगा।

वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे लोगों को भूमि के आरक्षित मूल्य के बराबर कम्पाउन्डिग शुल्क एकमुश्त देना होता है, परन्तु अब उन्हें आरक्षित मूल्य से काफी कम धनराशि जमा करानी होगी। बारानी तथा असिंचित भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों की भूमियों के लिए कुल 20 हजार रुपया प्रति मुरब्बा सिंचित भूमि कम्पाउन्डिग फीस देय होगी। यह कम्पाउन्डिग फीस भी 4 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में दी जा सकेगी। 1 मई, 1984 तक एकमुश्त भुगतान करने पर 25 प्रतिशत की छूट (रिबेट) मिलेगी। बारानी तथा असिंचित भूमि के लिए भी कम्पाउन्डिग शुल्क 4 हजार रुपया प्रति मुरब्बा असिंचित भूमि देय होगा व यह भी चार अर्द्ध वार्षिक किश्तों में दिया जा सकेगा। इस पर भी एकमुश्त धनराशि जमा कराने पर 25 प्रतिशत छूट होगी।

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए के अन्तर्गत आरक्षित देय राशि भी 16 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में अदा की जा सकेगी साथ ही, यदि निर्धारित अवधि (3 अगस्त, 1984) तक एकमुश्त समस्त राशि जमा करा दी जाती है तो कुल रकम पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी।

यदि किसी कृषक ने पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित न करते हुए बेचान का करार (एग्रीमेन्ट टू सेल) निष्पादित कर दिया है और यदि उस विक्रेता को खातेदारी अधिकार न्यायिक रूप से प्राप्त हो गये हैं तो ऐसे मामलों को भी राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए के अन्तर्गत नियमित कर दिया जावेगा।

राज्य सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए के अन्तर्गत बिना पूर्व स्वीकृति के किये गये भूमि बेचान पर जो कम्पाउन्डिग फीस देय है वह फीस उस भूमि के केवल मूल खातेदार द्वारा किये गये बेचान अर्थात् प्रथम विक्रय (फर्स्ट सेल ट्रान्जेक्शन) पर ही लागू होगी। इसके बाद क्रेता द्वारा यदि उस भूमि का पुनः बेचान किया जाता है तो उस पर कम्पाउन्डिग फीस देय नहीं होगी।

जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार 'मालिक' बिस्वेदार की हैसियत में आते हैं लेकिन काश्तकारों की मांग, कि वे बिस्वेदार नहीं हैं, पर निर्णय लिया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत गंगानगर जिले में भूमि अवाप्ति संबंधी आगामी कार्यवाही तब तक स्थगित कर दी जाय जब तक राज्य सरकार इस विषय में पुर्नविचार कर उपयुक्त निर्णय न ले ले। इस संबंध में कोई नये नोटिस फिलहाल जारी नहीं किये जायेंगे।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में 1982 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये दस्तावेजों में अंकित भूमि का विक्रय मूल्य यदि भूमि के तत्कालीन बाजार मूल्य से कम था तो शेष स्टाम्प ड्यूटी, शास्ति सहित वसूल किया जाना आवश्यक है, परन्तु 1982 के संशोधन से पूर्व जो इस प्रकार के दस्तावेज पंजीकृत करवाये जा चुके हैं उनके मामलों पर पुर्नविचार करने के लिये जो नोटिस जारी किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही तब तक स्थगित कर दी गई है जब तक इस मामले का राज्य सरकार भली-भांति अध्ययन नहीं कर ले।

यहां पर अन्य कतिपय बिन्दुओं की ओर भी इंगित करना चाहूंगा। राजस्थान नहर के कमाण्ड क्षेत्र में जो खाले राज्य सरकार द्वारा निर्मित किये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में काश्तकारों के हितों को ध्यान में रख कर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी। भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में वसूल की जा रही बेटरमेन्ट लेवी के सम्बन्ध में काश्तकारों को पास बुक्स, जिसमें कुल देय राशि, अदा की गई राशि तथा शेष राशि आदि भी अंकित होगी, तैयार कर वितरित कर दी जायेगी।

(श्री शिवचरण माथुर)

इस तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार किसान की समस्याओं के प्रति बराबर जागरूक रही है और उन्हें राहत देने के लिये हर संभव प्रयास करती है। किन्तु यह खेद का विषय है कि दो मार्च को सरकार द्वारा उन्हें और अधिक रियायतें दिये जाने के निर्णय लिये जाने और समाचार पत्रों व जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी करा देने के बावजूद कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से दिनांक 6 मार्च को गंगानगर जिले के कई स्थानों पर "रास्ता रोको" आन्दोलन आयोजित किये गये। रायसिहनगर व सूरतगढ़ व सांगरिया में दुकानें एवं शिक्षण संस्थायें बन्द करा दी गईं। रायसिहनगर में इन आन्दोलनकारियों ने जुलूस निकाल कर रेल लाइनों पर एकत्रित होकर सूरतगढ़ गंगानगर पैसेन्जर गाड़ियों को रोक लिया। जब पुलिस द्वारा इन प्रदर्शनकारियों को रेल्वे ट्रेक से हटाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव किया जिससे कई पुलिस कर्मचारियों के चोटें आई। शांति बनाये रखने एवं रेल्वे सम्पत्ति व यात्रियों की सुरक्षा हेतु पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटा दिया और ट्रेनों को आगे रवाना कराया। उसी दिन इन आन्दोलनकारियों ने साधूवाली, नेतावाला एवं त्रिपूली के पास जब रास्तों को रोकने का प्रयत्न किया तो पुलिस द्वारा 32 व्यक्तियों को धारा 151 जाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार किया जाकर रास्ता चालू करवाया गया। इन गिरफ्तार व्यक्तियों को बाद में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश से छोड़ दिया गया।

आन्दोलनकारियों द्वारा बिरद्वाल हैड, पीलीबंगा, मकासर, सूरतगढ़ आदि कई स्थानों पर रास्तों को रोका गया। बिरदवाल हैड पर ऊंट गाड़ियों में जा रहे परिवारों को रोकने का प्रयत्न किया गया और एक ऊंटगाड़ी चालक को जबरदस्ती नीचे खींच कर उसकी ऊंट गाड़ी उलट दी। जब इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसा न करने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा लाई गई ट्रेक्टर ट्रोली में रखे पत्थरों से पुलिस पर पथराव करना प्रारम्भ कर दिया जिससे उप अधीक्षक पुलिस सहित कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गये। एक कांस्टेबल की चेहरे की हड्डी फ्रेक्चर हो गई। इस पर पुलिस द्वारा साधारण बल प्रयोग कर इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर रास्ता चालू करवाया गया। इन अभियोग में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में आन्दोलनकारियों ने रोडवेज बसों एवं ट्रकों पर पथराव कर तोड़-फोड़ की। सार्दुलशहर, लालगढ़, लखावाली, रावतसर आदि अन्य स्थानों पर संघर्ष समिति के नेताओं ने रास्ते में अवरोध खड़े करा दिये। पुलिस ने अवरोधों को हटा दिया। इन स्थानों पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। दिनांक 7 मार्च को सूरतगढ़ में उप आयुक्त, उपनिवेश के कार्यालय में जबरन घुसने का प्रयत्न करते हुए 65 व्यक्तियों को धारा 151 जाब्ता फौजदारी के तहत गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार घटित इन घटनाओं के संबंध में विभिन्न थानों में 9 अभियोग पंजीबद्ध किये जाकर अब तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शांति भंग करने के आरोप में धारा 151 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें उसी दिन शाम को छोड़ दिया गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

उपरोक्त घटनाओं के क्रम से यह स्पष्ट है कि समस्याओं के समाधान के संबंध में जब 2 मार्च, 1984 को महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा ले लिये गये थे, जिनसे सभी साधनों के द्वारा सम्बन्धित पक्षों को अवगत कराया गया, उसके पश्चात इस प्रकार आन्दोलन का कोई औचित्य नहीं था। जान-बूझ कर सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों को नकारने हेतु यह कार्यवाही उन तत्वों द्वारा की गई जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं तथा आन्दोलन का आधार नहीं रहने पर भी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने और अराजकता फैलाने में विश्वास करते हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूर्व की भांति सरकार अगर कोई वास्तविक समस्या है तो उसके समाधान के लिये हर वक्त तैयार है। मेरी दरख्वास्त रहेगी कि सभी पक्ष इसमें सहयोग करें। सरकार काश्तकारों व उनकी समस्याओं के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है और उनकी समस्याओं, जो उसके ध्यान में आयेंगी, का उचित समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेगी। लेकिन साथ में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार कानून व व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी। किसी को भी अधिकार नहीं है कि जन जीवन को अस्त व्यस्त करके सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये अथवा लोगों की कठिनाइयों को इस प्रकार के आन्दोलन के माध्यम से बढ़ाये। सरकार जनतांत्रिक तरीके से विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है, लेकिन साथ ही इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है। इस प्रकरण में आवश्यक बल प्रयोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस समय करना पड़ा जब कि पुलिस पर पथराव किया गया। आवागमन को जबरदस्ती अवरुद्ध करने की कार्यवाही की गई और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान तथा जनता एवं जन सेवकों को शारीरिक चोटें पहुंचाने की कार्यवाही की गई। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि प्रशासन ने अत्यन्त संयम से काम लिया है। मैं इन अफवाहों का भी खण्डन करना चाहूंगा कि इस आन्दोलन में गोली चलाई गई है। इस आन्दोलन के दौरान कहीं भी गोली नहीं चलाई गई। यहां तक कि हवाई गोली चलाने की कार्यवाही भी नहीं की गई।

अन्त में, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले के किसानों की समस्यओं के हल के लिये सरकार कृतसंकल्प है। इस दिशा में जो निर्णय लिये जा चुके हैं, उनके परिणामस्वरूप किसानों की प्रायः सभी मूल समस्याओं का समाधान हो चुका है।

मैं माननीय सदन को अपनी सरकार की ओर से एक बार पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गंगानगर क्षेत्र की कई वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान, बिना इस बात की चिन्ता किये कि यदि कानून को बारीकी से लागू किया जाता तो कई करोड़ रुपये की आय सरकार को हो सकती थी, किया जा रहा है। सरकार का मन्तव्य इन समस्याओं के हल निकालने के पीछे यही रहा है कि पुरानी समस्याओं का हल संवेदनशीलतापूर्वक निकाला जायें। जहां इन समस्याओं का एक बारगी हल निकालने का सरकार ने प्रयत्न किया है वहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि आगे से कानून के खिलाफ

(श्री शिवचरण माथुर)

की गई कार्यवाही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी ।

चूंकि गंगानगर एक सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से तथा आज के सन्दर्भ में पंजाब से मिलती है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आन्दोलन राजस्थान के व्यापक हितों के विरुद्ध है । अत: मैं सभी राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा करूंगा कि वह अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ कर राज्य के व्यापक हित को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में शांति बनाये रखने में सरकार की मदद करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बार-बार यह कहा कि विरोधी दल जबरदस्ती आन्दोलन खड़ा करता है । मैं सबसे पहले यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको किसान सुरक्षा समिति ने कब मांग पत्र पेश किया था और उस पर आपने क्या कार्यवाही की ? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । द्वारका प्रसाद और योगेन्द्र नाथ हाण्डा आदि लोगों को बुरी तरह पीटा है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया । तीसरा आपने कहा है कि पुलिस पर पथराव किया । यह बिल्कुल गलत बयानी हैं पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया । शांतिपूर्ण आन्दोलन था उस पर लाठी चार्ज किया, जबरदस्ती लोगों को पीटा । बार-बार फिर धमकियां दी जा रही हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, विपक्ष आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है । कानून और व्यवस्था कायम रखना हम भी जानते हैं । आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन आप किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं । आज आप कहते हैं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । यह बिल्कुल गलत बयानी की है । मैं कहता हूं, लाठी चार्ज हुआ है । योगेन्द्र नाथ हाण्डा, द्वारका प्रसाद आदि 45 आदमियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा । पहले जो मांग पत्र दिया था, उपनिवेशन नियम 1945 की धारा 13 ए के अन्तर्गत आपने कितनी छूट दी और राजस्थान नहर के ऊपर आप भूमि को नीलाम करने नहीं जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : यह मुख्य मंत्री का बयान बिल्कुल × × ×असत्य है ।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द कार्यवाही से निकाला गया ।

श्री त्रिलोक सिंह : बिल्कुल असत्य है, धमकाने वाला है । यह असत्य है कि लाठी चार्ज नहीं किया । गांवों में खेतों पर काम करते किसानों पर पुलिस ने हमला किया । बेदर्दी से मारा, हाथ पैर तोड़ दिये । पुलिस ने लोगों के खेतों को बरबाद किया, यह कह कर कि वह पंजाब के नजदीक का इलाका है, हम किसान आन्दोलन बर्दाश्त नहीं

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री त्रिलोक सिंह)

करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि आप क्या करेंगे? राजस्थान का किसान गंगानगर के किसान आन्दोलन के पीछे है। हम देखेंगे आपकी फौज और पुलिस को, हम देखेंगे आपकी लाठी और गोली को, हम देखेंगे आपकी कानून व्यवस्था को जिसकी आप दुहाई देते हैं। जिनकी रोटी खाते हो, उन लोगों पर लाठी चार्ज करते हो। शर्म से डूब जाना चाहिये। वह किसान ×××लोगों को×××रोटी देता है, यहां तुम ऐश करते हो, महलों में रहते हो और लोगों को लूटते हो। किसान जब अपना हक मांगता है उस जमीन पर जहां उसके बुजुर्गों की हजारों पीढ़ियां गुजर गईं, कई राज आये और गये, राजाओं का जमाना गया, जिस जमीन पर उनका कब्जा था जहाँ पर वे आबाद थे, उस जमीन से उखाड़ कर ××× लूटना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, आप भूल गये कि गंगानगर के किसानों ने सन् 1967 में ऐसा जवाब दिया था आपकी सरकार को कि सुखाड़िया की सरकार ने घुटने टेक दिये थे। अब भी कहना चाहता हूं आपकी सरकार को, यह दमन बन्द कर दीजिये किसानों की मांग को मानिये और किसानों को जेल से निकालिये। हजारों किसानों को जेल में डाला है। यह फोटो देखिये, एक नहीं सैकड़ों किसानों के हाथ पैर तोड़ दिये। फिर दलील देते है मुख्य मंत्री जी कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हैं पुलिस को मारा, मैं कहता हूं कि पुलिस ने किसानों को मारा है, पुलिस के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। पुलिस का सिर टूटता तो हम समझते हैं कि कहीं ज्यादती हुई है। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं सैंकड़ों किसानों के हाथ पैर तोड़ दिये गए और सरकार ××× कहती है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चुनौती देता हूं गंगानगर के आन्दोलन के बारे में कि राजस्थान का किसान आपकी सरकार के घुटने टिका देगा। मैं कहना चाहता हूं कि गंगानगर के किसानों की मांग वाजिब है, वे अपने हकों के लिये लड़ रहे हैं। जो किसान वहां मुद्दत से काबिज है उसको आप जमीन नहीं दे रहे हो। जो सरकारी जमीन है वह करोड़पतियों ओर अरबपतियों को बेचना वन्द करिये। हरिजनों और भूमिहीन गरीब किसानों को जमीन दीजिये। जो गंगानगर की जमीन है वह आपने ×××गरीब आदमी को नहीं दी, किसी हरिजन को नहीं दी। गंगानगर की जमीन, भाखड़ा की जमीन अगर उन लोगों को देते तो हम नहीं समझते कि अन्याय हुआ है। आपने उन जागीरदारों को जमीन दी है जिन्होंने उन गरीब किसानों के घर जलाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लुटेरों से आपका क्या सम्पर्क है? इन्साफ कीजिये। उन लोगों पर लाठी-गोली चलाई गई है और आप कहते हैं गोली नहीं चलाई। यह मुख्य मंत्री जी का जवाब है! मैं कहता हूं गोली चलाकर देख लीजिये। सुखाड़िया जी ने गोली चलाई थी, क्या नतीजा हुआ? 50 हजार आदमी जेलों में गये। आज भी वही स्थिति होगी। अकेला नहीं है गंगानगर का किसान। मैं कहना चाहता हूं।

××× शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया है।

श्री त्रिलोक सिंह : यह किसान की काफी लम्बी कहानी है। उसका सब कुछ नष्ट कर दिया, उसके साथ आपकी कोई हमदर्दी नहीं है। इस सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा, हम देखना नहीं चाहते हैं, क्यों देखना चाहेंगे ? आपकी आंखों में तो खटकने लगते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी और अन्याय की बात नहीं हो सकती है। मैं राजस्थान सरकार को दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर के किसानों की मांग को मानिये, किसान के साथ न्याय करिये और जो रहनुमा हैं, उनके साथ मानवता का व्यवहार कीजिये। हमारे पास तार आये हैं, हमारे पास वहां के किसान आये हैं। यह सरकार शर्मनाक व्यवहार उन किसानों के साथ कर रही है। मासूम किसान को मारते हैं और उसके ऊपर धमकी और देते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको कहते हैं, बर्दाश्त न करना ही आपका बेढंगापन है। हम आपके जुल्म का मुकाबला करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के 11 एम.एल.ए. बैठे हैं उधर, उनको शर्म करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्या। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

यह सामाजिक संस्था नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने इस पर कोई प्रस्ताव दिया है वे ही बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

उनके बोलने के पश्चात् मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री नाथू सिंह।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : × × × तुम किसान नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये तो मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देर से सही लेकिन गंगानगर पर वक्तव्य तो दिया। जब, अध्यक्ष महोदय, इनका वक्तव्य सुना तो लगा कि वास्तविकता बहुत कम है। यह वक्तव्य कोरा राजनैतिक वक्तव्य था। अध्यक्ष महोदय, जिस भाषा में मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे, मैं समझता हूं राजस्थान के प्रतिनिधि होने के नाते और सदन के नेता होने के नाते उन्हें यह शोभा नहीं देता। जिस धमकी भरी भाषा में बोल रहे थे और किसानों को धमका रहे थे, सदन के माध्यम से मैं समझता हूं लोकतन्त्र में इस भाषा का प्रयोग किसी भी माननीय सदस्य को और विशेष रूप से सदन के

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथू सिंह)

नेता महोदय के मुंह से होना शोभा नहीं देता, उनकी डिगनिटी को देखते हुए शोभा नहीं देता बल्कि यह उनकी डिगनिटी को कम करता है। मैं आशा करता हूं....

(व्यवधान)

आपको तो होम मंत्रालय अभी दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज उन्होंने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया है कि धारा 15 और धारा 13 में सरकार ने कुछ संशोधन स्वीकार किये हैं। पहले जब ये धारा बनाई गई थीं और मांग हुई थी संशोधन की उस समय मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया था कि गलती हुई। और भी गलती यह है, अध्यक्ष महोदय, जितना पैसा उन किसानों से लेने के लिये कहा गया है पहला मुरब्बा 35 हजार, उसके बाद एक लाख 36 हजार। अध्यक्ष महोदय, समाजवादी सरकार है। समाजवादी सरकार क्या यह सोचती है कि जो भूमिहीन किसान है वह इतने पैसे जमा करा सकता है? नहीं करा सकता है तो स्पष्ट है सरकार ने उस धारा में जानबूझ कर संशोधन किया है।

श्री दुलाराम : पता नहीं क्या बोल रहे हैं।....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले पढ़िये, क्या बोल रहे हैं। आप बोलें, उसके पहले पढ़ लें।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना पैसा इनको नहीं देंगे तो सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी और उस जमीन को ले लेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि वहां कोई भी गरीब व्यक्ति, गरीब किसान इतना पैसा अदा नहीं कर सकता है। इसका मतलब है, सरकार का इरादा ही दूसरा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां पर जमीन जिन लोगों के पास है वह पैसा यदि जमा नहीं करा पाये तो उसको आप लेंगे और यदि उसने बेच दी तो उसको अवैध कर देंगे या गैर कानूनी कर देंगे या रजिस्ट्री केन्सिल कर देंगे। जो मांग कर रहे हैं उसमें यह है कि राजस्थान नहर के पास जितनी नहरी जमीन है वह भूमिहीन किसानों को दी जाय। रियायती दर पर सरकार का उस जमीन को नीलाम करने का इरादा है। यदि सरकार नीलाम करने जा रही है तो जो दो लाख भूमिहीन लोग हैं, उनको जमीन कैसे प्राप्त हो सकेगी?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है....

श्री दुलाराम : दो लाख।

श्री नाथू सिंह : कितने हैं? जितने भी हैं, आप बता दीजिए। आपने गिनती की हो तो आप बता दीजिए, कितने हैं।

(श्री नाथू सिंह)

(व्यवधान)

आप सर्वे करवाइये पहले ।

श्री दुलाराम : दो लाख नहीं हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : राजस्थान में भूमिहीन दो लाख नहीं हैं ?

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको आंकड़े ज्यादा मालूम होंगे, यह उस क्षेत्र के रहने वाले हैं ।

मैं, दुलाराम जी, आपको निवेदन कर रहा हूं कि गंगानगर से 11 सीटें कांग्रेस (आइ) ने जीती हैं । मुख्य मंत्री जी अगर इसी भाषा में बोलते रहे और किसानों पर लाठीचार्ज करते रहे तो 11 सीट के बजाय अब की बार गंगानगर में आपकी एक सीट नहीं आयेगी । अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कापियां दिखायी हैं । उसके बाद कब इन्होंने संशोधन किया, कब किसानों की मांगें मानी ? इससे स्पष्ट है कि किसानों ने जितनी भी मांगें रखीं उनके सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देते हैं और फिर मांग को पूरा नहीं करते, इसका क्या किया जाय । अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के किसानों की एक मांग नहीं है, कई मांगें हैं । इस समय किसानों की 5–7 मांगें हैं जिनको लेकर किसानों ने आन्दोलन किया हुआ है । एक तो जबरन लोगों से वसूलियां की जा रही हैं । जब घग्घर नहर टूटी थी तो आप स्वयं सदन में मौजूद थे, माननीय मन्त्री जी ने उस समय आश्वासन दिया था कि किसानों को मुआवजा देंगे । सदन के अन्दर घोषणा की थी कि किसानों को मुआवजा दिया जायेगा । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, क्या आपने आज तक किसानों को मुआवजा दिया ? क्या मुआवजे के रूप में एक भी पैसा आपने दिया ? आपकी घोषणाओं पर हम कैसे विश्वास करें ? अध्यक्ष महोदय, आप कितनी घोषणाएं करते हैं, कितना आप गंगानगर पर अत्याचार कर रहे हैं । वहां पर किसानों ने मांग रखी, संघर्ष समिति बनाकर सरकार के सामने मांग रखी, सरकार ने नहीं मानी । संघर्ष समिति बनाकर आन्दोलन की घोषणा की, फिर भी सरकार ने मांगें नहीं मानीं । जब माननीय मुख्य मंत्री जी गये तो किसानों ने घेराव करने की चेतावनी दी । अब मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरा घेराव करके मुझे धमका रहे हैं, सरकार आन्दोलन कुचल देगी । मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं लोकतन्त्र में अपनी मांगें मनवाने और जो आप गलती करते हैं उनको ठीक करवाने का जनता के सामने कौनसा रास्ता बचता है ? क्या उनका रास्ता रोको आन्दोलन गलत है ? क्या आपका घेराव करना गलत है ? क्या प्रदर्शन करना गलत है ? आखिर किसानों की गलती कहां है ? यदि लोकतंत्र में आपका घेराव नहीं करेंगे, लोकतंत्र में किसान रास्ता नहीं रोकेंगे, लोकतंत्र में किसान प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी मांगों के लिये तो क्या करेंगे ? कौन सा रास्ता बचता है, आप बता दीजिए अध्यक्ष महोदय ? क्या गंगानगर में जबरन वसूलियां नहीं हो रही है ? आपको तो मालूम है कि पिछले दिनों टोंक के अन्दर रात भर किसानों को और गरीब लोगों को ठण्डे

(२७)

(श्री नाथू सिंह)

पानी में खड़ा रखा गया। गोगुन्दा में लोगों को मुर्गा बनाया गया वसूलियां करने के लिए। इसी तरह चूरू में राजगढ़ तहसील में हरिजनों की औरतों की बेइज्जती की, हरिजनों के बरतन उठा लिये····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं। शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने विषयान्तर होकर उदाहरण दिया। मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मैंने उदाहरण इसलिये दिया है कि अभी मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि किसानों को सख्ती से दबा देंगे, हम ऐसा करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के किसानों के साथ सरकार इस तरह के अत्याचार कर रही है तो किसानों के सामने सिवाय इसके फिर कौन सा रास्ता बचता है कि आन्दोलन करें। मैं एक और स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, आप बतायें, जो किसान गंगानगर में आन्दोलन कर रहे हैं उनके डिस्प्यूटेड पाइन्ट्स क्या हैं जिनको लेकर वह आन्दोलन कर रहे हैं और उन डिस्प्यूटेड पाइन्ट्स पर आपके क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है इसको थोड़ा सा आप और क्लियर करें।

धन्यवाद।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : जरूरी मामला है। परम आदरणीय अध्यक्ष जी····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, चर्चा का विषय यह नहीं होगा तो क्या होगा ?

श्री राधेश्याम : जो वक्तव्य मुख्य मंत्री जी ने हमारे काश्तकारों के लिए दिया है वह निश्चित तौर पर बड़ा सराहनीय है। काश्तकारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने, हमारी गवर्नमेन्ट ने जो निर्णय लिये हैं वैसे निर्णय आज तक हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। क्योंकि सारे विपक्ष की पार्टियां....

श्री मेघराज तावड़ : ××× की तरह ही बोलेंगे। किसानों की बात करो। ××× की तरह से बात मत करो।

श्री राधेश्याम : गंगानगर जिले के ग्यारह के 11 विधायक कांग्रेस (आई) के हैं, दो एम० पी० कांग्रेस (आइ) के हैं, 10 के 10 प्रधान कांग्रेस (आइ) के हैं, और प्रमुख कांग्रेस (आइ) का है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोग....

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : प्रतिपक्ष का रास्ता रोको आन्दोलन निश्चित तौर पर आपका एक पक्षीय निर्णय था। जिस तरह से पंजाब हमारे पड़ौस में लगता है और जिस तरह की समस्याएं हैं पंजाब में आप उसका राजनैतिक लाभ उठाने के लिए किसानों की वकालत करते हैं। आपका आन्दोलन तो बाद में हुआ, चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट के सामने गंगानगर जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों ने मिल कर निवेदन किया था कि हमारे काश्तकारों की यह दिक्कतें हैं। कृपया आप इनको पूरी तरह से दूर कीजिए। जब रायसिंहनगर में दोबारा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचे, परसराम जी मदेरणा सिंचाई मंत्री पहुंचे, और हमारे दुला राम जी और अनेक मन्त्री पहुंचे उस वक्त फिर हम सब जनप्रतिनिधियों ने प्रार्थना की, निवेदन किया कि....

(1.06 म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

आप काश्तकारों को राहत दिलाने के लिए इस कानून में संशोधन कीजिए। हमारी बात को ध्यान में रखते हुए.....

श्री मेघराज तावड़ : आपकी बात को नहीं माना, किसानों ने आन्दोलन किया

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जाइये।

श्री राधेश्याम : आपने नाराज किया। 1979 की याद कीजिए, किसान आन्दोलन को याद कीजिए, जब गंगानगर में गोली चली। किसान आपके साथ नहीं हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि गंगानगर....

श्री मेघराज तावड़ : किसान साथ नहीं होते तो भागना नहीं पड़ता। वहां से मुख्यमन्त्री जी को भागना पड़ा। उन्हें काले झण्डे दिखाये गये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री राधेश्याम : आज केवल मात्र किसानों की सरकार कांग्रेस की सरकार है जिसने किसानों की समस्याओं को सुनकर फौरन हल किया। ऐसी सरकार कभी पैदा नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : किसान भी अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपके राजा

(श्री मेघराज तावड़)

महाराजा मिट्टी में मिल गये। आप किस खेत की मूली हो। आप भी पानी की तरह से बह कर जाने वाले हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : आप × × × हैं। आप किसानों के दुश्मन हैं।

श्री राधेश्याम : × × × बातें करते हो, × × × इल्जाम लगाते हो।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। बैठ जाइये।

श्री मेघराज तावड़ : आपके काले कारनामे देख लिये। आपने क्या-क्या घोटाले किये, आपका भी सारा मामला पता है। बैठ जाइये। आपके काले घोटालों का पता है। बहुत लम्बे चौड़े चिट्ठे हैं।

श्री राधेश्याम : बिल्कुल सही किया है। मैं कहता हूँ कि गंगानगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटा गया। उनका रास्ता रोका गया। क्या यह प्रजातंत्र है ? इसी को प्रजातन्त्र कहते हैं। और तरीके बहुत हैं लेकिन आप इस तरह पथराव करते हैं, पुलिस के ऊपर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमें कहते हो × × ×....

श्री त्रिलोक सिंह : × × × मुंह से किसानों की बातें कहना, किसानों का नाम लेना अच्छा नहीं लगता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह, कृपया बैठ जाइये।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, यह तो कहिये, यह × × × हैं।

श्री राधेश्याम : हमने कैबिनेट से यह निवेदन किया, हमने अपनी सरकार से निवेदन किया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : किसानों पर अत्याचार करोगे तो आन्दोलन नहीं होगा तो क्या होगा ? चमचागिरी करने से क्या होगा।

श्री राधेश्याम : मैं कहता हूँ आपको घबराहट क्या है। पहले आप मैदान में आकर फिर आजमाइये। गंगानगर की जनता राजस्थान की सरकार की कोटि-आभारी है। जिस तरह का काम आज तक हिष्ट्री में कभी नहीं हुआ। आपकी सरकार थी....

श्री मेघराज तावड़ : × × × मत करो।

श्री राधेश्याम : आपकी कलम थी, आपके लीडर थे। आपका कालोनाइजेशन एक्ट अब लागू हुआ है, क्या उस वक्त नहीं

× × × शब्द व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम)

था ? यह धारायें उस वक्त नहीं थीं ? हमारी सरकार जागरूक है, इन्होंने कठिनाइयां देखीं और उसमें परिवर्तन करने का साहस किया। यह सारे गंगानगर की जनता, लोगों की किताब छपवायी है, आप पढ़िये। राजस्थान की सरकार को वधाई है। राजस्थान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : यह सारा झूठा बयान कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम : यह यू. आई. टी. ने छापी है, यू.ई.टी. गंगानगर।

(व्यवधान)

गंग केनाल जो पचास वर्ष पहले महाराजा गंगासिंह जी ने बनाई थी, अव उस गंग केनाल की लिंक चैनल का शिलान्यास कर रहे हैं हमारे सी. एम. साहब और श्रीमती इन्दिरा गांधी। देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। त्रिलोक सिंहजी माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जावें।

श्री मेघराज तावड़ : × × × चाहे कितनी ही × × × करते जाओ, हमें यह बर्दाश्त नहीं है। इस तरह से कैबिनेट में नम्बर नहीं आने वाला है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, बैठ जाइये।

श्री हीरालाल आर्य : इन्दिर गांधी का फोटो लेकर बताते हो कि।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें।

श्री मेघराज तावड़ : किसानों के × ×

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि एक माननीय सदस्य जब बोल रहे हैं तो कृपया शांति से सुनिये। व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर....

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय,

× × × शब्द व नारे माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मेघराज तावड़)

हमने प्रस्ताव दिया है, हम उस प्रस्ताव के बारे में मुख्य मन्त्री को सुनना चाहते हैं। मुख्य मन्त्री इसका जवाब दें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठ जावें।

श्री मेघराज तावड़ : हमने अपना प्रस्ताव बिधान सभा में रखा है। यह सरकार गोली चला कर हमारी आवाज बन्द करना चाहती है। हम किसानों के प्रतिनिधि हैं, हम असली प्रतिनिधि हैं किसानों के। हम लोग इस तरह के ××× को सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री सभापति : आर्डर।

अंकित नहीं हो। *

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री त्रिलोक सिंह ××× :

श्री सभापति : अंकित नहीं हो, कृपया बैठ जावें।

श्री मेघराज तावड़ : ....मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(1.15 म. प.)

(श्री मेघराज तावड़ का बहिर्गमन)

श्री पोरूराम : हमारी सरकार ने यह नियम बनाये। ढाई साल तक ये खुद भी तो सरकार में रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें।

(व्यवधान)

आप यों ही बोल रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री राधेश्याम : हमारी सरकार ने नियम बनाया और....

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, यह लाठी और गोली की सरकार है, किसानों के खून से....

श्री सभापति : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया आप बिराज जावें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराज जावें।

आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य।

×× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री त्रिलोक सिंह : मुख्य मंत्री इसकी हिमायत करें....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

आर्डर, आर्डर ।

अंकित नहीं हो ।

श्री त्रिलोक सिंह : ××××

मैं इस जुल्म के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है ।

(1.16 म. प.)

(श्री त्रिलोक सिंह का बहिर्गमन)

श्री तेजपाल यादव : इनकी जब सरकार आई तब जयपुर में गोलियां चलाई, घोड़े दौड़ाये, अश्रुगैस चलाई, इनका क्या नैतिक अधिकार है कि यह किसानों की वकालत करें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है । कृपया बैठ जावें । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्री राधेश्याम ।

श्री राधेश्याम : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 1980 के अन्दर परम सम्माननीय हमारे अपोजीशन के नेता गोगामेडी के अन्दर पधारे थे, उस वक्त प्रोफेसर केदार होम मिनिस्टर थे, उनके पास अनेक और मंत्रालय थे, उस वक्त घोषणा की कि कालोनाइजेशन एक्ट के अन्दर सुधार करेंगे । हम खातेदारी राइट जल्दी से जल्दी जयपुर जाते ही आपको देंगे । वह आज तक नहीं दे पाये । हमारी सरकार ने दिया तो हमारे विरोध पक्ष के नेताओं ने इस तरह का बवण्डर फैलाने का कार्य किया है । निश्चित रूप से इनका कार्य निन्दनीय है । हमारी सरकार ने जो कार्य करके दिखाया है वह अपने आप में एक मिसाल है ।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, किसान अपनी मांगों के लिए खड़े हैं । पांच मांगें थीं जो मुख्य मंत्री के सामने रखीं....

(व्यवधान)

किसानों के बारे में इस तरह की बात कहने वालों +++

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : इनके पास कोई कार्य-

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री राधेश्याम)

क्रम है ही नहीं। इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, तोड़-फोड़ करो, लोगों को लड़ाओ। क्या यही प्रजातंत्र है? क्या यह प्रजातंत्र है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री राधेश्याम : मेरे सम्माननीय सदस्य, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने अपनी बात कही है, हमें भी कहने दीजिए। आराम से आप सुनिए। आपकी भी कोई बात हो तो फिर कहिये।

श्री मेघराज तावड़ : ××× खुद की बात बोलो....

श्री सभापति : आर्डर!

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : सभापति महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने तब यह घोषणा की कि हम यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई इस तरह की गलत कार्यवाही करें। मैं इसकी सराहना करता हूं। जो हमारे प्रजातंत्र को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं उनके लिये सरकार जागरूक नहीं रहेगी तो सरकार का काम कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आप क्या बात करते हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××× आत्मा मर गई है, ××× आत्मा का राम मर गया है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं इतनी देर से।

(व्यवधान)

पीरूराम का राम मर गया। ××× तो राम निकल गया। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या।

श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम : सभापति महोदय, गंगानगर के किसानों की तरफ से यह बात करते हैं, असल बात यह है कि हमारे गंगानगर के किसान को कालोनाइजेशन एक्ट की धारा 13 और 15 एएए की वजह से काफी नुकसान होता था। 72 में 15 एएए का नियम भी बना। मतलब यह कि हाई कोर्ट के डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से यह दुबारा कैंसिल कर दिया गया था। फिर असल बात यह है कि वहां हमारे 26 कांग्रेसी पदाधिकारी हैं और वहां पर विरोधी नाम की कोई चीज नहीं है। अब यह बड़ी चीज क्या करते हैं,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री पीरूराम)

सरकार ढाई साल तक यह आश्वासन देती रही अपने टाइम में, किसानों को सुनाते रहे कि आपकी जमीन काफी है। भैरोंसिंह जी शेखावत जब माननीय मुख्य मंत्री थे उस टाइम में भी वहां गए, हमारी सरकारी बनने के बाद भी कई दफा आए। हमारी सरकार ने सोचा कि बिल्कुल सही है काश्तकारों की मांग, तो नियम बना दिये गये। तो इनमें और भी खलबली मच गई कि अब तो वहां कोई नाम लेवा भी नहीं हमारा। तो इन्होंने क्या किया कि उस नियम को लेकर काश्तकारों को भड़काया। किस तरह से भड़काया ? मैं खुद काफी गांवों में गया हूं, मैंने बातचीत की है। विरोधी लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं, खास तौर पर इन्होंने अफवाह फैला रखी है कि 72 में नियम बनाए थे वह सरकार ने कैंसिल कर दिये तो अब भी ये कैंसिल ही करेंगे नियम। यह भड़काने की बात है। इस तरह की बात फैला रहे हैं, सरकार यह कह रही है, इस तरह की पेम्फलेटबाजी कर रहे हैं। 2 तारीख का संशोधन किया है यह बिल्कुल गलत किया है। वह किया ही नहीं है। रहा सवाल वहां के आन्दोलन का, मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ऐसा वातावरण हो रहा है। मैं एक एक गांव में गया हूं, वहां आधा गांव हरिजनों का है। इनके लोकदल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया है, यह मैं आपको बताता हूं। हमारे एक मैम्बर हैं नगरपालिका के। उनकी दो लड़कियों की शादी थी। उनको कहा कि तुम रसीद कटाओ नहीं तो हम घर में नहीं घुसने देंगे तुमको। वहां पर चन्दा चिट्ठा हो रहा है आम तौर पर और इसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जबरदस्ती चन्दा ले रहे हैं। चन्दा नहीं देओ तो घर में नहीं बड़ने देंगे। उनको रस्सी बल्ली नहीं देंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उन लोगों को पूछा कि तुमने क्या किया ? उन्होंने क्या किया कि हम तुम्हारे खेत में हाली नहीं बड़ने देंगे। हालत यह हो रही है कि सिवाय भड़काने वाली बात के और कोई बात नहीं है। एक तो जो वाटर वर्क्स का खाला है उसमें राहत देने वाली बात पर सरकार जल्दी निर्णय ले ताकि काश्तकारों को जल्दी राहत मिल सके। दूसरे उस इलाके में भी काश्तकारों को राहत देना जरूरी है। इस तरह झगड़ा करने या रोला मचाने से कभी काम होता है। वैसे हमारे काश्तकार जानते हैं कि झगड़े, रोले से काम नहीं होता। काम तो सरकार और हमारे नुमाइंदे, जो आफिसर लोग हैं वे करते हैं। मैं बार-बार गंगानगर की हालत पर विधान सभा में भी बोला हूं, इन मांगों पर भी बोला हूं। वहां न कोई झगड़ा है न कोई फसाद, सिर्फ चन्द आदमी राजनीतिक लाभ के लिये काश्तकारों को गुमराह कर रहे हैं। काश्तकारों से यह कहना चाहता हूं जैसे उन्होंने कह दिया, काश्तकारों की टांगें तोड़ दीं, हाथ तोड़ दिया, यह तोड़ दिया वह तोड़ दिया ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग यह चाहते हैं कि सरकार जबरदस्ती उनको जेलों में भेज दे, काश्तकार नहीं बल्कि नेता लोग यह चाहते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमण्डल को धन्यवाद दूंगा कि जो नियम 2-3-84 को लागू किया वह बहुत अच्छा किया। अब जो पैंडिंग का रखे गये हैं उन पर भी जल्दी निर्णय लें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मूल समस्या क्या है····

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ! आपका तो इसमें कोई प्रस्ताव है नहीं ।

श्री देवीसिंह भाटी : बाद में दिया है सभापति महोदय ।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : इनका प्रस्ताव कहां से आ गया । इनका था क्या ?

श्री सभापति : आर्डर । जितने लोगों ने नाम दिये वे अपनी बात कह चुके । यह कोई जनरल डिबेट नहीं है । जिन लोगों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, उन सबको मैंने समय दे दिया । कृपया विराजिये । इस पर आप अपने भाषण में बोल लीजियेगा । सब लोगों को समय देना संभव नहीं है ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, गंगानगर जिले में वर्षों से काश्तकारों की समस्या चली आ रही है लेकिन राज्य सरकार ने कभी भी इस पर गौर नहीं किया । उन्होंने बार बार नोटिस दिया है । उनके असली प्रतिनिधि स्वयं सरकार से जाकर मिले हैं । उनकी मुख्य मांग है कि जो पुरानी जमीन पर 1955 से पूर्व से वे काबिज हैं उसके खातेदारी अधिकार दिये जायं । जब आपने दूसरे लोगों को पैसे लेकर जमीनों के खातेदारी अधिकार दिये हैं उनको जो भी समस्या है, सभापति महोदय, सालों की है वह जमीन के बाबत है । उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी समस्या रखी है । जब राज्य सरकार ने कोई गौर नहीं किया तो उन्होंने पूर्व में नोटिस दिया कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें और किसानों के हकों को राज्य सरकार प्रोटेक्ट करे । जब सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने नोटिस दिया रास्ता रोको आन्दोलन का । इससे पूर्व भी उन्होंने मीटिंग की । जब सरकार के ध्यान में आ गया कि काश्तकार की वास्तव में यह प्राब्लम है तो राज्य सरकार को उसकी ओर ध्यान देना चाहिये । राज्य सरकार ने पूर्व में राजस्थान टिनेंसी एक्ट, '55 में अमेंडमेंट किया 15 एएए और 13 ए का, उसके तहत काश्तकार के साथ अन्यायपूर्ण निर्णय किया है जिसके कारण किसानों ने उत्तेजित होकर इस आन्दोलन का रुख अपनाया वरना किसान कभी नहीं चाहता, न उसके पास इतना समय है ।

श्री सभापति : अब कृपया समाप्त करिये ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह जो समस्या है यह तहसील गंगानगर से ही सम्बन्धित नहीं है । यह समस्या सिर्फ गंगानगर जिले में ही नहीं है बल्कि बीकानेर और जैसलमेर जिले में भी यह विद्यमान है । वहां के किसानों ने पूर्व में राज्य सरकार को नोटिस दिया है कि अगर इस पर राज्य सरकार गौर नहीं करेगी या पुलिस आदि के द्वारा किसी प्रकार की जबरदस्ती करेगी तो किसान

(श्री देवीसिंह भाटी)

किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं इसलिये शांतिपूर्वक बैठ कर निर्णय करें। आज मुख्य मन्त्रीजी ने जो घोषणा की है उससे किसानों को कोई राहत नहीं होने वाली है। पूर्व में 25 बीघा के अलावा जो जमीन होगी उसके लिए 35 हजार रुपए सरकारी मूल्य की घोषणा की गई। उसके बाद मुख्य मन्त्रीजी ने बताया है कि 20 हजार रुपये प्रति मुरब्बा देने होंगे। माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस हाउस में मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि किसान एक पैसा नहीं देगा क्योंकि उसकी पूर्व पीढ़ियों की जमीन है। आज भी मैं आपको आगाह करता हूँ कि वह बीस हजार रुपया आपको देने वाला नहीं है। एक धेला भी आज तक आपको नहीं मिला है। जैसा कि आपने अनुमान किया था कि अरबों की आय सरकार को हो जायेगी परन्तु एक पैसा भी न तो 15 एएए के तहत मिला और न 13 ए के तहत मिला।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिये सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप किसानों का भला चाहते हैं तो नियम 15 एएए में जो उनके पास जमीन है उस भूमि का निःशुल्क खातेदारी अधिकार दिया जाना चाहिये। नियम 13 ए में आप जो भी घोषणा करके रह जाते हैं या संशोधन करते हैं उसका सही रूप से किसानों को लाभ नहीं मिलता इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भी घोषणा करें, ईमानदारी से करें वरना मैं निश्चित तौर से चेतावनी देना चाहता हूं कि आज गंगानगर जिले में जो आग लगी है वह बीकानेर, जैसलमेर और पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैल जायेगी। चाहे वह पाक सीमा से लगा हो, चाहे वह पंजाब की सीमा से लगा हो, वह पीछे हटने वाला नहीं है। आप शांतिपूर्वक विचार करके किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर उनकी समस्या पर अगर गौर करेंगे तो यह आन्दोलन समाप्त हो जायेगा वरना जो आग गंगानगर जिले में लगी है यह आग पश्चिमी क्षेत्र में भी लग जायेगी, यह मैं समय पर आपको चेतावनी देता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, गंगानगर जिले की समस्या के संबंध में माननीय मन्त्री महोदय ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य में समस्या क्या है, मांग कितनी है, किस प्रकार की है, सरकार उसका समाधान किस प्रकार से कर सकती है इसकी विस्तृत चर्चा न करते हुए मुख्य मन्त्रीजी आन्दोलन को कुचलने में किस प्रकार से सफल हो सकते हैं इसका ही ज्यादा उल्लेख किया गया है। एक प्रकार से धमकी ही दी है। सभापति महोदय, विधान सभा में कई बार सरकार की ओर से धमकी देने का प्रश्न पैदा होता है लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि सरकारी पक्ष की ओर से जिस मसले पर भी धमकी दी गई है उसमें कुछ समय बाद सरकार को झुकना ही पड़ा। गंगानगर में एजीटेशन पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, मुझे याद है, कई माननीय सदस्यों

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

को भी याद होगा इससे पहले एजीटेशन हुआ था। तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था कि उस आन्दोलन को कुचल दिया जायेगा लेकिन कुछ समय बाद जब आन्दोलन ज्यादा बढ़ गया तो उन्हीं मुख्य मन्त्रीजी ने सदन के सामने कहा था कि मैं जनता की मांगों को मानने के लिए मजबूर हुआ हूँ, मांगों का मैंने अध्ययन किया है और उनको इस सीमा तक स्वीकार करता हूं। उसके बाद आन्दोलन समाप्त हुआ। सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने उनका मांग पत्र अवश्य देखा होगा। मांग पत्र में कई बातें ऐसी हैं जिनका मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया। ये छोटे-मोटे प्रश्न हैं जो सारे किसानों को एजीटेट करते हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री सभापति : सभापति महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जी। मैं तो बड़ा बना रहा हूं। मैं कुछ दिन बाद आपको उपाध्यक्ष कहना शुरू कर दूंगा।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : आप किस-किस को बड़ा बनाओगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यदि आप की राय हो तो अभी से बना देता हूं।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : मैं आपको स्मरण दिलाऊं पहले यह वचन आप मेरे को भी दे चुके हैं और अब आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। कल किसको देंगे, पता नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पंडितजी बैठो।

मैं समझता हूँ जिसको मेरा आशीर्वाद मिल गया उसका तो काम होगा ही नहीं। इसलिये आपने आशीर्वाद लेकर भुगत लिया और मैं समझता हूं सभापति महोदय भी भुगत लेंगे।

मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि गंगानगर जिले की कुछ समस्याएँ हैं। उन समस्याओं के समाधान में सरकार ने प्रयत्न किये हैं लेकिन जब तक पूरे प्रयत्न नहीं होंगे इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

(1.32 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सैक्शन 15 एएए का प्रश्न है जिसके आधार पर आप काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देना चाहते हैं। मैं अभी पिछले दिनों जैसलमेर गया था वहां आज सब से बड़ी यही समस्या है। वहां के लोग कहते हैं जिस जमीन के मालिक उनके बाप-दादा और उनकी पीढ़ियां हजारों सालों से रही हैं उस जमीन का पैसा किस बात का? न आज जैसलमेर में सैटलमेन्ट हुआ और अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि न रियासत के समय में सैटलमेन्ट हुआ। एक बार बीच में समरी सैटलमेन्ट हुआ था। समरी सैटलमेन्ट के खिलाफ शिकायत हुई तो कुछ क्षेत्रों का समरी सैटलमेन्ट रह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया और कुछ क्षेत्रों का समरी सैटलमेन्ट रद्द कर दिया गया। आज लोगों के टिनेन्सी राइट्स के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच की जाये तो पुरानी रियासत का किसी प्रकार का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरी सब से बड़ी समस्या, अध्यक्ष महोदय, यह है कि लोगों के पास बड़े-बड़े खेत हैं। जैसलमेर में थोड़ी जमीन होती नहीं है। काफी लोगों के पास बड़े-बड़े रकबे हैं। वह सारी जमीन एक बाप-दादा के नाम लिखी हुई है। आज सरकार वह जमीन देना चाहती है तो केवल जिसके नाम से रिकार्ड में इन्द्राज होगा उसको देगी। इससे 40 से 50 वर्ष के बीच में जो मेजर सन्स हैं उनका उस पर कोई राइट नहीं रहता है। जो लड़के हैं उनके आज ग्राण्ड चिल्ड्रन हैं वे अडल्ट हैं उनका भी किसी प्रकार का कोई राइट नहीं बनता है। मैं चाहूँगा सरकार से कि यह समस्या रही है, इस समस्या का समाधान केवल कानूनी आधार पर नहीं किया जाये। जो पुरानी व्यवस्था में खामी रह गयी है, जिसके कारण लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसके आधार पर इसका चिन्तन करना पड़ेगा। जैसलमेर के उन क्षेत्रों के लोगों का चूंकि रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख है तो एक व्यक्ति का जिसके पीछे लड़के, पोते और काफी बड़ी इंडिपेंडेन्ट फेमिलिज हो जाती है। उनका किसी न किसी प्रकार आपने समाधान नहीं किया तो इन गरीबों के साथ अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जिस समय जैसलमेर की ओर पानी छोड़ा गया वहां के काश्तकारों ने यह उम्मीद की थी कि जैसलमेर के अन्दर राजस्थान कैनाल का पानी आयेगा, हमारे खेतों में पानी पहुंचेगा लेकिन आज पानी का प्रश्न नहीं है। खेतों के ऊपर उनके मालिकाना हक का प्रश्न सब से बड़ा खड़ा होता है। जैसलमेर के लोग सदियों से 1955 से लेकर अब तक राजस्थान कैनाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजस्थान कैनाल का पानी तो पहुंच जायेगा लेकिन खेत किस का है यह उनको पता नहीं है। खेत पर उसकी मिल्कियत नहीं होगी तो यह वहां की जनता के साथ अन्याय होगा। यह कानूनी खामी पहले रही या अब रही, अध्यक्ष महोदय, सरकार इसका राजनैतिक आधार पर चिन्तन नहीं करे क्योंकि किसी न किसी प्रकार उनको राहत देनी है।

अब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जनता पार्टी के शासन में दूसरे मुरब्बे के बारे में आपने क्या किया। उस समय आप लोग आये थे। आपको पता है एक मुरब्बा तो मुफ्त में दिया। दूसरे मुरब्बे की कीमत मुत्राड़ियाजी के समय जो आन्दोलन हुआ था उस समय जो तय हुई थी उस कीमत को जनता शासन ने नहीं बदला है। उसको बदला है शिवचरणजी माथुर ने। मुझे खुशी है कि इस बात का समर्थन गंगानगर के गैर किसान माननीय सदस्य ने किया है। किसानों में क्या प्रतिक्रिया होगी उसका तो वे स्वयं अन्दाज लगा लें। उस समय उसकी कीमत थी 17500 रुपये और उसकी अब कीमत बढ़ा कर 35 हजार रुपया की है। दूसरा मुरब्बा जिसका आप जिक्र कर रहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

थे वह मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिये 7500 रुपये बेटरमेन्ट लेवी के देने पड़ेंगे इस आधार पर। आप देख लीजिये, केवल यह मुरब्बा राजस्थान कैनाल का नहीं है....

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान हूं और विपक्ष के नेता महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। आप हैं या नहीं?

श्री मेघराज तावड़ : ताकड़ी तोलने वाले हो। ताकड़ी तोलने वाले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि राधेश्याम जी किसान बन गये। लेकिन इनके किसान बनने से किसानों को बहुत बड़ा खतरा है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब इस स्थिति में सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा।

दूसरा प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, नियम में इस प्रकार की व्यवस्था है जिसको मुरब्बा दिया हुआ है वह बिना कलेक्टर की अनुमति के बेच दे तो उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। यह पेनल्टी है 500.00 रुपये। 500 रुपये की पेनल्टी में कई केसेज गंगानगर जिले में कलेक्टर द्वारा तय किये गये हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, कानून में भेद किस प्रकार होगा। कुछ लोगों ने 500 रुपये के हिसाब से पेनल्टी जमा कर इस सारे ट्रान्जेक्शन को वेलिड करार करा लिया है और कुछ लोगों ने....

श्री शिवचरण माथुर : यह पेनल्टी दूसरी कन्डीशन ब्रीच करने पर है। 500 रुपये की पेनलटी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो वक्तव्य दिया है उसमें भी यह है। आप देख लीजिये। नहीं आता है तो सबसे बढ़िया है। अगर उस समय कलेक्टर की बिना अनुमति के ट्रान्सफर कर दिया, उनको आप रेगुलेराइज करेंगे तो 500 रुपये जुर्माना लेना पड़ेगा। यह बात है।

(व्यवधान)

मुझे आप समझा दें। अगर कोई मुरब्बा किसी आदमी ने किसी को ट्रान्सफर कर दिया और कलेक्टर से परमिशन नहीं ली तो आप पुरानी व्यवस्था के अनुसार 500 रुपया जुर्माना करके उस को रेगुलेराइज कर देंगे। यह मेरी मान्यता है। आपकी मान्यता कोई हो तो बता दीजिये। नहीं है। तो मैं भी यही कह रहा हूं। जो पहले व्यवस्था है उसका आधार क्या है? क्यों आपने बदला? अब उसके ऊपर किस बात की पेनल्टी? अध्यक्ष महोदय, कई दिक्कत खड़ी होंगी। 1977–78 के पहले इस पेनल्टी को लगा कर लोगों ने ऐसे ट्रान्सफर को वेलिड करार करा लिया। अब उनको इनवेलिड कर देंगे तो कानूनी दिक्कत खड़ी होगी। इसलिये इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न यह आता है कि वहां पर कुछ 18 डिप्रेशन हैं। जिन डिप्रेशन के बारे में किसानों ने मांग की है उन डिप्रेशन के बारे में आप ताज्जुब करेंगे 2.46 मिलियन एकड़ फीट पानी है–एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

छोटा-मोटा भाखरा डैम है। इस पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कहता लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिप्रेशन के कारण जमीन में सीम आ गयी है। लोगों की जमीन खराब हो गयी है। लोगों को उसके एवज में जमीन नहीं दी गयी है और आज तक न इस नुकसान के बारे में किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति की गयी है। यदि किसान इस सम्बन्ध में कोई मांग करे तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। जो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में आने वाली हैं उनको तो जमीन दे दी गयी है लेकिन भाखरा क्षेत्र में जो आने वाली हैं उनको अभी तक जमीन नहीं मिली है और न किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हुई है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि यदि काश्तकार इस प्रकार की मांग करेंगे तो वह वाजिब है। इससे उनका डिप्लेसमेन्ट हुआ है। ठीक प्रकार से उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। यह किसानों की मांग है।

अध्यक्ष महोदय, एक झगड़ा आता है फ्रेगमेन्ट का। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 1 लाख 25 हजार फ्रेगमेन्ट के मामले पेंडिंग हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब सरकार इस फ्रेगमेंट रजिस्ट्रेशन, जिसके अन्दर लोगों ने स्टाम्प ड्यूटी जमा करा दी है, को भी मान्यता देने को तैयार नहीं हैं। तोकाश्तकार को नुकसान हो गया। इस फ्रेगमेन्ट को कोई खरीदने वाला नहीं है। यह उसके खेत से जुड़ा हुआ मामला है। यह छोटा सा टुकड़ा उसके कब्जे में है और जो उसके जीवन-यापन का तरीका है उस फ्रेगमेंट को आप बेचने का प्रयास करेंगे तो लोग इसका विरोध करेंगे। प्रश्न यह है कि किस प्रकार से इसको रेगुलेराइज किया जाये ? मैं समझता हूं कि सरकार इस पर हमदर्दी के साथ विचार करेगी कि यह जो फ्रेगमेन्ट्स लगभग 1 लाख 25 हजार के करीब हैं उनको किसी न किसी प्रकार रेगुलराइज किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। घग्घर से किसानों का जो नुकसान हुआ है, आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, घग्घर की बाढ़ से किसानों का नुकसान हुआ था, वह घग्घर कैनाल टूट गयी थी उस समय यहां इस सदन में काफी चर्चा हुई थी। सदन में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी चिन्ता प्रकट की थी। किसानों का जो नुकसान हुआ था उसके बारे में सदस्यों ने यहां पर उल्लेख किया था। सरकार की ओर से भी, ज्यादा तो याद नहीं है, थोड़ा सा यह याद आता है एक इन्जीनियर को सस्पेन्ड किया गया है और बाकी की जांच कराने की घोषणा की थी। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने का सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। मैं सिंचाई मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि घग्घर कैनाल के टूट जाने से नुकसान किसानों को हुआ था, उसकी जांच क्या पूर्ण हो चुकी है ? क्या इस जांच के आधार पर आपने लोगों को सजा दी है ? उसके आधार पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति आपने कर दी है ? अध्यक्ष महोदय, गंगानगर के किसान इस सम्बन्ध में यदि कोई मांग करते हैं तो वह मांग वाजिब है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में केवल गंग कैनाल या राजस्थान कैनाल का प्रश्न लेकर गंगानगर जिले का किसान एजीटेशन नहीं कर रहा है। वहां पर पाला पड़ा जिसके कारण उनकी फसल नष्ट हो गई, चारे की फसल नष्ट हो गई लेकिन सरकार की ओर से आज तक इस नुकसान का सर्वे नहीं करवाया गया है। यदि राजस्थान के किसान नहीं बोलते और एक गंगानगर जिले का किसान बोल रहे हैं और वह यह कह रहा है कि गेहूं की फसल गल गई, चने की फसल जल गई और अन्य नुकसान हुआ है इसका सर्वे कराया जाय और सर्वे करने के साथ-साथ हमको रियायत दी जाय तो सरकार को उनको डराने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनकी मांगें स्वीकार करनी चाहिए। इस मामले में सरकार को विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज यदि किसान यह मांग कर रहा है गंगानगर एरिया में जो खाले बने हुए हैं, माननीय सिंचाई मंत्री, राजस्थान कैनाल मन्त्री महोदय विचार करेंगे कि सरकार के अधिकारियों की एक रिपोर्ट नहीं अनेकों रिपोर्ट हैं और रामसिंह कमिशन की एक रिपोर्ट में इसका उल्लेख भी किया गया है कि जितने खाले बने हुए हैं, वे अधूरे हैं, उसमें ज्यादा खर्चा किया गया है और खालों में पानी नहीं जा रहा है। यदि गंगानगर जिले का किसान यह मांग करे कि मेरे से खालों के चार्ज वसूल किये जा रहे हैं, मेरी भूमि को सिंचित बताया जाकर सिंचाई शुल्क वसूल कर रहे हैं जबकि खालों का निर्माण गलत हुआ है, खालों में गलत पैसे लगे हैं, पानी समय पर पहुंचता नहीं, पूरा पानी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहूंगा आपसे कि क्या किसानों ने कोई गजब कर दिया, क्या किसानों ने कोई अन्याय कर दिया कि इन खालों के सम्बन्ध में अपनी मांग लेकर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती है और वे अपनी मांग के लिए, पूरी कीमत के लिए आन्दोलन करते हैं तो क्या मुख्य मंत्री यह चाहते हैं कि लाठी और गोली के बल पर उस किसान की आवाज बंद कर दी जाय। मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहे गंगानगर में 15 ए के मामले में, चाहे 13 ए के मामले में बाकी मामलों में कुछ भी चाहे निर्णय लें परन्तु निर्णय वही होगा जिसको वहां के किसान स्वीकार करेंगे। आप इस भरोसे नहीं रहें कि विधायक और लोक सभा के सदस्य मेरे साथ हैं और मैं वहां के किसानों की परवाह नहीं करूँगा। वहां के किसानों के ऊपर यह मोटिव इम्प्यूट करूँगा। आज वहां के किसान आन्दोलन कर रहे हैं उससे नुकसान कितना होता है यह बात हम भी जानते हैं। हम भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि पंजाब की सीमा के ऊपर कोई जिला है उस जिले में आज आन्दोलन किया जाय या नहीं इतनी जिम्मेदारी तो हमारी भी है, लेकिन मजबूरियां होती हैं जब सरकार सुनने को तैयार नहीं और मुख्य मन्त्रीजी केवल डण्डे के बल पर आन्दोलन को कुचलने को तैयार होते हैं तो, मुख्य मन्त्रीजी, तैयार रहें आप डण्डा अपने हाथ में रखिये और किसान अपनी मांग को जुबान पर रख कर लड़ेंगे। एक दिन आयेगा कि राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथुर भी मोहनलाल सुखाड़ियाजी की तरह इसी सदन में घुटने टेक कर किसानों की मांग को मन्जूर करेंगे ।

श्री बुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इसलिए निवेदन करना जरूरी हो गया कि सी. पी. आई. के माननीय सदस्य ने बार-बार रार्यसिहनगर का जिक्र किया और उसके अलावा उन्होंने यह भी जिक्र किया कि गंगानगर के किसान को सुना नहीं गया, जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने फरमाया, किसान की उपेक्षा की गई, केवल वहां के जन-प्रतिनिधि को ही सुना गया, किसान को नहीं सुना गया है । इस बारे में मेरा कुछ निवेदन है कि यह समस्या आज की नहीं है । यह सन् 1976 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा हुई और उसके तुरन्त बाद जनता पार्टी का शासन आया और जनता पार्टी के शासन में मुझे जनता ने मेरे भाग्य पर निर्णय करके विपक्ष में बैठने का एक मौका दिया और विपक्ष में बैठने के बाद जो जन समस्या उठती रही है उसको मैंने हाउस में, उस समय के मुख्य मन्त्री, आज के विपक्ष के नेता महोदय के सामने हमने रखी और उन्होंने कहां तक उसको स्वीकार किया, कहां तक अस्वीकार किया उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, 1977,78,79 के अन्दर इतनी भयंकर बरसात हुई गंगानगर के अन्दर और गंग कैनाल कम से कम 5–6 जगह से टूटी उससे बहुत बड़ा एरिया 1 लाख किसान, प्रभावित हुए । जनता पार्टी के विधायक और मैं भी गया था, उसमें राधेश्यामजी भी गये थे, उस समय विधायक नहीं थे नगर प्रमुख होते हुए गये थे । प्रोफेसर केदारजी तत्कालीन गृह मन्त्रीजी थे उनको भी वहां पर बुलाया गया । उन्होंने कहा कि आज जो गंग कैनाल की हालत है, जिस कन्डीशन में गंग कैनाल चल रही है आज उसकी यह हालत है जो गंगानगर की 5–6 तहसीलों से सम्बन्ध रखती है वह तहसील एरिया बरबाद हो जायगा, एरिया नहीं रह सकेगा, मजदूर व किसान नहीं रह सकेंगे इस बारे में तुरन्त व्यवस्था कराएं । तत्कालीन गृह मन्त्रीजी ने कहा कि मैं मुख्य मन्त्रीजी को कहकर इस नहर को तुरन्त ही चालू करवा दूंगा और सिंचाई मन्त्रीजी से कहूंगा वे नहर का मौका देखेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय की घटना आज इसलिए याद कर रहा हूं कि जो किसानों की मांगें थीं उसको सरकार ने मन्जूर किया । इसके साथ-साथ एक छोटी सी बात और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जैसे गरीब व्यक्ति से कोई बनिया कर्जा मांग रहा था और बनिया बगैर पूछे उसके घर चला गया, घर जाने के बाद उसको मालिक मिला नहीं तो उसने उसके लड़के से कहा कि मुझे पैसे लेने हैं तो उस लड़के ने कहा कि हमारा बाप कहीं गया हुआ है, मेरे पिताजी को आने दो, पैसे भी हमारे पास नहीं हैं इसलिए पैसे तो मैं दे नहीं सकूंगा । तो वह बिना पैसे के वापस चला आया तो रास्ते में मैं मिला, मैंने उससे पूछा भई कैसे वापस आ रहे हो तो उसने कहा मैं तो पैसे लेने गया था आप तो मिले नहीं आपका लड़का मिला उसने कहा पिताजी नहीं हैं । तब उन्होंने कहा मेरे साथ चलो मेरे लड़के ने जबाव कैसे दे दिया । मैं घर गया वहां पर देखता हूं कि दोनों बाप

(श्री दुलाराम)

बेटे लड़ने लगे। तो मैंने कहा भई लड़ो मत मुझे तो पैसे चाहिए चाहे आप दे दें चाहे आपका बेटा दे दे। तब उन्होंने कहा देना तो मुझे भी जवाब ही था परन्तु मेरे लड़के ने जवाब कैसे दे दिया। आज विपक्ष यह महसूस कर रहा है कि जो मांग हमको मन्जूर करनी चाहिए थी आज कांग्रेस शासन ने मन्जूर कर दी। गंग कैनाल का काम कैसे मन्जूर हो गया। विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि कुछ तो सदस्य नये आये हैं, इनको पता ही नहीं उस समय कौन-कौन सी मांग रखी गई थी, इनको पता नहीं कि उस समय कौन सी डिफिकल्टीज प्रशासन के सामने थीं। उनको यह पता नहीं कि उस समय कौन-कौन से निर्णय हुए। इनको यह पता नहीं कि ट्रिप्ल "ए" कैसे पास हुआ था। इनको यह पता नहीं कि धारा 13 की कौन सी धारा लागू थी। मगर मैं आज आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, क्या विपक्ष के नेता महोदय यह स्वीकार नहीं करेंगे कि यह ट्रिप्ल "ए" की समस्या उस समय आपके सिर पर लटकी हुई थी, क्या आप मन्जूर नहीं करेंगे कि ट्रिप्ल "ए" पास करके ओनली शिड्यूल्ड कास्ट और राजाओं को फायदा दिया गया था। आपने आम किसान को फायदा नहीं दिया था यह उस समय डिसीजन हुआ था। आज आप यह साबित करना चाहते हैं कि गंगानगर के किसानों को फायदा दिया। गंगानगर के किसानों की आपने नाड़ी काटी थी और नाड़ी कटने के मतलब यह हुआ कि हम 11 के 11 सदस्य जीत गये। अगर आप किसान को राहत देते, यदि जनता पार्टी किसानों के लिए कुछ कर गुजरती तो शायद हम 11 एम. एल. ए. जीत कर नहीं आ सकते। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गंगानगर का किसान एजीटेशन करना जानता है। आप कहीं यह महसूस करते हैं कि गंगानगर में वाई. एन. हांडा व द्वारका प्रसाद, जिन्होंने हरिजनों की डिग्गियों में गायें फेंकी, किसान हैं, आप यह महसूस करते हैं कि बहादुरसिंहजी व शोपतसिंहजी किसान हैं....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हांडा के पास कितनी जमीन है आप यह बता दीजिये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बीच में नहीं बोलें। सुनते जायें।

श्री दुलाराम : आज यह महसूस करते हैं कि इन्दिराजी के नेतृत्व में काम करने वाला मन्त्रिमण्डल और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किसान को बिना सुने कोई निर्णय किया? यह असत्य बात है....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हांडा के पास कितनी जमीन है। यह आप बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमण्डल 1981 में गंगानगर गया था और सारे प्रतिनिधियों से बात हुई, सब लोगों, किसानों से चर्चा हुई थी और मौके पर जाकर खाले देखे जो जनता पार्टी [illegible]ने में खाले अच्छे नहीं बने थे उनको

(श्री दुलाराम)

जाकर देखा और उनको दुवारा बनाने का निर्णय लिया गया। उस निर्णय के बाद यह डिसीजन हुआ है। एक विशाल किसान सम्मेलन, रायसिंहनगर में मांग-पत्र पढ़ा था उस सम्मेलन में करीब 50 हजार किसान थे। उन्होंने मांग की थी, ट्रिप्ल 'ए' के अन्दर आपने एक मुरब्बा जमीन फ्री और एक मुरब्बा जमीन किश्तों पर देने का डिसीजन किया है, इसकी किश्तें की जायं ज्यादा और कीमत कम की जाय। उन्होंने हालांकि कीमत की मांग नहीं की थी, उन्होंने तो किश्तों की मांग की थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, राजस्थान के मंत्रिमण्डल का और इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों का इस मौके पर गंगानगर के किसान और जो करीब 12 लाख जनता है, उनकी तरफ से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि 13 ए और इस 15 ट्रिप्ल "ए" के माध्यम से गंगानगर के किसानों को राहत मिली है। शायद जैसलमेर, बीकानेर के किसान को राहत मिले या नहीं मिले परन्तु आज गंगानगर के 25 हजार किसान राजी हैं। आप महसूस करते हैं कि गंगानगर में एजीटेशन हुआ, ऐसा किसान उसके साथ है। रायसिंहनगर के अन्दर 4–5 मरीज की मरने की हालत हो गयी थी, डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप चले जाइये। वे कार से नहीं जा सकते, जीप से नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते उनकी तीन घंटे रेल लेट थी। आप महसूस करते हैं कि किसान आपके साथ हैं तो किसानों को साथ लेकर एजीटेशन कीजिये हम आपका स्वागत करेंगे। किसान कौन थे? एक वाई० एन० हाण्डा, एक सी. पी. एम. का मैम्बर और एक जनता पार्टी का मैम्बर। और वह भी इसलिये कि उनके दिमाग में परेशानी थी कि मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की मांग मंजूर करके गंगानगर के किसान को तो शान्त किया है मगर हमारी शर्म कैसे उतरे। उस शर्म को उतारने के लिए गाड़ियां रोकीं, बस रोकीं, रेलें रोकीं....

श्री मेघराज तावड़ : जो मांग पत्र सबसे पहले दिया है वह मांग पत्र कब दिया गया? यह बताइये। मुख्य मंत्रीजी की बात तो बाद की बात कर रहे हैं। मांग पत्र कब दिया गया था, यही पूछा है।

श्री दुलाराम : इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एजीटेशन गलत ढंग से, प्रजातंत्र विरोधी भी होगा, तो विरोध को भी हम सहेंगे मगर उस दिन विरोध कहां गया था जब सेवा सिन्धी में आपके ही नेताओं वाई. एन. हान्डा, शोपतसिंह मक्कासर और हेतराम बेनीवाल ने भैरोंसिंहजी के राज में रेल एक्सीडेंट किया था। आप यह महसूस करते हैं, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आप यह कह दें सदन के अन्दर कि उन्होंने रेल एक्सीडेन्ट नहीं किया। क्या यह भी सही नहीं है कि इन्हीं नेताओं ने....

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं वही बात अर्ज करना चाहता हूं जिसको विपक्ष के नेता महोदय भी जानते हैं।

क्या यह भी मैंने किया था, या मेरी कांग्रेस पार्टी ने किया था, या मेरे नेता

(श्री दुलाराम)

महोदय ने किया था ? गंगानगर में केदार, प्रोफेसर केदार ने जिलाधीश की धोती और पैन्ट फाड़ दी थी क्या यह भी मैंने किया था ? जिन मुजरिमों के खिलाफ रेल एक्सीडेन्ट का चालान हो, जिन मुजरिमों के खिलाफ हत्या का चालान हो, जिन मुजरिमों के खिलाफ ऐसे अनेक अपराध हों, माननीय विपक्ष के नेता महोदय का भी हमने स्वागत किया था, हमने इनको धन्यवाद दिया था कि आपने ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को कुचलने में सरकार की ही नहीं, जनता की भी मदद की है, क्या उस समय आप हमारे साथ थे ? आप नहीं थे । आपकी तरफ एक का एम. एल. ए. आया था, ईश्वर की कृपा है कि आप जीतकर नहीं आये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आप कह रहे थे सन् 1969 के बारे में, सुन लीजिये, गंगानगर जिले में 9 सीटें हैं उसमें से 6 सीटें कांग्रेस की आयी थीं । क्या उस समय, आप यह महसूस करते हैं, वहां के किसान जाग्रत नहीं थे, वहां के किसान यह नहीं चाहते थे कि उनकी मांगें मंजूर हों ? मांगें इनकी मंजूर हुई, तत्कालीन मुख्य मंत्री सुखाड़िया साहब ने मंजूर की थीं । हम उनके भी आभारी हैं और....

श्री मेघराज तावड़ : क्यों नहीं की थी ? मालूम है किस परिस्थिति में की थी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया....

श्री दुलाराम : यदि जनता की परिस्थिति हमारे खिलाफ होती तो 9 में से 5 सीटें हमें नहीं मिलती....

श्री मेघराज तावड़ : भागना पड़ा वहां से । मालूम है !

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि वहां वास्तव में लिखने के बाद भीड़ इकट्ठी हो गयी और पुलिस की हालत यह हो गयी कि उनको नहीं हटाये तो उनको जनता मारे, और उनको हटाये तो पथराव करे । क्या आप यह चाहते हैं कि जनता उनके साथ ज्यादती करे ?....

श्री मेघराज तावड़ : गलत बयानी कर रहे हो, इसमें सार नहीं है । सार की बात क्या थी, यह बताओ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गंगानगर का डिसीजन लिया है और कुछ उसके पास विचाराधीन है, गंगानगर के किसान उससे संतुष्ट हैं । गंगानगर के किसान को कहीं गिला-शिकवा है नहीं और विपक्ष के माननीय सदस्यों, जो भी कहावत कही, से पूछा नहीं, इसका इलाज गंगानगर की जनता ने किया है । गंगानगर की जनता ने सारे प्रतिनिधि कांग्रेस (इ) के दे दिये हैं । इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी दोष नहीं है । इसलिये महरबानी करके जो भी इन्होंने फैसला किया है मैं उसका गंगानगर की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मुख्य मंत्रीजी कृपया एक माननीय सदस्य, पिछली पंक्ति के सदस्य हैं वे ।

श्री भूपाल सिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो नेता महोदय ने फर्माया उस बात में और इस बात में कोई झगड़ा नहीं । वहां के नेताओं ने कहा कि उनके ये झगड़े थे, नेता ने फर्माया कि ये निपट गये, यानि सोल्व हो गयी लेकिन अंत में नेता ने दो पंक्तियां फर्मायी कि वह जिला पंजाब से मिला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है इसलिए हमें सतर्क रहना है । तो जो मूल समस्याएं हैं वे बातें, सब सुनने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि सोल्व हो गयीं । तो फिर जनता वहां क्यों आन्दोलन कर रही है ? जनता कर रही है, जनता के सामने सदस्य उठते हैं, बैठते हैं सोते हैं, क्या ये भी लिंक्ड हैं उससे जो पंजाब में उठ रहा है जिसके लिये कि मुख्य मंत्री ने चेतावनी दी है । मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्री इसको स्पष्ट फर्मायें । अगर वास्तव में वहां मंदिरों में शरण दी जा रही है या हथियार इकट्ठे हो रहे हैं या मुख्य मंत्री को अलगाव का कोई शक है तो ऐसे गुमराह नहीं करें बल्कि स्पष्ट फर्मायें ताकि सारे लोग साथ हों ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य के पश्चात् जो माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार व्यक्त किये उनके सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहूं उसके पहले स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी है, मैंने तो नम्रतापूर्वक जो तथ्य थे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नम्रतापूर्वक धमकी दी ।

श्री शिवचरण माथुर : जो तथ्य थे उनको यहां पर सदन के सामने रखने की चेष्टा की है और फैक्ट में जो कुछ भी हालत थे उनको रखने की चेष्टा की । मैंने यह भी स्वीकार किया अपने वक्तव्य में कि कांग्रेस पार्टी ने ही विश्वास किया कि देश में प्रजातंत्र रहना चाहिये और आदमी का पढ़ने लिखने का अधिकार, सब कुछ करने का अधिकार यदि स्वीकार किया तो कांग्रेस ने किया । वो मैंने दोहराया । मैंने दोहराया है कि शान्तिपूर्ण ढंग से किसी भी मांग को ले करके आन्दोलन करने में हम विश्वास करते हैं लेकिन तोड़-फोड़ करने की कार्यवाही उचित नहीं है । इसकी ओर इंगित किया है । मेरा ख्याल है कि उसको बार-बार यहां माननीय सदस्यों ने जो धमकी वाली बात कही और गैलरीज से प्ले करने वाली बात कही, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ।

इस वक्तव्य में किसान के प्रति जो सहानुभूति हमने दिखायी है वह इन एक्शन साबित होती है । आपके वक्तव्यों से किसान को धमकी देने वाली बात कोई मानने वाली नहीं है और न कोई मानेगा । मैं सबसे पहले तो यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरी कोशिश रही कि जो भी समस्याएं

(श्री शिवचरण माथुर)

सामने हों उन समस्याओं को पहले समझा जाय और समझ करके जो कुछ भी हल हो उसको निकालने की कोशिश की जाय। यह बात कहें कि कुछ जन प्रतिनिधि इकट्ठे हो गये और उन्होंने कोई बात कही इसलिये वह फैसला सही नहीं है, किसानों के माध्यम से फैसला होगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूं विपक्ष के नेता महोदय को कि जनता के बीच में हम भी रहते हैं, यहां बैठने का अधिकार हमको जनता से ही मिला है, आपसे नहीं मिला है। इसलिये जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं की जानकारी कर उनको हल करना हमारा पहला कर्तव्य है। जैसा कि माननीय दुलाराम जी ने कहा, इन पिछले दिनों में जितने किसान सम्मेलन हुए चाहे वे रायसिंहनगर में हों या सादुर्लशहर में, उसमें हजारों की संख्या में किसान आये। राजीव जी जब आये थे तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन रावतसर में हुआ था उसमें भी समस्याओं को रखा गया था। उस सम्मेलन में हमने कुछ बात कही थी। उसके बाद रायसिंहनगर में किसान सम्मेलन हुआ उसमें भी समस्याओं को वहाँ जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से रखा गया। उसके बाद सादुर्लशहर में किसान सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों में किसी भी सम्मेलन में 25-50 हजार से कम आदमी नहीं थे। वहाँ पर बड़े पैमाने पर समस्याओं की जानकारी मिली, एक छोटा सा दायरा बैठा करके संबंधित अधिकारियों से प्रतिनिधि से बैठ करके चर्चा की गयी, क्या हल निकाला जा सकता है उसके लिये उपाय ढूंढ़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार जब 1981 के अक्टूबर में राव वीरेन्द्र सिंह जी भारत के कृषि मंत्री आये थे और सूरतगढ़ में सम्मेलन हुआ था उस समय वहां के लोगों की यह मांग थी कि आप हमको अधिकार दे दीजिए आप जब चाहें पैसा ले लीजिये, हम देने को तैयार हैं। सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इसकी मांग आयी थी। हमने उस मांग को लगातार देखा, सोचा। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि बीकानेर स्टेट के वक्त में जो किसानों के अधिकार के सम्बन्ध में कन्फ्यूजन था हमने एक लेटेस्ट डिसीजन लिया है, 2 मार्च को उस सारे कन्फ्यूजन को मिटा करके एक सीमा बनायी है। 1955 के पहले जिस प्रकार के हकूक किसानों के अलग-अलग थे उसको एक करके एक सीमा के अन्दर उनको अधिकार दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि आपने जो कानून बनाया उसमें बहुत चीजों को स्पष्ट नहीं किया। 1977 में 15 एएए का जो संशोधन कानून आपने बनाया उसमें बहुत सी चीजें अस्पष्ट रह गई थीं। अगर अस्पष्ट नहीं रहती तो मैं समझता हूं कि अमल अब तक हो जाता। कई चीजें अस्पष्ट कर दी गई, कुछ ऐसे काश्तकारों को....

श्री चन्दनमल बैद : जान-बूझकर रखी।

श्री शिवचरण माथुर : जान-बूझकर रखी या एक पक्ष को मदद करना चाहते थे।

दूसरी आम तौर से बड़ी समस्याएं थीं उनका हल निकालना नहीं चाहते थे, उनको

(श्री शिवचरण माथुर)

अस्पष्ट रखा। लेकिन हमने सारी चीजों को सामने रखा। केवल जो जमीन आवंटित की जाती है कालोनीज कन्डीशन्स के मुताबिक एक कैटेगरी माना। पहले कैटेगरी के सम्बन्ध में हमने फैसला किया, टेम्प्रेरी टिनेन्ट्स को लिया, आक्यूपेन्सी टिनेंट्स को लिया, खातेदार को भी लिया। जिनके पास रिकार्ड था उनको भी लिया और जिनके पास रिकार्ड नहीं था उनको एक कैटेगरी में लेकर फैसला किया कि पहले के जितने भी काश्तकार हैं उनको हम इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं उसमें दो बात का फैसला किया गया था। रहा सवाल 15 एएए का, कालोनीज बनने के बाद में आम तौर से टिनेन्ट्स, जो भी हैसियत उसकी हो, को एक मुरब्बा से हम ज्यादा नहीं देंगे। एक बार तो मुरब्बा देने की बात तय की गई, उसके बाद जितनी जमीन उसको प्राप्त होगी उसको रिजर्व प्राइस पर देने वाली बात की गई, सीलिंग सीमा तक रिजर्व प्राइस पर देने वाली बात की गई। आज आप जानते हैं कि वहां पर जमीनों की क्या कीमत है। कोई भी व्यक्ति जमीन सरकार से लेकर किसी भी कीमत पर बेच सकता है। हमने इस बात को ध्यान में नहीं रख कर यह निश्चित किया कि एक सीलिंग सीमा तक एक मुरब्बा फ्री करने के बाद में जितनी भी जमीन किसान के पास में है उसको रिजर्व प्राइस पर देकर हम उसका फैसला कर देंगे, हम उसको अधिकार दे देंगे। वह रिजर्व प्राइस भी एक मुश्त नहीं, अभी 2 मार्च को हमने फैसला किया है उसमें हमने निर्णय किया है, वह रिजर्व प्राइस भी एक-मुश्त नहीं लेकर 16 किश्तों में लेने वाली बात कही है। 16 किश्तों का मतलब 8 साल के अन्दर वह किसान अपना पैसा दे सकता है। 13ए में जो कैटेगरी बच जाती हैं, बहुत सी कैटेगरीज आम तौर से छूट जाती हैं, वैसे हजारों किसान इसमें कवर हो जाते हैं लेकिन जो छूट जाते हैं, उन लोगों के लिये भी मांग पर उससे कम करके 20 हजार रुपये की राशि तय की। यह तय किया था कि एकमुश्त में लेने की किसी की तैयारी हो तो 25 पर्सेन्ट की रिबेट उसको देंगे। मैं समझता हूं कि ट्रान्सफर में केवल अलॉटमेन्ट की भूमि देने के ऊपर हमने उस पाबन्दी को हटाया और बहुत सस्ती दरों पर करने वाली बात की। मेरा ऐसा अन्दाज है कि इससे आम गंगानगर के किसानों में हर्ष की लहर है। वह यह महसूस करते हैं कि जो समस्याएं वर्षों तक अधूरी पड़ी हुई थीं, अनिर्मित थीं उन पर निर्णय करने का प्रयास किया गया है।

तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री सुखाड़िया जी ने 25 मार्च, 1970 को जो घोषणायें की थीं, आपके सामने सदन में घोषणा की थी वह भी हमारे सामने आधार था, उनमें से भी कुछ चीजें रह गई थीं उनको भी हमने आज इस निर्णय से पूरा किया है। इसलिये यह कहना कि सरकार जब आंदोलन होता है तभी चेतती है और उसके बाद में फैसला करती है, मैं समझता हूं, बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने बिना आन्दोलन, मैंने तथ्यों को देते हुए आपको बतलाया जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है तब से मैंने इन समस्याओं को समझने की चेष्टा की है। अलग-अलग मौकों पर मैं स्वयं गया हूं, सारा मन्त्रिपरिषद् वहां पर गया है, वहां

(श्री शिवचरण माथुर)

के जन-प्रतिनिधियों से बात-चीत की है, जन-प्रतिनिधियों के अलावा और दूसरे लोगों से बात-चीत की है और बात-चीत करने के बाद में जो समस्या का हल सही समझ सकते थे उसको निकालने की हमने चेष्टा की है। मैं समझता हूं कि यह बात कहना सही नहीं है कि जब समस्याएं खड़ी होती हैं, आन्दोलन होता है तभी इस बात को करने को सरकार तैयार होती है।

जहां तक आन्दोलन का प्रश्न है, मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि इस आन्दोलन का औचित्य मुझे नजर नहीं आता। जब हर तरह की समस्या का समाधान करीब-करीब हो चुका था, जो बाकी समस्याएं रह गई थीं हमने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया था। जैसा कि आपका स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत वसूली के बारे में सवाल था, उस पर हमने कहा कि हम इसका अध्ययन कर लें, अध्ययन करने के बाद में जो फैसला होगा, उसको लेने वाली बात करेंगे। फ्रेगमेन्टेशन के बारे में भी हमने कहा कि फ्रेगमेन्टेशन का केवल गंगानगर का सवाल नहीं है, और भी जगह पर कालोनीज हैं जिनका प्रश्न है, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है इसके क्या आस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसका अध्ययन करने के बाद में जो वाजिब बात होगी उसको हम करने को तैयार हैं। एक बात मैंने कही कि फ्रेगमेन्टेशन की एक लिमिट तो आपको रखनी पड़ेगी। यह बात ठीक है कि आज उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है एक पीस ऑफ लैण्ड में, अच्छे इन्पुट्स के कारण, खाद बीज के कारण हो सकता है कि जो पहले फ्रेगमेन्टेशन की लिमिट थी उसको कम करने वाली बात सोचें। अगर कोई सीमा नहीं रही और 100 × 100 फीट के फ्रेगमेन्टेशन हो जायेंगे तो किसान की इकानामी, लैण्ड वेल्यू क्या रहेगी, इस बात पर विचार कर लें। अब न तो सरकार की यह मन्शा है कि फ्रेगमेन्टेशन के बाद में जो जमीन बचे उसकी और अधिक कीमत लेकर मुनाफा कमाने की बात की जाय, न हमारी यह मंशा है।

मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं राजस्थान कैनाल और भाखरा सिस्टम पर, गंग कैनाल सिस्टम पर, आज गंग कैनाल सिस्टम 45 वर्ष पुराना सिस्टम है लेकिन भाखरा सिस्टम और राजस्थान कैनाल सिस्टम तो इस कांग्रेस शासन की देन है। इसमें राजस्थान की सारी जनता का अरबों रुपया खर्च हुआ है। जो भी पैसा वहां से आ रहा है वह बहुत अंश मात्र है। हम चाहते हैं कि समृद्धि बढ़ी है, लोगों की प्रापर्टी बढ़ी है उसका थोड़ा सा हिस्सा हम लेना चाहते हैं। वह लोगों के हक का लेने की बात नहीं है। एकमुश्त लेने वाली बात वहां पर भी नहीं कही गई है। अभी श्री नाथूसिंह जी कह रहे थे कि 1 लाख 25 हजार रुपये की वसूली की जा रही है। कहां 1 लाख 25 हजार की वसूली करने वाली बात है? मैंने जैसा निवेदन किया कि रिजर्व प्राइस ले रहे हैं और वह रिजर्व प्राइस भी एकमुश्त न लेकर 16 किश्तों में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने खुद देखा है। जैसलमेर जिले में 1 लाख 25 हजार के ऊपर के नोटिसेज देखे हैं।

श्री दुलाराम : पहले के थे ।

श्री शिवचरण माथुर : 2 मार्च के बाद जो फैसला किया है, जो विज्ञप्ति निकली है उसको आप पढ़ लीजिए । वह इतनी स्पष्ट है, इतनी स्पष्ट है कि यह कहने का सवाल नहीं उठता है । यदि आप आब्जेक्टिव तरीके से, गम्भीरता से इसको पढ़ेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था किसानों के हित में, राज्य के हित में । इस दृष्टि से आप समझते, तो मैं समझता था कि आप सरकार के इस निर्णय की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे लेकिन हमारे देश में ऐसा अवसर आता कहां है जब विरोध पक्ष सरकार के सही कामों की भी प्रशंसा करे । यदि ऐसा हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि सच्चा प्रजातन्त्र हमारे देश में आ जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो वहां उदाहरण रखें जहां वि... हैं, पश्चिम बंगाल में····

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक आपने पांच सौ रुपये की फीस वाली बात कही, जनरल कण्डीशन्स का ब्रीच करने के लिए जो प्रावधान है उसके लिये यह रखा गया । बाकी कोई ट्रान्सफर पर, उस पर सवाल नहीं आता है । मैं समझता हूं, कण्डीशन्स का ब्रीच कोई करेगा उसके लिये कोई प्रावधान नहीं रखेंगे, पेनल्टी का तो लोग मनमानी करेंगे और ऐसी स्थिति आ जायेगी कि महंगी जमीन जो सरकार दे उसका अपनी मर्जी से कोई भी कुछ करे ।

एक बात यहां पर कही गई कि सेम की जमीन है, उससे जो प्रभावित जमीन है हमने लोगों को राहत नहीं दी । मैं आपको कहना चाहता हूं कि 419 कृषकों के केसेज में से 355 का निपटारा किया जा चुका है, उनको भूमि दी जा चुकी है, 64 मामलों में भूमि देने की कार्यवाही की जा रही है । जो समस्या है उसमें 419 किसानों के केसेज में से 355 मामलों में निपटारा किया जा चुका है और बाकी निर्णय के लिये सामने हैं, पेंडिंग हैं । मैं समझता हूं कि इस समस्या के ऊपर हमारी सहानुभूति है, जागरूक हैं, निपटाना चाहते हैं । इस बात को आप स्वीकार करेंगे ।

खालों के सम्बन्ध में यहां पर जिक्र किया गया । यह भी हमारे सामने समस्या है । दो तरह के सवाल इसमें आते हैं, एक सवाल तो है, बहुत पुराने जमाने से सी. ए. डी. का काम वहां पर चालू हुआ उस वक्त खाले बनाये गये, उस समय किसानों के पास पानी पहुंचाने का आधार नहीं था और बीच में काफी अर्से तक बहुत बड़ी राशि लगा दी गई । मैंने रावतसर के सम्मेलन में वहां पर कहा था कि हम इसको आज वसूल नहीं करेंगे । इसमें क्या कितना रुपया लिया जा सकता है, कितना रुपया लेना वाजिब है इस पर हम फैसला करने के बाद निर्णय करेंगे । उसको स्टे कर दिया । इसके साथ-साथ खालों की दुरुस्ती करने का सवाल था उसमें एक अभियान चलाया गया । जो दुरुस्ती हो सकती थी वह होनी चाहिये, नहीं होनी चाहिये उनकी बात को मानकर उनकी शामलात में····

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : गलत आपने बनाई मरम्मत मैंने की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी खालों की बात कर रहे हैं, वह मैं बताऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : सारी गलती आपने की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने सब ठीक किया है। आपने यह बात बहुत प्रचारित की है, पता लगेगा कि राजस्थान कैनाल का कितना सत्यानाश किया है।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान कैनाल का सत्यानाश तो नहीं किया है, हमने तो यह किया है कि जो वर्षों से पड़ी हुई योजना थी और बहुत धीमी गति से चल रही थी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ाया है। अगर उसको बरबाद करने की बात समझते हैं तो आपको मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन राजस्थान कैनाल में एक युद्धस्तर पर कार्यवाही को किया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : आपको पूरा मौका मिलेगा, बोलियेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी पूरा मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें यहां पर कही गई हैं उन सबका मैंने उत्तर दिया है। जहां तक आन्दोलन का सवाल है मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूं बहुत ही समय से इस आन्दोलन से निपटने के लिए पुलिस ने कार्यवाही की है, कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी है और जो थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया गया है वह सिर्फ....

श्री मेघराज तावड़ : ये टूटे पड़े हैं हाथ-पांव, अस्पताल में पड़े हैं लोग।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : यह समझ में नहीं आ रहा है, ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया है। जितना साधारण से साधारण ठीक करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी थी वहीं पर किया गया है। मैं फिर भी एक बात निवेदन करता हूं माननीय सदस्यों से, उस तरफ बैठने वाले सदस्यों से खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति से आज देश गुजर रहा है उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर सरकार आम तौर से जनता की मांगों के प्रति अपना रुख सामने बनाती है तो ऐसी स्थिति में अगर आन्दोलन का रास्ता नहीं अपनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, खास तौर से गंगानगर जिले के लिये मैं कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें आज राजस्थान सरकार ने गंगानगर के किसानों के लिये की है उनसे सारे इलाके का किसान प्रसन्न है और महसूस करते हैं कि यह केवल कांग्रेस की

(श्री शिवचरण माथुर)

सरकार ही आगे करेगी। यही बात मुझे आपसे कहनी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

आर्डर प्लीज !

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आम तौर से इस सभा का नियम और परम्परा यह है कि जब सदन की बैठक का समय समाप्त हो जाता है तो जो माननीय सदस्य वाद-विवाद में हिस्सा ले रहे होते हैं उनका भाषण समाप्त हुआ समझा जाता है। लेकिन पिछली बैठकों में कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि बिना पूरा अवसर दिये माननीय सदस्यों को अपना भाषण समाप्त करना पड़ा। उन्होंने दुबारा प्रार्थना की है कि उनको कुछ समय दिया जाय धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये। इसलिए मैं माननीय सदस्य यदुनाथसिंह को 5 से 7 मिनट का समय देता हूं। उनके दल का समय तो समाप्त हो चुका है और उससे चार-पांच मिनट अधिक का समय दिया गया है। कृपया वे अपनी बात चार-पांच मिनट में कहने की कृपा करें।

श्री यदुनाथ सिंह।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सदस्य की गिरफ्तारी व रिहायी की सूचना देने में विलम्ब

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये। पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 164 और 165 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 मार्च को गंगानगर में जब 'रास्ता रोको' आन्दोलन हुआ उस समय सदन के एक माननीय सदस्य और विरोधी दल के उप नेता माननीय श्री ललितकिशोरजी चतुर्वेदी को गंगानगर और रायसिंहनगर के बीच में अरेस्ट किया गया। अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद में छोड़ दिया गया। नियम 164 में यह लिखा हुआ है कि माननीय सदस्य को अरेस्ट करने की सूचना भी इस सदन को दी जायगी और रिलीज करने की सूचना भी सदन को दी जायेगी। यह 165 में है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आज 12 मार्च हो गई है, आज तक उनके अरेस्ट होने की और रिलीज होने की सूचना हमें नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन आपने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं उसके संबंध में जानकारी करके बाद में मैं निवेदन कर दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

श्री यदुनाथ सिंह

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इतना महत्वपूर्ण मामला है, सम्बन्धित लोगों को और सदन को सूचित नहीं करें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, यदि ऐसा हुआ है तो उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

माननीय सदस्य श्री यदुनाथसिंह।

श्री नाथूसिंह : धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को जब चर्चा चल रही थी तो मैं जिक्र कर रहा था कि जो देश की समस्याएं हैं और उनके रहते जो राज्य की समस्याएं हैं वह सब खेती की अवहेलना के कारण हैं। उनके बारे में मैंने कुछ आंकड़े भी दिये। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दूसरे पेज पर कहा है "ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित करने के लिए ये योजनायें बनाई जा रही हैं।" अध्यक्ष महोदय, जब भी गरीबी की चर्चा की जाती है तो यह दलील दी जाती है कभी-कभी शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा कि गरीबी गांवों में ही नहीं है गरीबी शहरों में भी है लेकिन....

(2.17 म. प.)

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पदासीन]

सभापति महोदय, जो लोग यह दलील देते हैं कि गरीबी गांवों में ही नहीं शहरों में भी है उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह लोग उन लोगों, जो शहरों में गरीब रहते है, से जाकर मिलें। हमें ढूंढना पड़ेगा, गरीबी का निदान, अगर हमें इसका निदान करना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर गरीबी कहां है। अगर गरीबी की जड़ को हम नहीं पकड़ेंगे तो हम गरीबी का निदान नहीं कर पायेंगे।

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : शान्त करिये आप, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, जब तक हम गरीबी की जड़ में नहीं जायेंगे, यह नहीं देखेंगे कि गरीबी का मूल कहां है, तब तक गरीबी की समस्या का निदान नहीं हो सकता। सभापति महोदय, अगर आप जाकर पूछें शहरों में, गन्दी बस्तियों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में, उन लोगों से अगर जाकर पूछेंगे तो पता पड़ेगा कि इस पुश्त में या इससे पिछली पुश्त में या उससे पिछली पुश्त में ये लोग गांवों में उनकी जो कुछ जमीन जायदाद थी उससे अपना पेट पालन, अपने पेट की आंतड़ियों को हरा-भरा करने का काम नहीं कर पाये और मजबूरी में जो कुछ था उसको बेचकर शहर में रोजगार की तलाश में आये। लेकिन, सभापति महोदय, शहर में रोजगार मिलता नहीं है

(श्री यदुनाथ सिंह)

इसीलिए, सभापति महोदय, गरीबी की जड़ गांवों में है। गरीबी की जड़ खेती में छिपी हुई है। इसलिए, सभापति महोदय, जब तक खेती का उत्थान नहीं किया जायगा देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

सभापति महोदय, यह भी कहा गया है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कि अतिरिक्त भूमि यहां राज्य में रही नहीं है इसलिए और भूमि का आवंटन सम्भव नहीं है। सभापति महोदय, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सन् 1951 के सैन्सस को देखें तो आप पायेंगे कि 1951 की सैन्सस में जहां मजदूर और कृषक का रेश्यो था 13 : 57 का वह रेश्यो आज घटकर हो गया 30:40। जहां सन् 1951 में मजदूर थे 13 कृषक थे 57, आज हो गये हैं वे 30 और 40, मजदूर हो गये हैं 30 और 40 हो गये हैं किसान। यानि बहुत से लोगों से, शत-प्रतिशत लोगों से जमीनें छिन गई, उनके हाथ से जमीन निकल गई, उनको जमीन बेचनी पड़ी और वह लोग कृषक मजदूर के रूप में सामने आये। सभापति महोदय, एक एकड़ जमीन वाले जो कृषक हैं उनको कृषक कहना उनकी बेइज्जती मानी जायेगी। वह भी कृषि मजदूरों की श्रेणी में आते हैं और उनके रहते यह रेश्यो बनता है आज की स्थिति में सन् 1981 के सैन्सस में, 33 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास इस देश में एक एकड़ से कम जमीन है। उसको भी अगर आप छोड़ें तो यह रेश्यो बनता है कृषक मजदूर का 40:30। मेरे कहने का मतलब है, सभापति महोदय, एक तरफ तो जमीन सरकार के पास देने को नहीं है दूसरी तरफ लोग जमीन बेचते रहे हैं और आप जमीन को हड़प करने का काम कर रहे हैं। किसानों की संख्या यह बताती है कि एक तरफ कुछ लोगों की जमीन निकल रही है और कुछ लोगों में जा रही है लेकिन दूसरी तरफ जो जमीन से बेदखल हो रहे हैं, जमीन को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं उन लोगों को रोजगार के साधन यह सरकार मुहय्या करा नहीं सकती, सभापति महोदय, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं, देश के आजाद होने के बाद जो नीतियां अपनाई गई हैं वे सभी पाश्चात्य नीतियों के अनुरूप हैं। सभापति महोदय, करा भी नहीं सकते, सभापति महोदय, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं, देश के आजाद होने के बाद जो नीतियां अपनाई गई हैं, वे सभी पाश्चात्य नीतियों के अनुरूप हैं। और, सभापति महोदय, एक तरफ तो पूंजी की कमी हो, दूसरी तरफ बहुत से करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार घूमते हों, ऐसी परिस्थिति में पूंजी पर आधारित हम कोई उद्योग धन्धा लगायें, रोजगार देने की योजना चलायें, वह कामयाब यहां होने वाली नहीं है। वह सिर्फ कागजों में रह जाने वाली है। इसलिये, सभापति महोदय, हमें आमूलचूल परिवर्तन अपनी नीतियों में यह करना है कि ऐसी योजनायें हाथ में ली जायें जिनसे ज्यादा से से ज्यादा आदमियों को रोजगार दिया जा सके। ऐसी गैर जरूरत की चीजें, जो हाथ से भले ही बनाई जा सकें, के लिये गैर-जरूरी तौर पर बड़े-बड़े उद्योग हों जिनमें भारी पूंजी लगती हो। सभापति महोदय, कई नुकसान होते हैं बड़े

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्राद्योगिकी के। बड़े प्राद्योगिकी के कई नुकसान होते हैं।

जहां तक सवाल है, आज सिंचाई में ही देख लीजिये जो खेती से सीधा संबंध रखती है, सभापति महोदय, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की 1980-81 की तो आप पायेंगे जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हमारे देश में इर्रिगेशन के बन रहे हैं उनमें जितनी जमीन कैचमेंट में आ रही है, सिंचित हो रही है, जोत के अंदर आ रही है उस प्रोजेक्ट के रहते उसकी 30 प्रतिशत, 29 प्रतिशत के लगभग जमीन वाटर लोगिंग और सिल्टिंग की वजह से जोत से बाहर निकल रही है। सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, चाहे वह उद्योग में हों, चाहे वह खेती में हों, चाहे वह कहीं भी हों, जहां संभव हो, जहां गैर जरूरी नहीं हो वहां पर उन ट्रेडिशनल सोर्सेज को टाइट करना है और उन्हें डवलप करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मेरे कहने का यह अर्थ है कि गांव में जो दस्तकार काम करता था, रोजगार करता था, उसको इस पाश्चात्य प्राद्योगिकी के कारण, पाश्चात्य नीति के कारण बेरोजगार बना दिया गया। आप पिछली सेन्सस की रिपोर्ट देखते चले जाइये, 1981 की सेन्सस की अभी हालांकि प्रोविजनल रिपोर्ट आयी है, उसमें है जो रोजगार करने वाला, आज से सौ साल पहले हाथ से दस्तकारी करने वाला 19 प्रतिशत था आज देश में 1 प्रतिशत भी नहीं बचा है यानि सौ आदमी मिल कर जो एक काम करते थे वह काम एक मशीन पर बैठा कर एक आदमी से लिया जा रहा है। उससे पैसा जरूर निकल रहा होगा और पैसा कुछ हाथों में संचित भी होता चला जा रहा है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है, सभापति महोदय, एन. सी. आर. टी. की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप पायेंगे....

एक माननीय सदस्य : ये कोई चौपाल है क्या?

श्री सभापति : कृपया बातें नहीं करें। कृपया बातें नहीं करें। आप अपना आसन ग्रहण कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, आप देखेंगे कि इस भारी प्राद्योगिकी, जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी, के कारण आज देश की क्या दुर्दशा हो रही है। यह सरकारी रिपोर्ट है। एन. सी. आर. टी. की रिपोर्ट है 78 की आयी हुई। उसके बाद जो रिपोर्ट आयी है उसके बाद तो और हालात खराब हुए हैं। उसके अनुसार, सभापति महोदय, "The variations in income between households were wide, ranging from less than Rs. 500.00 to over Rs. 2 lakhs. Wide disparity in household income; the bottom 50% household earned less than 25% of total income while top 40% of the income was claimed by top 13%. The bottom 5% household has a share of less than 1%. Top

(श्री यदुनाथ सिंह)

5% claims 22.6%, top 1% claims 8%."

जहां तक पूरी सम्पत्ति का सवाल है, सभापति महोदय, वह पूरी सम्पत्ति देश के हालात में कुछ लोगों के पास संचित होती चली जा रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है और आम लोगों के हाथ से निकलती चली जा रही है।

"Bottom 50% has less than 7% of household wealth, whereas top 1% claimed 14% of the income."

इतनी विषम स्थिति है देश में। सभापति महोदय, आप देखेंगे कि सन् 1980 में प्रति व्यक्ति आय, आज की कीमतों पर और 1980–81 की पिछली कीमतों पर 1250 रुपये के लगभग थी लेकिन जो 30 प्रतिशत देश का इसी रिपोर्ट के मुताबिक, नीचे का, गरीब से गरीब आदमी रह रहा था उसके पास, सभापति महोदय, 20 प्रतिशत है इसका का मतलब हुआ 1 करोड़ 55 लाख परिवार, उन लोगों के पास सम्पत्ति थी 10 अरब 77 करोड़ रुपया और एक अकेले बिड़ला के पास 10 अरब 70 करोड़ रुपया। यानि देश के 20 प्रतिशत के पास जितनी पूंजी है उतनी पूंजी एक बिड़ला के पास संचित हो जाय, सभापति महोदय, तो ये किस गांधीवाद और समाजवाद की बात यहां करना चाहते हैं। इसलिये आज जरूरत यह है, सभापति महोदय, हमारे देश की परिस्थितियों के आमूल चूल परिवर्तन करने की। इससे नहीं होगा कि आज एन. आर. ई. पी. का कार्यक्रम चला दिया। आज ये रोजगार का कार्यक्रम चला दिया। इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। जब तक आप विभिन्न वेरोजगारों, जिनसे दस्तकारी नीतियों के रहते छीन ली गयी, को वापस दस्तकारी में लगाकर या दूसरे रोजगार देकर आप विस्थापित करने का काम नहीं करेंगे, समस्या बढ़ती जायेगी, डिस्पैरिटी बढ़ती जायेगी।

सभापति महोदय, एक मिनट, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। जहाँ तक सवाल है राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बैक बोन है इकोनोमी का, हमने कैसा ढांचा तैयार किया है, हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि देश के 22 राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है, उसमें हमारा नंबर 19वें नंबर पर आता है यानि इतनी बुरी हालत इस राज्य की है। छोटे-छोटे राज्य हमसे पीछे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में ही जब हम 19 वें नंबर पर आते हैं तो प्रदेश में किस तरह उत्पादन, राज्य में किस तरह उत्पादन बढ़ाने का काम हम करेंगे। सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कह कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ देश में घट रहा है, वही राज्य में भी परिलक्षित होगा। आप, देखेंगे सभापति महोदय, पिछले दिनों में पैदावार का जो इंडेक्स बना, जो पैदावार हुई है, जो इसी साल संसद में पेश किया गया है वह दिन पर दिन घट रहा है। चाहे वह खेती के उत्पादन का हो, उसमें ग्रोथ रेट घट रही है, पैदावार ज्यादा दीख रही हो, ग्रोथ रेट दिन पर दिन घट रही है। इंडस्ट्रियल

(श्री यदुनाथ सिंह)

पैदावार घट रही है, आपके इन्फ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ रेट घट रही है।

तो इन परिस्थितियों के रहते आप महंगाई की बात देखें, सभापति महोदय, तो जिस आदमी को बाजार से कुछ खरीदना न पड़ता हो, वह तो यह क्लेम कर सकता है कि महंगाई पर रोक लगी है, वह कह सकता है कि महंगाई रुक रही है लेकिन जिस आदमी को जेब से खरीदना पड़ता है वह इस बात को कोई मानने वाला नहीं है। एडिबल आयल की कीमतें 66 प्रतिशत तक बढ़ गयी हैं, इलैक्ट्रिसिटी की कीमत 40 प्रतिशत तक बढ़ गयी, कोयले की कीमत 44 प्रतिशत तक बढ़ गयी, शुगर की, गुड़ की कीमत 40 प्रतिशत तक बढ़ गयी। दूसरी तरफ, सभापति महोदय, क्यों डिस्पैरिटी बढ़ रही है, क्यों पैसा जेब से निकल रहा है जो खेती में उत्पादन होने वाली चीज है, उसका इंडेक्स, उसकी कीमतें गिर रही हैं। 5 प्रतिशत गिरी हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कुल मिलाकर आज बड़ी गम्भीर परिस्थिति है, बड़ी गंभीर हालत है देश की और राज्य की, इन नीतियों के चलते। इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद लेकिन एक जो आज ज्वलंत समस्या देश की है और जिसका जिक्र इस राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं किया गया है उसके और उसके निदान के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। ये कोई राज्य का, या एक दल का, या एक व्यक्ति का, या किसी समूह का सवाल नहीं है। आज देश के सामने टुकड़े होने की समस्या पैदा हो रही है, सभापति महोदय। आज पंजाब का सवाल जो है, इस सरकार के रहते इस तरह का मोड़ ले चुका है, सभापति महोदय, हर नागरिक देश का अगर इसको सुलझवाने के लिये जागरूक नहीं हुआ तो बहुत भयंकर परिणाम आने वाले हैं। विशेष तौर पर हमारी जो पंजाब से बिल्कुल मिली हुई रियासत है हमारे भी हित उनके आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे दुःख है कहते हुए, सभापति महोदय, पिछली 14–15 तारीख को जब पंजाब समस्या पर बात हो रही थी तो हरियाणा के मुख्य मंत्री एक-एक विरोधी दल के नेता, जो जो उसमें भाग लेने वाले थे, को अपने राज्य का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनको कंविन्स कर रहे थे कि नहीं, हरियाणा के साथ न्याय होना चाहिये, ये हमारा पाइंट है, इस पाइंट को रखना चाहिये। मैं और भैरोंसिंह जी वहां रुके हुए थे राजस्थान हाउस में। हम दोनों उस वार्ता में भाग लेने वाले नहीं थे लेकिन उन्होंने हमसे भी दो बार आकर बातें कीं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा, शेखावत साहब ने कहा कि भई, माथुर साहब को देखो, अगर वे हों तो अपने राज्य का

(श्री यदुनाथ सिंह)

हमको केस तैयार करना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सभापति महोदय। कहीं ऐसा न हो कि यह मुख्य मंत्री महोदय जिस तरह से 1980 के समझौते में हमारे राज्य के पानी के हितों को गिरवी रखकर इंदिरा गांधी के सामने घुटने टेककर, बलिहारी चढ़ाकर आये हैं, इस पंजाब समस्या के मामले में भी हमें पीछे रहना पड़े। भजनलाल को बधाई दूंगा मैं एक मामले में, उनकी हजार कमियों के बावजूद, उन्होंने अपने राज्य के केस को बहुत बढ़िया तरीके से प्लीड किया। उसी के रहते कश्मीर कान्फ्रेन्स में और कलकत्ता कान्फ्रेन्स में यूनाइटेड फ्रंट ने फैसला किया था कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाय उस फैसले पर उन लोगों ने पुनर्विचार किया और कहा कि चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जा सकता उस पर हरियाणा का भी अधिकार है....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिये, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये आप।

श्री यदुनाथ सिंह : राजस्थान के हितों के बारे में जिस तरह की उदासीनता इस सरकार ने और मुख्य मंत्री ने अपना रखी है उसके रहते हम बड़ी विषम परिस्थिति में, सभापति महोदय, हैं क्योंकि न तो हमारे यहां पानी है, राइपेरियन स्टेट नहीं है, न तो हमारे यहां पानी है, पानी के लिये, बिजली के लिये, दोनों के लिये हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिये, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि पंजाब के बारे में जो रुख इंदिरा गांधी ने अपनाया है उस रुख को वह बदलें, उस राजनीति को वह बदलें, वोट की राजनीति से अलग हटें, कहीं देश के टुकड़े होने की नौबत पैदा न हो, इसलिये उसको उस दृष्टि से देखने की जरूरत है। यह क्या बात हुई कि कोई कत्ल करके, खून करके गया और गुरुद्वारे में छुप गया, मंदिर में छुप गया, मस्जिद में छुप गया। उससे तो उसकी पवित्रता नष्ट होती है। पवित्रता नष्ट होती है, उससे घुटने टेक देती है। आज पंजाब बन्द होगा, सड़कें बन्द होंगी, रेल बन्द करेंगे। इन्दिरा गांधी खुद ही बन्द कर देतीं। खुद ही बन्द कर देतीं कि तुम क्या करोगे हम तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। जिस तरह का खुला आतंक है जो चाहे जिसको मार रहा है उसकी लपटें हमारे राज्य में न आ पायें इसके लिये हम सबको मिलकर बहुत सचेत रहने की जरूरत है। राज्य-हितों की रक्षा करने के लिये मुख्य मंत्री सब विरोधी-दलों को, राजस्थान की जनता को साथ लेकर आगे बढ़ें। हम राजस्थान के हितों के मामले में उनके साथ हैं। इसलिए सभापति महोदय, जो कुछ राज्यपाल महोदय से कहलाया गया था उसमें सत्यता नहीं है, वह सत्यता के परे है। राज्यपाल का सटीक

(श्री यदुनाथ सिंह)

और क्लियर टोन दे दिया गया है। उसमें रामनारायण चोधरी से धन्यवाद प्रस्ताव रखवाकर नौ पेज का करके छोटा कर दिया, उन जैसे आदमी से वोट आफ थैंक्स करवाकर उसको मलिन कर दिया। जो कुछ इसमें कहा गया है, मुझे दुःख है कि प्रजातंत्र की परिपाटी में भी बदलाव लाना पड़ेगा कि राज्यपाल जैसे सर्वोच्च आदमी से, जिनका नीतियों से कोई मतलब नहीं, सरकार ने अपनी ××× बयानबाजी, राज्यपाल के अभिभाषण से करवायी है। इसलिए राज्यपाल महोदय ने जो कुछ आगे आने वाले वर्ष के लिए जो दिशा बोध किया है, उससे हमें राजस्थान का भविष्य अच्छा नजर नहीं आता है, अन्धकारमय नजर आता है। इसलिए मैं चाहूंगा इस सदन से कि जनता सर्वोपरि है जनता की भलाई के लिए इसका विरोध करें और इसमें परिवर्तन करने के लिए राज्यपाल महोदय से निवेदन करें कि वह दुबारा पढ़ें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरू सिंह गुर्जर।

श्री भैरू सिंह (खारची) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदयजी ने जो अभिभाषण पढ़ा और उसका हमारी पार्टी के सदस्य श्री रामनारायण जी ने समर्थन किया, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 1977 के बाद इस देश में जो एक बदलाव आया था और बदलाव आने के बाद आम जनता की जो हालत हुई थी, गरीब लोग, काश्तकार लोग त्राहि-त्राहि कर रहे थे, धनवानों की सरकार आ गई थी और उस समय जनता ने पूरा समय भी नहीं दिया इनको और अल्प समय में ही कुर्सी से उतार कर वापस सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद जनता ने इस देश को, हमारे राज्य राजस्थान को लोकप्रिय सरकारें दीं। चार साल में अटूट विश्वास किया उन्होंने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और जो प्रगति हुई वह उल्लेखनीय है। प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम को नया रूप दिया और उस 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा हमारे गांवों के गरीब लोगों को, किसानों को कई सुविधायें उपलब्ध हुई और उनसे कई प्रकार के फायदे हुए। जिसका नतीजा था अभी मण्डावा में होने वाला उप-चुनाव सामने है। विपक्ष की आदत है....

श्री यदुनाथ सिंह : टिकट के लिए यह सब कर रहे हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : किसी प्रकार से कांग्रेस (आई) की नीतियों का विरोध करे और इनका केवल यही काम है कि विधान सभा के पटल पर विरोध करके अखबारों में छपवायें, रेडियो में इनके नाम आयें ताकि जनता इनके झांसे में आ सके। लेकिन आज की जनता बहुत जागरूक है, सभापति जी, वह इनकी भाषणबाजी से, इनके नाटकों से, इनकी अटकलबाजियों से सावधान है और कतई इनके झांसे में नहीं आने वाली। सौभाग्य की बात है कि हिन्दुस्तान भर में हमारे राजस्थान को 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इनाम प्राप्त हुआ है। यह जो विपक्षी लोग हैं इसे खुलेआम जो इनाम मिला है, देश भर में हमारे मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

हुई है, मुख्य मंत्री के कार्यक्रम की प्रशंसा हुई है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है ।

श्री हीरालाल आर्य : भैरूंसिंह जी जनता को इनाम दिखाओ ।

श्री यदुनाथ सिंह : इनकी बात पिछले दिनों नहीं सुनी····

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री बी. डी. कल्ला : कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा था, डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, पता नहीं विपक्ष के लोगों की यह आदत हो गई है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसमें बाधा पहुंचाते हैं । इसलिये आप माननीय सदस्य····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें । व्यवधान न डालें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, हमारी पार्टी के नेता की लोकप्रियता से, हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री की लोकप्रियता से यह विपक्ष वाले बौखलाये हुए हैं । इनको अपने क्षेत्र में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्षेत्र की जनता के सामने आने वाले चुनावों का सामना करने के लिये इनके पास साधन नहीं बचा है । इनके सामने एक ही प्रांगण है, किसी प्रकार इस पीतल के बर्तन पर सफेद कलई कर ली है ताकि जनता को यह झांसा दे सकें कि हमने सफेद कलई कर रखी है । लेकिन सभापति जी, जनता बहुत जागरूक है, आपके काश्तकार बहुत जागरूक हैं, राजस्थान के लोग बहुत जागरूक हैं और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कौनसी सरकार, कौनसी पार्टी उनके हित का काम कर रही है और कौनसी पार्टी उनके हित में काम नहीं कर रही है । इस देश में अराजकता फैलाने का काम····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपको, सभापति जी, एक उदाहरण देना चाहूंगा····

श्री महाराम चौधरी : आपने भी पार्टी की····

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति जी, कुछ समय पहले इन्होंने एक आन्दोलन चलाया था गंगा कलश के नाम से, गंगाजल के नाम से । विपक्षी पार्टियों द्वारा जातिवाद का नारा फैलाया गया था लेकिन भारत की जनता ने, विशेषकर राजस्थान की जनता ने ।

(व्यवधान)

मैं आपको निवेदन करूं कि उस गंगा कलश में होता क्या था....

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी ने दिया है क्या यह भाषण लिख कर ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : गंगाजल नाम से वहां से कलश भर कर लाते थे और जनता को झांसा देने के लिए, उसको रथ में रखते थे और मालायें पहनाते थे । गांव-गांव जाते थे और कहते थे कि

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

गंगा कलश है। आप भी, सभापतिजी, गंगा में विश्वास रखते हैं और गंगा की पूजा करते हैं, आज तक गंगाजल कहीं भी मोल बिकता है क्या ? आप जानते हैं, आज तक गंगा का जल मोल नहीं बिका है। इन लोगों ने चंदा के नाम पर, बहुत सा चन्दा इकट्ठा करने के लिये उस गंगा जल को बेचा और उसकी पवित्रता को बेचा। उसकी पवित्रता को किस प्रकार बेचा, जिस भी गांव में जाकर इनके पास गंगाजल खतम हो जाता वहीं के नलों से पानी भर लेते। जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को झांसा दिया नलों का पानी बेच-बेच कर गंगा जल के नाम पर। इनकी इससे कलई खुल गई और आज इस प्रकार चुप बैठे हैं कि इनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। पूछिये इनसे कि कहां गई इनकी नाटकबाजी, कहां गई अटकलबाजी, कहां गया गंगा कलश ? सारे के सारे छिप गये। जितना धन बंटोरा उसका हिसाब कहां है, उसके चन्दे का हिसाब कहां है ? सारा का सारा पैसा इनके नेता मिल करके आपस में हजम कर गये। यह नारा लगाते हैं कि कांग्रेस के राज में कीमतें बढ़ रही हैं, कांग्रेस के राज में अराजकता फैल रही है, मैं दावे से कहता हूं सभापति जी, कीमतों के बढ़ाने में····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अराजकता फैलाने और प्रशासन की स्थिति डांवाडोल होने में इनका मुख्य हाथ है····

श्री हीरालाल आर्य : कांग्रेस के राज में बलात्कार हो रहे हैं। गांव में इन लोगों ने बोलने का अभियान चलाया था, लेकिन किसी गांव में इनको बोलने नहीं दिया, यह नाटक कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : उस मीटिंग में कराया।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मन्त्री) : उसके बाद में माननीय सदस्य ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और वास्तविकता मालूम हुई कि इन्होंने अच्छा काम किया है।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : जन सम्पर्क अभियान में इन्होंने × × × इनके जन सम्पर्क की बात पूछो क्षेत्रों में जाकर।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : गंगा जल की बात करते हैं। गंगा जल तो पवित्र है।

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा, इस राजस्थान की जनता को भी पता चले हमारी प्रधान मन्त्री जी, हमारी नेता ने एक सशक्त कार्य-क्रम हमारे विधायकों को दिया था, हमारे सांसदों को दिया था। इस कार्यक्रम के बाद हमारे विधायक गांव-गांव गये और उसके पूर्व में भी वह लगातार गांवों में जाते रहे हैं, हमारे मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से वहां समस्याओं को दूर कराते रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि उस ढाई साल के शासन में जो हमारी स्थिति हो गई थी, इस चार साल के शासन में उसको वापस हमने सुधारा है और जो विकास की गति रुक गई थी उसको गति दी है। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि 1977 के बाद जो विकास रुक गया था वह 1980 के बाद वापस शुरू हुआ है। सभापति जी, मैं इस बहस में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मुझे महसूस होता है कि जब मैं जनता की समस्या रखता हूं, जनता की बात कहता हूं, किसानों की बात कहता हूं, काश्तकारों की बात करता हूं तो विपक्ष को खतरा हो रहा है कि कांग्रेस की एक सीट पक्की है यह तो जीत कर आयेगा ही। इसलिये विधान सभा में चूं चां करके मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं बुलन्दी के साथ कहता हूं कि हमारी नेता के प्रति हमारा अटूट विश्वास है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है हम इनसे लड़ेंगे, टकरायेंगे और चुनाव में जीत कर आयेंगे। कुछ ज्वलन्त समस्यायें भी हैं जो लम्बे समय से विचाराधीन हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिये, पिछड़े वर्ग को मान्यता देने के लिये मण्डल आयोग का गठन किया गया था। सभापति जी, मैं आपकी तरफ से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि मण्डल आयोग ने बहुत समय पहले रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, कुछ राज्यों में मण्डल आयोग की रिपोर्ट मानी भी गयी है। मैं हमारी लोक-प्रिय सरकार से, मुख्य मन्त्री से, मन्त्रिमण्डल से मांग करूंगा कि इस मण्डल आयोग की सिफारिशें राजस्थान में लागू की जायें ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, जो बहुत समय से पिछड़ा हुआ चला आ रहा है उनको कुछ सुविधायें इस राजस्थान में भी प्राप्त हो सकें। सभापति जी, हमारा कृषि प्रधान राज्य है राजस्थान और किसानों की बहुत सी समस्यायें हैं और मैं दावा करता हूं, सभा-पति जी, आपके माध्यम से और सभी दलों को बताना चाहता हूं कि किसानों का भला कैसे हो यह कोई विशेष कौम या राजनैतिक दल का काम नहीं है, सभापति जी, आज जो किसानों के नाम पर झगड़े कराते हैं, जो किसानों के नाम पर आग भी लगाते हैं, किसानों के हितों पर कुठाराघात भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस (आई) ही एक ऐसा सशक्त दल है जिसने किसानों के विकास के लिए देश की आजादी के बाद लगातार कार्य किया है और जिसका नतीजा आज सामने है कि लगातार कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक बार जनता ने दूसरी पार्टी को आजमाने के लिये वोट दे दिये थे, उनकी पोल खुल गई थी और उन्हीं किसानों के वोट से हम 1980 में दुबारा जीत कर आये

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

हैं और हमारी सरकार आज राजस्थान में है और हिन्दुस्तान में है।

मैं, सभापति जी, आपके माध्यम से अपनी सरकार से मांग करूंगा कि कृषि भूमि के बेचान पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है वह स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा है और मेरी अपनी सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि किसान अक्सर गरीब होते हैं और जितना कमाते हैं उतना अपनी जमीन पर लगा देते हैं इसलिये जमीन के बेचान पर जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको घटा करके कम किया जाये और एक निश्चित दर पर स्टाम्प ड्यूटी भी कर दी जाये जिससे कि किसानों को फायदा पहुंच सके और उनकी जमीन के बेचान पर स्टाम्प ड्यूटी की जो लागत आये वह कम आये।

मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो उद्योगपति हैं, अच्छा है उद्योग होने चाहिये, उद्योग धन्धों से ही हमारा देश विकास की ओर बढ़ता है लेकिन मैं इस ओर यह निवेदन करूंगा कि उद्योगपतियों को जब बिजली नहीं मिलती है तो बिजली की सुविधा के लिए उनको जनरेटर्स प्रदान किये जाते हैं जिसमें राज्य सरकार उनको 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि किसानों को एक उद्योग माना जाय, किसानों की खेती को भी उद्योग घोषित किया जाये और क्योंकि बिजली की समस्या तो आये दिन होती रहती है इसलिये उनको भी जनरेटर सैट खरीदने के लिये राजस्थान में 50 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाये ताकि किसानों का भला हो सके और बिजली नहीं आने पर अपने जनरेटर से अपनी खेती की पिलाई कर सकें और उसके माध्यम से राजस्थान को अन्न मिल सके और हिन्दुस्तान को अन्न मिल सके।

सभापति जी, अभी कुछ दिन पहले भयंकर शीत लहर के कारण राजस्थान में काफी किसानों को नुकसान हुआ था और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में भी जोधपुर, सिरोही और पाली के अन्दर किसानों को काफी नुकसान हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसका एक सर्वेक्षण कराया जाये और उसकी जांच कराकर शीघ्रातिशीघ्र जितना जल्दी हो सके किसानों को एक निश्चित मुआवजा तय करके और किसानों को मुआवजा दिया जाये और सबसे बढ़िया तो, सभापति जी, यह होगा कि किसानों की फसलों पर बीमा पालिसी लागू कर दी जाये जिसके कारण यह होगा कि आयन्दा अगर किसानों की प्राकृतिक प्रकोप से फसल खराब हो मुआवजा उनको बीमा विभाग के द्वारा दिया जा सके। मैं, सभापति जी, पाली जिले की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार जोरों से काम कर रही है। हमारे प्रभारी मन्त्री जी जो बीस सूत्री कार्यक्रम के हैं पाली जिले में वह हर महीने मीटिंग लेते हैं और आफिसरों को ताकीद करते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो विभाग हमारे अधीन नहीं है वह है बैंक। उन बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है उस लोन को उन बैंकों के द्वारा नहीं दिया जाये जो हमारी

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

सरकार के अधिकार में नहीं हैं। उन्हीं बैंकों से दिया जाये जो कि राजस्थान सरकार के अधिकार में बैंक आती हैं। उसका कारण यह है, सभापति जी, कि उन बैंकों के द्वारा किसानों को, गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो लोन दिया जाता है उसमें सब्सिडी के नाम पर क्योंकि गांवों के लोग अनपढ़ होते हैं, गरीब लोग होते हैं, पढ़े-लिखे कम होते हैं उनके अंगूठे लगवा लिये जाते हैं, दस्तखत करवा लिये जाते हैं और जो उनको सब्सिडी दी जाती है उसको मैनेजर खा जाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के लोन जितने भी बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को दिये जाते हैं वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा नहीं दिये जा करके राजस्थान सरकार के तहत सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक या अन्य प्रकार के बैंक हैं उनके माध्यम से दिये जायें ताकि उनमें किसी प्रकार की धांधली हो तो उस पर जल्दी से काबू पा सकें। सैन्ट्रल बैंकों के द्वारा आज हम सैन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखें और वहां से कार्यवाही हो यह लम्बा प्रोसिजर हो जायेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो सुविधायें हैं यह हमारी सरकार के बैंकों से ही दी जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पाली जिले में जो वन सम्पदा है उसकी बहुतायत है और अरावली की तलहटी में आधा पाली जिला आया हुआ है लेकिन, सभापति जी, वहां के वन अधिकारियों की मिलीभगत से और रैवेन्यू अधिकारियों की मिलीभगत से रोज 200 ट्रक लकड़ी काटकर पाली की रंगाई और छपाई की फैक्ट्रियों में ले जाते हैं। सभापति जी, इसके लिए हमने कई बार अधिकारियों को ताकीद किया तो उन्होंने दिन में ट्रक लाने बन्द कर दिये। रात को 12 और सुबह के 4 बजे के बीच में वह ट्रक आते हैं और त्रिपाल से ढके हुए अरावलियों की पहाड़ियों से यह अधिकारी एक ट्रक से 200 रुपया वसूल करते हैं, सभापति जी। इस प्रकार रोज के 40 हजार रुपया इन अधिकारियों की जेबों में जा रहा है और हमारी वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। मेरा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि इसके ऊपर विजिलेन्स कमेटी वहीं पर डेप्यूट की जाये, इसकी जांच कराई जाये, इसके अलावा यहां से दस्ता भेजकर निरीक्षण कराया जाये और चैकिंग कराया जाय तो रात को जो सोजत रोड से, मारवाड़ जंक्शन से, जैतारण से और रेलवे-क्रासिंग से होकर जो ट्रक जाते हैं वह पकड़ में आ सकेंगे और हमारी वन सम्पदा जो नष्ट हो रही है वह बचाई जा सकेगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया शार्ट, स्वीट, बड़ा ही अच्छा, कागज की कमी करके ताकि ज्यादा खर्चा नहीं हो हमारी सरकार का और रामनारायण जी ने इसका समर्थन किया, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। जय हिन्द !

(110)

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़ ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल मीणा ।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभा- पति महोदय, 5 तारीख को राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(दर्शक दीर्घा से कुछ दर्शकों द्वारा 'गंगानगर के किसानों की मांगें पूरी करें' की आवाजें)

आप अपनी बात शुरू करें ।

श्री भैरूंलाल मीणा : मैं उनका समर्थन करता हूं । कांग्रेस (आई) की सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जो कार्य प्रारम्भ किये उसमें काफी काम सराहनीय हुए इसमें कोई दो राय नहीं है । बीस सूत्री कार्यक्रम आरम्भ करने से जनता में काफी सन्तोष है, विश्वास है कि यह सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है । कुछ योजनाबद्ध भी काम होते हैं इसी कारण इसमें विश्वास किया गया । विपक्ष के लोग यह जरूर प्रचार करते हैं कि इनसे कुछ काम नहीं हुए या यह कमियां रहीं किन्तु जनता सीधा जवाब देती है कि आपको भी अवसर मिला था और सन् 77 से 80 तक अवसर मिला....

श्री सभापति : कृपया बातें न करें ।

श्री भैरूंलाल मीणा : उस अवसर के बीच में तीन साल तक आपने कुछ भी नहीं किया । कहना कुछ और है करना कुछ और है वह समझ गयी जनता । इससे तो यह साबित हुआ कि जनता विपक्ष में विश्वास नहीं करती है क्योंकि देश में एक प्रभावशाली पार्टी है और सारे देश को चला सकती है तो कांग्रेस (आई) है । अन्य पार्टी जो अलग-अलग अपना क्षेत्रीय दल बना करके और प्रान्तवाद दल बना करके टुकड़े बनाना चाहती है । तो भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार अलग-अलग नीति के लोग शामिल होंगे या अलग-अलग प्रान्तवाद का प्रचार करके अपनी पार्टी बनाकर चलेंगे तो इस भारत के टुकड़े हो जायेंगे और वही स्थिति वापस आयेगी जो कि पहले अंग्रेजों के जमाने में हुई थी । राजा महाराजाओं को अंग्रेजों ने अलग-अलग करके भारत को जीता था, उसी तरह से अभी भी विपक्ष वाले अलग-अलग टुकड़ों में बांटकर सारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं । इस बात को भारत की जनता समझती है इसलिये विपक्ष का कोई असर है ही नहीं ।

मैं राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन करते हुए मेरे क्षेत्र की कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा । जब आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं । इसका मतलब हुआ कि समझदारी का ठेका आपने ले रखा है मैंने इसी विधान सभा में प्रश्न पूछा था जनजाति विकास के मार्फत से कि जो पैसा आदिवासियों के उत्थान के लिए खर्च किया जाता है, उसका सरकार की तरफ से जवाब मिला उससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो विकास विभाग उदयपुर में खोला है और उसका पैसा कहां खर्च होता

(श्री भैरूलाल मीणा)

है यह देखने से ऐसा महसूस होता है कि केवल नाम मात्र का यह विभाग खोल रखा है और केवल नाम मात्र का ट्राइबल के नाम से पैसा आता है और पैसा कहीं और चला जाता है जबकि जिला उदयपुर ट्राइबल का ही है और उदयपुर से 14 सीटों में से 7 सीटें ट्राइबल की हैं। उसके अलावा भी नाथद्वारा, भीम, देवगढ़ वन एरिया में भी मेरे अन्दाज से 40 पर्सेन्ट आदिवासी निवास करते हैं। उदयपुर जिला क्षेत्र के हिसाब से बहुत मोटा है और ट्राइबल के हिसाब से भी अन्य जिलों से ज्यादा उस क्षेत्र में रहते हैं किन्तु जो पैसा उसके नाम पर आता है, मैं किसी अन्य जिला का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस जिले के विधायक विराजे हुए हैं, एतराज करेंगे लेकिन जो मैंने दो जिलों के आंकड़े निकाले उससे ऐसा लगता है हमारा जिला मोटा होने के बावजूद उसमें खर्चा हुआ है 1798.1 और दूसरे जिले में खर्चा हुआ है 6324.7 जो छोटा जिला है। ये आंकड़े केवल सिंचाई के हैं। इसी तरह से शिक्षा का भी हमने थोड़ा देखा कि अन्य जिलों के मुकाबले उदयपुर जिले में जो खर्चा किया शिक्षा में भवन निर्माण के लिये 3.30 और एक अन्य जिले में 19.78 और दूसरे में 18.40 जो छोटे जिले हैं। नाम इसलिये नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं यह समर्थन करता हूं कि उनमें खर्चा होना चाहिये लेकिन उसी अनुपात में जिस अनुपात में आदिवासी उदयपुर जिले में रहते हैं उसी प्रकार से इन जिलों में भी खर्च होना चाहिये। इस लिये मैं चाहूंगा जो हुआ सो हुआ उसको वापस ला नहीं सकते किन्तु भविष्य के लिये इस बात को ध्यान में रखा जाये या तो यह विभाग वहां से हटा लिया जाये या फिर उसका जो पैसा आता है, वह सही रूप से आदिवासियों में लगाया जाये ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। यह बात जरूर है कि बीस सूत्र कार्यक्रम के तहत भारत में दूसरा नम्बर राजस्थान का आया है। किन्तु उदयपुर जिले के आदिवासियों की जो हालत है वह आज भी जब मैंने अखबारों में पढ़ा और वहां के आदिवासियों पर निगाह डाली, ऐसा महसूस हुआ कि उन आदिवासियों की हालत क्या है, आज भी उनके पास खाने को दाना नहीं है। भगवान की दया से वर्षा अच्छी हुई है लेकिन वहां के आदिवासियों की हालत यह है कि आज भी मूली बेच कर अपना गुजारा करते हैं। शाम को सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। मूली लेकर शहर में जाते हैं दूसरे दिन शाम को घर वापस आयेंगे तब एक टाइम खाना खाते हैं। यह हालत है आज भी। कारण वहां पहाड़ी इलाका है। सभापति महोदय, आपको तो कभी उदयपुर आने का मौका नहीं मिला, मैं चाहूंगा आप कभी पधारें। जमीन खेती योग्य है नहीं। आदिवासी जंगल में निवास करते हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं पीने को पानी नहीं मिलता, सिंचाई तो दूर रही। ऐसी हालत में उनकी जो आर्थिक स्थिति है या दैनिक जीवन वे बिता रहे हैं उसको देखते हुए जो दूसरे नम्बर वाली बात है मेरे मन में थोड़ी पीड़ा हुई। यह बात जरूर है कि आंकड़े कहते हैं भारत में दूसरा नम्बर आ गया

(श्री भैरू सिंह मीणा)

और इधर आदिवासियों की हालत को देखते हुए, ऐसी दयनीय स्थिति होते हुए भी यह तारीफ को बात नहीं। इस बात को मैं मानता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत काफी काम हुए लेकिन जहां पर होने चाहिये वहां नहीं हुए....

एक माननीय सदस्य : कहां नहीं हुए ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री भैरू लाल मीणा : 50 प्रतिशत तक अनुदान देने वाली बात का जिक्र कर रहे थे अभी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरू लाल मीणा : क्योंकि मैं खुद भूमि विकास बैंक का चेयरमैन हूं, मैं फैक्ट बात बता रहा हूं उसमें भी आप हंस रहे हैं। जैसा भैरूसिंहजी गुर्जर बता रहे थे, इस प्रकार अधिकारी करते हैं, मैं शिकायतें सुनते ही गांव में गया, मौका देखा, आदिवासियों को काफी समझाया कि भाई इस प्रकार गलत तरीके से आप लोन नहीं लें आप यह लोन लेते क्यों हैं। उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत फ्री लोन लेने वाली बात है। मैंने कहा कि किसने बताया तो उन्होंने कई एजेन्टों के नाम बताये, दो-चार दूसरे आदमियों के नाम बताये यहां तक कि वे पहचानते तक नहीं। फिर हमने उनसे कहा कि तुम पम्प सैट के लिये लोन लेना नहीं। मैंने उनको बुलाया वे आये नहीं। फिर एक सप्ताह के बाद उन्होंने लिखित में दिया मेरे को कि मैं पम्प लेना चाहता हूं, मैंने किसी से शिकायत नहीं की, मेरी पम्प की जरूरत है। मैंने खूब समझाया, तुम्हारे कुएं नहीं हैं, एक नाले का पानी जा रहा है, थोड़े दिन चलेगा, बन्द हो जायेगा। हमको तो पैसा चाहिये किसी तरह से खेती करके पम्प सैट से गुजारा करेंगे। एक तरफ हम ऐसे पिछड़े लोगों को आगे लाने वाली बात कहते हैं, जब विधायक समझा रहा है, अध्यक्ष समझा रहा है आपको यह लोन लेने से नुकसान होगा उसके बावजूद भी राजस्थान में ऐसे एजेन्ट हैं जो उनको इस तरह से पटा पटाकर लाते हैं और कहते हैं हमको लोन लेना है। तो कहां तक हम किस गरीब की पैरवी करते रहेंगे, कहां किस गरीब का हम भला चाहते हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जन जाति विभाग से ही वन सम्पदा खरीदी जाती है। उसमें साफ लिखा है कि बाजार भाव से 30 प्रतिशत काटकर लिया जाता है और वहां पर आफिस में जो काम करते हैं, बाबू लोग या आफिसर्स वगैरह, उनकी पूर्ति के लिये लिया जाता है। तो उनकी उन्नति या उत्थान का सवाल ही कहां हुआ। जो पैसा वे लेते हैं दूसरों को जिन्दा रखने के लिये लेते हैं। वन से खरीद कर लाते हैं। सभापति महोदय, वो कम से कम 100 प्रतिशत पैसा मिले। लेकिन, जब निगम खरीदता है तो 30 प्रतिशत कम, दिखाने के लिये 30 प्रतिशत 50 प्रतिशत कम पैसा दिया जाता है और बाजार में निगम वाले बेचते हैं तो 100 प्रतिशत पर बेचते हैं। तो बीच में

(श्री भैरूंलाल मीणा)

यह एजेन्सी आदिवासियों का शोषण करने वाली है। बाजार में व्यापारियों को बेचे तो पैसा ज्यादा मिले और निगम को बेचे तो पैसा कम मिले तो यह आगे बढ़ाने की बात नहीं यह तो नीचे गिराने की बात है। इसलिये इस निगम के जरिये आदिवासियों का शोषण हो रहा है। यहां तक कि उस विभाग में आदिवासी शायद ही कोई क्लर्क होगा। वहां सारे दूसरे क्लर्क, आफिसर बैठे हुए हैं, अच्छी-अच्छी तनख्वाह मिलती हैं, कारों में घूमते हैं। आदिवासी बेचारा वहां का वहीं हाथ में, कंधे पर मूली लेकर घूमे तो यह जन जाति विभाग और निगम जो खोला है वह उत्थान के लिये खोला है या उनको नीचे डाउन करने के लिये खोला है। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता था स्कूल खूब खोल दिये। गांव-गांव में स्कूल खोल दिये लेकिन वहां टीचर नहीं जाते, अध्यापकगण वहां नहीं जाते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यापकगण को भर्ती करने का जो तरीका है कि जो एस.टी.सी हो उसको भर्ती करें नहीं तो नहीं करें। अब गांवों का जो कोई भी व्यक्ति हो वह तो एस. टी. सी. करके आयेगा नहीं। पढ़ा होगा तो मामूली पढ़ा होगा। कहां करने जायेगा, क्या करेगा। शहरों में जो लोग भर्ती करेंगे वे गांवों में जाना पसन्द नहीं करेंगे और आम तौर पर लेडीज को भर्ती करते हैं तो वह तो यूं कह दे कि मैं तीन, चार मील पैदल चल कर कैसे जाऊं और जंगल में अकेली कैसे जाऊं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री भैरूंलाल मीणा : मैं फैक्ट बात बता रहा हूं। एक तरफ तो स्कूल खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल खाली पड़े हैं तो कैसे स्कूल का स्तर ऊँचा होगा। एक तरफ स्कूल की गिनती हमारे रिकार्ड में हजारों की तादाद में है दूसरी तरफ हजारों की तादाद में खाली पड़े हैं जहां बच्चे जाकर वापस आ जाते हैं। तो गांवों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा कहां से, शिक्षा का स्तर तो नीचे ही जायेगा। नाम के लिये हम जरूर कहते हैं कि स्कूल खोल दिये लेकिन मेरा कहना यह है कि उनको या तो बंद किया जाय। जिसको भी टीचर लाइन में भर्ती किया जायेगा उसको पाबन्द किया जाये उसको वहां जाना पड़ेगा, और इतने साल रहना ही पड़ेगा ऐसी कोई नीति होनी चाहिये। ट्रान्सफर कराने के लिये आ जायेंगे, ट्रान्सफर करा कर वापस शहर में आ जायेंगे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल खोल दिये वह डेपुटेशन पर शहर में आ जाते हैं। वहां पर पीरियड खाली रहते हैं। एग्जामिनेशन आ जाते हैं जो बच्चे फेल हो जाते हैं। पढ़ाई नहीं हुई तो फेल होगा ही। यह डेपुटेशन वाला तरीका ठीक नहीं।

मैं अन्त में राज्यपाल के भाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के सम्वन्ध में श्री रामनारायणजी चौधरी ने धन्यवाद-प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं, सभापति महोदय, राज्यपाल को इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह आज की सरकार के मुकाबले ज्यादा पापुलर हैं। आज यदि समाचार पत्रों में किसी के ज्यादा से ज्यादा फोटो प्रकाशित होते हैं तो राज्यपाल महोदय के, यदि भाषण आते हैं तो राज्यपाल महोदय के और यदि राजस्थान में कहीं प्रवास होता है तो राज्यपाल महोदय का। सभापति महोदय, यह इस बात का संकेत करता है कि वर्तमान सरकार में जनता का इतना लगाव नहीं है कि वह मंत्रियों की उपेक्षा करती है और राज्यपाल महोदय को अधिक पसन्द करती है।

श्री मोहन लाल मोदी : मन्त्रियों को समय नहीं मिलता इसीलिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसी स्थिति में थोड़ा विचार करना पड़ेगा, आखिर निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में एक मनोनीत व्यक्ति इस प्रकार से सम्मान पा जाय तो पद के कारण से नहीं बल्कि मंत्रियों की अलोकप्रियता के कारण से। सभापति महोदय, जिस समय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ विपक्ष ने उसका बायकाट किया। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, जिनसे मैं कभी यह आशा नहीं करता था, ने उस बायकाट को पाखंड बताया। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्यपाल के पद और व्यक्तित्व की कुछ प्रतिष्ठा होती है, कुछ गरिमा होती है और उस गरिमा को सुरक्षित बनाये रखने के लिए हमने बायकाट किया था। आज जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी विरोध पक्ष में बैठी है, जैसे कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और बंगाल, उनमें कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य जिस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण के समय राज्यपाल को सदन में प्रवेश करने नहीं दें, उनको भाषण पढ़ने नहीं दें, अध्यक्ष की मेज पर चढ़ जायं, माइक सामने से खींच लें, अध्यक्ष की मेज पर पड़े हुए कागज फाड़कर नीचे फेंक दें, आपस में घूंसेबाजी करें यदि माननीय सदस्य इसी बात को एक आदर्श मानते हैं....

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : कहां का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यहां का नहीं। यदि इसी को आदर्श मानते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी इस बात को आदर्श के रूप में नहीं लेता, ऐसा कहीं भी होता है, उसकी निन्दा करता हूं। सभापति महोदय, श्री रामनारायणजी चौधरी ने अपना भाषण सम्भवतः 1980 से शुरू किया जिस समय वे चुनाव में पराजित हुए। 80 से लेकर 84 तक क्या घटनाएं हो गयीं, उनको उनका ध्यान नहीं। जो उस समय छोड़कर गये, वही बातें उन्होंने यहां दोहरा दीं, लेकिन अपने भाषण में, सभापतिजी, आपने भी सुना होगा, उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी का इतना नाम लिया कि हनुमान चालीसा में हनुमानजी का नाम भी इतनी बार नहीं आया। बार-बार इन्दिरा गांधी का उन्होंने नाम लिया। उनको पता है कि एक बार उन्होंने इसी तरह से, विरोध पक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में बैठकर इन्दिराजी का नाम बार-बार लिया था उसका परिणाम 1980 के चुनावों में उन्होंने देख लिया। नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी पार्टी की नेता हैं, देश की प्रधान मन्त्री हैं। आप कोई ऐसा समझते हैं कि उनका नाम बार-बार लेने से इस सीमा तक चापलूसी कर जायेंगे कि इन्दिराजी का नाम लेकर आप अपने पाप छुपा लोगे। मैं ऐसा समझता हूं कि जो माननीय सदस्य इस आधार पर इन्दिराजी का नाम लेकर चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं वह गम्भीरता से विचार करें कि राजनीति में आये हैं सिर्फ चापलूसी करने के लिए नहीं। लेकिन बार-बार नाम लिया। जनार्दन सिंहजी ने उसका समर्थन किया और समर्थन में, ऐसा लगता था, सभापति महोदय, कि प्रगति विवरण से सारे विभागों के आंकड़े उन्होंने ले लिये और उन आंकड़ों को सदन में रख दिया, जैसे किसी ने बजट स्पीच के लिए उन्हें प्लीड किया हो, वह सारी बातें कह दीं और इसलिए मैं उन दोनों चीजों का ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, बार-बार राजस्थान में विकास की चर्चा करते हैं। जहां जायं वहां प्लाण्ट, जहां जायं वहां कोई न कोई कारखाना। अभी खाड़ी देशों में मुख्य मन्त्रीजी गये, इसलिए गये कि खाड़ी देशों में जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं वह राजस्थान में कोई कारखाना लगायें। राजस्थान में कारखाना लगाने कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, मुख्य मन्त्रीजी जानें लेकिन मैं मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में ऐसे उद्योगपति नहीं हैं जिनको यदि राजस्थान में वही सुविधा दी जाये जो खाड़ी देशों के उद्योगपतियों को देने वाले हैं तो वह राजस्थान में उद्योग लगाने नहीं आयेंगे? मैं ऐसा समझता हूं कि उद्योग लगाने आयेंगे, लेकिन सरकार में विश्वास चाहिए।

(3.10 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मुख्य मन्त्रीजी बम्बई गये, मुख्य मन्त्रीजी कलकत्ता गये, दिल्ली में उद्योगपतियों के सम्मेलन में बोले और बोलकर राजस्थान के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि राजस्थान में मूलभूत सुविधायें हैं उद्योगों के लगाने के लिए। यह तो, मैं समझता हूं, इन्कार नहीं करेंगे। जब आपने राजस्थान के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया, दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों में, जब कलकत्ता में उद्योगपतियों को आमंत्रित किया, उस समय राजस्थान में 60 प्रतिशत बिजली की कटौती उद्योगों में चल रही थी, बम्बई में जिस समय किया उस समय 70 प्रतिशत कटौती थी और अभी दिल्ली में, मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा, उस समय 20 प्रतिशत की कटौती चल रही थी। मुख्य मन्त्रीजी जो उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं, शायद यह समझ कर कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान के उद्योगपति जो राजस्थान में विनियोजन कराना चाहते हैं, वह कम से कम इस एलीमैण्ट्री जानकारी से तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वंचित होंगे कि राजस्थान में पावर की पोजीशन क्या है। राजस्थान में पावर की पोजीशन यदि ठीक हो तो न अरब देश में जाने की जरूरत है, न दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाकर उद्योगपतियों को आमंत्रित करने की जरूरत है। यदि राजस्थान में बिजली है तो उद्योगपति आयेंगे, निमंत्रण देने से नहीं आयेंगे। यदि बिजली का बाहुल्य है, इस प्रकार से आश्वस्ति पैदा करके आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा, उस अभिभाषण में सलादीपुर के कारखाने का कोई जिक्र नहीं, राजस्थान में फर्टिलाइजर प्लाण्ट, गैस बेस्ड प्लाण्ट का कोई जिक्र नहीं, एक और राजस्थान में फर्टिलाइजर काम्पलेक्स खड़ा करना चाहते थे उसका भी कोई उल्लेख नहीं, गोसुण्डा के अन्दर जिंक स्मेल्टर जो कारखाना लगाना चाहते थे उसका भी कोई उल्लेख नहीं, जो मुख्य मन्त्रीजी ने बार-बार कहा, मैं सुपर थर्मल प्लांट लगाऊंगा उस प्लांट का भी कोई उल्लेख नहीं, एटामिक पावर प्लाण्ट दूसरा कहां लगे, इस सम्बन्ध में भी राजस्थान को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं, सीमेण्ट फैक्ट्रीज मुख्य मन्त्रीजी के जमाने में कितनी आ गयीं उसका भी कहीं उल्लेख नहीं। साम्भर सॉल्ट में कास्टिक सोडे का प्लाण्ट पिछले चार वर्षों से झूल रहा है, मोदी एल्कालीज को तो अलवर में कारखाना लगाने की परमिशन मिल सकती है लेकिन साम्भर सॉल्ट में और खास तौर से पब्लिक सैक्टर में इस प्रकार का कोई कारखाना लग जाय, न कोई लैटर ऑफ इण्टैण्ट समय पर मिला, न उनको किसी प्रकार का लाइसेंस मिला। मैं तो मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं, यह तो आपकी मोटी घोषणायें हैं, बाकी की घोषणाओं का क्या हुआ? मैं तो चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य मुख्य मन्त्रीजी पर दबाव डालें कि जब से आप मुख्य मन्त्री बने तब से लेकर आपने कितनी घोषणायें की और उन घोषणाओं का किस सीमा तक पालन हुआ उसके लिये एक पेपर रख दें तो विश्वास हो जायगा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री घोषणा करके जाते हैं तो उसका निश्चित रूप से पालन होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में यदि कारखाने लगाने हों तो बिजली कहां से आयेगी और बिजली के लिये सबसे पहले इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान ने बिजली के पानी का क्या प्रबन्ध किया। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा 31 दिसम्बर, 81 को रावी-ब्यास पानी के सम्बन्ध में हमने एक समझौता किया था। वह समझौता राजस्थान विधान सभा में रखा गया, उस समझौते के बाद में जब पंजाब में इसी पानी को लेकर अकालियों ने मांग की तो विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया। उस समझौते में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इन नदियों के ऊपर जो तीन हैड वर्क्स हैं, उन तीन हैड वर्क्स को हमने पंजाब के कब्जे से ले लिया। और उस समझौते में भी मुख्य मन्त्रीजी ने यह जरूर कहा था कि हैड वर्क्स को कन्ट्रोल में लेने के बजाय हमने उससे भी अधिक उपयोगी काम किया है कि भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को मेजरमेंट लेने का अधिकार होगा, कन्ट्रोल पाइन्ट निश्चित करने का अधिकार होगा, स्टेट का कितना शेयर होगा इनको डिटरमिन करने का अधि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार होगा। मैंने कहा था, जब तक हैड वर्क्स पर फिजिकल कन्ट्रोल राजस्थान का नहीं होगा पंजाब हमेशा हमको परेशान करेगा। मुख्य मन्त्रीजी के भाषण देने के कुछ दिनों के बाद जब पानी की कमी आई तो भारत सरकार को चिट्ठियां लिखीं, सार्वजनिक रूप से प्रोटेस्ट किया लेकिन पंजाब की कुछ जैसी आदत है हमको जिस समय जितने पानी की आवश्यकता होगी उतना पानी नहीं देगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हैड वर्क्स का क्वेश्चन है, मैं निवे-करना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि वे इन हैड वर्क्स के सम्बन्ध में, उस समय भी कहा और उसके बाद भी थोड़े चुप रहे। लेकिन मैं इस सदन के सामने दो मुख्य मंत्रियों के बीच का विवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथुरजी सही हैं या पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री दरबारा सिंहजी सही हैं। पंजाब में रावी-व्यास एग्रीमेंट 1981 का व्हाइट पेपर इश्यू किया है। इस व्हाइट पेपर में लिखा है, पेज नम्बर तो नहीं है लेकिन पैरा 24 में लिखा है :

"24. The Punjab Re-organisation Act, 1966 vested the control of three Irrigation Headworks at Rupar, Harike and Ferozepur in the Bhakra Beas Management Board. As a consequence of the agreement of 1981, the physical, administrative and operational control of the Headworks would continue to be with Punjab, which has been accepted by Govt. of India as well as by the State Governments of Haryana and Rajasthan. This is in direct contrast with the former Prime Minister's letter of December, 1977 rejecting the plea of the then Chief Minister of Punjab for retention of control of Head-works. The then Prime Minister had asked for the enforcement of the provisions of the Act."

अब, अध्यक्ष महोदय, आज कोई मामूली जगह पर नहीं, कोई सार्वजनिक सभा में नहीं और कोई माणक चौक की चौपड़ पर रखा हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। यह पंजाब की विधान सभा में पंजाब के मुख्य मंत्री ने रखा है, व्हाइट पेपर के रूप में रखा है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि व्हाइट पेपर इश्यू होने के बाद क्या आपने सार्वजनिक रूप से इसका आज तक खंडन किया है, क्या इस सम्बन्ध में आपने प्रोटेस्ट किया है और उस प्रोटेस्ट का परिणाम क्या निकला? मैं आज भी कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, चाहे राजस्थान कैनाल पर हमारे अरबों रुपया खर्च हो जाय, भाखड़ा और गंग कैनाल का सिस्टम कितना ही एडवान्स हो जाय लेकिन जब तक इन हैड वर्क्स पर हमारा कन्ट्रोल नहीं होगा तब तक हमारी पानी की आवश्यकता पूरी नहीं होगी और खास तौर से यदि पानी ही विवादास्पद बन जाय तो एक वाइटल पाइन्ट लेकर चलते हैं, उसको किसी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इगनोर नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की जबरदस्त कमी रहने वाली है। वह बिजली हमें कहां से मिलेगी। मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि पलाना लिग्नाइट के मामले में जिस समय जनता शासन था उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। जो काम चल रहे थे, उसके काम को बन्द कर दिया। राजस्थान में जो अपना सोर्स था उसको यह कह कर बन्द कर दिया कि मेड़ता में काफी कोयले के भण्डार मिल गये। उसके बाद कपूरड़ी में, बाड़मेर में कोयले के भण्डार मिल गये और, अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि मेड़ता में हमारे पास कोयला बहुत है और हम कोटा में सुपर थर्मल पावर प्लान्ट लगायेंगे। पर, मुख्य मंत्रीजी आपको बाद में पता लगा कि यह तो कोयले जैसी बात कर गये। आखिर मेड़ता की धरती में इतना कोयला नहीं है कि जिसके आधार पर सुपर थर्मल प्लान्ट लगा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं पलाना में इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह कोटा स्टेज टू में काम रुका हुआ है। मुख्य मंत्रीजी नाराज न हों, काम इसलिये रुका हुआ है कि सारे सिविल वर्क्स का काम आप ब्रिज कारपोरेशन को देना चाहते हैं। ब्रिज कारपोरेशन काम करे, मुझे आपत्ति नहीं है। आखिर स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, एक आर्गेनाइजेशन है वह काम करे, आपत्ति नहीं है लेकिन यदि आप उसी के लिये जबरदस्ती उसको थोपना चाहें और लोग एक्सेप्ट नहीं करें तो यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय होता है और, माफ करना, लोगों में इस प्रकार की चर्चा है कि ब्रिज कारपोरेशन के चेयरमैन आपके भाई हैं, आप उनको धन्धा दिलाना चाहते हैं हालांकि वे गवर्नमेंट सर्विस में हैं–कोई उस प्रकार का धन्धा नहीं होगा लेकिन इस चर्चा से मुख्य मंत्रीजी को बचना चाहिये। वहां भी इस प्रकार की स्थिति है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, फिर पूछना चाहता हूं और मुख्य मंत्रीजी से खास तौर से पूछूंगा, आनन्दपुर साहब में जो 134 मेगावाट का है जिसमें राजस्थान का 20 प्रतिशत हिस्सा है, अध्यक्ष महोदय, आनन्दपुर से आपको रवाना कर दिया, और आपको एक मेगावाट बिजली मिलने वाली नहीं है, यह क्लियर कट है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहें जो कि थीन डेम के मामले में जहां कई दिनों से झगड़ा चल रहा है उस झगड़े के बारे में भी इस व्हाइट पेपर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि थीन डेम का मसला प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी, इस इश्यू के ऊपर भी आप निश्चित रूप से जवाब देंगे। आखिर थीन डेम के बारे में पैरा 22 पर इसमें लिखा हुआ है :

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"22. The agreement has not only removed uncertainty and bitter feeling between the States, but it has also culminated in Prime Minister's public announcement on 8th of April, 1982 at village Kapuri for the clearance of Punjab's important pending Hydel Projects namely Thein Dam Project, Mukerian Hydel Project and Shahpur Project."

अध्यक्ष महोदय, फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं जब मुख्य चार प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेन्स दे दी, काम करना वहां शुरू हो गया तो राजस्थान को आनन्दपुर साहब से रवाना कर दिया, ये 480 मेगावाट बिजली पैदा होगी जिसमें 52.6 प्रतिशत हिस्सा हमारा हिस्सा है, हमको वहां से रवाना कर दिया। मुकेरियां में 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी जिसमें 58.5 प्रतिशत का हमारा हिस्सा है, वहां से भी हमको रवाना कर दिया, दोआब से हमको रवाना कर दिया, आनन्दपुर साहब से हमको निकाल दिया। वैसे तो कुछ कह नहीं सकता लेकिन हिमाचल और राजस्थान ने कुछ समझौता किया है लेकिन न राजस्थान के पास पैसा है और न हिमाचल के पास पैसा है अल्टीमेटली भारत सरकार को दूसरे राज्यों को भागीदार बनाना पड़ेगा और यदि हमारा हिस्सा भी हो तो आज के 15 वर्ष के बाद बिजली पहुंच जायगी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है।

नाथपा झाकड़ी से हमको रवाना कर दिया, दुलहस्ती से हमको रवाना कर दिया, चमेला में हमारा किसी प्रकार का नाम ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन सारे प्रोजेक्ट्स में लगभग 2500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और कुल मिला कर 2500 मेगावाट बिजली में हमारा हिस्सा होगा और बिजली की कीमत पांच पैसे से सात पैसा प्रति यूनिट होगी। आप अन्दाजा लगावें, जिस राजस्थान के पास पलाना के अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, राजस्थान में आप राजस्थान कैनाल पर, आबू में और चम्बल में छोटे–मोटे प्लान्ट और लगा लें, इसके अलावा आपके पास कोई साधन नहीं हैं और ये आपके टोटल 100 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं। हमारा राजस्थान यदि 2500 मेगावाट बिजली के हिस्से को छोड़ता है तो कौन उद्योगपति यहां उद्योग लगाने वाला आयेगा और इस राजस्थान का किसान, राजस्थान का उद्योगपति या राजस्थान की जनता इस आधार पर राजस्थान के विकास की कल्पना करेगी। यह मेरी समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की सरकार वही सरकार ज्यादा कामयाब हो सकती है, चाहे दिल्ली का दरबार हो, चाहे इंदिराजी के सामने मैं नहीं कहता हूं कि आप संघर्ष करें, संघर्ष करने की आदत आप में है नहीं और ऐसी फालतू मांग मैं आपसे करूंगा नहीं लेकिन आप अपना राजनैतिक प्रभाव तो दिखायें। राजनैतिक प्रभाव ही नहीं है।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, आज मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान का आज का मन्त्रिमण्डल वर्चस्वहीन मन्त्रिमण्डल है । इस मन्त्रिमण्डल का कोई वर्चस्व नहीं, कोई वजूद नहीं । वजूद हो तो पंजाब बिजली ले जाय ! वजूद हो तो हरियाणा पंजाब से बिजली ले जाय और राजस्थान को हिस्से से महरूम कर दे ! मैं समझता हूं इस तरह की स्थिति नहीं है । मुख्य मन्त्रीजी, इतना ही कह सकता हूं आप हमेशा भाषण दिया करते हैं, प्रोस्टेरिटी याद करेगी, आगे की पीढ़ियां याद करेंगी कि शिवचरण माथुर ने क्या कर दिया । मैं आज आपको कहता हूं कि आपको आगे की पीढ़ियां याद तो करेंगी लेकिन इस बात के लिये याद करेंगी कि शिवचरणजी माथुर ने पंजाब और दिल्ली के सामने घुटने रखकर राजस्थान के हितों का बलिदान कर दिया इसलिये आपको याद करेंगी । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आज राजस्थान में विकास की कई प्रकार की बातें हैं । है कहां विकास । विकास की स्थिति क्या है । अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ उस दिन आप भी थे जिस समय रामनारायणजी बोल रहे थे, इसी सदन में मुझे दो भागीरथों का दर्शन करने का अवसर मिला । भागीरथ । रामनारायणजी कह रहे थे चन्दनमलजी बैद भागीरथ, शिवचरणजी माथुर भागीरथ । जैसे भागीरथ गंगा लाया था वह यह कहना चाहते थे कि राजस्थान नहर चन्दनमलजी बैद और शिवचरणजी माथुर लाये । शायद रामनारायणजी यह भी भूल गये कि राजस्थान कैनाल की शुरूआत स्वर्गीय सुखाड़ियाजी ने की थी लेकिन भागीरथों में उनका नाम नहीं था । उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, बरकतुल्ला साहब ने भी काम किया वह भी भागीरथों की श्रेणी में नहीं हैं । उसके बाद हरिदेव जोशी आये वह भी भागीरथों में नहीं । मेरा नाम तो खैर है ही नहीं लेकिन उसके बाद पहाड़ियाजी आये वह भी भागीरथों की श्रेणी में नहीं हैं और, अध्यक्ष महोदय, दो भागीरथ मेरे सामने बैठे हैं । इनके जमाने में राजस्थान नहर बन रही है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान कैनाल के बारे में । आपने एक किस्सा सुना होगा, कई बार गांवों में जो लोग पानी भरते हैं, औरतें कुएं पर जाती हैं और जाकर पानी निकाल कर एक घड़े पर दूसरा घड़ा रखकर घर आती हैं तो घर से खाली घड़ा लाना, खाली घड़े को कुएं में डालकर पानी भरना और फिर सिर के ऊपर दोनों घड़ों को लेकर घर पर जाना और गांव में आप जानते हैं घर का चौखटा छोटा होता है इसलिये वह दोनों घड़े लेकर घर में प्रवेश नहीं कर सकती तो दूसरी औरत आती है और घड़े उतारती है और फिर वह कहे कि परेंडे में सब को पानी मैं पिला रही हूं । वाह ! इन दोनों भागीरथों ने भी ऐसा ही काम किया है । यह दोनों भागीरथ कह रहे हैं जैसे राजस्थान कैनाल की शुरूआत ही तब हुई जिस समय चन्दनमलजी बैद राजस्थान कैनाल के मन्त्री बने उस समय से शुरू हुई है या शिवचरणजी माथुर जिस दिन से मुख्य मन्त्री बने हैं उस समय से राजस्थान कैनाल की शुरूआत हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं कैनाल के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा और इसलिये कहना चाहूंगा कि प्रचार जबरदस्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कराया। उसके लिए तो मैं मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी दोनों की तारीफ करूंगा। यदि मैं स्वयं राजस्थान कैनाल पर नहीं जाता तो मैं भी इस प्रचार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, मैंने भी कई बार चन्दनमलजी की प्रशंसा की कि चन्दनमलजी ने बहुत अच्छा काम किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस राजस्थान कैनाल पर चला गया और जाकर जब मैंने देखा तो, माफ करना बैदजी, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है लेकिन मैं आज यह कह सकता हूं कि आपको ईनाम देने की आवश्यकता नहीं है, आपको दण्ड देने की आवश्यकता है और इसलिये कहता हूं कि यदि राजस्थान कैनाल के साथ इतनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लीजेन्स किसी ने की हैं तो दोनों भागीरथ बैठे हैं, इन्होंने की है। और वह किस तरह से की है, मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी भूमिका बताना चाहता हूं। यहां पर रामनारायणजी कह रहे थे आपको कोयला नहीं मिला इसलिए राजस्थान कैनाल का काम कम हुआ। मैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल में जनता शासन में कितना काम हुआ वह बताना चाहूंगा। 1976-77 में मैन कैनाल का लाइनिंग 12.75 किलोमीटर हुआ था, 1977-78 में 26.962 किलोमीटर हुआ, 1978-79 में 29.85 किलोमीटर हुआ और 1979-80 में 25 किलोमीटर हुआ और आपके राज में आने के बाद? सन् 1979-80 में 25 किलोमीटर लाइनिंग हुई और कांग्रेस का शासन 80-81 में आया, इन्दिराजी प्रधान मन्त्री बनीं 80-81 में लाइनिंग का काम 9·80 किलोमीटर। 1981-82 में वह आगे बढ़ कर 27 किलोमीटर हो गया। 1982-83 में 25 किलोमीटर हुआ और श्रीमान् चन्दनमलजी ने पिछली बार यह कह कर कि मैं 45 किलोमीटर तक राजस्थान मैन कैनाल का लाइनिंग कर जाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, 1983-84 में आंकड़े तो दिये हैं 27 किलोमीटर के लेकिन वास्तविकता है कि 23 किलोमीटर में लाइनिंग हुआ है। मैं आज पूछना चाहता हूं किस आधार पर आप आंकड़े देकर दुनिया को समझाना चाहते हैं कि राजस्थान कैनाल में जैसे सारा काम पूरा करा दिया। मैं आज कह सकता हूं कि लाइनिंग के काम के अन्दर जो जनता पार्टी के शासन में रिकार्ड कायम हुआ था उस रिकार्ड को भी आप नहीं तोड़ पाये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री चन्दनमल बैद (मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना) : मियां मिट्ठू हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : कुछ नहीं हैं, आप बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोल दो। मियां मिट्ठू तो आप बने हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब यह आता है कि काम कितना हुआ। तरकीब क्या निकाली। मेरे जमाने में कोयले का संकट था, मैंने भारत सरकार से इंसिस्ट किया कि इन्फिरियर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्वालिटी का कोयला नहीं लेंगे। मैं समझता था कि राजस्थान कैनाल मुझे एक दिन के लिये नहीं बनानी या अपने लिये नहीं बनानी या अपने परिवार के लिए नहीं बनानी, यह एक नेशनल प्रोजेक्ट है, यह नेशनल प्रोजेक्ट इतना अच्छा होना चाहिए, डिले हो जाये कोई मुझे इसकी चिन्ता नहीं लेकिन भविष्य की पीढ़ी पूरी की पूरी इस बात पर निर्भर करती है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। अब इन्होंने फैसला किया, अध्यक्ष महोदय, कोयले के सम्बन्ध में, जो बहुत बड़ी उपलब्धि रामनारायणजी ने बतायी है। वार्षिक प्रतिवेदन यह 1982–83 का है। यह सरकारी कागज है इसमें लिख रहे हैं कोयला व सीमेण्ट की उपलब्धि। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, "कोयला व सीमेंट इस परियोजना के निर्माण कार्य में मुख्य एवं अति आवश्यक सामग्री हैं।" यह मैं आगे से दे देता हूं, "माह नवम्बर 1981 में राजस्थान नहर परियोजना में कोयला धनबाद क्षेत्र से मैसर्स भारत कुकिंग कोल के माध्यम से न देकर सिंगरोली क्षेत्र के मैसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड के माध्यम से देना तय किया गया है। यह कोयला निम्न स्तर का है, ग्रेड एफ है जिसकी ज्वलन शक्ति धनबाद क्षेत्र के कोयले की तुलना में बहुत कम है और इस कारण इस कोयले की खपत प्रति लाख टन टाइलें व ईंटों को बनाने हेतु धनबाद कोयले की खपत से दो गुनी है। माह नवम्बर, 1981 से माह अप्रेल सन् 1982 तक सिंगरोली कोयला नहीं देकर धनबाद कोयला दिये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयत्न किये गये परन्तु अन्ततः सिंगरोली कोयला लिये जाने का निर्णय लेना पड़ा। इससे इस संगठन को लगभग 10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।" यह कोयले के मामले में बात हुई। इन्फिरियर क्वालिटी का कोयला जिसमें 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा होगा जिसके लिए उस समय की सरकार ने पूरा झगड़ा किया, झगड़ा करने के उपरान्त भी कोयला साफ लिया, यह इन्फिरियर कोयला नहीं लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि जहां एक लाख टाइल्स के ऊपर 45 टन कोयला खर्च होता था उसको आपने मात्रा बढ़ाकर 90 टन कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पहली आपकी उपलब्धि यह है।

अध्यक्ष महोदय, अब इन भागीरथ नेताओं का नाम तो मुझे नहीं कमाना है इसलिए कोई भी कच्चा पक्का काम करूं लेकिन कर जाऊं तो ठीक है। दूसरा फैसला इन्होंने किया वह फैसला है, मार्च सन् 1983 में निष्पादन आय व्ययक राजस्थान नहर परियोजना विभाग के पेज 3 पर। यह फैसला क्या है, "गत वर्षों में इस नहर परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुएँ, धन-राशि, कोयला व सीमेण्ट की कमी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक कार्यक्रम स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार मुख्य नहर को मार्च, 1985 तक पक्का बनाकर पूरा करना है और मुख्य शाखाओं के शीर्ष भाग को....।" मुख्य शाखाओं को नहीं, मुख्य शाखाओं के शीर्ष भाग को। पहले सारी मुख्य शाखाओं की लाईनिंग होती थी, अब इनको तो आगे बढ़ानी थी इसलिए लाइनिंग

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का काम छोड़ा और केवल यह तय किया कि मुख्य शाखाओं के शीर्ष भाग ही पक्के बनाकर पूरे करने हैं। "द्वितीय चरण की वितरण प्रणाली को पूरा करने हेतु यह निर्णय लिया गया कि इसके अधिकांश हिस्से को फिलहाल कच्ची हालत में मार्च, सन् 1985 तक पूरा कर दिया जाय।" अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा निर्णय है।

अव तीसरी इनकी उपलब्धि क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान कैनाल की 18 हजार क्यूसेक्स की कैपेसिटी है। 18 हजार क्यूसेक्स की कैपेसिटी और जब से इन्होंने काम शुरू किया उस जगह से साढ़े नौ हजार क्यूसेक्स आ गई। पुराने माइलिंग किलोमीटर में जितने माइलिंग घनफुट में काम हुआ है इसमें बड़ा फर्क है। ज्यों-ज्यों कैनाल आगे जायेगी उसमें चैनल में कमी आयेगी। जो राजस्थान कैनाल चारनवाला हैड पर 18 हजार क्यूसेक्स थी वह आज नौ हजार हो गई है। नहर की लम्बाई चौड़ाई, डायमेंशन आदि में फर्क होता है। अव इनका अचीवमेंट बताता हूं कि वह किस तरह का है। ऐसा लगता है कि कैनाल के लिए इनको 45 करोड़ मिला है, अब 45 करोड़ में से दस करोड़ तो जो उनको भुगतान करना था उसमें से निकाल दिये और बचा कुल 35 करोड़। हमने जिस समय राशि रखी थी वह 32 करोड़ थी और उस समय कोयला और सीमेंट की कमी थी, उस आधार पर भी अगर लें तो वह आ जाती है 27 करोड़ और आपने जो सामान आदि खरीदा है उसको निकाल दें तो वह 35 करोड़ रह जाता है 25 करोड़। आप प्रचार कर रहे हैं कि आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन राजस्थान कैनाल में आपने जो काम किया है वह किया है मिट्टी खुदवाओ, मिट्टी उठवाओ और मिट्टी इधर से उधर डलवाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा और माननीय चन्दनमलजी से पूछना चाहूंगा कि जिस समय राजीव गांधी को बुलाया, अच्छा फंक्शन हुआ, आपने घोषणा की कि 2 जनवरी को मोहनगढ़ पानी पहुंच जाएगा, क्यों नही पहुंचा? आपने घोषणा की कि पचास हजार हैक्टेयर में पानी पहुंचेगा और बाद में उसको दुरुस्त किया कि पचास हजार एकड़ में पानी पहुंचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी के सामने आपने घोषणा की तो पानी क्यों नहीं पहुंचा। आप राजीव गांधी को खुश करने के लिए उनको भी धोखा देते हैं। आपने घोषणा की थी कि 2 जनवरी को मोहनगढ़ पानी पहुंच जायेगा, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल पर लाइनिंग का, सप्लाई चैनल का कितना काम 2 जनवरी के बाद हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि 2 जनवरी से लेकर अब तक जिस तारीख को पानी पहुंचना था, 2 जनवरी को पानी पहुंचना था उस तारीख से लेकर अब तक कितने करोड़ का अर्थ वर्क हुआ है वहां पर। मैं फिर पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी और माननीय नहर मन्त्रीजी से कि पचास हजार एकड़ के मुकाबले में कितने एकड़ में सिंचाई हुई? कितनी? 142 एकड़, 142 एकड़ में भी नदी नालों से। अब 142 एकड़ में सिंचाई होती है, मैं जानना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी से कि आखिर ये घोषणा क्यों की जाती है। हमारे राज्यपाल महोदय को

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

रात को नींद नहीं आती है। उनको यही डर लगा रहता है कि मोहनगढ़ में आकर दूसरा आदमी पानी रिसीव नहीं कर जावे। कोई नया नेता कोई दूसरा पैदा नहीं हो जावे। इसलिए रोज जाकर तकाजा करते हैं कि इस पानी को ले जावो, इस पानी को रिसीव करो। लेकिन मेरा विश्वास है कि आसानी से पानी जाने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बंदजी से और खास तौर से सरकार से पूछना चाहता हूं कि 76-77 से लेकर 94.0.53 आर. डी. से हमने सिंचाई के लिए चालू कर दिया था, आपने पिछले चार वर्षों में कितना किया है? आखिर राजस्थान नहर का मतलब तो यह है कि कैनाल खोदते जायं और सायमलटेनियसली इरिगेशन का काम शुरू होता जाय। अब इरिगेशन का काम तो शुरू नहीं हो और कैनाल पर खर्चा होता जाय, खर्चा जो होना चाहिए वह तो होगा लेकिन वह खर्चा निकलेगा कैसे? इसका कोई प्रबन्ध राज्य सरकार ने नहीं किया। माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे कि पचास हजार एकड़ की जगह कितनी सिंचाई हुई। 2 जनवरी को पानी पहुंचने वाला था उसमें कितनी कमी रही और 2 जनवरी के बाद में जिस चैनल से आप पानी ले जाना चाहते थे उस चैनल पर कितना खर्चा हुआ है। उससे आपको अन्दाज लगेगा कि राजस्थान में किस प्रकार की सिंचाई की स्थिति रही है।

अध्यक्ष महोदय, परसों या पल्लेदिन एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे नहर मन्त्रीजी और कह रहे थे कि राजस्थान कैनाल कहीं से नहीं टूटी। राजस्थान कैनाल में केवल क्षति हुई है। मैं मान लेता हूं कि नहर टूटी नहीं क्षति हुई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नहर टूटी नहीं, ब्रांचेज टूटी नहीं तो पानी क्यों नहीं पहुंचा। पैसे की कमी नहीं, सीमेंट की इनको कमी नहीं, कोयले की कमी नहीं, पानी रिसीव करने वाले ले आउट की कमी नहीं, चारण वाला हैड पर बटन दबा कर नीला पीला और लाल, पानी रिलीज करने वालों की कमी नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोहनगढ़ में पानी क्यों नहीं पहुंचा। नहर टूटी है, ब्रांचेज टूटी हैं और, अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगा जो मैं देख कर आया हूं, एक आर. डी. पर लाइनिंग नहीं है। यहां पर शाखा दोनों तरफ से टूटी हुई है। 21 आर डी पर शाखा में निर्माण बिल्कुल गलत है। इससे ऊंची 24 आर. डी. है जो पहले नहर आती है उसकी ऊंचाई कम है, आगे जो नहर निकली है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। इस जगह पर पानी शाखा से दोनों तरफ से व्यर्थ गया और मिट्टी के बांधों को तोड़ दिया गया है। 24 आर. डी. पर बंधे और पुल टूटे हुए हैं। 25 आर. डी. पर खारा पानी देने से उसका हैड 29-11-83 को सुबह 10 बजे टूटा जब कि पानी सुबह 2–3 बजे छोड़ा गया। इसमें करीब एक डेढ़ मील तक मिट्टी भर गई और शाखा के दायीं तरफ एक ट्रक, ऊंटगाड़ी और ईंटों के भट्टे और मजदूरों की टीन की छप्परें पानी में डूब गये और ये कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वाटर सप्लाई चैनल 122.1/20 आर. डी. यह वितरिका सवा मील लम्बी है उसमें पांच सौ, छः सौ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फीट लम्बाई में वितरिका टूट गई। (2) 76 आर. डी. पर पांच सौ से लेकर छः सौ फीट की लम्बाई में वितरिका टूट गई। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को डार्क में रखने की कोशिश की गई है कि कुछ टूटा ही नहीं है। पहले भी टूटते थे। पहले भी टूटती थी, मैं कब कहता हूं कि नहीं टूटती थी। जब निर्माण कार्य चलेगा तो उसमें टूटन-फूटन तो होगी लेकिन इस सदन से क्यों छुपाया, जनता से क्यों छुपाया।

श्री चन्दनमल बैद : नहर का हिस्सा, वाटर सप्लाई चैनल नहीं टूटा है। गुमराह आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आप इस समय खुश हो रहे हैं ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं कि नहर कहीं से टूटी नहीं। आज जानकारी करना चाहता हूं, अपनी तरफ से हाउस को जानकारी देते लेकिन ऐसी वाइटल समस्या पर आप चुप रहे और सदन को गुमराह किया....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कोई गुमराह नहीं किया है। आप गुमराह कर रहे हैं हाउस को कि नहर टूटी है। नहर कहीं से नहीं टूटी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप पकड़े गये....

श्री चन्दनमल बैद : आप गुमराह कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपका असली चेहरा जनता के सामने रख रहा हूं। गुमराह तो आप करते रहे हैं जनता को। अध्यक्ष महोदय, यह जो भागीरथ का मुखौटा पहन रखा है इसको मैं चौपड़ पर फेंकना चाहता हूं ताकि लोगों को पता लग जाय कि हकीकत तो यह है, ये भागीरथ नहीं, ये राजस्थान कैनाल का सत्यानाश करने वाले हैं।

(व्यवधान)

मैं, अध्यक्ष, महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को और विशेष रूप से चुनौती दे रहा हूं चन्दनमल जी को, हाउस इस बात का विश्वास करे कि राजस्थान मैन कैनाल है, मैन कैनाल में आपको बताना चाहता हूं कि इस मैन कैनाल में जितना भी बैकलाइनिंग हुआ है, पर्दे में जो लाइनिंग किया है, अध्यक्ष महोदय, घासीरामजी को उसमें चला दो तो फंस जायें। फंस जायें। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब करेंगे आप कि जहां टाइल्स लगनी चाहिए, टाइल्स की जगह छोटे-छोटे खोखरे लगा दिये। रिजेक्टेड टाइल्स के छोटे–छोटे ढेले लगा दिये। जहां पर सीमेंट से प्लास्टर करना चाहिए था वहां पर सीमेंट बिखेर कर जिस तरह से रैलिंग करते हैं वैसे पूरे कर दिया। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो यह सब करवाया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि राजस्थान कैनाल में विधान सभा की एक टीम ले जायं कैनाल में उस समय पानी निकालें और उस समय राजस्थान कैनाल के बैंक को देखें तो मैं आज आपको विश्वास

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से कहता हूं कि जिस समय 9 हजार क्यूसेक्स पानी निकलेगा यह नहर बिखर जायेगी, आसपास के लोग तबाह होंगे और ऐसी हालत राजस्थान की हो जायेगी, इन गरीबों की हो जायगी, जिस हालत के बारे में मैं आज आपको कुछ कह नहीं सकता। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री रामसिंह विश्नोई : पानी तो आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पानी तो आ जायेगा लेकिन डूबने के लिए, सिंचाई के लिए नहीं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को 1126 आर. डी. से लेकर 1195 आर. डी. तक के बारे में और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे कहने से कोई कमीशन नहीं बैठायें, इंक्वायरी नहीं बैठायें लेकिन मैं आपकी ही एक कमेटी नियुक्त करता हूं जो इस बात की जाकर जांच करे कि राजस्थान मैन कैनाल में किस प्रकार का मैटीरियल लगाया गया है, क्या वह नहर टिकेगी। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आज भी क्रेक्स हैं। आज केवल चार सौ क्यूसेक्स पानी छोड़ा है, अभी तो आठ नौ हजार क्यूसेक्स पानी उसमें छोड़ना है। आज जब चार सौ क्यूसेक्स में ही इसकी हालत यह हो जायेगी तो जब आठ हजार क्यूसेक्स पानी जायेगा तो वह न आज बर्दाश्त कर सकती है और न कल बर्दाश्त कर सकती है।

इसलिये कहना चाहूंगा कि सदन की एक टीम बनायी जाय जो जाकर राजस्थान कैनाल में 1126 से 1195 आर. डी. तक मैंने जो रेफरेंस दिये हैं उनकी जांच करे। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति आज राजस्थान कैनाल की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि रामसिंह आयोग चर्चा का विषय है, एक बार उनका भाषण मैंने भी अखबारों में पढ़ा कि रामसिंह आयोग से इंजीनियर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, ईमानदार इंजीनियर्स को घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन बेईमानी जिसने की हो, घबरायें। लेकिन अफसोस की बात है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और चन्दनमल बैद इन दोनों ने भ्रष्टाचार के भूतों के सामने घुटने टेक दिये। आज वहां जांच करिये राजस्थान कैनाल के अन्दर ए क्लास का कांट्रेक्टर नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे। बी क्लास कांट्रेक्टर नहीं मिलेंगे। ऐसे इंजीनियर्स के रिश्तेदार मिलेंगे जो बेईमानी का धन्धा करते हैं। उनको भी नहीं मालूम और लोगों को भी मालूम है लेकिन क्वालिफाइड रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर्स राजस्थान कैनाल में बहुत कम हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय बैदजी जवाब दें उस समय बतावें कि कितने रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर हैं और कितने नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो मैंने आपको जिक्र कर दिया वाटर सप्लाई चैनल जो आर. डी. 1202 से अवाई गांव के पास से निकली है, 105 से 172 तक उसका अलाइनमेंट चेंज हुआ है। अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ क्योंकि कहीं तो फिलिंग होती है और कहीं रोक कटिंग होती है तो पहले वाली अलाइनमेंट में कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर्व आया तो उसको सीधा किया जा सकता है इसको मैं मानता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ऐसा अलाइनमेंट में चेंज किया जाय जिसमें फिलिंग और कटिंग के बारे में ज्यादा कास्ट आती हो वहां पर फिलिंग और कटिंग का काम दिया गया और फिलिंग और कटिंग के अन्दर कितनी मिट्टी पड़ी कितनी नहीं पड़ी यह तो और कभी मौका आया तो हिसाब बताऊंगा लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इसमें भयंकर रूप से कटिंग और फिलिंग में भ्रष्टाचार हुआ है, कटिंग के लिये एक्सप्लाजिव्स और रोड्स खरीदी गई और रोड्स, ड्रिल रोड्स बाजार से खरीदी और फिर ड्रिल रोड्स बाजार में बेच दी गई, एक्सप्लोजिव्स बाजार में बिक गये। यदि इनकी क्षमता का पूरा अनुमान लगाया जाय, कहां कितना कटिंग हुआ उसका यदि हिसाब लगाया जाय और दोनों में सामंजस्य बैठाया जाय तो मेरा आरोप अपने आपमें सही होगा कि एक्सप्लोजिव्स और ड्रिल रोड्स खरीदे गये और बाजार में बेच दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई चैनल बनी है उसमें अधिकांश जगहों पर पूरी मिट्टी नहीं डाली परन्तु भुगतान पूरा कर दिया गया। आज जो मिट्टी पूर्व में डाली बताई वहां दुबारा किया। सरकार पर लाखों रुपयों का अतिरिक्त भार डाला जा रहा है बहुत अधिक मात्रा में। मुख्य मंत्री जी सुनलें, और कहीं कोई कानून लागू होगा लेकिन राजस्थान कैनाल में पर्चेज के लिये कोई रूल्स लागू नहीं हैं। वहां इस बात का हिसाब नहीं है कि राजस्थान में कितने एम. एस. पाइप पड़े हैं, कितने गेल्वेनाइज पाइप और कितने हौज पाइप पड़े हैं, कितनी आवश्यकता है? कौनसे साफ्ट रोलर ने कितना काम किया, मोटरों ने कितना काम किया, ट्रेक्टरों ने कितना किया? कोई लॉग बुक मेनटेन नहीं की जाती। साफ्ट रोलर्स काम करते दिखा दिये जाते हैं, ट्रेक्टर्स को उनके साथ काम करता दिखाया जाता है और ट्रेक्टर्स का डीजल बाजार में बिक जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आप चलें और टीम लेकर चलें नहर का कंपेक्शन नहीं हुआ इसका मूल कारण है कि नहर टूटी है। न ड्राई कंपेक्शन हुआ न वेट कंपेक्शन हुआ इसलिये नहर जगह जगह से टूटी। सामान खरीदा वह रद्दी खरीदा और वह भी इसलिये खरीदा कि वह ज्यादा से ज्यादा बाजार में बेचें। और खरीदा कहां से? उपभोक्ता भण्डार से जो न मैन्यूफैक्चरर है, न तो होल-सेल डीलर है लेकिन कोई हौज पाइप खरीदा तो वहां से, कोई मशीन खरीदी तो वहां से, तार पुलिंग खरीदे तो वहां से, कोई भी सामान खरीदा तो उपभोक्ता भण्डार से। अध्यक्ष महोदय, यह कहां तक सही है लेकिन मैंने जो आंकड़े इकट्ठा किये हैं, तीन से चार करोड़ का सामान ऐसे उपभोक्ता भण्डार से खरीदा है जो न तो मैन्यूफैक्चरर है और न मैन्यूफैक्चरर का होल-सेल डीलर है बल्कि 15-20 लोगों की दुकान लगाली और उपभोक्ता भण्डार के मार्फत जो भी सामान लेना चाहा लिया। वह उपभोक्ता भण्डार से लिया और आप ताज्जुब करेंगे जिनकी रेट्स बाजार में, कुछ आइटम्स की बाजार से 58 प्रतिशत ज्यादा है वह खरीदा। इससे आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
अन्दाज लगालें कि हमने कितनी निगरानी इन सब चीजों की रखी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई बार दुबारा फिलिंग किया गया, नहर के पास जो चौकड़ियां आ गई उनको भरवायें क्योंकि वहां लीकेज हो रहा है, लीकेज होगा। आज मुख्य मंत्रीजी राजस्थान नहर के जैसलमेर और बीकानेर के इलाके में मेरे साथ चलें तो जगह-जगह झीलें हो गई हैं। यह इतना जबरदस्त सीपेज क्यों हो रहा है, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं कुछ गलतियों को टोलरेट भी किया जा सकता है लेकिन लार्ज स्केल पर इस प्रकार लीकेज हो तो, अध्यक्ष महोदय, एक खतरा है नहर टूटने और जमीन खराब होने का इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसे देखने के लिये आप कोई टीम बनावें।

अध्यक्ष महोदय, सीमेंट के घपले कितने हैं। सीमेंट की बात कह कर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता लेकिन सीमेंट के मेरे पास आंकड़े हैं कि कहां-कहां किस तरह से फर्जी सीमेंट लोगों ने दिखाई है। सीमेंट लगी नहीं और बेड में केवल छींटा दिया गया, ऊपर से फेंक कर सारे क्रेश को पूरा किया गया, इसमें जो लेयर आनी चाहिये, सीमेंट का जो प्लास्टर होना चाहिए वह नहीं हुआ तो सीमेंट कहां गई। वह बाजार में बिक गई। इसी प्रकार से कई कामों में सीमेंट लगनी चाहिये थी वह नहीं लगी और बाजार में बेच दी गई। इसलिये मैं सीमेंट के मसले पर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जितना भी अर्थ वर्क हुआ, 2-2, 3-3 बार मिट्टी आ गई नहर में वह बाहर फेंकी। अब पास में खड्डे हो रहे हैं उन खड्डों को भरने के लिये फिर मिट्टी आ गई। तो नहर में से निकाल कर खड्डे में डाल देते तो आपके भी खड्डे भर जाते और राजस्थान की जनता के भी खड्डे भर जाते। लेकिन इन्जीनियर्स ने तो अपने खड्डे भरे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि मिट्टी उठाने में, सामान खरीदने में, कोयला ढोने में, अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ में कोयला ढोने का काम कांट्रेक्टर की मार्फत होता है जिसमें बड़े-बड़े घोटाले हुए जहां रेट 12.50 प्रति टन है वहीं विभाग ने 21.22 प्रति टन कर नुकसान पहुंचाया। रेल से हटा कर अनलोडिंग करने का काम डिपार्टमेंट से आपने करवाया। माननीय मन्त्रीजी को मालूम है, मैं भी कुछ जानकारी लाया हूं वहां पर जो ट्रेक्टर्स के नम्बर दिये गये कि इन ट्रेक्टर्स से माल लोड किया उन नम्बर का उस गांव में कोई ट्रक नहीं है, ट्रेक्टर नहीं है, मोटर साईकिल है, स्कूटर है। फर्जी नाम, फर्जी मस्टर रोल बना कर उनके नाम से पैसे कमा लिये और फिर कोयला लाकर डालना चाहिये था जहां ईंटों के भट्टे हैं उन ईंट के भट्टों के पास डालना चाहिये था वहां नहीं डाल कर दूर डाला गया जहां से लाने का खर्चा ठेकेदार ने उठाया। तो वहां तो लूट मची हुई है। जहां उपलब्धि नहीं, लूट मची हो तो, अध्यक्ष महोदय, यह विचार करना पड़ेगा कि यह घोटाले कम नहीं हैं, बहुत ज्यादा हैं।

अध्यक्ष महोदय, कभी दूसरा मौका आयेगा उस समय सारे आंकड़े आपके सामने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

रखूंगा लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि न तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ, न काम ज्यादा हुआ, न भ्रष्टाचार कम हुआ, न फिजूलखर्ची कम हुई। केवल इस कारण से फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार हुआ कि हमने यह देखा कि रामसिंह कमीशन की रिपोर्ट पर यदि हम कोई कार्यवाही शुरू कर देंगे तो इन्जीनियर्स भड़क जायेंगे। मैं आपकी समस्या को समझता हूं, मुझे भी धमकी दी थी कि हम काम नहीं करेंगे। मैंने कहा भ्रष्टाचार भी करोगे और धमकी भी दोगे तो दोनों काम नहीं चलेंगे। इंजीनियर्स ने धमकी दी और झुक गये। क्या आप यह समझते हो कि इंजीनियर्स राजस्थान कैनाल पर काम नहीं करेंगे तो काम बन्द हो जायेगा? आज इंजीनियर्स की हिन्दुस्तान में कोई कमी नहीं है और कोई आज के दिन आपकी परवाह भी नहीं करता। वे भ्रष्ट हैं, केवल इसीलिये बैठे हैं कि मेरी कमाई होती रहे, बाकी कई तो बहुत माला-माल हो चुके हैं वे आपकी परवाह नहीं करते। इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसा घटिया काम हो जाय, भ्रष्टाचार खूब फैल जाय ऐसे काम से राजस्थान कैनाल को बचायें। और राजस्थान कैनाल की सारी चीज की प्रत्यक्ष जानकारी करनी हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन कीए क टीम, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग जायें, यह देखकर आये, हालत क्या है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्रीजी जब गंगानगर के सम्बन्ध में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बाद में कहा कि धमकी का प्रयोग नहीं किया। बहुत अच्छी बात है कि धमकी का प्रयोग नहीं किया, धमकी का प्रयोग करें न करें लेकिन गोली का प्रयोग अवश्य करेंगे। यह काम में विश्वास करते हैं, बात में विश्वास नहीं है, इसलिये जुलूस निकलेगा तो गोली चलायेंगे। आपके शासन काल में डीडवाना में गोली चली, आपके शासन काल में बूंदी जिले के खेड़ा गांव में गोली चली, एक आदमी वहीं मारा गया। भिवण्डी में गोली चली, एक मजदूर वहां मारा गया, सांगानेर के निकट नागौरियान में गोली चली, जीणमाता में गोली चली और तीन आदमी मारे गये, नोखा में तहसीलदार ने गोली चलाई, घना गोली काण्ड में 6 आदमी मरे और जहां जाटों का झगड़ा हुआ था वहां एक आदमी की बन्दूक चली। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी जब कहते हैं कि मैंने कोटपूतली के अन्दर जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर दी, आप लोगों को शांत हो जाना चाहिये। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी इन्क्वायरी की रिपोर्ट आपने सदन के सामने रख दी है? किस इन्क्वायरी के सम्बन्ध में आप ने हम को जानकारी दी है? डीडवाना की जांच रिपोर्ट आपको नहीं मिली। बूंदी जिले के खेड़ा गांव की रिपोर्ट नहीं मिली। भिवाड़ी की रिपोर्ट आपको नहीं मिली। सांगानेर के निकट जो फायरिंग हुआ उस गोलीकांड की रिपोर्ट नहीं मिली। जीणमाता के निकट जो गोली चली उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आयी। नोखा की जांच आपने नहीं करायी। घना की जांच आपने राजी खुशी स्वीकार नहीं की। 7 नवम्बर, 1982 को गोलीकाण्ड हुआ और, अध्यक्ष महोदय, आपको याद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा, आप गवाह हैं, आपके संरक्षण में हमने दबाव डाला कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जाय। सरकार को मजबूर किया। सरकार ने स्वीकार किया। आज इसके परिणाम क्या हैं ? इसलिये मैं कहता हूं कि आप किसी भी इन्क्वायरी की घोषणा करें, जनता को आज इस बात के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। जुडिशियल इन्क्वायरी होगी तो कोई न्याय नहीं मिलेगा, एस. डी. एम. इन्क्वायरी करेगा तो कोई न्याय नहीं मिलेगा, ए. डी. एम. इन्क्वायरी करेगा तो कोई न्याय नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक ओर न्याय नहीं मिले, फिर लोगों को यह कहा जाय कि मैंने जुडिशियल इन्क्वायरी करा दी अब तो तुम को चुप हो जाना चाहिये, आगे कुछ नहीं करना चाहिये। मैं आप से जानकारी करना चाहता हूं, यह जितनी फायरिंग करायीं उन फायरिंग के मामलों में अभी तक हुआ क्या है ? अध्यक्ष महोदय, अब आप पब्लिक से कहें कि शांत हो जायें, हम सभी कहें कि शांत हो जाओ। आखिर पब्लिक कोई दूसरा तो नहीं है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, धरियावद गया था। रास्ते में ज्यों ही गाड़ी रोकी वहां पर जो लोग थे वे भाग गये। थोड़ी देर बाद आये। मैंने पूछा तुम क्यों भागे। उन्होंने कहा यह ट्रक वाले जब इधर से जाते हैं तो वे लड़कियों को पकड़ कर ले जाते हैं। वे लड़कियों को पकड़ कर अहमदाबाद तक ले जाते हैं और अहमदाबाद से वापस लाते हैं। वहां पर मैंने कहा कोई गई हुई लड़की हो तो मुझे बताओ। यह आपके राज्य की कारीगरी है। मैं, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं उधर बैठने वाले माननीय सदस्य यह जानते हैं कि उदयपुर से रणकपुर तक नेशनल हाइवे है। उस नेशनल हाइवे पर, चाहे जानवर चराने के लिये चली जाये, चाहे लकड़ी बीनने के लिये चली जाये, चाहे मजदूरी के लिये चली जाये कोई लड़की, बस आपरेटर वालों का यह धन्धा बन गया कि वे लड़कियों को उठा कर अहमदाबाद ले जायें। अब मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि यदि यही न्याय व्यवस्था है तो इस न्याय व्यवस्था को कौन स्वीकार करेगा ? उस व्यक्ति की कौन पूजा करेगा ?

अध्यक्ष महोदय, थानों में लोगों को मार दिया जाय, थाने में लोग मार दिये जायें। मैं कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ में भंवरिया बावरी की 30 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई। आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? मैं इसी के साथ-साथ यह जानकारी करना चाहता हूं कि यह सारी गिरफ्तारियां हुई–हत्या के कथित अपराधी ने थाने में दम तोड़ा। यह जयपुर में हुआ। अध्यक्ष महोदय, वह भी थे....

एक माननीय सदस्य : यह धरियावद में कर्म करने वाले आपकी पार्टी के लोगों ने ही किया है। हमारी पार्टी के लोग नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने यह स्वीकार कर लिया कि काम तो होता है। कौन करता है यह मुख्य मन्त्रीजी जानें। आपको देख कर तो कुए में पड़ जाती, भागने का सवाल ही नहीं...,

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे को फूल-मालाएं पहिनायी हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पुलिस हिरासत में मृत्यु। अध्यक्ष महोदय, वल्लभ-नगर में खेरोदा थाने में एक सिपाही ने पुलिस के आदमी को मारा। इसकी सदन में चर्चा हुई। उस हालत में मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस हिरासत में यदि आदमी मर जाये, कोटा में मर गया, भीमगढ़ थाने में मर जाये, इन मामलों में क्या आप यह चाहेंगे कि लोग बोलें नहीं ? थाने पर प्रदर्शन नहीं करें ? क्या किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करें ? अध्यक्ष महोदय, यह 'मरने वाले, यह सब यदि आप कागज देखें तो ऐसा लगता है जैसे इन सारों के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। अब मैं यह पूछना चाहूंगा कि मेरे पास दो समा-चार पत्र हैं। युवती से बलात्कार के आरोप में सिपाही निलम्बित। यह एक घटना है। छात्रा से बलात्कार में थानेदार व दो सिपाही निलम्बित। पूछताछ के बहाने बुला कर थाने में बलात्कार। यह सब अलग-अलग घटनाएं हैं। पुलिस अकादमी में एक और बलात्कार। थाने में पुलिस द्वारा युवती से बलात्कार। जोधपुर संवाद। महिला से तीन जनों ने बलात्कार किया। कोटा में पुलिस अकादमी के अहाते में बलात्कार। यह दो बलात्कार। कैथून के थानेदार पर बलात्कार का आरोप। राज-पूत युवती के साथ बलात्कार, बीकानेर। थाने में बलात्कार से पहले यातना दी गयी। अध्यक्ष महोदय, रामगंज थाने में बलात्कार। अब मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, यदि कोटपूतली में बलात्कार होता है, उस महिला को अपने पति के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि वह बीमार है वह घर से तीन बजे निकली, चार बजे उसके पास पुलिस के दो सिपाही पहुंचे, बजाये इसके कि वे उसको बस में ले जाकर बिठाते, घर ले जाने के बहाने वे एक सूनी जगह पर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठे हुए महारथियों से, यदि आपकी और मेरी बहिन बेटी के साथ पुलिस वाले बलात्कार कर जायं तो आप में से कौन सा मर्द पैदा हुआ है जो थानेदार को जाकर गुलाब का हार पहिना दे ? कौनसा है जो थाने के अन्दर जाकर पुष्पहार चढ़ाये ? अध्यक्ष महोदय, जब यह सारी घटना शहर में फैली, मैं कांग्रेस के उस युवक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने इस अन्याय के विरोध में लोगों को इकट्ठा किया। जुलूस निकाला, जुलूस लेकर निकल गये, उसके ऊपर गोलियां चलीं, तीन आदमी मर गये और 30 के करीब घायल हो गये। अब मैं मुख्य मंत्रीजी से एक जानकारी करना चाहूंगा, आप जांच करवा रहे हैं किस बात के लिये ? जुडि-शियल इन्क्वायरी किस बात की करवा रहे हैं ? आप मंगवा लीजिये सब की इन्जरी रिपोर्ट। उसको देखिये कि 303 की बुलेट हैं या 12 बोर की बुलेट है। उस समय आपको पता लग जायेगा कि पुलिस के पास 303 के बजाय 12 बोर के छर्रे कहां से आये ? सब इन्सपेक्टर ने अपनी निजी बन्दूक से लोगों को भूना। यह तथ्य है। लेकिन इस 12 बोर के लिये कहेंगे क्या ? यह भीड़ में से किसी ने गोली चलायी। भीड़ में से गोली चली और भीड़ को ही लग गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर दी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रेप हुआ इस सम्बन्ध में क्या हुआ ? मैं, अध्यक्ष महोदय, 6 बजे वहां के अस्पताल में पहुंचा। उस समय अस्पताल के अधिकारियों को पूछा, पुलिस के चोट आयी क्या ? उन्होंने कहा, एक आदमी के नहीं आयी। उनके जिन कान्स्टेबल ने रेप किया उनकी क्या मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो गयी ? वह भी तैयार नहीं है। रेप करके आये। स्नान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद रेप के मामले में उनको गिरफ्तार किया जाये, मैं पूछना चाहता हूं उनके कपड़े आपने क्यों नहीं जब्त किये। वह भी आपने जब्त नहीं किये तब, अध्यक्ष महोदय किस आधार पर जांच करेंगे ? क्या जांच करेंगे ? जनता ने मांग की कि जांच करवावें तो सही करवावें। इसके लिये थाने वालों को पहले हटावें। अध्यक्ष महोदय, आप चले जाइये, किसी एक मन्त्री को और ले जाइये। जहां-जहां भी गोलियों के निशान थे, उन सब को मिटाने की कोशिश की गयी है। आखिर यह कोट-पूतली में जोश क्यों पैदा हुआ ? वहां पर चोरियां लगातार होती थीं। हर आदमी पुलिस से दुःखी था। चोरियों के सम्बन्ध में एक महीने पहले वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। जुलूस निकाला। जिन लोगों ने अगुवाई की उनको पुलिस वालों ने पीटा। जन-आक्रोश था। वह जन-आक्रोश इस घटना के रूप में प्रकट हुआ। और गोलियां खाकर तीन मर गये, बाकी के लोग घायल हो गये। मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी, इस मामले को आप टालरेट नहीं करें। खैरथल में गोली चली, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, मुझे यह कहा गया कि रेल के नीचे कोई डीटोनेटर आ गया, उस के छर्रे लग गये। कहां खैरथल में गोली चलने की आवश्यकता थी ? खैरथल में गोली चली। हरसोली में गोली चली। नयावास में गोली चली। नयागांव में गोली चली। अलवर में फायरिंग हुआ। आप राज गोली से करना चाहते हैं ? आप धोखे में हैं मुख्य मन्त्रीजी। गोली से राज नहीं चलेगा। आप इस धोखे में मत रहिये कि आपके पास जनमत है। आप इस धोखे में मत रहिये कि जनता के ऊपर गोली और लाठी चलाकर आप जनता को काऊ डाउन कर सकते हैं। जनता यूं दबने वाली नहीं है। आपने यदि ज्यादा गोली चलायी, दोषियों को प्रोटेक्शन दिया तो फिर जनता टूटेगी ही नहीं वह निश्चित रूप से आगे आयेगी। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि जनता को कानून हाथ में लेने की प्रेरणा आप देंगे तो यह आप अपनी अयोग्यता और अकर्मण्यता के कारण देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जयपुर का हाल क्या है ? पांच बत्ती पर लूट, शोरूम को शाम के 7 बजे लूट लिया गया। आज तक, अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं सुना होगा, दूसरे राज्यों में होता है या नहीं मैं नहीं कह सकता, कत्ल के लिये लोगों को हायर कर लिया जाये। जयपुर में एक आदमी की हत्या की गयी, 6 हजार रुपये में उसको किराये पर लिया गया। आज तक अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं सुना होगा कि ट्रान्सपोर्ट नगर के हीरालाल जैन को पकड़ कर दूसरे लोग ले गये और अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गयी। आज तक, अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं सुना होगा कि जयपुर के आस-पास बस्ती के इलाके में रोज डाके पड़ जायें, रोज चोरियां हो जायें, हालत यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है कि आज गांव के लोगों ने औरतों की पांव की कड़ियां लाकर जयपुर के बाजार में रख दी हैं। यह कड़ी औरत पहने हुई होगी तो पैर काट ले जायेंगे....

आप कहते हैं कि राज है, इसको आप राज कहते हैं मेरी यह समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, घूमर की तरह चौकी गंगानगर में, माननीय सदस्य मुझे करेक्ट करें, वहां पर एक आदमी को थाने में मार दिया और उसका केस रजिस्टर नहीं किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खेमका कांड में जो बेगाराम गवाह है, उसको पुलिस ने आज तक पेश नहीं किया। उसको बचाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, वह खेमका कांड है जिसको लेकर विरोधी दल के सदस्य उत्तेजित हुए थे और उस समय कहा गया कि कांग्रेस के सदस्य जो गंगानगर से आये थे ने इल्जाम लगाये कि खेमकाकांड में वे दोषी नहीं हैं। लेकिन दोषी का जब पता लगा तब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। पुलिस आज भी कोशिश कर रही है कि उसके गवाह को वहां किसी भी प्रकार से पेश नहीं किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एक कोटपूतली की घटना हो जाय, ऐसी बात नहीं है। काजीपुरा की घटना तो मैं समझता हूं इतिहास में शायद ही आज तक किसी ने न सुनी होगी। मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि यदि मैं पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करूं, एक अखबार के इन्टरव्यू में छपा था कि मैं थाने के खिलाफ कार्यवाही करूंगा तो पुलिस बगावत कर देगी। पुलिस की बगावत के डर से आप लोगों को पिटने दें, मारने दें! अध्यक्ष महोदय, क्या अन्याय लोगों के साथ नहीं हो रहा है? क्या अन्याय नहीं किया है? इस सदन में मुझे कहते हुए शर्म आती है कि गुप्तांगों में डण्डे लगाकर, पेट्रोल डालना, एक दूसरे को मारना! अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि एक बाप का पेशाब बेटे को पिलाना और बेटे का पेशाब बाप को पिलाना, मैं समझता हूं इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, अप्राकृतिक अत्याचार लोगों के साथ करते हैं और उस पर राजस्थान के मुख्य मन्त्री कहते हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करूंगा तो पुलिस बगावत कर देगी। मुख्य मन्त्रीजी पुलिस बगावत नहीं करेगी और यदि करेगी तो यह आपकी जिम्मेदारी है। जिस समय जनता बगावत कर देगी उस समय पुलिस और आप दोनों को देख लेगी। आपने क्यों तीन महीने बाद सस्पेण्ड किया? क्या इल्म पैदा हो गया था? दिल्ली से हुकम आया, मुअत्तिल करो तो दिल्ली के तो फरमाबरदार हैं। वहां यदि इन्दिराजी को जुखाम हो तो एनासीन की गोली मुख्य मन्त्रीजी, शिवचरण माथुर इस विधान सभा में खायेंगे। यह हालत जिन लोगों की हो। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से ऐलान हुआ कि मुअत्तिल कर दो और आपने मुअत्तिल कर दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या लोग झूठ बोलते हैं? लोगों को पुलिस से कोई नाराजगी थी जिस नाराजगी के कारण से काजीपुरा जैसा अपराध हुआ और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई? मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार ने अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने रिकार्ड कायम किया,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में कभी भी बैंक डकैती नहीं हुई है, यह आपका राज है जिसमें तीन बैंक डकैती हुई हैं। यह आपने एक रिकार्ड कायम किया कि गंगानगर के मालखाने से जहां तीन तरफ से पुलिस लगी हुई है, तीनों तरफ सन्तरी खड़े हैं उस मालखाने से माल चला जाय, मालखाने से माल बरामद नहीं हो। उस हालत में आप विचार करें कि राजस्थान की क्या हालत होगी ? चोरियां बरामद नहीं होतीं, डाके बरामद नहीं होते, मुख्य मन्त्रीजी वक्तव्य देते हैं कि यू०पी० की सरकार हमारे को कोआपरेट नहीं करती है। मैं पूछता हूं कि किस बात के लिए कोआपरेट करें। कुछ मुल्जिम यहां यू०पी० के पकड़े गये। मैं कहता हूं कि कोआपरेट नहीं करती है मुल्जिमों को मौका कैसे मिल जाता है। वे समझते हैं कि राजस्थान में पोल है, चलो राजस्थान में डकैती डालो और गाड़ी में बैठकर चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज के दिन कोई ला एण्ड आर्डर नहीं है। बस में जायें तो लूट लेते हैं, ट्रेन में, कार में जाय तो लूट लेते हैं। घर के बाहर सड़क पर जायें तो लूट लेते हैं, घर में सोये हुए हों तो लूट लेते हैं। सड़क के ऊपर महिला की चेन उतार कर लूट ली जाती है, गले से जंजीर छीन लें। ऐसी हालत में आप कह सकते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। मैं कहता हूं कि राजस्थान में आज के दिन कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तो राज असामाजिक तत्वों का है। मुख्य मंत्रीजी यह मानकर चलें कि असामाजिक तत्व यदि पनप गये तो ये न तो आपके वफादार हैं और न ही हमारे वफादार हैं। इनको तो जिस दिन मौका मिलेगा....

श्री चन्दनमल बैद : आपके जरूर वफादार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैंने बैद जी को असामाजिक तत्व नहीं बताया है। ये मुख्य मंत्रीजी के वफादार नहीं हैं। मैंने तो आपके लिए थोड़े ही कहा था। मैंने तो असामाजिक लोगों के लिए कहा था। मैं तो कहता हूं, असामाजिक लोगों की न तो जाति होती है, न कोई धर्म होता है और न कोई परिवार होता है। जिस चीज से उनको लाभ उठाना है उस चीज का वे लाभ उठायेंगे। इसलिए इन हालात के अन्दर यदि आप यह मान कर चलें कि राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है तो बहुत मुश्किल है यह कहना कि राजस्थान में शांति और व्यवस्था किसी प्रकार से राजस्थान की सरकार कायम कर पायेगी। मैं इस हालत में, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कानून की स्थिति बिलकुल खत्म हो गई है। अध्यक्ष महोदय, हम शिकायत करने के लिए कहां जायें ? कुछ साधन हैं जिनके आधार पर हम लोगों की शिकायत कर सकते हैं। एक साधन है मुख्य मंत्री जी का। मुख्य मंत्री जी से कोई शिकायत करें तो मेरे से तो भगवान ही जाने चिढ़ है और आप लोगों से भी होगी। मेरे तो पत्रों का उत्तर बहुत ही कम मिलता है, शायद फुर्सत नहीं मिलती होगी या आवश्यक नहीं समझते होंगे लेकिन मैंने कई माननीय सदस्यों से पूछा है तो वे कहते हैं कि आपके तो एक-दो पत्र के जवाब आते हैं परन्तु हमारे तो एक भी पत्र का जवाब नहीं आता है। तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैंने कहा, यह डिफरेंसियल ट्रीटमेंट मुख्य मंत्रीजी का मेरे साथ है इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो हम शिकायत करने के लिए कहां जायें, यह जरा बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अभी तो विधान सभा चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, संजय ट्रेडिंग कार्पोरेशन जिसको 6 हजार क्विंटल गेहूं का परमिट दिया था जिसकी जांच माननीय मन्त्रीजी ने ए०सी० डी० को दी और जांच ए०सी०डी० से वापस भी आ गई। जिस जांच के अन्दर आरोप प्रमाणित हुआ जो स्पेशल आई. जी. है उस स्पेशल आई. जी. ने दबाव नहीं माना लेकिन इन्वेस्टीगेशन आफिसर ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले में आपने क्या किया? जिन्दल ग्रामदान मिल जिसकी चर्चा इसी सदन में हुई थी, को 5 हजार 500 बोरियां 23 वैगन लोड करने की बैन होने के बावजूद जो अनुमति दी गई, जिसकी जांच के लिए इस सदन में घोषणा की थी उसका आपने क्या किया? राइस प्रोक्योरमेन्ट में जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दिया, जिसके बारे में आपने टाइम्स आफ इंडिया को इन्टरव्यू देकर यह कहा कि इसमें मैं दोषी नहीं हूं, एग्जम्पशन की फाइल मेरे सामने नहीं आई, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? सिटी में बस चलाने के संबंध में लोगों ने ज्ञापन दिया और कई प्रकार के आरोप लगाये। मैं पूछना चाहता हूं कि उन आरोपों की जांच के लिये किसके पास जायें?

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में खाद में मिलावट, बीज में मिलावट, सीमेंट में मिलावट, सरसों के तेल में मिलावट, मवेशियों के लिये जो दवाइयां दी जाती हैं उनमें मिलावट। रसद विभाग के इन्सपेक्टर द्वारा मिलावटी खाद पकड़ने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हम क्या करें। मैंने इस सम्बन्ध में विचार किया, 'प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर वीडिंग आउट ग्राफ्ट' यह आपकी नेता का अखबार में छपा है, 'प्राइम मिनिस्टर काल्स फार वीडिंग आउट ग्राफ्ट।' अब इस सम्बन्ध में मैंने विचार किया, राजस्थान में लोकायुक्त नहीं है, लोकायुक्त की नियुक्ति किसी भी प्रकार होनी ही चाहिये। तो, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी और उनसे अपेक्षा की कि लोकायुक्त का पद दो साल से खाली पड़ा है, उस लोकायुक्त के पद पर किसी की नियुक्ति की जाय। तो पहले तो सरकार विचार करती रही कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के. डी. शर्मा जिस समय रिटायर होंगे उनको इस पर नियुक्त कर दिया जाय। लेकिन उनके सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार की चर्चा हुई, कुछ समाचार इस प्रकार के आये कि अभी तक नियुक्ति नहीं की गई।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

गवर्नर महोदय ने कह दिया कि मैंने अपना प्रयास कर लिया, राज्य सरकार को लिख दिया। अध्यक्ष महोदय, न इनको लोकायुक्त मिलता है न उप लोकायुक्त मिलता है न, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये इनको कुलपति मिलता है, न राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए इनको रजिस्ट्रार मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है, विश्वविद्यालय अब आई. ए. एस. को दे दें। लोकायुक्त को लाओ मत, भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, राजनाथ सिंह, जो बड़े योग्य, सुयोग्य व्यक्ति हैं को गलत ढंग से आपने चार्ज शीट दी और चार्जशीट देकर ढाई वर्ष तक उस आदमी का अपमान किया, उसके बाद में चार्जेज क्या प्रूव हो गये? हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला मौका होगा और राजस्थान विश्वविद्यालय का कलंक होगा कि वाइस चांसलर को अकारण ढाई वर्ष तक अन्डर सस्पेन्शन रखा जाय। चार्ज प्रूव नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने क्या फैसला कर लिया है कि वह इन शिक्षा के मन्दिरों को भ्रष्ट कर देगी या ऐसे अधिकारियों के अधिकार में दे देगी जिनका शिक्षा से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी अब इस लोकायुक्त के सम्बन्ध में यदि आप कोई नियुक्ति नहीं करना चाहते तो हम कहां जायें, किस प्रकार से जायें? अध्यक्ष महोदय, अब आप कहेंगे कि जुडिशियरी के अन्दर ये मामले जाने चाहिये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियरी की परवाह कौन करता है। कौन करता है जुडिशियरी की परवाह। खेतड़ी के एक मजिस्ट्रेट को एक सब-इन्सपेक्टर ने इसलिये गिरफ्तार कर लिया कि वे बिना टिकट थे, झूठा मुकदमा बनाया। मुख्य मन्त्रीजी, मैं पूछना चाहता हूं आपने उस सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया। वही सब इन्सपेक्टर एक मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने के लिये हथकड़ी लेकर के कोर्ट में चला गया। आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? अजमेर के अन्दर एक मजिस्ट्रेट ने वकीलों को धमकाया, कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। जब वकीलों ने उसका प्रोटेस्ट किया, वाक आउट किया, प्रस्ताव पास किया तो, अध्यक्ष महोदय, आपने हिन्दुस्तान में पहली बार सुना होगा कि अजमेर के सारे मजिस्ट्रेटों ने 'एक हो जाओ' का नारा लगाया और सब एक हो गये। अदालतों का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करने के बाद में बैठे। तो वकीलों ने बहिष्कार कर दिया और वकीलों की अदम मौजूदगी में, अध्यक्ष महोदय मुवक्किलों का क्या हाल हुआ होगा। हजारों मामले कोर्ट ने वैसे ही तय कर दिये। राजस्थान के चीफ जस्टिस को शिकायत की गयी। मैंने चीफ जस्टिस को शिकायत की, जिन लोगों को सजायें मिल गयीं, जो लोग बरी हो गये, मामले खत्म हो गये आज उनकी हालत क्या होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बारां के अन्दर एक रेप हुआ उसमें चार पुलिस के सिपाही हैं, तीन पुलिस के सिपाही हैं, एक महिला के साथ बलात्कार किया। महिला कौन थी? खानाबदोश उस लड़की को पकड़ना चाहते थे बाप के विरुद्ध। उसने कह दिया कि मेरी मौजूदगी में लड़की को नहीं ले जाने दूंगा। बाप के ऊपर पुलिस ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गोली चलाई। बाप मर गया। पुलिस ने केस रजिस्टर किया। लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद में चालान हुआ। चालान होने के बाद किसी ने भी पैरवी नहीं की। जज ने लिखा है, 'यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे खानाबदोश लोगों को ऐसी नृशंस घटनाओं का शिकार बनाया गया है। विशेषकर एक महिला का शीलभंग करने की घटना का प्रतिरोध करते समय देवीसिंह को मौत का शिकार होना पड़ा। इस प्रकार यह घटना सही है तो अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी घटना के ऐसे सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने की अवस्था में इस आशंका को निर्मूल नहीं किया जा सकता।' मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह तो अदालत की हालत है। जोधपुर में एक शायद डी० एस० पी० हैं या एडीशनल एस० पी० हैं, मैं कह नहीं सकता, एक आदमी को गुण्डों ने पीटा। मुकदमा बनना चाहिये। मुकदमा बन गया। चालान कर दिया और चालान करने के बाद आज तक आपने नहीं सुना होगा कि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या प्रोसीक्यूटिंग इंस्पेक्टर की ओपिनियन लिये केस विथड्रा कर लिया। पुलिस वाला यदि आपके लोगों से पिटे तो केस विथड्रा और पुलिस वाला आम जनता से पिट जाय तो गोली। यह क्या भेद कर रहे हैं। यह किस बात का भेद है लेकिन बिगड़ा किसी का कुछ नहीं। ये हैं श्रीमान् अहमद बख्शी, जो यहां बैठे भी नहीं हैं, केस उन्होंने विथड्रा कर लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ लोकायुक्त को चिट्ठी लिखी और लोकायुक्त को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि यह इनका जो काम है, लोकायुक्त का जो कानून बना हुआ है, उसमें गलत, मिसयूज आफ पॉवर की परिभाषा में आता है और दण्डनीय अपराध है। राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी लिखी है। मुझे अफसोस हुआ है, इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है सदन में तो मुझे चिट्ठी लिखी है कि जो अहमद बक्श सिन्धी ने हाउस में कह दिया उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। हाउस में वे कभी बोले ही नहीं हैं। अब हालत यह हो गई कि कहां शिकायत करें। कहीं गुंजाइश आज राजस्थान में नहीं रही। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं, भ्रष्टाचार राजस्थान में बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं करवाये? मैं पूछना चाहता हूं कि बैंक्स के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? आपको यही अभिमान है न कि आप जीतेंगे। जीत जायं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जनता जिसको वोट देगी वह जीतेगा लेकिन आप चुनाव क्यों नहीं कराते। ऐसी हालत में पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आखिर लोग जायें तो कहां जायें। अब रहा मेडिकल डिपार्टमेंट। इसके बारे में जितना कम कहा जाय उतना ही ठीक है।

एक माननीय सदस्य : इस पर आप बहुत थोड़ा कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दवाइयों की खरीद के घोटाले को अभी टाइम लगेगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक किस्सा ही बताना चाहता हूं। वह भी इसलिये बताना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी शायद यह कहेंगे कि ऐसे कत्ल के मामलों में मेडिकल ऑफिसर्स का व्यू किस प्रकार का रहता है, इन्डिपेन्डेंट रहता है, इनके ऊपर विश्वास किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मलेरिया विभाग में एक इन्सपेक्टर छोटूलाल सन ऑफ रामलाल है। मलेरिया विभाग में फील्ड वर्कर की पोस्ट पर कार्य कर रहा है। उसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। केस रजिस्टर हुआ और केस रजिस्टर होने के बाद उस आदमी का चालान हो गया। जेल में रहा। उस आदमी को सस्पेंड नहीं किया गया। जेल में रहा उस समय एक फर्जी डाक्टर है उसने सर्टिफिकेट नहीं बनाया, एक आर. एम. पी. है उससे सर्टिफिकेट लेकर उधर तो जेल में है इधर छुट्टी दिखा दी। उस आदमी को सस्पेंड नहीं किया गया। कोई दूसरा होता। तो सस्पेंड भी होता और सब कुछ होता। इसके बाद, श्रीमान् खेतसिंह जी साहब, वही डाक्टर, जिसको मालूम है कि इसने एक अबोध लड़की के साथ बलात्कार किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। चालान किया, जमानत नहीं हुई। मामला अभी तक चल रहा है। उसको सर्टिफिकेट देते हैं। मैंने तो उस सर्टिफिकेट को सुनाने के लिये चर्चा की है। सर्टिफिकेट है: कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मलेरिया विभाग, क्रमांक 4080 दिनांक 30-7-83 प्रमाणित किया जाता है कि श्री छोटूलाल मैदानी कार्यकर्ता निलम्बित पुत्र श्री रामलाल निवासी शिवराना इस इस विभाग में दिनांक 8-11-81 से कार्यरत है इनका कार्य एवं व्यवहार सेवावधि में बड़ा संतोषप्रद रहा है। इनका चाल-चलन अतिउत्तम है।" अब इससे अन्दाज लगा लें, सरकार है क्या? अध्यक्ष महोदय, अभी पाला पड़ा, तबाही होगी, गेहूं की तबाही होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान् सवाल करते हैं कि किसी मलेरिया के इन्सपेक्टर के लिये वहाँ के डाक्टर ने चाल–चलन अच्छा लिख दिया और आपकी पार्टी कर रही है शेम-शेम। इसमें क्या शेम है। हजारों

(4.10 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

एम्प्लाइज हैं। अब इस डिपार्टमेंट में 50 हजार एम्पलाइज हैं किसी ने गलती की है, वह आप मुझे पत्र लिख देते तो मैं कार्यवाही कर देता। आप को यहां पर इतना बड़ा काण्ड बनाने की इतनी क्या आवश्यकता है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके विभाग में ऐसे कई मामले हैं इसलिये इन्हें कुछ लगेगा नहीं। ये बिलकुल सही हैं, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। अगर आप चाहें तो मेडिकल डिपार्टमेंट की इस तरह के दो उदाहरण आपको दे दूँगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी को जानकारी होगी कि जयपुर की प्रीमियर वेजिटेबल में आग लग गयी और सात आदमी जल गये। आपने उसकी किस से जांच करायी? एक बालूराम एस. पी. से। आग कैसे लगी? उसकी कितने फैक्ट्रीज हैं। मेरी समझ में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं आता, सभापति महोदया, उस जांच का भी हुआ क्या ? 7 आदमी मारे गये, एस. डी. ओ. से जांच हो रही है। वह जांच किसी बड़े अधिकारी से करवा लेते। उस एस. डी. ओ. को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वह तो वेजिटेबल फैक्ट्री है, मामूली से मक्खन से काम चल जाय। तो फैक्ट्री वाले बालूराम को छोड़ेंगे, बालूराम अच्छी रिपोर्ट दे सकेगा। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी, आप जवाब दें, उस समय यह भी बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ।

सभापति महोदया, राजस्थान का प्लान 430 करोड़ रुपये का। मुख्य मंत्री जी बड़ी बहादुरी के सर्टिफिकेट इस सदन में सुनाया करते हैं। कभी कहते हैं, मेरी भगवत झा आजाद ने तारीफ कर दी। एक खुशी है कि कोई दूसरा मुख्य मंत्री जी की तारीफ में वक्तव्य नहीं देता। मुख्य मंत्री जी खुद ही पत्रकारों को कहते है कि प्लानिंग कमीशन ने मेरी तारीफ की है, इन्दिरा जी ने मेरी तारीफ की है, भगवत झा आजाद ने मेरी तारीफ की है, अमुक मिनिस्टर ने मेरी तारीफ की है। और अखबार छाप देता है कि मुख्य मंत्री जी की तारीफ हुई। मुख्य मंत्री जी, आपकी तारीफ होती तो प्लान कम क्यों होता ? मुख्य मंत्री जी, यदि आपने बहुत बढ़िया काम किया होता तो प्लान छोटा क्यों होता ? 416 से 430 करोड़ तो पहुंच गया, लेकिन यदि इन्फ्लेशन की साढ़े सात से 10 प्रतिशत की रेट को निकाल दें तो एक्चुअल प्लान छोटा हो गया। और छोटा हो गया-तो इसमें आपकी बहबूदी नहीं है। आप कहेंगे कि आरम्भ में नहीं कर पाये, एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं कर सकते थे, तो आपके सामने वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, राजस्थान विधान सभा का इतिहास उठाकर देख लें, 82–83 में जितने टैक्स राजस्थान में लगे, उतने टैक्स इस विधान सभा में एक साल में कभी नहीं लगे। उसके बाद में भी टैक्स लगे। आपने शराबबन्दी खोल करके उससे भी इन्कम की। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची को रोक नहीं सकते हैं तो पैसा कहां से आयेगा, किस जगह से पैसा मिलेगा, कहां से बचेगा ? वह पैसा तो बच नहीं रहा है। प्लान के लिए जितने रिसोर्सेज चाहे वे नहीं मिल नहीं रहे और बाढ़ और अकाल राहत पर अनाप-शनाप पैसा खर्च कर दिया, राजनीतिक आधार पर खर्च कर दिया। भीलवाड़ा को टार्गेट बनाकर कर दिया। उसी का परिणाम यह है कि राजस्थान में फाइनेन्सेज की कमी हो गई, प्लान छोटा हो गया। छोटे प्लान में 430 करोड़ के प्लान में 52 प्रतिशत इरिगेशन और पावर पर, 28 प्रतिशत कम्यूटेड खर्चा कुल 80 प्रतिशत का खर्चा हो गया। माननीय सदस्य इन्तजार कर रहे हैं कि नये स्कूल्स खुलेंगे, नये कॉलेजेज खुलेंगे, नयी सड़कें बनेंगी। यही होगा, यह तो भाषण में कह दिया जायगा। राजस्थान में विकास की गंगा, जिसका प्रचार मुख्य मंत्री जी किया करते थे, वह गंगा तो बंद हो गयी, गंगा तो सूख गयी। उस गंगा में इस साल पानी आ जाय, मुझे इसका विश्वास नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : 15 तारीख का इंतजार करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 15 नहीं मैं तो उम्र भर इंतजार करूंगा मैं यह कहना चाहूंगा ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री चेतराम मीणा : गंगा जल तो बेचकर खा गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों बोल रहे हो, राम किशोरजी यहीं बैठे हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इनको बता रहा हूं । इनके अलग-अलग हथियार हैं । इनका भी हथियार हैं । देख लीजिए, शक्ल अब कैसी हो गयी ।

मैं इसलिए कह रहा था, यह प्लान छोटा हो गया, यह आपत्तिजनक है, इसलिए है कि यह अगले प्लान का बेस ईयर है । अगले साल के प्लान का बेस ईयर हो और इस साल का एनुअल प्लान छोटा हो जाय तो यह हमारे लिए संकट का कारण होगा, राजस्थान का विकास इससे निश्चित रूप से रुकेगा ।

सभापति महोदया, राजस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका एक चित्र प्रस्तुत करना चाहूंगा । जैतारण के उप जिलाधीश कार्यालय की नीलामी होने का आदेश हो गया । नीलामी हो गयी उसकी उनके नाम । गवर्नमेण्ट के नाम कुछ बकाया थी, भुगतान नहीं किया, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिये, नीलाम किया जाय । सरकार की साख तो यह है । पाली में मजिस्ट्रेट कैसे हैं कि कमाई के लिए झूठे वारण्ट इश्यू कर दें । यह सरकार है कहां जिसको आप सरकार कहकर चलते हैं । ऐसी हालत में मैं सभापति महोदया, इस सरकार के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर सकी, न यह सरकार जनता का भला कर सकी लेकिन सबसे ज्यादा शोषण इसने किसान का किया है । किसान का इस रूप में शोषण किया कि राजस्थान में गेहूं की निकासी पर पाबंदी लगा दी, राजस्थान का गेहूं राजस्थान से बाहर नहीं जा सकता । हरियाणा का गेहूं कहीं भी जा सकता है, हरियाणा का गेहूं राजस्थान में होकर भी जा सकता है, सभापति महोदया, गुजरात में दो सौ-सवा दो सौ रुपए क्विंटल गेहूं बिकता है, राजस्थान में 150 रुपए क्विंटल है । लोग हरियाणा की चुंगी चौकियों से रमन्ने कटाकर उदयपुर में ट्रक भरकर वहां से सीधे गुजरात ले जाते हैं । पाबंदी किस बात के लिए ? किसान पाले से मर गया, किसान, खाद और बीज में फलासी और मिलावट के कारण मर गया, उस किसान को आप पूरी कीमत देना नहीं चाहते हैं । इधर तो किसान की यह हालत है । सभापति महोदया, आप ताज्जुब करेंगी, किसान की यह हालत है । मुख्य मंत्रीजी का जब पहला साल था, बाढ़ में किसान को चौपट कर गये, दूसरे साल मुख्य मंत्रीजी अकाल में सारे किसानों को चौपट कर गये, तीसरे साल पाला, सर्दी और एक्सीडेण्ट और एक्सीडेण्ट भी कम नहीं हुए; सभापति महोदया, एक साल में सात हजार । 7 हजार आदमी उनमें मारे गये । तो मुख्य मंत्रीजी का कुछ तो पग फेरा, राजस्थान में कहते हैं, है ही ऐसा कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान की हानि होगी। लेकिन मैं, मुख्य मंत्रीजी, आप से पूछना चाहता हूं, गेहूं की निकासी क्यों नहीं खोलते हैं? इसके बावजूद आप डण्डे मारकर किसानों से रिकवरी कर रहे हैं। मैं अभी धरियावद गया, मुझे गांव का नाम याद नहीं, वहां भीलों को कांटों पर चलाया। टोंक के पास में ....

श्री सभापति : बैठे हुए बातें नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं जानता नहीं कि कौन है वह, मैं यह निवेदन कर रहा था........

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था, उस स्थिति में कांटों पर चलाया। टोंक में समाचार-पत्रों में समाचार छपा है कि ठण्ड के अन्दर ठण्डा पानी डाला गया। डण्डे मार कर लेवी वसूल कर रिकवरीज की जायं और फिर क्रेडिट लिया जाय कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुई है। तो इस तरह का क्रेडिट लेना राज्य सरकार के हित में नहीं है। मैं चाहूंगा, इन सारे मसलों के ऊपर सरकार विचार करे। गेहूं की निकासी पर जो पाबंदी लगा रखी है, उस पाबंदी को हटायें। आज किसान को पैसा नहीं मिलता है, उपभोक्ता को पैसा नहीं मिलता है और जो बीज के स्मगलर हैं, हरियाणा की बार्डर से रमन्ने कटाकर काफी मात्रा के अन्दर गेहूं गुजरात और बाकी के राज्यों में ले जाते हैं। मैं समझता हूं, खाद्य मंत्री जी, सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहब, आप किसानों के प्रतिनिधि हैं, मुख्य मंत्रीजी का तो किसानों से लेना देना नहीं है, इस प्रश्न के ऊपर आप गम्भीरता से विचार करेंगे। ऐसी हालत में, सभापति महोदया, आप ही कहें, गवर्नर महोदय को किस रूप में और किस प्रकार उनको दिये जाने वाले धन्यवाद भाषण का समर्थन करूं। मैं इसमें असमर्थ हूं और इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज तो जमा नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : आज फीका रह गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लिए तो फीका ही है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदया, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, सभापति महोदया, जिस तरह इस भाषण में सबसे ज्यादा 20 सूत्री कार्यक्रम का बखान किया गया है, उससे लगता है कि राजस्थान की सरकार ने राज्यपाल के लिए भाषण जो तैयार करके दिया है वह केवल केन्द्र की नीतियों का निर्देशन है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदया, जिस तरह से इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटा गया है, आप किसी भी पेज पर देख लीजिए, इस 9 पृष्ठ के भाषण का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई पैरा ऐसा नहीं, जिसमें 20 सूत्र का जिक्र नहीं किया गया हो। इस तरह का राज्यपाल महोदय....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : के अभिभाषण, जो सरकार ने तैयार करके दिया है, गत वर्ष के भाषण और आज के भाषण में कोई अन्तर नहीं है।

सभापति महोदया, मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे इसका बहुत विस्तृत पक्ष विरोध पक्ष के नेता महोदय ने रख दिया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की माथुर सरकार आज सबसे ज्यादा घोषणाओं में विश्वास करती है, जहां भी जायें, × × × घोषणायें करते रहते हैं। इनके राज में जिस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार हुए, पुलिस ने जिस तरह अत्याचार किये हैं, सभापति महोदया, यह मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जहां कहीं भी देखा है, मुख्य मन्त्रीजी के चार साल के कार्यकाल में देखा जाय तो जितने भी अत्याचार हुए हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हुए हैं।

माननीय सभापति महोदया, मुख्य सचेतक जी बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, सबसे ज्यादा अत्याचार और जुल्म गरीबों के ऊपर हुए हैं, पुलिस के द्वारा हुए हैं और शोषण भी माथुर राज में हुआ।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदया, आप सहकारी समितियों की बात करते हैं, सहकारिता की सफलता की बात करते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं और सदन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, सभापति महोदया, आज जो बड़े-बड़े कांग्रेस के लोग हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, उन लोगों ने सहकारिता के नाम पर गरीबों और रेगरों के नाम से पैसा उठाया है। आज राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी के चहेते....

बन्दियास के रेगर जिनके नाम से वे मन्त्री बने हुये हैं, कृषि मन्त्री हैं, माननीय सभापति महोदया, वहां के रेगरों के नाम से झूठे पैसे उठाये वह आज मुख्य मन्त्रीजी की मूंछ के बाल बने हुये हैं और जब उनके ऊपर कुर्की गई, उनके ऊपर नीलामी गई तब तत्कालीन सहकारिता मन्त्री, श्री रामनारायणजी चौधरी ने उनकी कुर्की को टाला और आज वहां सहकारिता के नाम पर गरीबों पर जुल्म हो रहा है, नीलामी हो रही है। बन्दियास गांव के रेगर जुल्म बर्दाश्त करते जा रहे हैं।

यही नहीं, सभापति महोदया, जहां-जहां भी पूरे राजस्थान में गरीबों, आदिवासियों, हरिजनों ने पैसा नहीं उठाया है वहां उनके लोगों ने पैसा उठाया है, बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उठाया है, हाथ और पांव के अंगूठे लगाकर पैसा उठाया गया और आज इन गरीबों से पैसा वसूल किया जा रहा है।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मेघराज तावड़)

नीलामी की जा रही है। सभापति महोदया, मैंने उदयपुर के जिलाधीश को 1300 ऐसी सहकारी समितियों के ऐसे नाम भेजे हैं जिनमें एक भी गरीब आदमी सहकारी समितियों का सदस्य नहीं था। उन लोगों के नाम पर कुर्की और नीलामी की जा रही है।

(4.32 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जहां आदिवासियों की बात करते हैं यह राजस्थान की सरकार, चाहे हिन्दुस्तान की सरकार आदिवासियों के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली और आदिवासियों को ऊपर उठाने की बात करने वाली यह सरकार आज आइने में देखे तो पता लग जायेगा कि आज आदिवासियों के नाम पर क्या किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कोटड़ा-झाड़ोल, दूर-दराज जंगल में रहने वाले आदिवासी जिनके नाम से कुर्की, नीलामी तो क्या, अध्यक्ष महोदय, झूठी वसूली के नाम पर, मैं खुद डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दौरे पर गया था, आदिवासियों को ठंडे पानी में कपड़े खोलकर खड़ा कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आसपुर गांव में यहां तक किया कि एक गरीब आदिवासी जिसको 90/– रुपये की सब्सिडी नहीं दी गई लेकिन 90/– रुपये के लिये बैल उठाकर ले गये, उसने कहा कि मेरा बैल मत ले जाओ किन्तु 90/– रुपये के लिये डेढ़ हजार का बैल उठाकर ले गये। उसने कहा कि कल मैं आपके पैसे का इन्तजाम करूंगा लेकिन उसको बैल नहीं दिया। ज्यादा विरोध किया तो बैल छोड़कर चले गये और एस. पी. को कह कर उसको जेल में डाल दिया। उस पर कोर्ट में केस कर दिया और पुलिस के एस. पी. से कह कर उसको जेल में डाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हम कहां समाजवाद की बात करते हैं और भ्रष्टाचार नहीं की बात करते हैं। राज्यपाल महोदय को इस तरह से बुलवाया गया, कहलवाया गया कि राजस्थान में शांति और व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शान्ति और व्यवस्था राजस्थान में नहीं है। राजस्थान की जनता अब तक उठी नहीं है, राजस्थान की जनता विरोध करना नहीं जानती है, राजस्थान की जनता पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आसाम की जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, शान्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके ऊपर जुल्म ढाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं सरकार कहती है कि किसी तरह का घोटाला नहीं है, शान्ति प्रिय सरकार है, माथुर साहब की सरकार इतनी सक्षम है कि कहीं भ्रष्टाचार की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गये साल भी यहां एक प्रश्न उठाया गया था जोधपुर नगर विकास न्यास के घोटाले के सम्बन्ध में, जिसमें विधान सभा के माननीय सदस्य सम्बन्धित हैं, 91 बीघा जमीन करोड़ों रुपये के घोटाले का केस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैक्रेटरी ने उठाया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी तथा मुख्य सचेतक जी भी बातों में मशगूल हैं, मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं है अगर मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं है तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप तो आसन को सम्बोधित करके बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं इन बातों को ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या सुनेंगे आदिवासियों की बात करूंगा । घोटाले की बात नहीं है, माननीय खेतसिंह जी, आपके जोधपुर नगर विकास न्यास का घोटाला है, यह चिट्ठा है ।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं आज मुख्य मन्त्रीजी की मूंछ के बाल बने हुये हैं और समाजवाद और प्रजातन्त्र की बात करते हैं । आजादी का झंडा जिनके पिता श्री ने जलाया स्वर्गीय माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों को एकत्रित करके बन्दियास में आजादी का झंडा जलाया गया, आज उन्हीं के लड़के, राजस्थान के सामन्ती मुख्य मन्त्रीजी के नजदीकी मूंछ के बाल बने हुये हैं । तुगलक की तरह जहां भी जाते हैं मुख्य मन्त्रीजी घोषणायें करते हैं । मुख्य मन्त्रीजी घोषणायें करने में माहिर हैं, घोषणा पर घोषणा करते हैं लेकिन एक घोषणा का पालन कहीं नहीं होता है । मैं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणाओं से राजस्थान की जनता का पेट भरने वाला नहीं है, राजस्थान में काम होना चाहिये । गंगानगर के किसानों के बारे में जो आपने वक्तव्य दिया, आपको मालूम होगा, 1976 में आप जब कृषि मन्त्री थे तब एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट एक्ट लाया गया था उस समय भी, अध्यक्ष महोदय, उसका विरोध किया था, आज कहते हैं कि राजस्थान की योजनायें, राजस्थान कैनाल, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल को कितने साल पीछे ले गये। कितने घोटाले हैं । रामसिंह आयोग के घोटाले सरकार सामने नहीं लाना चाहती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी को एक लैटर लिखा था उदयपुर में एक समिति बैठी थी नेशनल हाइवे और पी. डब्ल्यू. डी. के घोटालों के सम्बन्ध में, लेकिन मुख्य मन्त्रीजी के यहां से लैटर का जवाब तो नहीं आयगा । मैं समझता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, आप घण्टी बजाने वाले हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी बात करेंगे बनेड़ा में एक बुढ़िया को मारकर जला दिया गया, मुल्जिम पकड़ में नही आ सके। उसके पहले भी पांचूराम गूजर की भी आपके चहेते लोगों द्वारा हत्या कर दी गई, वह पकड़े नहीं जा सके क्योंकि वे आपकी गाड़ी में बैठकर घर गये थे ।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं सरकार समाजवाद की बात करना बिल्कुल नहीं चाहती है । समाजवाद और प्रजातंत्र की बात करने वाले हमारे मुख्य मन्त्रीजी आज प्रजातंत्र की बात भूलते जा रहे हैं । आप राजस्थान की जनता को गोलियों के बल पर दबाना चाहते हैं । आप श्रीमती इन्दिरा गांधी जो बात कह देंगी उन्हीं बातों पर चलेंगे, चाहे राजस्थान में बशर्ते परिस्थितियां कुछ भी हों, प्रजातंत्र की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं । आप तो प्रजातंत्र की बात गोलियों के बल पर, बन्दूक के बल पर करना चाहते हैं यह कतई सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी परसों अलग-अलग तरीके से इस सदन में चर्चा चली, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे इधर से कहा जा रहा था कि चांदी के सिक्कों से तोला गया और उधर से कहा जा रहा था

(श्री मेघराज तावड़)

कि सिक्कों से तोला गया। चांदी व सिक्कों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही थैली· के चट्टे-बट्टे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो समाजवाद, प्रजातंत्र की बात करते हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो समाजवाद का नाम भूल गये हैं अब तो केवल एक बात याद रहती है कि कुर्सी कैसे बचाई जा सके। माथुर साहब आदिवासियों और हरिजनों की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माथुर साहब आपके राज में दो ही आदिवासी मन्त्री आपने बना रखे हैं डूंगरपुर व उदयपुर डिवीजन के। दोनों डिप्टी मिनिस्टर बना रखे हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। एक को हटा दिया, एक को रखा है। माथुर साहब आदिवासियों की कितनी हिमायत करते हैं। माथुर साहब, 8-8, 9-9 आदिवासी एम. एल. एज. आपके पास कोई केस लेकर आते हैं बात करने लेकिन 8-8, 9-9 एम. एल. एज. की आपके सामने कोई कीमत नहीं, आप जितने भी केस गये आपके सामने वह याद कर लीजिये। आज 8-8, 9-9 एम. एल. एज. यह कहें कि हमारे इलाके का मामला है लेकिन मुख्य मंत्रीजी कुछ नहीं कर सके, मुख्य मंत्रीजी को आदिवासियों और हरिजनों से चिढ़ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, माथुर साहब आपको, आप हरिजनों और आदिवासियों की बात करते हैं, आप मेरी बात का जवाब देंगे अपने उत्तर में, आपने आदिवासी महिला आश्रम भीलवाड़ा द्वारा संचालित माननीय माणिक्यलाल वर्मा, सरदारपुरा का होस्टल, अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष भी इस प्रश्न को उठाया था कि वहां आश्रम की जमीन आपके साले दीनबन्धु वर्मा ने महिला आश्रम की जमीन बेच दी, सारी जमीन बेचकर खा गये। मैं बताना चाहता हूं आपकी श्रीमतीजी सदस्य हैं और सालेजी उसमें शामिल हैं, एक ट्रस्ट बना रखा है। उस समिति के कितने लोग हैं तमाम आदिवासियों की महिला आश्रम की जमीन सरदारपुरा, भोपालपुरा उदयपुर की उनके सम्बन्ध में मैं आज बताना चाहता हूं, उससे पहले यहां प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं है। उसके पहले केवल एक ही प्रश्न उठाया उसका जवाब नहीं आया। कई जमीनें आदिवासियों को बेची। अध्यक्ष महोदय, 16-7-70 को गीता को बेची, 9999/– में। इसी तरह से 16-7-70 को केसर देवी को 7999/– में बेची, इसी तरह से 16-7-70 को बंसीलाल को 7999/– में बेची। इसी तरह से 18-5-71 को बेची हीरालाल खमेसरा को 6999/- में। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा की रजिस्ट्री हुई लेकिन इससे कम दिखाई गई। इसी तरह से 11.9 76 को सेन्ट पॉल को 8930/– में, इसी तरह से सेन्ट पॉल को बेची 15-9-79 को 47164/– रु. में इसी तरह से 24-10-80 को उमरावसिंह बाफना को बेची 49911–/ रु. में, 21.4.81 को सेन्ट पॉल को फिर बेची 47804/– में, 29-4-81 को फिर सेन्ट पॉल को फिर बेची 45974/- में, 14-5-81 को राजमल मूंदड़ा को बेची 28 हजार में, इसी तरह से 23-5-83 को राजमल मूंदड़ा को बेची 28 हजार में। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासी छात्रावास की जमीन बेची गई और उसका प्रश्न भी यहां उठा था। उसका जवाब मुझे नहीं दिलाया गया था और मुख्य मन्त्रीजी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि

(श्री मेघराज तावड़)

आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय। मैंने उदयपुर के जिला कोटला के आदिवासी मीरजी के नाम से जो वहां के डाक्टर हैं आदिवासी इलाका है, डाक्टर का वहां पता नहीं है, अध्यक्ष महोदय डाक्टर वहां कभी रहता नहीं जिसकी शिकायत मैंने माननीय खेतसिंहजी को लिखी और अभी कल-परसों भी उसका लेटर दिया था। थौमस नाम का कम्पाउण्डर और उसकी पत्नी और तीन और कम्पाउण्डर हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर वे तीनों कम्पाउण्डर रहते हैं और सारी की सारी दवाइयां वह घर पर ले जाते हैं और घर पर बुलाकर इन्जेक्शन वगैरह दिये जाते हैं, दवा का पैसा लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें मीरकी नामक आदिवासी महिला थी उसकी डैथ हो गई गलत इन्जेक्शन लगाने से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो दफाडाक्टर का पोस्टिंग कर दिया। वहां जाकर डाक्टर वापस आ जाता है जोइन नहीं करता। या तो वहां सुविधाओं की कमी है या आप उनको परेशान करते हैं इसलिए वहां रहता नहीं है। आप ही किसी डाक्टर का नाम बता दीजिये उसको लगा दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो खुशी की बात है कि आपने डाक्टर को भेजा, क्यों नहीं जाता है डाक्टर, क्यों नहीं रहना चाहता है अध्यक्ष महोदय, वह आदिवासी इलाका है कोई सुनने वाला नहीं है, भगवान भरोसे आदिवासी वहां चल रहे हैं और आपने यह कहा कि डाक्टर नहीं रहता है। मैं कहना चाहता हूं डाक्टर को सुविधा दीजिये। आने जाने की व्यवस्था कीजिये। सड़क भी वहां जाने के लिये नहीं है इसलिए डाक्टर वहां नहीं रहता और वहां कोई व्यवस्था नहीं है। आदिवासी इलाका है, दिन में दारू पीकर, तहसीलदार हो तो दारू मिल जायगी, बीडीओ हो तो दारू मिल जायगी। दिन को दारू पीये हुए मिलेंगे। आदिवासियों के इलाके की उपेक्षा की जा रही है इसीलिए गलत इन्जेक्शन लगाने से आदिवासी महिला की मृत्यु हुई, अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान्, आपके डाक्टर के लिये मैं बीस मील की सड़क बनवा दूं, सबकी दारू बन्द करवा दूं, यह मेरे से नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात टालना चाहते हैं, आप तो कर भी नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो थोमस कम्पाउण्डर ने वह गलत इन्जेक्शन लगाया, रिएक्शन हुआ उससे चार पांच मौतें हो गईं, लेकिन ये मौतें अभी जा करके पकड़ में आईं। आज तक आपके डाक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के मांगने पर नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, पुलिस में केस कर दिया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप लिखकर दे दीजिये अपने दस्तखतों के साथ। वहां मैंने जांच शुरू करवा दी है।

श्री मेघराज तावड़ : कम्पाउण्डर को

(श्री मेघराज तावड़)

वहां से हटाया नहीं गया है, अध्यक्ष महोदय। यही नहीं, इस देश का।

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा दे दीजिये आप।

श्री मेघराज तावड़ : हम कहां करें। एक तरफ तो आदिवासी की बात करते हैं दूसरी तरफ, यह तो, मैं यह कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय अब यह तो समाजवाद का नाम लेना भूल गये और दूसरी तरफ एक और जो खतरा सामने आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, इस देश के लिए कि समझ में नहीं आता क्या होगा। एक तरफ जो इधर को मेरे इस साइड में बैठने वाले लोग कोई तो चरबी के नाम से कोई आन्दोलन करना चाहते हैं, कभी गाय की चरबी, कभी सूअर की चरबी। कोई गंगाजल के नाम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगाजल के नाम पर ग्यारह-ग्यारह रुपये में शीशियां और बोतलें बेची जाती हैं और वह देश की भोली भाली जनता के वोट बटोरने के लिये केवल यह किया जा रहा है, वोट बटोरने के लिये केवल इनको भ्रमित किया जाता हैं। कोई उनकी समाजवादी व्यवस्था नहीं। उनकी सही मायने में स्थिति यह है कि, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि केवल हिन्दू मुसलमान की बात करके यह कहते हैं हिन्दुओं एक हो जाओ। मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं मुख्य सचेतकजी, आज आप इस तरफ से सचेत नहीं हुए तो राजस्थान में भी इस तरह से साम्प्रदायिक दंगे फैलेंगे। अभी भी जमाते इस्लामिया का कल सम्मेलन हुआ जिसमें और लोग भी आये। वहां पर भी हमारे लोग जाकर उनको बढ़ावा देकर आये हैं, उनके बीच में भाषण देकर आये हैं। क्या करना चाहते हैं? आप कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? कहां कौन से समाजवाद की बात करना चाहते हैं? कौन धर्म निरपेक्ष की बात करना चाहता है? धर्म निरपेक्ष की बात करने वाले आज उनको जा करके जमाते इस्लाम में मजबूत करेंगे या जो हिन्दुस्तान में सूरज कहलाने वाले ये उदयपुर के महाराणा। इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये। राजस्थान की सरकार, यह रखती है हिम्मत कि जो हिन्दुओं के नाम पर हिन्दुस्तान में रहने वाले। हिन्दुस्तान सबका है, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, फारसी रहते हैं। हिन्दुस्तान सबका है हिन्दुओं का ही हिन्दुस्तान नहीं है, हिन्दुस्तान में रहने वाले उन तमाम का हिन्दुस्तान है। तो इस तरह से जातिगत बात करने वाले, साम्प्रदायिकता की बात करने वाले, महाराणा को जेल के सींखचों में बन्द करने की हिम्मत आप में होनी चाहिये लेकिन आप नहीं कर सकते, खेतसिंह जी, मुझे मालूम है। आप राजपूतों का पक्ष लेने वाले, आप जागीरदारों का पक्ष लेने वाले, क्योंकि डूंगरपुर महारावं इतने दिन तो क्योंकि जब आपके खिलाफत में थे तब तो वह सामन्त थे लेकिन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको मालूम नहीं मेरे तो दुश्मन राजा महाराजा ही हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस में आ गये, सदस्यता ग्रहण कर ली तो सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

(श्री मेघराज तावड़)

तो, अध्यक्ष महोदय, महारावल डूंगरपुर आपके फरिश्ते हो गये। इसी तरह से मुझे मालूम है आप पैक्ट करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, क्या उन महाराणा के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं। उदयपुर लेक होटल है तमाम गन्दा पानी टट्टी पेशाब उसमें जाता है और उदयपुर के नागरिक वह गन्दा पानी पीने के लिये मजबूर हैं। क्या आपने उस होटल को केन्सिल करके, उसकी मन्जूरी को आपने केन्सल करने की या उनको वहां से हटाया जाय या आपने कोई ऐसी गन्दा पानी बाहर जाने की व्यवस्था की? कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। आपको और बता देना चाहता हूं कि इस महाराणा ने एकलिंगजी तक की लाखों रुपयों की सम्पत्ति जो सन् 1976 में इस विधान सभा में प्रश्न उठाया गया था और वहां के ट्रस्ट ने इन्दिरा गांधीजी को हरिदेवजी जोशी जब मुख्यमन्त्री थे तब उनको कहा कि जांच की जाय, क्या हुआ उस जांच का? क्या हुआ उसका? क्या आप में आज भी हिम्मत है? उसकी जांच कर सकते हैं तो अध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं लेकिन न तो यह समाजवाद ला सकते हैं, यह प्रजातन्त्र की रक्षा नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, जहां प्रजातंत्र की बात है, गंगानगर का जहां सवाल आया, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, 63 करोड़ का प्लान था वह 400 करोड़ में भी पूरा नहीं हो रहा है। आपको क्या अधिकार है कि 1955 का एक कानून पहले बना दो और 1955 के बाद का कानून बना दो? आपको क्या अधिकार है, जिन काश्तकारों को वहां जमीन अलाट हुई, जिनको खातेदारी अधिकार देने हैं उनके ऊपर, आप 35 हजार और 20 हजार लेंगे? आपको क्या अधिकार है कि वो 35 हजार में जमीन बेचा करें? मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता खास तौर से गंगानगर का किसान इस जमीन की कीमत देने वाला नहीं है, आन्दोलन करेगा। खेतिहर मजदूर है व गंगानगर के लोग अध्यक्ष महोदय। यह कह कर, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं मेरी बात का ये जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने मुद्दे उठाये हैं, राजस्थान और हिन्दुस्तान की सरकार, मैं यह कहता हूं, प्रजातन्त्र की रक्षा करती हैं। क्या हुआ, खेतसिंहजी, काश्मीर में? झगड़ा आपकी पार्टी कर रही है। पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में आपकी सरकार क्या कर रही है? मुख्य मंत्रीजी ने कहा, प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं। वहां पर कांग्रेस के लोग किस प्रकार से वहां की सरकार को गिराना चाहते हैं और किस प्रकार से दंगे पैदा करना चाहते हैं, किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, कत्ल करने के लिये आमादा हैं? आप कहते हैं, प्रजातन्त्र की रक्षा करते हैं। और किसान बोलते हैं तो कहते हैं सही नहीं है। यह प्रजातन्त्र है? बड़े आये प्रजातन्त्र के रक्षक, बड़े आये प्रजातन्त्र की हिमायत करने वाले। आप तो प्रजातंत्र की रक्षा कर नहीं सकते। प्रजातन्त्र की रक्षा हम लोग करेंगे। समाजवाद हम लायेंगे। हमारे सिवाय कोई प्रजातन्त्र ला नहीं सकते, रक्षा भी नहीं कर सकते, समाजवाद भी नहीं ला सकते। इस समाजवाद को हम लायेंगे

(श्री मेघराज तावड़)

जब तक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं आयेंगे, समाजवाद हिन्दुस्तान में नहीं आ सकता, समाजवाद लायेंगे तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही ला सकते हैं। यही बात कहते हुए आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : मुझे भी बोलने....

सदन की अवमानना

सर्वश्री बलराम वर्मा व प्रेमराज जाखड़ द्वारा सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बिराजिये। विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर विचार। आज जब मध्याह्न पश्चात् दो बज कर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही चल रही थी उस वक्त दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दो नागरिकों श्री बलराम वर्मा और प्रेमराज जाखड़ ने निम्नलिखित नारे लगाये—

"गंगानगर के किसानों की मांगों को पूरा करो।

6 मार्च, 84 के लाठी चार्ज की न्यायिक जांच करो।

बीकानेर के डी० आई० जी० को सस्पेंड करो।"

इस तरह के नारे सदन में जब सदन की कार्यवाही चल रही हो लगाना सदन के विशेषाधिकारों का हनन है, सदन की कार्यवाही में बाधा है और उसकी एक तरह से अवमानना है। इन दोनों व्यक्तियों को मेरे समक्ष मैंने बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस तरह के नारे लगाये तो उन्होंने नारे लगाना स्वीकार किया। आम तौर पर जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि यदि कोई सदन के विशेषाधिकार हनन करने वाला व्यक्ति जब क्षमा-याचना कर लेता है अथवा खेद प्रगट कर देता है तो सदन सदैव ही विशाल हृदयता का परिचय देता और है उनको क्षमा प्रदान कर दी जाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इसके लिये क्षमा याचना करने के लिये या खेद प्रगट करने के लिये तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने किया है वह ठीक किया है। हम न कोई खेद ही प्रगट करना चाहते हैं न ही सदन से क्षमा ही चाहते हैं। क्योंकि यह घटना सदन के समक्ष हुई है इसलिये इनको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वयं दोनों व्यक्तियों ने ही सदन की कार्यवाही में बाधा डालना और नारे लगाना स्वीकार किया है इसलिये अब सदन के समक्ष उनको दण्डित करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इसलिये अब मुख्य सचेतक महोदय एक विशेषाधिकार हनन के एक प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की बैठक····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा ऐसा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव, जिसमें कि कोई मतभेद वाली चीज नहीं हो, में यदि अपो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जीशन को कान्फिडेन्स में लिया जाय और बाद में उस प्रस्ताव को मूव किया जाय तो इसमें आपको या मुख्य सचेतक महोदय को कोई आपत्ति है क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव लाये जाते हैं तब····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, मैं कोई आर्ग्यूमेन्ट की बात नहीं करता हूं, मैं तो सदन की परम्पराओं की बात कर रहा हूं, स्वस्थ परम्पराओं की बात कर रहा हूं। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव रखते हैं बैठ कर बातचीत····

श्री खेतसिंह राठौड़ : भविष्य में देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भविष्य में नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज तो, अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है और पांच मिनट ही नहीं रहे हैं, प्रस्ताव लाना ही पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सदन का समय बढ़ा दीजिये। दस मिनट सदन का समय बढ़ा दीजिये। आगे भी सदन का समय बढ़ाया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : बात करने से बात निपटती है तो क्या हर्ज है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अब तो सदन की कार्यवाही समाप्त होने वाली है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में कई बार पर्चे फेंके गये, नारे लगाये गये और लोगों ने ऊपर से नारे भी लगाये हैं। जहां तक मुझे याद है, ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा जिस मसले में हम लोगों से राय नहीं ली गयी हो और प्रस्ताव यहां पर रखा हो। वह फिर सर्वसम्मति से होता है। वह फिर डिबेट का इश्यू नहीं होता। यदि किसी को सजा देंगे और मैं डिबेट करना चाहूं तो आप मुझे रोक भी नहीं सकेंगे क्योंकि किसी आदमी को बिना आप उसकी सुनवाई किये सजा नहीं दे सकते हैं कई तरह के प्रश्न पैदा होंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस मसले को न रखा जाय। आप इसमें अगर समय लेना चाहते हैं तो कल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो लोग हमारी कस्टडी में हैं उनका क्या होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी अर्ज है कि आपकी कस्टडी में उनको आप कल तक के लिये रख दें या और कहीं पर कस्टडी में रखें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसमें फिर कई तरह की कठिनाइयां पैदा होती हैं।

(151)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : नहीं, फिर मैं ऐसा करता हूं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति को सजा देने के पहले उनको भी सुनना पड़ेगा और हमको भी सुनना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, फिर मेरा निवेदन है, मैं ऐसा करता हूं कि सदन की कार्यवाही एक घन्टे के लिये बढ़ा दी जाती है । सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिये स्थगित करता हूं और पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के सदस्यों से बात कर लेता हूं ।

दस मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.55 बजे दस मिनट के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक म.प. 5.05 बजे पुन: प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के पश्चात् दोनों व्यक्ति श्री बलराम वर्मा एवं श्री प्रेमराज जाखड़ ने यह इच्छा व्यक्त की कि जो कुछ उन्होंने किया उसके लिये क्षमा याचना चाहते हैं । जैसा कि मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया, यदि पहला ऐसा अवसर हो, कोई व्यक्ति खेद प्रगट कर दे अथवा क्षमा याचना कर दे तो उनको अपनी जो संसदीय परम्परायें हैं, उनके अनुसार सदन विशाल हृदयता का परिचय देते हुए क्षमा प्रदान कर देता है । मैं समझता हूं कि जब उन्होंने क्षमा याचना कर दी तो उनको क्षमा प्रदान की जाती है और अभी हमारे सदन की कस्टडी में थे, उनको मुक्त किया जाता है ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 14 मार्च के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.08 बजे बुधवार दिनांक 14 मार्च, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची)

सूची कार्यरत जिला आयुर्वेद अधिकारी

क्रम संख्या	नाम स्थान	नाम कर्मचारी
चयनित व्यक्ति		
1.	भरतपुर	श्री श्याम सुन्दर शर्मा
2.	अजमेर	श्रीमती विद्यावती चौहान
3.	उदयपुर	श्री कुन्दन शंकर शर्मा
4.	जोधपुर	श्री जनार्दन भारद्वाज
5.	टोंक	श्री गुलाब चन्द शर्मा
6.	डूंगरपुर	श्री देव शंकर शर्मा
7.	पाली	श्री घीसूलाल शर्मा
8.	बांसवाड़ा	श्री इच्छा शंकर पण्ड्या
9.	बीकानेर	श्री रामनिवास जोशी
10.	जयपुर–अ	श्री गणपति लाल हारित
11.	सिरोही	श्री गिर्राज किशोर मल्होत्रा
12.	बून्दी	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
13.	सवाई माधोपुर	श्री सूर्य नारायण शर्मा
14.	चित्तौड़गढ़	श्रीमती चन्द्राकुमारी अग्रवाल
15.	नागौर	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता
16.	जयपुर–ब	श्री भंवर लाल गोटेचा
17.	अलवर	श्री गोकुलेन्द्र शर्मा
18.	सीकर	श्री हरिमोहन शर्मा
स्वयं की वेतन श्रृंखला में जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर लगाये हुए व्यक्ति		
19.	बाड़मेर	श्री राजेश्वर भाटिया
20.	कोटा	श्री रामेश्वर कुमावत
21.	झुंझुनू	श्री सुरेन्द्र शंकर जानी
22.	भीलवाड़ा	श्री सत्य नारायण सनाढ्य
23.	चूरू	श्री कृष्ण गोपाल पारीक
24.	गंगानगर	श्री कृष्ण दत्त शर्मा

———

153

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूचना)

दरें

केन्द्रीय मध्य प्रदेश :	सभी प्रकार के खादों पर 2 प्रतिशत बिक्री कर एवं 1 प्रतिशत सरचार्ज अंतिम बिक्री मूल्य पर ।
राजस्थान :	5 प्रतिशत बिक्री कर एवं 1 प्रतिशत मल्टीपाइंट चुंगी खादों की वैल्यू पर ।
उत्तर प्रदेश :	सभी प्रकार के खादों पर 3 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत टर्नओवर कर 12 रु० प्रति टन से अधिक की बिक्री पर 1 प्रतिशत सरचार्ज है ।
पूर्व बिहार :	5 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर सभी प्रकार के कुल टर्नओवर खादों पर ।
उड़ीसा :	6 प्रतिशत सभी प्रकार के खादों पर ।
पश्चिम बंगाल :	पंजीकृत डीलरों के लिये 1 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत अपंजीकृत डीलरों, 2 प्रतिशत अन्य सरचार्ज 2 प्रतिशत और अतिरिक्त 7 प्रतिशत सभी प्रकार के खादों पर ।
दक्षिण आन्ध्र प्रदेश :	3 प्रतिशत प्रथम बिन्दु बिक्री पर । 3 लाख अथवा अधिक के टर्नओवर के लिये $\frac{1}{2}$ पैसे प्रति रुपया चार्ज होगा । सभी सरकारी केमिकल खादों की बिक्री पर 3 प्रतिशत कर एवं $\frac{1}{4}$ प्रतिशत अतिरिक्त कर ।
कर्नाटक :	2 प्रतिशत सभी प्रकार के खादों पर (1-8-1980)
केरल :	2 प्रतिशत सभी प्रकार के खादों पर ।
तमिलनाडु :	प्रथम बिक्री बिन्दु पर सभी प्रकार के खादों पर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत सिंगल बिन्दु एवं मद्रास शहर तथा शहर के 3 कि. मी. दायरे के केस में एवं मदुराई, सलेम, कोयम्बटूर एवं त्रिचुरापल्ली शहरों में सभी प्रकार के देय कर 5 प्रतिशत सरचार्ज ।

	एक वर्ष में राज्य में कहीं भी 1 लाख रुपये से अधिक की बिक्री करने वाले डीलरों के मामले में देय कर पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त कर लेवी के रूप में। डीलर खरीददारों से अतिरिक्त कर वसूलने हेतु अधिकारी नहीं होंगे।
पश्चिम गुजरात :	3 प्रतिशत सरकारी माध्यम द्वारा बिक्री पर, 4 प्रतिशत निजी डीलरों के द्वारा एवं 6 प्रतिशत सरचार्ज बिक्री कर पर।
गुजरात :	3 प्रतिशत सरकारी माध्यम, 4 प्रतिशत निजी डीलर एवं 6 प्रतिशत बिक्री कर पर सरचार्ज
हरियाणा :	कर में छूट
पंजाब :	कर में छूट
दिल्ली :	कर में छूट
महाराष्ट्र :	कर में छूट

नोट :—1–7–75 से केमिकल खादों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर है यदि सी एवं डी फार्म्स कवर होते हों अन्यथा 10 प्रतिशत।

———

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 11 4 की योजनाओं की रूपरेखा)

Re-Organised Water Supply Scheme Tonk :

Features of the Proposed Scheme :

The outlines of the proposed scheme is as under :

(1) **Source :**

The existing 5 Nos. D.C.B. wells are giving safe yield 8.00 lac gallons per day. The balance demand 10 lac gallons/day will be met out by constructing 8 Nos. Tube wells with expected yield 8000 GPH. The site for tube wells will be towards the N.W. of existing main pump house.

1. A– Daily supply (designed) 18.00 lac/gallons/days.

2. **Pumping Machinery :**

A– Wells : As per existing system the water is collected in CWR by 7.5 H.P. centrifugal pumping sets from 5 Nos. well (D.C.B.)

10.00 HP sub pump set @ 8000 GPH at 100'–0" head at 8 Tube wells are proposed.

B– **Main Pump House :**

In the existing system 2 sets each discharging 48,000 GPH against 200'-0" head are installed. To boost additional requirement of 10.00 lac gallons per day 3 sets of 85.00 HP. discharging 30,000 GPH at 240'–0" head (2 working & one standby unit) are proposed.

3. **C.W.R.**

Under the existing scheme there are CWR of 1.00 lac gallons capacity & one more CWR of 1.00 lac gallon capacity is proposed near existing CWR.

4. **S.R. :**

Under the existing scheme there is a Masonary S. R. of 2.00 lac gallons capacity on hillock. In the re-organised scheme one R.C.C., G.I., S.R. of 2.00 lac gallons capacity on hillock near Bamore Gate is proposed.

5. **Rising Main :**

As per the existing system the water is pumped into S.R. of 2.00 lac gallons capacity through 12" dia C.I. pipe 3.50 Km. long. To meet out additional demand of 10.00 lac gallon per day 12" dia A.C. class 10 pipe rising main is proposed.

6. **Distribution System :**

The existing distribution system is designed for 50,000 souls. The population of Tonk City raised to 55,866 souls in 1971. Due to under sizes of the Main Distribution pipes there is pressure trouble in the City specially in old Tonk. The lines pipe lines connecting Newai Darwaja and Khirki Darwaja are of under size and long too. Similarly in Moti Bag Road and Bada Kua area, there is a pressure trouble. To increase pressures in the distribution system additional parallel line of adequate sizes have been proposed in such areas.

To have a better control over supply to city, the whole city is devided into two zones. Taking Ghantaghar as Central point the old Tonk will be supplied from New proposed SR of 2.00 lac gallon. Another zone namely new Tonk will be supplied from old existing S.R. of 2.00 lac gallon.

7. **Building :**

Though there is a necessity for construction of quarters at Head Works, only 1/2 set 'H' type quarter is existing as per original scheme. The head works is 3.5 Kms. from

city. To frame the scheme lining to Rs. 25.37 no provision has been taken in Re-organised scheme.

8. **Estimated Cost :**

The total estimated cost of the scheme as per abstract of the cost attached in detail, come out to be Rs. 25.37 lac.

9. **Rate of Water & Annual Maintenance Charges :**

The total direct cost for Maintenance of water supply scheme by way of Salaries and allowances, power, chemical, liveries etc. comes out to be Rs. 4,53,400/– and indirect charges come out to Rs. 3,80,600/– by way of depreciation, interest on capital. Thus the rate of water per thousand gallons comes Rs. 1.43.

10. **Mode of Finance** :

The Scheme proposed for estimated cost Rs. 25.37 lacs will be financed partly by L.I.C. and partly by State Govt. L.I.C. will grant the loan to Municipal Board. The Municipal Board will put the amount on the disposal of PHED for execution of the schemes.

11. **Execution** :

The Scheme will be executed by Public Health Engineering Department, Rajasthan Government.

Sd/-	Sd/-
Assistant, Engineer,	Executive Engineer,
P.H.E.D., Sub-Dn. Tonk.	P.H.E.D. Dn., Tonk.

Re-organised Water Supply Scheme Tonk
General Abstract of Cost

1.	Construction of Tube wells and switch rooms		1,66,000.00
2.	Providing & installation of pumping sets at wells & Main Pump House including starters L. T. line and transformer.		3,73,000.00
3.	Cost of Providing & laying of Rising Main from wells to CWR and CWR to SR		8,31,000.00
4,	Cost of construction of CWR, SR & other civil work.		4,70,000.00
5.	Cost of pipes for improvement in existing D. System.		2,90,000.00
		Total :	21,30,000.00
	Add : $4\frac{1}{2}$% for contingencies charges		95,000.00
		Total :	22,25,000.00
	Add : 14% Prorate charges.		3,11,500.00
		Total :	25,36,500.00
		SAY :	25,37,000.00

Sd/–
Executive Engineer
P.H.E.D., Sawaimadhopur (Raj.)

Sd/–
Assistant Engineer
P.H.E.D., Tonk.

(159)

Augumentation Water Supply Scheme Newai District Tonk

General Abstract of Cost

S.No.	Particulars	Amount
1.	Construction of tube well 40 meter deep	40,000.00
2.	Providing & Installation of pumping machionary.	31,000.00
3.	Provision for providing Laying & Jointing of rising main.	48,000.00
4.	Providing L & J of distribution system	1,06,000.00
5.	Construction of R.C.C.S.R. at G. L. 2 lac liters.	1,55,000.00
6.	Construction of switch board room over tube well at Jamat well.	10,000,00
7.	Provision for power connection L. T. line	12,000.00
		4,01,000.00
	Add $4\frac{1}{2}$ for contingency	18,045.00
		4,19,045.00
	Add. Prorata charges	46,000.00
		4,65,045.00

Sd/–
Assisstant Engineer,
Distt. Sub–Dn.,
P.H.E.D., Tonk.

Sd/–
Executive Engineer,
P.H.E.D., Dn. TONK.

Augumentation Water Supply Scheme Newai District Tonk

Particulars of the Scheme

1.1	NAME OF SCHEME :		Augumentate w.s. scheme Newai Tehsil : Newai District : Tonk.
1.2	Programme under which scheme proposed :		I.D.A.
1.3	No. of village covered & their code No. & population		**One No. Newai**
1.4	**Total Population** :		
1.5.1	As per 1971 census 10198+2041	—	12,239 souls.
1.5.2	As per designed population 2 42 × 1971 population up to year 85–86	— —	29,700 souls. 19,220
1.6	Per capita daily demand	—	90 LPCD
1.7	Total daily demand Demand upto year 1985–86	— —	26.73 lacs. 14.09 lac. Liter.
1.8	**Source** : Existing source Proposed source	— —	3 Nos. open well Tube Wells 1 No.
1.9	Proposed pumping Hours	—	22 Hrs.
1.10	Service & Reservior	—	2.0 lacs liters at G.D.
1.11	Pumping Machinery	—	10 HP electric driven submersible pump discharge 30,000 l ph. 45/Head 2 Nos. centrifugal pump 3 HP dich. 100000 LPHS Head 36 M 2 Nos.
1.12	**Source of power**		Electricity.
1.13	**Rising main**		125 mm 550 mtr. 100 mm 1000 mtr.
1.14	Distribution Main : C.I. Class LA/A.C. pipe		Class 10 of following sizes : 200 mm–850 mtr. 100 mm-500 M 150 mm–200 mtr.

1.15 **Particulars & Distribution system** :–

1.15.1 No. & capacity of GLR	--	1 Nos.
1.15.2 P.S.P's	—	2 Nos.
1.15.3 C.W.T. & cart filling hydrant	--	1 Nos.

Civil Works :

1.16.1 Switch Room–2 Nos.	--	Bleaching power desing plant
1.19.1 Total estimated cost of the scheme.	—	Rs. 4.65 lacs

1.19.2 **Cost per capita** :

As per 1971 census population	Rs. 75.80
As per designed population	Rs. 48.35
1.20 Annual maintenance an cost	Rs. 4,17,000/–
Rate of water per 1000 liter	Rs. 0.47/–

Sd/–
Assistant Engineer
P.H.E.D., Sub-Dn. Tonk.

Sd/–
Executive Engineer,
P.H.E.D, Dn. Tonk.

(62)

Revised Re-organised Urban Water Supply Scheme Tonk

AS PER ORIGINAL SCHEME			AS PER REVISED SCHEME		
S. No. 1	Particulars 2	Amount 3	S. No. 1	Particulars 2	Amount 3
1.	Construction of Tube Wells and Switch board Room.		1.	Construction of Tube Wells and Switch Board Rooms.	
	(a) Const. of Tube Wells 8 Nos.	1,26,000		(a) Const. of Tube Wells 8 Nos. (2 Failed)	1,09,000
	(b) Const. of Switch Board Room 8 Nos.	40,000		(b) Construction of Switch Board rooms 6 Nos.	21,000
		1,66,000			1,30,000
2.	Providing installation of Pumping sets at tube well including starters, LT lines & Transformers.		2.	Providing & installation of pumping sets at tube wells & main pump house including starter LT lines & Transformers.	
	(a) Pumping sets at tube wells (8 Nos. working, 2 Nos. stand bye) 10 Nos.	80,000		(a) Pumping sets at tube well 6 Nos. installed	48,000
	(b) installation of above pump sets with starters.	10,000		(b) installation of above pump with starters.	40,000

1	2	3
(c)	pumping sets at rain pum house 85 HP (2 Nos. working one stand bye) 3 sets.	2,10,000
(d)	Installation charges of 85 HP Pumps	18,000
(e)	Extension of L. T. Lines 3 Km.	30,000
(f)	Cost of transformers	25,000
		3,73,000

1	2	3
(c)	pumping sets at main pump house 50 HP 2 Nos. (1 working & 1 stand bye)	50,000
(d)	Installation charges of 50 HP pumps 2 sets with starters.	34,000
(e)	Extension of L. T. lines for tube wells	35,000
(f)	Providing pumping sets at B.P. Tank pump house 100 HP 2 Nos.	70,000
(g)	Installation of 100 HP pumping sets with staters	66,000
(h)	Extension of HP lines at Mayur Bidi Factory.	35,000
		3,78,000

164

1	2	3	1	2	3
3.	Cost of providing & laying rising main from wells to CWR & from & from CWR to SR.		3.	Cost of providing & laying rising main from wells to CWR to SR	
	(a) From wells to CWR	1,86,800		(a) From wells to CWR	1,86,000
	(b) From CWR to SR	6,43,600		(b) From CWR to B.P. Tank	6,62,000
				(c) B.P. Tank to SR	15,000
		8,30,400			8,63,000
4.	Const. of CWR.SR & Other civil works.		4.	Const. of CWR, SR & other civil works.	
	(a) Const. of masonery SR 2 lac-gallons	2,50,000		(a) Const. of RCCSR 2 lac gallens	1,50,000
	(b) Const. of masonery CWR 1 lac gallons	1,50,000		(b) Const. of RCCWR 1 lac gallens	98,600
	(c) Const. of office building	70,000		(c) Const. of office building	1,08,000
				(d) Const. of RCC B.P. Tank 3 lac lit with pump House.	1,33,000
				(e) Const. of pump house at Exisiting head works	37,500
		4,70,000			5,27,100

1	2	3	1	2	3
5.	Const of pipe for improvement in existing Distribution system.	3,90,000	5.	Const. of pipes for improvement in Existing Distribution system	4,26,000
	Total	22,30,000		Total	23,14,000
	Add. $4\frac{1}{2}\%$ contingency charges	95,000		Add. 14% prorata charges	3,23,000
	Total	23,25,000			
	Add. 14% prorata charges	3,11,500			
	G. Total	26,36,500		G. Total	26,37,000

Sd/–
Assistant Engineer
PHED, Distt. Dn. Tonk.

Sd/–
Executive Engineer
PHED. Distt. Dn. Tonk.

165

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सानसेरा वाया कसारवाड़ी (बांसवाड़ा) सड़क निर्माण कार्य

118. श्री फते सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछले वर्षों में डुगरा से सानसेरा वाया कसारवाड़ी सड़क का काम कराया गया ?

(2) उक्त सड़क पर कितनी राशि विभागीय व रिलीफ की खर्च की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सड़क को बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार के ध्यान में है कि डुगरा से सानसेरा सड़क मध्य प्रदेश व गुजरात को जोड़ने वाली है ? क्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात की सीमा पर पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त रोड को मास्टर प्लान में लेकर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास भेजा गयाहै ? क्या सरकार जन जाति, ग्रामीण जनता के हित में रोड का कार्य स्वीकृत कर जनता को राहत पहुंचायेगी ?

उत्तर

(1 एवं 2)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस मार्ग पर कुछ कार्य किया गया है। जिस पर 1,49,932.00 रुपये व्यय किये गये।

(3) मास्टर प्लान में सड़क प्रस्तावित है तथा प्लान की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(4) गुजरात राज्य द्वारा दाहोद-कावला सड़क पर अनास नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है जो निर्माणाधीन है।

(5) भाग (3) में उत्तर दे दिया गया है

भरततुर जिले में मिट्टी की जांच हेतु प्रयोगशाला

119. श्री हरि सिंह (कुम्हेर): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले में मिट्टी की जांच हेतु। कोई प्रयोगशाला राज्य सरकार द्वारा स्थापित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

भरतपुर जिले में मिट्टी की जांच हेतु एक भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वर्ष 1983-84 में माह सितम्बर में स्थापित की जा चुकी है।

चाकसू तहसील के बाढ़ग्रस्त ग्रामों को राहत

120. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

(श्री रामकंवार बैरवा)

क्या बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चाकसू तहसील के ग्राम नीमोंडीया, छान्देलखुर्द, रामनिवासपुरा आदि ग्रामों में बाढ़ से काफ़ी जन-धन की हानि हुई थी ? यदि हां तो कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही हैं कि मुख्य मन्त्रीजी व बाढ़ सहायता मन्त्रीजी का दौरा हुआ था और आश्वासन दिया गया था कि जिनकी जमीन बंह गई है बदले में उनको जमीन दी जावेगी तथा पक्के कुएं बनवाकर दिये जावेंगे ? यदि हां, तो अब तक बदले में कितनी जमीन दी गई, कितने कुएं बनवाकर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) ग्राम नीमोडीया के काश्तकारों को बाढ़ सहायता के पीड़ित मानकर अब तक कितनी सहायता किन-किन लोगों को दी गई ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(4) केन्द्र व राज्य सरकार से इस हेतु सहायता प्राप्त होने के फलस्वरूप लाखों रुपये इस मद में प्राप्त हुए तदुपरान्त भी सहायता क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 में आई बाढ़ से तहसील चाकसू के ग्राम नीमोडीया, छान्देलखुर्द एवं रामनिवासपुरा आदि ग्रामों में जन-धन की काफी हानि हुई थी । विवरण (सूची सं. 1) सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(2) मुख्य मन्त्री महोदय एवं सहायता मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र का दौरा किया था परन्तु इस आशय का आश्वासन नहीं दिया गया ।

(3) ग्राम नीमोडीया के 232 बाढ़ पीड़ित परिवारों को भूमि सुधार, मृतक पशुओं के बदले में नये पशु क्रय करने, कुओं को ठीक करवाने एवं पम्पिंग सैट्स ठीक कराने हेतु 2.68 लाख रुपये की राशि अनुदान स्वरूप दी गयी । विवरण (सूची संख्या 2) सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(4) यह कहना सही नहीं है कि सहायता नहीं दी गयी, जैसा पूर्व में दिये गये विवरण से प्रकट है ।

———

सूची संख्या–1

वर्ष 1981 में आई बाढ़ से तहसील चाकसू में हुई जन-धन की हानि का
विवरण

1.	तहसीलों के कुल ग्रामों की संख्या	289
2.	प्रभावित ग्राम	289
3.	प्रभावित परिवार	10696
4.	प्रभावित जनसंख्या	82289
5.	जन हानि	114
6.	पशु हानि	10980
	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति	
7.	बांध	64
8.	मकान कच्चे आंशिक	5919
9.	पूर्ण मकानात कच्चे	4390
10.	पुख्ता मकानात आंशिक	340
11.	पुख्ता मकानात पूर्ण	47
12.	सरकारी भवन आंशिक	34
13.	संस्थाओं के मकान आंशिक	35
14.	संस्थाओं के मकान पूर्ण	2
15.	फसल (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)	13370
16.	कृषि भूमि (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)	11491
17.	कुएं आंशिक	1094
18.	कुएं पूर्ण	598
19.	पम्पिग सैट्स	147

सूची संख्या-2

वर्ष 1981 में आई बाढ़ से प्रभावित ग्राम नीमोडिया में कृषकों को दी गई अनुदान राशि का विवरण

क्रम सं०	नाम प्रभावित व्यक्ति	राशि (रुपये)
1.	2	3
1.	गोविन्दा पुत्र भूरा	2666
2.	राम रख पुत्र बालू	1198
3.	रामनारायण पुत्र ज्ञाना	946
4.	गेंदा पुत्र भूरा	1416
5.	रामरतन पुत्र काना	114
6.	छीतर पुत्र भूरा	2924
7.	राधेश्याम पुत्र जयनारायण	14
8.	श्रीनारायण पुत्र भैंरू	2881
9.	रामसहाय पुत्र रामनाथ	339
10.	लालाराम पुत्र गोपीराम	1047
11.	लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथू	2700
12.	केशवलाल पुत्र नाथू	1800
13.	सुखदेव पुत्र रामनाथ	5429
14.	लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा	1444
15.	उदाराम पुत्र भैंरूंराम	1628
16.	श्योनारायण पुत्र चतरू	57
17.	श्योनाथ पुत्र रामनाथ	5325
18.	कल्याण पुत्र रामनाथ	1575
19.	केशर बेवा प्रताप	325
20.	खेतसिंह पुत्र फूलसिंह	212
21.	मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ	1007
22.	गोपाल पुत्र खेवरा	47
23.	हजारी पुत्र खेवरा	47
24.	श्योनारायण पुत्र रोडू	635
25.	छीतर पुत्र खेवरा	57
26.	जगदीश पुत्र कानाराम	114

1	2	3
27.	रामकरण पुत्र कानाराम	114
28.	हरदेव पुत्र श्रवण	601
29.	कल्याण पुत्र भैरू	194
30.	गोकुल सिंह पुत्र फूलसिंह	1408
31.	जगन्नाथ पुत्र तेजा	2686
32.	नारायण पुत्र रूपा	1487
33.	केशरलाल पुत्र लालू	1740
34.	रामसहाय पुत्र कल्याण	90
35.	मोहरू पुत्र कल्याण	90
36.	मांगीलाल पुत्र मोहरू	35
37.	केशरा पुत्र सुखा	2595
38.	कल्याण पुत्र छोटूराम	137
39.	छोटूराम पुत्र मूल्या	37
40.	लादूराम पुत्र चन्दाराम	114
41.	रामरख पुत्र तेजा	320
42.	रामरख पुत्र श्योराम	1273
43.	कजोड पुत्र मूल्या	1499
44.	सत्यनारायण पुत्र नाथूराम	93
45.	लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण	781
46.	घीसी देवी पत्नी सूरजमल	202
47.	हरिसिंह पुत्र फूलसिंह	158
48.	बिरदीचन्द पुत्र कल्याण	2031
49.	रामचन्द्र पुत्र कल्याण	1881
50.	कल्याण पुत्र गोपाल	1146
51.	गंगालाल पुत्र रामनारायण	85
52.	मांगीलाल पुत्र गोपाल	1224
53.	कल्याण पुत्र चिमना	1378
54.	जयनारायण पुत्र कल्याण	2604
55.	मांगीलाल पुत्र हरदेव	1223
56.	कल्याण पुत्र बालू	1421
57.	कल्याण पुत्र रामनारायण	1435

1	2	3
58.	कल्याण पुत्र रामरतन	3110
59.	रामसहाय पुत्र चन्दा	555
60.	बैजनाथ पुत्र रामरतन	1860
61.	लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटू	161
62.	रुघनाथ पुत्र बक्सा	631
63.	रामू पुत्र कल्याणमल	602
64.	रामलाल पुत्र महादेव	1444
65.	रामप्रसाद पुत्र लादूराम	241
66.	रामप्यारी पुत्री नानगराम	700
67.	रामपाल पुत्र भूरा	3963
68.	रामनिवास पुत्र नाथूलाल	416
69.	रामचन्द्र पुत्र नाथू	253
70.	रामरखा पुत्र नाथू	258
71.	रामनिवास पुत्र नाथू	368
72.	रामरखा पुत्र नाथू	1618
73.	रामसहाय पुत्र भैरू	1334
74.	कन्हैया पुत्र किशना	243
75.	सीताराम पुत्र किशना	243
76.	माधोलाल पुत्र भैरू	1218
77.	भौंरीलाल पुत्र मूल्या	35
78.	बैजनाथ पुत्र रुघनाथ	367
79.	रामचन्द्र पुत्र गंगाराम	156
80.	मोहना पुत्र जगन्नाथ	200
81.	मूलचन्द पुत्र किशन	271
82.	रामकरण पुत्र भुवाना	1368
83.	केशरलाल पुत्र भूरा	1345
84.	भौंरया पुत्र छीतर	353
85.	केशरलाल पुत्र भुवाना	114
86.	रामधन पुत्र हजारीलाल	1489
87.	बद्री पुत्र हजारीलाल	1487

(172)

1	2	3
88.	जगदीश पुत्र हजारीलाल	2737
89.	नारायण पुत्र भूराराम	1574
90.	कल्याण पुत्र घासी	687
91.	चन्द्रा पुत्र हरदेव	1498
92.	घासी पुत्र भूरा	1345
93.	घासी पुत्र नाथू	551
94.	गोपाल पुत्र मूल्या	128
95.	नारायण पुत्र घासी	687
96.	रामसहाय पुत्र लखमा	948
97.	रामरतन पुत्र रुघनाथ	2773
98.	रामरतन पुत्र बक्सा	1054
99.	रामधन पुत्र रेखा	248
100.	रामनाथ पुत्र सेडू	3170
101.	रामनाथ पुत्र छोटू	320
102.	रामनाथ पुत्र छोटू (बड़ी गुवाड़ी)	515
103.	रामजीवन पुत्र भौंरीलाल	2408
104.	रामनारायण पुत्र बालू	370
105.	कल्याण पुत्र रुघनाथ	2730
106.	रामकरण पुत्र रुघनाथ	1081
107.	बजरंगा पुत्र केशर	109
108.	रामचन्द्र पुत्र मोहरू	133
109.	रामनिवास पुत्र छीतर	2171
110.	मोहन्या पुत्र रुघनाथ	2125
111.	नारायण पुत्र किशना	1859
112.	मूल्या पुत्र रुघनाथ	2366
113.	भूरा पुत्र भैंरूंराम	2661
114.	जगदीश पुत्र रामनाथ	3231
115.	ज्ञाना पुत्र भूराराम	488
116.	श्योनारायण पुत्र बाल	393
117.	मूल्या पुत्र प्रताप	60
118.	बद्री पुत्र प्रताप	60

173

1	2	3
119.	नाथू पुत्र नन्दा	502
120.	नाथू पुत्र रामनारायण	1310
121.	नन्दा पुत्र भूरा	1694
122.	जगदीश पुत्र रामचन्द्र	2720
123.	छीतर पुत्र रोड़ू	3528
124.	चतरू पुत्र चन्द्रा	1445
125.	सीताराम पुत्र भूराराम	162
126.	रामरख पुत्र भूरा	166
127.	धन्ना पुत्र भूरा	1416
128.	जगदीश पुत्र भूरा	966
129.	प्रताप पुत्र चन्द्रा	311
130.	सीताराम पुत्र चतरू	57
131.	रामलाल पुत्र गोरू	128
132.	गंगाराम पुत्र केशरा	531
133.	रामराय पुत्र केशरा	47
134.	सुखदेव पुत्र रामनाथ	2883
135.	सुखदेव पुत्र जगन्नाथ	1457
136.	केनरा पुत्र हजारी	830
137.	बद्री पुत्र रोड़ू	1354
138.	रामरख पुत्र रोड़ू	104
139.	रामसहाय पुत्र रोड़ू	2604
140.	निहाला पुत्र मांग्या	561
141.	सीताराम पुत्र कल्याण	33
142.	छीतर पुत्र छोटू	1775
143.	नानगराम पुत्र कल्याणमल	33
144.	गोपाल पुत्र कल्याण	28
145.	श्योप्रसाद पुत्र कल्याण	28
146.	लालचन्द पुत्र सूरजमल	203
147.	रामचन्द्र पुत्र सुखदेव	534
148.	सत्यनारायण पुत्र कल्याण	28
149.	जगदीश पुत्र भुवाना	118

(174)

1	2	3
150.	रामसहाय पुत्र उदा	56
151.	रूपनारायण पुत्र उदा	56
152.	घारू पुत्र उदा	56
153.	घारू पुत्र मन्ना	35
154.	हरसहाय पुत्र मन्ना	35
155.	छोटू पुत्र मन्ना	35
156.	पांचूराम पुत्र काना	365
157.	रामसहाय पुत्र रुघनाथ	130
158.	उदा पुत्र ग्यारसा	862
159.	बालूराम पुत्र बालू	1959
160.	रूघा पुत्र मन्ना	35
161.	भारमल पुत्र मन्ना	35
162.	रामनाथ पुत्र मेवा	250
163.	भूंथा पुत्र सोन्या	362
164.	लादूराम पुत्र पांचूराम	287
165.	नान्या पुत्र विजयलाल	1580
166.	रामचन्द्र पुत्र चौथू	500
167.	रामचन्द्र पुत्र रामपाल	750
168.	गणेश पुत्र लाला	1250
169.	गोपी पुत्र जगदीश	1250
170.	लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ	625
171.	प्रताप पुत्र भूरा	2075
172.	मूल्या पुत्र रामनाथ	625
173.	रामकरण पुत्र हरनाथ	875
174.	रामरख पुत्र रुघनाथ	1250
175.	रामप्रसाद पुत्र लादू	1250
176.	श्योजी पुत्र श्रीराम	1250
177.	घनश्याम पुत्र देवीलाल	1200
178.	लादू पुत्र गणेश	1250
179.	सुखदेव पुत्र भूरा	1200
180.	मंगला पुत्र काना	1250

1	2	3
181.	रामरख पुत्र विजयलाल	137
182.	पांचू पुत्र छोटू	2500
183.	श्योनारायण पुत्र नाथू	1250
184.	जग्गा पुत्र रूपा	300
185.	श्योजी पुत्र पांचू	1250
186.	बद्री पुत्र पांचू	1100
187.	किशना पुत्र कालू	2500
188.	राधामोहन पुत्र भौंरीलाल	2500
189.	मदनलाल पुत्र विजयलाल	2500
190.	लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूलाल	500
191.	रामनारायण पुत्र नारायण	1050
192.	भंवरबाई पत्नी गोविन्दसिंह	1250
193.	रेवड पुत्र मांग्या	1250
194.	राम किशोर पुत्र कल्याण पुरी	1100
195.	नानगा पुत्र भौंरीलाल	2400
196.	रामकिशोर पुत्र रामनिवास	1200
197.	कल्याण पुत्र भौंरीलाल	1250
198.	जगदीश पुत्र भौंरीलाल	1100
199.	जगदीश पुत्र जगन्नाथ	2500
200.	चिरंजीलाल पुत्र महादेव	1250
201.	केशरा पुत्र रूपा	2500
202.	पन्ना पुत्र मूल्या	1250
203.	नारायण पुत्र गंगाराम	375
204.	नारायण पुत्र शंकर	1000
205.	कालू पुत्र नानगा	625
206.	लाला पुत्र नानगा	625
207.	नानगा पुत्र मूला	1500
208.	मेवा पुत्र शंकर	1250
209.	जयनारायण पुत्र मूला	2500
210.	परश्या पुत्र मांग्या	3750

1	2	3
211.	गोदया पुत्र घासी	1250
212.	कल्याण पुत्र इन्द्रराज	4125
213.	कालू पुत्र हरलाल	1500
214.	भोरया पुत्र लाला	1875
215.	छोटू पुत्र श्योनारायण	2625
216.	प्रहलाद पुत्र घासी	3525
217.	माधो पुत्र मांगीलाल	625
218.	बाबूलाल पुत्र श्रीया	1250
219.	रामसहाय पुत्र बालू	2500
220.	रामसहाय पुत्र भोरया	3750
221.	रामकुमार पुत्र नाथू	3750
222.	भगवान पुत्र सूण्डया	1875
223.	गोपी पुत्र कल्याण	1875
224.	शंकर पुत्र चन्दा	1150
225.	इब्राहीम खां पुत्र भूरे खां	875
226.	अल्लाहबक्श पुत्र साधू खां	1200
227.	श्रीमती छोटू पत्नी रमजू खां	750
228.	सिकन्दर पुत्र अलादीन	2000
229.	रसीर खां पुत्र उमराव खां	1200
230.	सुबराती पुत्र हुसैन खां	575
231.	रामू पुत्र मूल्या	1250
232.	जगन्नाथ पुत्र छोटू	1250
		268243/–

ग्राम भट्टजी की नांगल के कुओं का पानी

121 श्रीमती विद्या पाठक (सागांनेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले के गांव भट्टजी की नांगल पंचायत वीलवा और ग्राम रामसिंह पुरा पंचायत वाटिका के अधिकांश सार्वजनिक कुओं का पानी सर्वथा दोषयुक्त होने की शिकायत राज्य सरकार को अनेकों वार भेजी गई है ?

(2) सैन्ट्रल जेल, जयपुर में पानी की सप्लाई कहां-कहां से की जाती है ? क्या गत 5 वर्षों में कभी यहां के पेय जल की जांच कराई गई ? यदि हां, तो कव-कव ?

(3) जयपुर जेल के भीतर कितने कुएं बने हुए हैं ? क्या यह सही है कि उनका पानी दोषयुक्त हैं ? क्या कभी उनके पानी की जांच हुई है ? क्या इन कुओं से भी जेल में पानी सप्लाई किया जाता है ?

(4) क्या राज्य सरकार प्राथमिकता पर उक्त तीनों स्थानों को शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की तुरन्त व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में गांव भट्टजी की नांगल पंचायत वीलवा एवं गांव रामसिंहपुरा पंचायत वाटिका राजस्व रिकार्ड के अनुसार कोई ग्राम नहीं हैं, यद्यपि इन स्थानों के पानी के दोषयुक्त होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सैन्ट्रल जेल को 2" पानी का कनेक्शन दिया गया है, इस कनेक्शन द्वारा वो ही पानी सप्लाई किया जाता है जो शहर के अन्य भागों को दिया जाता है, जो कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पीने योग्य है ।

(3) जेल के परिसर में पानी का संधारण जेल विभाग द्वारा किया जाता है ।

(4) उपरोक्त स्थानों में से भट्टजी की नांगल, ग्राम मानसूर मांगलिया पंचायत समिति वीलवा का भाग है जिसके लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है । दूसरा स्थान रामसिंहपुरा वाटिका ग्राम पंचायत वाटिका की ढाणी है जिसके लिए पम्प एवं टेंक जल योजना चालू है । तीसरे स्थान सैण्ट्रल जेल के परिसर में व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की है ।

मेडिकल कालेजेज में चिकित्सकों के पदों पर पदस्थापन

122. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, वीकानेर तथा उदयपुर मेडिकल कालेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके विषयों में स्थान रिक्त नहीं होने पर अन्य विषय विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे पदस्थापित चिकित्सकों की मेडिकल कालेज, पद व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां,

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

सूची

क्रम संख्या	नाम चिकित्सक	पद	मेडिकल कालेज	रिक्त पद जिसके विरुद्ध पदस्थापन किया गया	विशेष विवरण
1.	2	3	4	5	6
1.	डा० बी०बी० माथुर	रीडर, दन्त चिकित्सा	जयपुर	प्रोफेसर, प्रोस्थेस्टि (डेन्टिस्ट्री)	—
2.	डा० आर० सी० जोशी	रीडर, रेडियोडायग्नोसिस	,,	प्रोफेसर रेडियोथेरेपी	—
3.	डा० प्रेम प्रकाश	रीडर, पेडिएट्रिक मेडिसन	,,	रीडर, मेडिसनल केमिस्ट्री	—
4.	डा० जी० पी० अग्रवाल	वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्मोकोलोजी	,,	फार्मास्यूटिकल केमिस्ट एवं व्याख्याता फार्मेसी	—
5.	डा० घनश्याम	सी०ए०एस०	,,	व्याख्याता, मानसिक चिकित्सा	—
6.	डा० (श्रीमती) मधु नीमावत	सी०ए०एस०	,,	व्याख्याता, मानसिक चिकित्सा	—
7.	डा० एम० एम० भोजक	सी०ए०एस०	,,	व्याख्याता, मानसिक चिकित्सा	—
8.	डा० बी० के० गुप्ता	व्याख्याता मेडिसन	,,	व्याख्याता, चर्म एवं रति रोग	—
9.	डा० डी० के० श्रीवास्तव	व्याख्याता. बायोफिजिक्स	,,	व्याख्याता, चर्म एवं रति रोग	—
10.	डा० बी० एल० गुप्ता	व्याख्याता, एनेस्थेसिया	,,	व्याख्याता, दन्त चिकित्सा	—
11.	डा० सुशील कोचर	व्याख्याता, शल्य चिकित्सा	,,	व्याख्याता, न्यूरो शल्य चिकित्सा	—
12.	डा० एम० के० माथुर	सी० ए० एस०	,,	व्याख्याता, फिजिकल मेडिसन व रिहेबिलिटेशन	—
13.	डा० एम० एम० रतनानी	वरिष्ठ प्रदर्शक, एनाटोमी	,,	व्याख्याता, एनाटोमी	—
14.	डा० सुभाष मेहन्दीरहा	कनिष्ठ विशेषज्ञ	,,	व्याख्याता, रेडियोडायग्नोसिस	—
15.	डा० एस० पी० गुप्ता	व्याख्याता, शल्य चिकित्सा	,,	व्याख्याता, कार्डिक थोरोसिक शल्य चिकित्सा	—
16.	डा० (श्रीमती) तुलसी माथुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	,,	व्याख्याता, प्रसूति विज्ञान	—
17.	सुश्री रश्मि राका	बायोकेमिस्ट	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी	—

178

1	2	3	4	5	6
18.	श्री प्रवीण शर्मा	वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री	जयपुर	वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी	—
19.	श्रीमती सरिता भल्ला	वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्मोकोलोजी	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी	—
20.	श्री अमरसिंह राठौड़	वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, फिजियोलोजी	—
21.	श्री जगदीश प्रसाद	एफ. डब्लू. एच. ए.	,,	डाइटिशियन	—
22.	डा० पी० के० अग्रवाल	रीडर, दन्त चिकित्सा	,,	रीडर कम्यूनिटी डेन्टिस्टरी	—
23.	डा० आर० डी० शर्मा	व्याख्याता, फिजियोलोजी	अजमेर	फार्मास्यूटिकल केमिस्ट एण्ड लेक्चरर इन फार्मेसी	—
24.	डा० पी० डी० मोतयानी	व्याख्याता, टी. बी. एण्ड चेस्ट	,,	रीडर, टी० बी० एण्ड चेस्ट	—
25.	डा० (श्रीमती) पारस नवल	व्याख्याता, पैथोलोजी	,,	व्याख्याता, स्किन एवं वी. डी.	—
26.	डा० एस० सी० माथुर	रीडर, औषध	,,	रीडर, कार्डियोलोजी	—
27.	डा० राजेश माथुर	वरिष्ठ प्रदर्शक, पी. एण्ड एस.एम.	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी	—
28.	डा० प्रेम डीडवानिया	सी० ए० एस०	,,	व्याख्याता, एनेस्थेसिया	—
29.	डा० अशोक कुमार विजय	सी० ए० एस०	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी	—
30.	डा० पी० एस० नाग	सी० ए० एस०	,,	व्याख्याता इन बायोफिजिक्स	—
31.	डा० शशि बाला माथुर	व्याख्याता, एनेस्थेसिया	जोधपुर	व्याख्याता, फिजियोलोजी	—
32.	डा० उमरावसिंह लोढ़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ, टी.बी. चेस्ट	,,	व्याख्याता, दन्त चिकित्सा	—
33.	डा० ए० पी० वर्मा	रीडर, एनेस्थेसिया	बीकानेर	प्रोफेसर, एनेस्थेसिया	—
34.	डा० श्रीमती प्रेम कंवर	कनिष्ठ विशेषज्ञ, गायनी	,,	व्याख्याता, गायनाकोलोजी	—
35.	डा० एम० सी० मारु	कनिष्ठ विशेषज्ञ, रेडियोलोजी	,,	व्याख्याता, रेडियोलोजी	—

1	2	3	4	5	6
36.	डा० मदन कुमारी देवल	सी० ए० एस०	बीकानेर	व्याख्याता, एनेस्थेसिया	—
37.	डा० प्रेमदत्त वाल्मीकि	सी० ए० एस०	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी	—
38.	डा० श्रीमती सायर कंवर वाल्मीकि	सी० ए० एस०	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी	—
39.	डा० अनिल कुमार जैन	सी० ए० एस०	,,	वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी	—
40.	डा० बी० एस० गुप्ता	प्रवाचक, पी. एण्ड एस.एम.	उदयपुर	रीडर, आर्थोपेडिक्स	—
41.	डा० सी० एस० बाबेल	रीडर मेडिसन	,,	रीडर, टी० बी० एण्ड चेस्ट	—
42.	डा० के० एल० माली	वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री	,,	बायोकेमिस्ट	—
43.	डा० बी० डी० छाबडिया	सी० ए० एस०	,,	व्याख्याता, रेडियोलोजी	—
44.	डा० एम० एग० सांखला	सी० ए० एस०	,,	व्याख्याता, एनेस्थेसिया	—

श्री मोहनलाल सुखाड़िया गोल्ड कप टूर्नामेन्ट

123. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर के तत्वाधान में मई/जून, 1983 में अजमेर के पटेल मैदान पर श्री मोहनलाल सुखाड़िया गोल्ड कप टूर्नामेन्ट का आयोजन किया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस आयोजन में नगर परिषद् की ओर से दी गई राशि, डोनर कार्ड से प्राप्त राशि, स्मारिका के विज्ञापन हेतु प्राप्त राशि एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल कितना धन एकत्र हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस राशि में से किस-किस मद पर कितना कितना व्यय किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस आयोजन के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और उसका ऑडिट करा लिया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस आयोजन से सम्बद्ध गोल्ड कप का पालिश कराने के दौरान तीन तोला सोना उतरवा लिया गया है ? यदि नहीं, तो यह गोल्ड कप कब कितने तोले का कितने रुपयों में खरीदा गया और अब उसका वजन कितना है तथा वर्तमान में वह कहां है ?

(6) क्या इस आयोजन के बारे में भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताएं होने की शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया शिकायत की प्रति व उस पर की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया गोल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन इस बारे में गठित टूर्नामेंट कमेटी के तत्वाधान में आयोजित किया गया था।

(2) नगर परिषद् अजमेर की ओर से 50 हजार रुपये का अनुदान दिया गया था। नगर परिषद् अजमेर में किसी प्रकार की स्मारिका, डोनर कार्ड अथवा अन्य स्रोतों से कोई राशि नहीं आई है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के बाद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) नगर परिषद् के रिकार्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है। यह गोल्ड कप 732 ग्राम का है एवं 7,280/– रु. में खरीदा गया तथा वर्तमान में नगर परिषद् कोष में है।

(6) जी हां। जांच कार्यवाही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एस. एस. अग्रवाल द्वारा की जा रही है। शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

शिकायत की प्रति

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,

अजमेर । विषय :– मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति गोल्ड कप के सन्दर्भ में ।

श्रीमान्,

अजमेर नगर में मई, 1983 को पटेल मैदान पर नगर परिषद् के तत्वावधान में मोहनलाल सुखाड़िया गोल्ड कप का आयोजन हुआ जिसके आयोजक मण्डल के तत्कालीन जिलाधीश श्री डी. सी. सामन्त, तत्कालीन एस. पी. श्री समर वीर सिंह पंवार और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर पी. डब्ल्यू. डी. श्री सम्पत मल माथुर तथा एस. डी. ओ. श्री एस. एन. थानवी थे तथा इस सारे कार्यक्रम के इन्चार्ज कोषाध्यक्ष रेवेन्यू आफिसर प्रथम नगर परिषद् श्री वी. डी. जोशी थे । यह कार्यक्रम कुल 6 दिन चला । इसका सारा आयोजन नगर परिषद् ने किया था और यह गोल्ड कप भी नगर परिषद् अजमेर के पास ही था । इसमें अनुमानतः करीब 3 लाख रुपये इकट्ठे किये गये थे और सौ-सौ रुपये के डोनर कार्ड और स्मारिका इस उपलक्ष में छपाने के लिए करीब 30 हजार रुपये के विज्ञापन तत्कालीन चुंगी के राजस्व अधिकारी परमात्मा स्वरूप लाये थे बाकी गेट मनी से हुआ था और इनके डोनर टिकट कार्ड अजमेर के समस्त थानेदारों ने; सेलटैक्स आफिसरों ने आबकारी अफसरों ने बांटे (बेचे) थे । नगर परिषद् ने स्वयं भी अपना 50 हजार रुपया करीब लगाया था । गोल्ड कप नगर परिषद् की ट्रेजरी में ही था । उसको पालिश कराया गया जिसमें भी उस वक्त के अधिकारियों ने करीब 3 तोला सोना उसकी पालिश से उतरवा लिया । यह पालिश भी मिलीभगत से हुई जबकि पालिश कराने का कार्य तकनीकी समिति के जिम्मे होना चाहिये था । इस आयोजन में घोर अनियमिततायें हुई हैं । और नगर परिषद् चूंकि राज्य सरकार की स्वायत शासी संस्था है इसमें हुई घपलेबाजी से एक तो राज्य सरकार की छवि जनता के समक्ष गिरी है दूसरा स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया के नाम को भी धब्बा लगा है । इस आयोजन में हुई अनियमिततायें निम्न प्रकार हैं :—

(1) गोल्ड कप की पालिश में अनुमानतः तीन तोला सोना उतरवा लिया गया है और गोल्ड कप तीन दिन तक अजमेर में लोगों के घर पर पड़ा रहा जब कि नगर परिषद् की ट्रेजरी में नहीं रहा और तकनीकी समिति द्वारा उसकी पालिश के वक्त कोई राय मशविरा नहीं लिया गया, अपनी मर्जी से ही सुनारों को देकर अनियमितता की गई ।

(2) इनामों की खरीद के सम्बन्ध में घोर अनियमितता हुई । इनाम मुख्यतः टीमों को दिये जाने वाले जोधपुर, दिल्ली और जयपुर से खरीदे गये जो कि बिना टेण्डर के खरीदे गये जबकि अजमेर में उससे सस्ते मूल्य पर और अच्छे इनाम उपलब्ध हैं ।

(3) स्मारिका के प्रकाशन के लिये नगर परिषद्, अजमेर ने करीब 50 हजार रुपये का विज्ञापन लोगों से लिया और स्मारिका आज तक न छपी और न लोगों के पास आई है । अगर स्मारिका छप भी गई है तो नगर परिषद् के अधिकारियों ने उसको वितरित नहीं किया जो कि एक घोर अनियमितता है ।

(4) उपरोक्त आयोजन में फर्जी टिकट छापे गये जिससे गेट मनी के आय व्यय का कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हो सका है और टिकट की छपाई तथा प्रचार सामग्री के लिये छपाई भी सिंगल टेण्डर पर हुई। अखबार आदि में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था।

(5) इसी प्रकार टेंटों के सम्बन्ध में भी सज्जन टेंट हाउस व सुन्दर टेंट हाउस से फर्जी बिल लिये गये। उक्त टेंट नहीं लगे जिनसे कि बिल लिये हैं।

(6) चाय, काफी व बर्फ के पचास प्रतिशत बिल फर्जी पेश किये गये हैं। इस आयोजन में 15 व्यक्ति अन्य कर से लिये गये और 25 व्यक्ति भवन व शाखा से लिये गये बाकी नगर परिषद् का सारा स्टाफ लगा हुआ था जिसमें गाड़ियां इत्यादि सभी था। फिर भी 10 आदमी उस आयोजन के लिये रखे गये जिसकी मस्टररोल में से तनख्वाह उठाई गई।

श्रीमान् इस आयोजन में किसी भी प्रमुख टीम ने भाग नहीं लिया, सभी पिटी हुई और बेकार टीमें बुलाई गई कोई प्रमुख टीम नहीं आई। उनको या तो निमन्त्रण ही नहीं था या आयोजक खर्चे की वजह से बुलाना नहीं चाहते थे। राजकीय संस्था द्वारा इतने बड़े स्तर पर आयोजन कर और राज्य सरकार के इतने बड़े अधिकारियों के नाम उसमें देकर और स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया के नाम को बेच कर धन अर्जन किया गया तथा आज तक भी इसकी आय व्यय का ब्यौरा न तो बनाया गया है और न कहीं पेश किया गया है। इसमें नगर परिषद् के समस्त अधिकारी लिप्त थे और जिलाधीश एवं एस. पी. और आयोजक मण्डल के अन्य सदस्यों को गुमराह करके पैसे खा गये हैं और राज्य सरकार की छवि जनता के समक्ष बिगाड़ी है।

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त सारे प्रकरण की निष्पक्ष तुरन्त जांच करावें ताकि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो तथा स्मारिका निकल सके और आय व्यय का लेखा जोखा जनता के समक्ष आ सके।

धन्यवाद।

ह./–
(राजेश टंडन)
अध्यक्ष,
युवक कांग्रेस आई, अजमेर

———

नागौर जिले में पेड़ों की अवैध कटाई के प्रकरण

124. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यहि सही है कि नागौर जिले में डेगाना व गच्छीपुरा के आस-पास के गांवों में हरी खेजड़ियां काटी जा रही हैं ? यदि हां, तो कृपया बतायें की पुलिस विभाग ने कुल कितने ट्रक पकड़ कर चालान प्रस्तुत किये तथा वन विभाग ने कितने केस बना-कर कार्यवाही की ?

(2) डेगाना के अतिरिक्त सम्पूर्ण नागौर जिले में पिछले वर्ष कुल कितने ट्रकों को पुलिस द्वारा पकड़ कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के डेगाना व गच्छीपुरा क्षेत्र में हरी लकड़ियां काटने के मामलों में पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 1983 में 6 तथा वर्ष 1984 में अभी तक एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 6 अभियोग न्यायालय में चालान किये गये हैं तथा एक अभियोग झूठा पाया गया है। वन विभाग द्वारा लकड़ी के अवैध परिवहन के मामलों में वर्ष 1982–83 में 5 ट्रकों को पकड़ा गया जिनसे रुपये 25003/ का कुल मुआवजा सभी से वसूल किया गया

(2) डेगाना क्षेत्र के अतिरिक्त नागौर जिले में वर्ष 1983 में 8 अभियोग पुलिस द्वारा पंजीबद्ध हुए जिनमें से एक अप्रमाणित पाया गया व 7 का चालान कर दिया गया है।

पाली जिले में राहत कार्यों पर लगाये गये ट्रेक्टर्स

125. श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1982–83, 1983–84 के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत चलाये गये अकाल राहत कार्यों के तहत पाली जिले में कितने ट्रैक्टर राहत कार्यों पर लगाये गये ?

(2) कृपया इन ट्रैक्टर्स के मालिकों के नाम व उन्हें भुगतान की गई राशि के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखें तथा सूची में ट्रैक्टर मालिक के ट्रैक्टर की पंजीयन संख्या भी लिखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत चलाये गये अकाल राहत कार्यों पर पाली जिले में वर्ष 1982–83 में 13 एवं 1983–84 में 12 ट्रैक्टर लगाये गये।

(2) वांछित सूचना (प्रपत्र 'क') सदन के पटल पर रख दी गई है।

प्रपत्र "क"

पाली जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगाये ट्रैक्टरों की सूची

वर्ष 1982–83

क्र०सं०	ट्रैक्टर मालिकों के नाम	भुगतान की गई राशि	ट्रैक्टर की पंजीयन संख्या	
1.	श्री कल्याण सिंह	698/–	सी० पी० क्यू०	2048
2.	श्री गोपाल सिंह	1053/–	आर० एस० एन०	256
3.	श्री पूनाराम सांकला	2024/–	आर० जे० क्यू०	3568
4.	श्री हरपाल सिंह	2646/–	आर० एस० टी०	2233
5.	श्री रावत राम	2542/–	आर० जे० टी०	3236
6.	श्री खीमा राम	2408/–	आर० जे० टी०	7164
7.	श्री हनुमान प्रसाद	2916/–	आर० आर० एन०	1245
8.	श्री पूनाराम सांकला	756/–	आर० जे० क्यू०	8568
9.	श्री जयसिंह	276/–	एच० आर० एच०	7965
10.	श्री पन्नालाल	2024/–	ए० पी० ए०	2666
11.	श्री नानाराम	6373/–	आर० जे० टी०	3406
12.	श्री देवा राम	2376/–	आर० जे० टी०	1155
			आर० जे० टी०	2411
13.	श्री खीमा राम	3132/–	आर० जे० टी०	7164

वर्ष 1983–84

1.	श्री गंगाराम	1346/–	आर० जे० क्यू०	1356
2.	श्री हरा राम	1760/–	आर० जे० क्यू०	3547
3.	श्री मांगीलाल चौधरी	360/–	पी० वी० डब्ल्यू०	5272
4.	श्री वाना राम	7887/–	आर० जे० टी०	3406
5.	श्री उम्मेद सिंह	728/–	आर० जे० टी०	6360
6.	श्री सुख सिंह	3360/–	पी० वी० टी०	7376
7.	श्री भंवर सिंह	541/–	आर० जे० टी०	2272
8.	श्री हरसुख राम	3360/–	एच० आर० एम०	7552
9.	श्री लाल सिंह	675/–	आर० जे० टी०	9137
10.	श्री बाबूलाल	1560/–	आर० जे० डब्ल्यू०	2941
11.	श्री करीम बक्स पठान	2560/–	आर० जे० टी०	6880
12.	श्री भूराराम	1245/–	आर० जे० क्यू०	4188

राजस्थान सर्विस ऑफ इन्जीनियर्स (सिंचाई) के स्थायीकरण

126. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सर्विस आफ इन्जीनियर्स (इरिगेशन ब्रांच) रूल्स, 1954 के रूल 6 (2) के अन्तर्गत अन्तिम तौर से निर्धारित परमानेन्ट कैडर स्ट्रेन्थ कितनी है ?

(2) इस स्ट्रेन्थ में कितने अभियन्ता किस वर्ष तक कन्फर्म किये जा चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि परमानेन्ट कैडर स्ट्रेन्थ पर रिक्त होने के बावजूद इस सेवा में कार्यरत अभियन्ताओं को कन्फर्म नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) अब ये कन्फर्मेशन कब तक कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान सर्विस आफ इंजीनियर्स (इरिगेशन ब्रांच) नियम, 1954 के नियम 6(2) के अन्तर्गत परमानेन्ट कैडर स्ट्रेन्थ मार्च, 1977 में प्रकाशित की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1. मुख्य अभियन्ता	3
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	1
3. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	14
4. अधीक्षण अभि. (यांत्रिकी)	1
5. अधिशाषी अभि. (सिविल)	60
6. अधिशाषी अभि. (यांत्रिक)	4
7. सहायक अभि. (सिविल)	246
8 सहायक अभि. (यांत्रिक)	7

इसके पश्चात् राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31-12-80 द्वारा विभाग के स्थाई पदों में वृद्धि की जाकर स्थाई पदों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गई है :—

1. मुख्य अभियन्ता	3
2. अतिरिक्त मुख्य अभि.	2
3. अधीक्षण अभि. (सिविल)	23
4. अधीक्षण अभि. (यांत्रिक)	1
5. अधिशाषी अभि. (सिविल)	86
6. अधिशाषी अभि. (यांत्रिक)	6
7. सहायक अभि. (सिविल)	341
8. सहायक अभि. (यांत्रिक)	30

(2) स्थाई पदों में से निम्नलिखित अभियन्ताओं को कन्फर्म किया जा चुका है एवं दिनांक जिस तक कन्फर्म किये जा चुके हैं :—

1. मुख्य अभि.	3	1-1-80
2. अति. मुख्य अभि.	2	1-12-80
3. अधीक्षण अभि. (सिविल)	21	1-3-80
4. अधीक्षण अभि. (यां.)	1	1-3-77
5. अधिशाषी अभि. (सिविल)	58	1-3-80
6. अधिशाषी अभि. (यां.)	4	1-3-80
7. सहायक अभि. (सिविल)	172	1-3-77
8. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	17	1-3-80

(मुख्य मंत्री)

(3) मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के वर्ष 1980 व 1981 के पश्चात् हुए रिक्त पदों पर स्थायीकरण के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं तथा अन्य पदों के सम्बन्ध में न्यायालयों में विचाराधीन मामलों एवं कुछ प्रशासनिक बाधाओं के कारण और कन्फर्मेशन किये जाने में बाधा आ रही है।

(4) इस सम्बन्ध में प्रयास जारी है।

डडू से कूम्पलिया पाइप लाइन

127. श्री अमरा राम चौधरी : (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डडू से कूम्पलिया पाइप लाइन कितने वर्ष पूर्व लगाई गई थी? पाइप लाइन लगने के पश्चात् कूम्पलिया पानी कितनी बार पहुंचा ?

(2) क्या यह सही है कि डडू–कूम्पलिया पाइप लाइन के साथ–साथ एक पाइप लाइन 9" की और लगाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो यह पाईप लाइन कितने महीनों में पूरी लग जावेगी ?

(3) बागुण्डी-खट्टू और पाटोदी-कालेवा पाइप लाइन लगाने की स्कीम को टेक्नीकल स्वीकृति कब मिली तथा इन ग्रामों को कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या टापरा से सिमलिया तथा भीमरलाइ गोल और चांदेसरा पाइप लाइन को टापरा से सिमालिया तक बड़ी लाइन लगाने का कोई कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो यह पाइप लाइन कितने किलोमीटर लम्बी है ? इसको कब शुरू किया गया तथा यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) डडू से कूम्पालिया तक पाइप लाइन वर्ष 1971–72 में बिछाई गई थी। इस योजना की शुरुआत में कुछ अरसे तक डडू- कुम्पालिया पानी पहुंचाया था परन्तु पिछले तीन चार वर्ष से पानी नहीं पहुंच रहा है।

(2) डडू-कुम्पालिया के तहत वर्तमान में पेयजल की मांग बढ़ने के कारण जल वृद्धि (आगमेन्टेशन) योजना बनाई जा रही है। इस योजना की जांच करने के बाद यथोचित पाइप लाइन लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) इन योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। स्रोत की जांच की जा रही है।

(4) जी हां, टापरा से सिमालिया पाइप लाइन का कार्य दिसम्बर 83 में आरम्भ किया गया था यह पाइप लाइन 22 किलो मीटर लम्बी पड़ती है। इस योजना में पशुओं की जल खपत को शामिल कर संशोधित योजना बनाई जा रही है। जिसकी स्वीकृति जारी होने पर बजट

(जन स्वा. अभि. मंत्री)

प्रावधान के अनुसार शीघ्र कार्य पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे है।

बाड़मेर मेल नर्सिग सेन्टर में रिक्त पद

128. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में जो मेल नर्सिग सेन्टर खुला हुआ है उसमें तीन नर्सिग ट्यूटर्स की जगह पिछले छः महीने से रिक्त है ?

(2) यदि हां, तो क्यों व इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर मेल नर्सिग सेन्टर में नर्सिग ट्यूटर के चार पद स्वीकृत हैं, जिसमें दो पद रिक्त हैं।

(2) प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर इस कमी को दूर किया जा सकेगा।

नगरपालिका नोखा को विशेष बजट राशि प्रदान करना

129. **श्री सुरजा राम** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की नगरपालिका, नोखा में आमदनी के साधन नहीं होने से नोखा नगर की प्रगति नहीं हो पाती है ? क्या उसमें नगरपालिका बोर्ड सक्षम होते हुए भी आमदनी बढ़ाने की कार्यवाही नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार नगरपालिका, नोखा को अधिक अनुदान एवं वित्तीय साधन सुलभ कराने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या नगरपालिका नोखा की सड़कों की नालियों की टूटी फूटी हालत एवं नगर के आम रास्तों पर पानी का भराव तथा गन्दगी ढेर के फैलाव की वजह से शहर का सौन्दर्य बिगड़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यों के लिए नगरपालिका को विशेष बजट (धन राशि) सुलभ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका नोखा के आय के साधन सीमित होने के बावजूद कस्बे की सफाई एवं प्रगति की ओर नगरपालिका सदैव प्रयत्नशील है। गत वर्षो की तुलना में आमदनी में बढ़ोतरी हुई है।

(2) नगरपालिका नोखा को 1981 की जनसंख्या के आधार पर अनुदान राशि की दो किश्तों के रूप में 80,396/– रु० के अतिरिक्त सुलभ शौचालय के लिए 25,000/– रु० व पर्यावरण सुधार के लिए 1,12,500/– रुपये विशेष अनुदान दिया गया है।

(राज्य मंत्री, स्वा. शासन)

(3) कस्बे की सड़कों की नालियों की मरम्मत कराई गई है तथा गंदे पानी की निकासी हेतु बड़े नालों के निर्माण के लिए नगरपालिका द्वारा कार्यवाही जारी है।

उदयपुर-परसाद राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर लगाये गये पेड़

130. **श्री भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से परसाद तक राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर पेड़ लगाने के लिये राशि स्वीकृति की गई ? यदि हां, तो कितनी राशि खर्च की गई और कितने खड्डे खोदे गये और कितने पेड़ लगाये गये ?

(2) मौजूदा पेड़ों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस कार्य पर 6.81 लाख रुपया व्यय किया गया है। उक्त मार्ग पर 59948 खड्डे खोदे जाकर इतने ही पौधे लगाये गये।

(2) लगाये गये पौधो में से 38,900 पौधे मौजूद हैं।

बहरोड में विश्राम गृह का निर्माण

131. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार बहरोड़ में सार्वजनिक विश्राम-गृह का अभाव महसूस करती है ? यदि हां, तो यहां कब तक विश्राम-गृह का निर्माण कर दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार यह विश्राम-गृह 1984–85 में निर्मित कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) एवं (2) विश्राम गृहों की स्वीकृति का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्य की स्वीकृति नहीं होने के कारण विश्राम गृह निर्माण का कार्य विभाग द्वारा हाथ में लिया जाना संभव नहीं है।

समाज कल्याण विभाग की आंगनबाड़ी योजना हेतु खरीद

132. **श्री रंगजी मीणा** : (सपोटरा)। एवं

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा समाज कल्याण विभाग की आंगनबाड़ी योजना हेतु मार्च, 1983 में चार लाख रुपये के फर्स्ट एड बॉक्स खरीदने में दो दिन की अवधि की निविदा की विज्ञप्ति केवल एक समाचार-पत्र में प्रकाशित

(श्री रंगजी मीणा)

करा, बिना बॉक्स की रेट व स्पेसिफिकेशन के औचित्य की जांच के एक फर्म को सप्लाई आर्डर देने में, जो कि उत्पादक नहीं थी, अनावश्यक जल्दबाजी करने व अनियमितता बरतने की जांच सहकारी समितियों के मुख्य अंकेक्षक द्वारा की जाकर संघ, पंजीयक सहकारिता एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट के क्या-क्या निष्कर्ष हैं व इसमें किस-किस को किस-किस रूप में दोषी माना गया है तथा राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक दोषियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सहित कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि फर्स्ट एड बॉक्स ठीक रूप में पर्याप्त एवं सही सामग्री सहित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नहीं पहुंचने की शिकायतें भी हुई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां से व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) मुख्य अंकेक्षक, सहकारी विभाग ने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट जनरल मैनेजर, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर को संबोधित करते हुए प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, उप शासन सचिव, सहकारिता एवं उप शासन सचिव, वित्त विभाग को संचालक मंडल के सदस्य होने के नाते दिनांक 26-7-83 को प्रेषित की थी। प्राप्त तथ्यों के आधार पर जांच करवाई जा रही है।

(2) दिनांक 24-1-1984 को जांच के आदेश जारी कर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) समाज कल्याण विभाग के दो केन्द्र सीमलवाड़ा एवं मांडलगढ़ ने कुछेक फर्स्ट-एड-बॉक्सेज के टूटे होने एवं कुछ सामान पूरा व स्पेसिफिकेशन के अनुसार न होने की सूचना राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को दी है। फर्म का अधिकांश भुगतान विभाग ने रुकवा रखा है।

चम्बल नदी में उपलब्ध पानी का उपयोग

133. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने अब तक चम्बल पर कोटा बैराज के नीचे चंबल नदी में उपलब्ध पानी का निकटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई साधनों में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्या-क्या ?

(2) कोटा बैराज के नीचे चंबल में, बारह महीनों में जल की कितनी मात्रा उपलब्ध रहती है ? उसमें से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने कुल जल की कितनी मात्रा अपने उपयोग में ली है ? क्या, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल के इस पानी को अपने उपयोग में लाने के पूर्व राजस्थान सरकार

(श्री राज बहादुर)

से कोई अनुमति प्राप्त की अथवा कोई परामर्श किया ? यदि नहीं, तो क्या राजस्थान सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाई गई ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा बैराज के नीचे चम्बल नदी में उपलब्ध पानी को सिंचाई साधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से पीपल्दा लिफ्ट व धौलपुर लिफ्ट का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा इन्दिरा लिफ्ट पर सर्वे किया जा रहा है।

(2) चम्बल नदी पर कोटा बैराज के नीचे पिछले 10 वर्षों से पानी की मात्रा का गेजिंग किया गया है जिसके आधार पर साल के विभिन्न महीनों में निम्न प्रकार पानी की उपलब्धि है–

क्र.सं.	माह का नाम	उपलब्ध पानी की मात्रा	
1.	जनवरी	13	एम.सी.एम
2.	फरवरी	4.64	,,
3.	मार्च	37.87	,,
4.	अप्रेल	222.26	,,
5.	मई	178.95	,,
6.	जून	140.73	,,
7.	जुलाई	1880.96	,,
8.	अगस्त	4326.79	,,
9.	सितम्बर	2452.64	,,
10.	अक्टूबर	378.33	,,
11.	नवम्बर	174.62	,,
12.	दिसम्बर	122.35	,,

इस विभाग की जानकारी में कोटा बैराज के नीचे चम्बल नदी पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोई परियोजना बनाया जाना नहीं है। इसलिए राजस्थान से अनुमति लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य में खोले गये स्वास्थ्य उपकेन्द्र

134. **श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1983–84 में कुल कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये ? कृपया निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में क्या कोई नीति निर्धारित की गई थी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983–84 में 500 उपकेन्द्र खोलने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 488 उपकेन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उपकेन्द्र निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर नहीं खोले जाते हैं, परन्तु पंचायत समिति की जनसंख्या के आधार पर खोले जाते हैं। अतः उपकेन्द्रों की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपकेन्द्र खोलने की निम्न नीति है :–

प्रति 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र खोलने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्थान का चयन निम्न आधार पर किया जाता है :–

1. यू०एन०एफ०पी०ए० तथा समन्वित वाल विकास परियोजना के क्षेत्रों को प्रथम प्राथमिकता।

2. अन्य क्षेत्रों में स्थानीय मांग एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर।

(192)

वर्ष 83–84 में खोले जाने वाले उप केन्द्रों के नामों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	मसूदा	1.	कानियां
			2.	भायला
		केकड़ी	3.	नोमेडा
			4.	लिसाडिया
		किशनगढ़	5.	मुंडोलाव
			6.	सरगांव
2.	अलवर	कोटकासिम	7.	पटारिया
		किशनगढ़	8.	मुसाखेड़ा
		थानागाजी	9.	झीरी
3.	बांसवाड़ा	बागीडोरा	10.	झाझखां कलां
			11.	खुटागलिया
4.	बाड़मेर	शिव	12.	काश्मीर
		बाड़मेर	13.	बूठिया
			14.	बिन्दा का पार
		सिन्धडी	15.	गालिया जेठमारा
		धोरीमन्ना	16.	रानासरकला
		बालोतरा	17.	गोदाडास
			18.	वलाऊ
5.	भीलवाड़ा	सुवाना	19.	काचरिया
		आसीन्द	20.	बाजून्दा
			21.	चतरपुरा
		शाहपुरा	22.	ढोकोला
			23.	कांठिया
		जहाजपुर	24.	बांकरा
			25.	उचा
		माण्डल	26.	गोरखिया
			27.	भादू

1	2	3	4	5
		बनेड़ा	28.	कासोरिया
			29.	झांतल
		हुरडा	30.	वराटिया
			31.	दांतड़ा
		रायपुर	32.	पोधा कारांडा
		सहाड़ा	33.	चवन्डिया
			34.	चोडवाडा
	बीकानेर	बीकानेर	35.	उदासर
	बूंदी	नेनवा	36.	खजूरी
			37.	संदेड़ा
			38.	डाकून्द
			39.	गडदेवजी
	चूरू	सूजानगढ़	40.	स्यानप
			41.	बाजसरा अथूना
		राजगढ़	42.	तानरान
			43.	नेवा
		डूंगरगढ़	44.	जखासर नया
			45.	बम्बू
			46.	गिरवरसर
	चित्तौड़गढ़	गोपालसागर	47.	मूत्ला
		भदेसर	48.	कूथना
		गंगसर	49.	सादी
		चित्तौडगढ़	50.	कांटा
		बेगू	51.	दांतपुरा
			52.	गोबिन्दपुरा
		प्रतापगढ़	53.	भादोला
			54.	वरडिया
		अरनोद	55.	पुनियाखेड़ी
	गंगानगर	भादरा	56.	रामवास
			57.	जगासरी छोटी

1	2	3	4	5
	जयपुर	झोटवाडा	58.	दुबनियावास
		सांगानेर	59.	ठिकरिया
		फागी	60.	हिंगोनिया
		जाहोता	61.	लोखर
		शाहपुरा	62.	श्योसिंहपुरा
		कोटपुतली	63.	पुरुषोतमपुरा
		विराटनगर	64.	कोरसोना
		दूदू	65.	घाघोने
		सांभर	66.	भैंसावा
			67.	महाभीमसिंह
		गोबिन्दगढ़	68	डोडसर
		दौसा	69.	पोरवाला
		जमवारामगढ़	70.	टोडामोपा
			71.	बहरोड
	जैसलमेर	सागड़ा	72.	रातडिया
		पोकरण	73.	बोनाडा
	जालौर	भीनमाल	74.	भालनी
		जसवन्तपुरा	75.	पुनयकलां
		नौं	76.	नोसटा
			77.	कोडका
		साचोर	78.	सुरारा
	जोधपुर	बालेसर	79.	देडा
			80.	बस्तावां
			81.	कुई
		फलौदी	82.	खिरजा आशा
			83.	सियान्दा
			84.	रोलि कलां
			85.	शेतानसिंह नागलोद
		बालेसर	86.	देवात

1	2	3	4	5
		पलोदी	87.	गिलाकोयर
			88.	ढाडिया
	पाली	रायपुर	89.	झूंठा
			90.	नानणा
		रोहत	91.	जैतपुरा
		सुमेरपुर	92.	बेसन्त
			93.	जमवाई बांध
			94.	पावा
		सोजत	95.	मंडला
			96.	चाडवास
			97.	गांगूडा
			98.	निम्बाड़ा
			99.	चंडावल स्टेशन
			100.	वायेल
	सिरोही	रेवदर	101.	जोलपुर
		कालन्दरी	102.	रामपुरा
		रेवदर	103.	भटाणा
		सिरोही	104.	गुलबागंज
	टोंक	निवाई	105.	राजवास/मण्डावा
		उनियारा	106.	सुरेली/वालोल
		देवली	107.	बीजवाड़ा
	अलवर	टेहला	108.	राजगढ़
			109.	तिलवार
			110.	श्रीवादपुरा
			111.	देवटी
			112	थाना
			113.	सियालुता
			114.	पुराना राजगढ़
			115.	सुरे

1	2	3	4	5
			116.	पालवा
			117.	मल्लाना
			118.	कोथ
			119.	कुण्डला
			120.	मोतीवाड़ा
			121.	घाटडा
	बाड़मेर	चोहटन	122.	सांवा
			123.	बडला
			124.	बावड़ी कला
			125.	काना (कानरा)
			126.	फागलिया
			127.	सापका तला
			128.	साता
			129.	मोठे का तला
			130.	धोनिया
	बांसवाड़ा	गढ़ी	131.	बिलोटा
			132.	पांचवड़ा
			133.	केसरपुरा
			134.	मजाना
	डूंगरपुर	सागवाड़ा	135.	पादरी बडी
	बांसवाड़ा	गढी	136.	लोडदा
			137.	पलासी छोटी
			138.	अम्बाड़ा
			139.	लोहारिया
		घाटोल	140.	बामनपारडा
			141.	बडाना
			142.	डागंल
			143.	भुडासेल
			144.	खेरवा

1	2	3	4	5
			145.	वड़ो पडाल
			146.	दूदका
			147.	मोटा टांडा
			148.	कुवानिया
	बांसवाड़ा	घाटोल	149.	वडलिया
			150.	भूवासा
			151.	पाडोली राठौड
			152.	कण्ठाव
			153.	रुजिया
			154.	अमरसिंह का गढ़ा
			155.	डूंगरिया
	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	156.	भोपतपुरा
			157.	थलकलां
			158.	राजगढ़
			159.	मकरेडी
			160.	खेराडिया
			161.	जोजवा
			162.	सराडा
			163.	जालिन्दरी
	डूंगरपुर	सागवाड़ा	164.	घोटाद
			165.	घाटा का गांव
			166.	वाबूदनिया
			167.	डैंचा
			168.	गांवडा वामनिया
			169.	चौंवूडां
			170.	करीयाना
			171.	बूचिया बड़ा
			172.	जेठाना
			173.	सोमालिया पण्डया
			174.	भासोर

1	2	3	4	5
	जयपुर	चाकसू	175.	तितारिया
			176.	मुडियोसिंहपुरा
			177.	यात्रीपुरा
			178.	निम्बोडिया
			179.	चण्डेल
			180.	बरौदिया
			181.	खाजलपुरा
			182.	शिवदासपुरा
			183.	रामनगर
			184.	देहलाना
			185.	तमदिया
			186.	माड लिया मेछो
	चित्तौड़गढ़	छोटी सादड़ी	187.	सूवो
			188.	बरखेड़ा
			189.	धोरापानी
	चित्तौड़गढ़	छोटी सादड़ी	190.	समातथली
			191.	बसेडा गनेशपुरा
			192.	जालोदा काजू
			193.	सरप गुंज
	जोधपुर	शेरगढ़	194.	रायसर
			195.	असालाई
			196.	गुडचिया
			197.	साई
			198.	गुढा (गढ़ा)
			199.	खिरिजाआशा
			200.	सियाधा
			201.	सागरान
			202.	जिठानिया
			203.	दातानिया
			204.	भूगरा

1	2	3	4	5
	पाली	जैतारण	205.	सिनला
			206.	खराडी
			207.	लाटोती
			208.	रावडियावास
			209.	टोवडी
			210.	देवरिया
			211.	रामावास कलां
			212.	विरोल
			213.	जानेवा
			214.	पीपलियां खुर्द
			215.	पाटवा
			216.	लोल की वाकालू
			217.	विगोसनी
			218.	धनेरिया
			219.	चावण्डिया
			220.	वैंडकलां
	उदयपुर	कोटडा	221.	सामोसी
			222.	महाद
			223.	वडली
			224.	मेरपुर
			225.	थेप
			226.	मेडी
			227.	मेवाडों की मठ
			228.	पाथवाड़ा
			229.	अम्बावा
			230.	सामोजा
			231.	अंज़नी
	उदयपुर	खेरवाड़ा	232.	वलीचा
			233.	उवायचा

1	2	3	4	5
			234.	साहेली (ए)
			235.	पीपली (ए)
			236.	ब्राह्मणों की बरोठी
			237.	खानमीन
			238.	झबेरी
			239.	कानुवाड़ा
			240.	कोकावत (विलख)
			241.	पाण्डयावाड़ा
			242.	खाण्ड़ो ओवरी
			243.	थाना
			244.	कागधा
			245.	अगमणा कोटडा
			246.	बादड़ी
			247.	भगोर
			248.	टोंकवास
			249.	कल्याणपुर
		झाडोल	250.	पीपलवाड़ा
			251.	जामून (मादला)
			252.	नैनवाड़ा
			253.	खराडिया
			254.	चांदवास
			255.	मोहम्मद फलासिया
			256.	गोदवाड़ा
			257.	जैतावाड़ा
			258.	आमलिया
			259.	गरणवास,
			260.	नालवा
			261.	अम्बावी
			262.	डैय्या

1	2	3	4	5
			263.	आजरोली
			264.	क्यारिया
			265.	गंजवी
			266.	उपोटा
			267.	रोहोमाला
		राजसमन्द	268.	आत्मा
			269.	देवपुर
			270.	तासोल
			271.	सांगठ
			272.	भाटोली
			273.	सांपोल
			274.	बीरच
			275.	फारा
	उदयपुर	राजसमन्द	276.	भाबा
			277.	भाना
			278.	सुन्दरचा
			279.	फिथावड़ी
			280.	बिनोल
			281.	पाडली
	जयपुर	सांगानेर	282.	रामपुराउरती
	सीकर	खन्डेला	283.	गढ़भोपाजी
	जयपुर	दूदू	284.	गंगातिकलक
			285.	पीथियास
	जोधपुर	औसिया	286.	कींजरी
			287.	बोडकी
	बून्दी	नैनवा	288.	सिसोला
	गंगानगर	हनुमानगढ़	289.	हिरनावली
			290.	नवा
		रायसिंहनगर	291.	समेजाकोठी
		अनूपगढ़	292.	67 एन. पी.

1	2	3	4	5
	टोंक	निवाई	293.	पहाड़ी
	बाड़मेर	सिन्दड़ी	294.	कानोड़
	पाली	खारची	295.	बेगला
		रानी	296.	कारी
			297.	बरकाना
			298.	सुमेशर
		बाली	299.	बारवा
	झुंझुनू	नवलगढ़	300.	रानासर
	उदयपुर	भीम	301.	छापली
			302.	कालादेह
		देवगढ़	303.	कमेरी
	जयपुर	अराई	304.	भागीदीत्त
			305.	देवपुरी
		सिलोरा	306.	रघुनाथपुरा
	नागौर	परबतसर	307.	जझीला
			308.	मायापुर
	सवाईमाधोपुर	—	309.	हिन्डोन
			310.	मासलपुर
	धौलपुर	—	311.	बाड़ी
			312.	राजाखेड़ा
	भरतपुर	—	313.	डीग
			314.	कुम्हेर
	कोटा	—	315.	केलवाड़ा
			316.	कैथून
	जोधपुर	औसिया	317.	पडासला
			318.	नोदियाकलां
		फलोदी	319.	आर.सी.पी. तिलोकनी (फलोदी)
		बाप	320.	ननेऊ
		लूनी	321.	कांकलाव

1	2	3	4	5
			322.	डोली
	भीलवाड़ा	बनेड़ा	323.	बरन
		हुरड़ा	324.	बोखेड़ा
	बाड़मेर	सीदड़ी	325.	छोटू
			326.	चवा
	जोधपुर	जोधपुर	327.	ग्रामसुंबदण्ड
	नागौर	मकराना	328.	ग्राम मनाना
	अलवर	रामगढ़	329.	ग्राम उटवाला
	भीलवाड़ा	जहाजपुर	330.	कुचलवाड़ा कलां
			331.	कुराडिया
	गंगानगर	—	332.	ग्राम पक्की
			333.	ग्राम रणुका
			334.	15 पी. टी. डी.
	जयपुर	शाहपुरा	335.	महाखुर्द
		दौसा	336.	ग्राम जासोता
		बस्सी	337.	राजपुरापातलवास
		चाकसू	338.	महादेवपुरा
	उदयपुर	देवगढ़	339.	ग्राम टोकरा जीरन
		भीम	340.	ठीकरवास
	नागौर	मुण्डावा	341.	माणकपुर
			342.	गयाडिसरा (नागौर)
		नागौर	343.	जोधियासी
		डेगाना	344.	मौरियाना
			345.	राजोध
	अलवर	बहरोड	346.	तसींग
		मण्डावर	347.	बासमैनपुर
		कोटकासीम	348.	तिगाना
	झुन्झुनू	झुन्झुनू तह.	349.	भीमसर
			350.	जटावाखुर्द
		खेतड़ी	351.	ग्राम थली

1	2	3	4	5
		खेतड़ी तह.	352.	ग्राम धसेड़ा
		उदयपुरवाटी	353.	जोधपुरा
	सीकर	दांतारामगढ़	354.	भिराना
		धोद	355.	बिजासी
	जोधपुर	फलोदी	356.	भीयासर
			357.	आर. सी. पी. कोलोनी
		बाप	358	मुगड़ी
	जयपुर	दूदू	359.	चैनपुरा
	अजमेर	अजमेर	360.	अजयनगर वार्ड-26
	बांसवाड़ा	बागीदौरा	361.	आदर्शगांव बुडवा
			362.	बालावाड़ा
	गंगानगर		363.	जवाहरनगर कालोनी
			364.	ग्राम लाखुवाला
	जयपुर	लालसोट	365.	ग्राम सोन्दड़
			366.	ग्राम दौलतपुरा
	झुन्झुनूं	उदयपुरवाटी	367.	टीटनवाड़
		झुन्झुनू तह.	368.	मुन्दा का वास
	नागौर	कुचामन	369.	स्टेशन नावा
	टोंक	मालपुरा	370.	किरावल
			371.	रानोली
			372.	कचमाना
			373.	मालगांव
	नागौर	लाडनूं	374.	डीगसरी
	सिरोही	ओर	375.	ओर
		सिरोही	376.	रामपुरा
	बूंदी	तालेड	377.	लोइया
			378.	तीरथ
	अलवर	मण्डावरा	379.	वासमैनपुर
		कोटकासीम	380.	तिगाना

1	2	3	4	5
	झुन्झुनू	संतोर	381.	धसेड़ा
			382.	खादवा
	गंगानगर	नोहर	383.	मोधूनगर (अदरसचक)
		हनुमानगढ़	384.	सूरेवाला
	पाली	मारवाड़ जंक्शन	385.	चिलावास
	जयपुर	लालसोट	386.	सोन्दड
			387.	धौलतपुरा
		बस्सी	388.	कुथाड़ा

वर्ष 1983-84 में यू. एन. एफ. पी. ए. परियोजना के अन्तर्गत खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार उपकेन्द्रों की सूची

क्र. सं.	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति का नाम		स्वीकृत उपकेन्द्र का नाम
1	2		3
1 जिला भरतपुर			
1.	सेवर	1.	मेहरोली कलां
		2.	मेहरावर
		3.	प्रस्तावन जदीद
2.	कुम्हेर	4.	अवाहौर
3.	डीग	5.	वदनगढ़
		6.	खोहारी
7.		7.	अढावली
4.	नगर	8.	जलालपुर
		9.	कुरकेन

1	2	3	
		10.	मुढेरा
5.	नदबई	11.	ऊंच
		12.	नगलामई
		13.	मई
6.	कुम्हेरा	14.	भोरी
		15.	थलचाना
		16.	भोजपुर
		17.	छपरा
		18.	बरखेरा
7.	बयाना	19.	शेरगढ़
		20.	ईटखेड़ा
8.	रूपवास	21.	भोट
		22.	खुडासा
		23.	मदापुर
		24.	नेकपुर
		25.	भेसा
2 जिला धौलपुर			
2.	बसईनबाब	26.	दोपेरी
		27.	बारखेड़ा
		28.	दुबेपुरा
		29.	गढ़ीसण्या
		30.	सुन्दरपुर
		31.	नुनेहारा
2.	बाड़ी	32.	सेवर
		33.	निघेरा
		34.	बाडीपुरा
3.	बसेड़ी	35.	ममौधन
		36.	कुरगांव
		37.	दुमई

1	2	3	
4.	राजाखेड़ा	38.	हथावारी
		39.	छिवार
		40.	सिलावट
(3) जिला सवाई माधोपुर			
1.	हिण्डौन	41.	हुमकी खेड़ा
		42.	धारा
		43.	अरनिया
		44.	सूरोठ
		45.	गोडमीना
2.	मण्डावर	46.	सलीमपुर
		47.	मिर्जीपुर
		48.	उकरून्द
		49.	हल्दीना
		50.	विशाल
		51.	खोचपुरी
3.	गंगापुर	52.	उमरी
		53.	बारौली
4.	बालघाट	54.	शेरखाड़
		55.	खोरी
		56.	रानौली
		57.	वौंल
		58.	जसोरिया
		59.	कजौली
5.	हाड़ोती	60.	जीरोता
		61.	मरमदा
6.	मासलपुर	62.	नरायना
		63.	हजारीपुरा
	मासलपुर	64.	खोदा

1	2	3	
7.	भगवतगढ़	65.	बाडोलास
		66.	अदलवाडाकलां
		67.	पियोदरा
		68.	करमोदा
		69.	थूदासी
		70.	ओलवाड़ा
8.	खन्डार	71.	डूंगरी
9.	बोंली	72.	मजेला
		73.	भूखा
		74.	बापूली
10.	बामनवास	75.	शफीपुरा
		76.	बारखाड़ी
		77.	पिपलाई
11.	गुढाचन्द्रजी	78.	धोलेता
		79.	जेनपाल
4 जिला कोटा :			
1.	अटरू	80.	दिलोदहाथी
		81.	चरडाला
		82	मुसई गुजरान
		83.	नीमोदा
		84.	मेरमातलाव
2.	बमोरीकला	85.	तिसाया
		86.	भटवाड़ा, सोरखांडकला
		87.	सोर खांड़कला
3.	कैथुन	88.	थावड खाडी
		89.	मान्दीलया
		90.	भंवरिया

4.	छबडा	91.	दूरखोडी
		92.	दिलोद
5.	पीपलदा	93.	जलादा खातियान
6.	सारथल	94.	जागीर दिगोद
7.	केलवाडा	95.	कस्बा ननेरा
8.	मण्डावरा	96.	जाखडोद
		97.	खोसला
		98.	घाटोली
9.	मोडक	99.	मनोहरपुरा

नगरपालिका लाडनूं द्वारा गाड़िया लुहारों का आवास

135. **श्री रामधन** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों की ओर के समय लाडनूं नगरपालिका द्वारा गाड़िया लुहारों को करंट बालाजी के पास आवादी भूमि में बसाया गया था ? यदि हां, तो उनको दो महीने बाद वहां से क्यों हटा दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका लाडनूं द्वारा जिलाधीश, नागौर के आदेशानुसार गाड़िया लुहारों को बसाया गया था फिर भी दिसम्बर, 83 में उनके मकान जला दिये गये, उनके साथ मारपीट की गई तथा वहां से उनको खदेड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस विषय में नगरपालिका मण्डल के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि गाड़िया लुहारों के खिलाफ लाडनूं नगरपालिका के द्वारा किये गये अत्याचारपूर्ण रवैये की शिकायत राज्य सरकार को की गई थी ? यदि हां, तो कब तथा राज्य सरकार ने इस शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । अतिक्रमण करने से हटाया गया था, परन्तु मारपीट करने व मकान जलाने की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा नहीं की गई थी । इस बारे में प्राप्त शिकायत की जांच करवाई जा रही है ।

(3) जी हां । दिनांक 3-12-83 एवं 16-1-84 को शिकायत प्राप्त हुई है । जांच करवाई जा रही है ।

फारेस्ट-रेन्ज बान्सी की जंगलात की भूमि पर काबिज आदिवासी

136. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाड़िया) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फारेस्ट-रेन्ज, बान्सी में आदिवासी लोग जंगलात की जमीन पर वर्षों से नाजायज काश्त करते हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या सरकार उक्त काश्तकारों के अवैध कब्जों का नियमन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, रेन्ज बान्सी में 180 आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना दर्ज है ।

(2) प्रचलित राज्यादेशानुसार एक जनवरी, 1971 से पूर्व के अनधिकृत कब्जों का नियमन किया जा सकता है, जिनके नियमन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

एस.ई., पी. डब्ल्यू. डी., उदयपुर द्वारा पुलिया का निर्माण कार्य

1137. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

एस. ई. पी. डब्ल्यू. डी., उदयपुर की अनियमितताओं और घटिया माल पुलियाओं में लगाने के संबंध में मुख्य मंत्री जी को किन-किन जन प्रतिनिधियों ने पत्र लिखकर अविलम्ब जांच की मांग की थी? क्या जांच करवाई गई?

उत्तर

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा ने पत्र दिनांक 23 अप्रेल, 1983 के द्वारा मुख्य मंत्रीजी को अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-प्रथम, उदयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं और घटिया माल पुलियाओं में लगाने के संबंध में विस्तृत जांच कराये जाने हेतु निवेदन किया था। इस पत्र को सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजते हुए उन्हें स्वयं जांच करने के आदेश मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा प्रसारित किये गये। सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जांच पूर्ण करली है और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 8-3-84 को प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

गोवा सत्याग्रहियों को पेन्शन

138. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या केन्द्र सरकार ने गोवा आंदोलनकारियों को स्वतन्त्रता सेनानी मानकर उनको पेंशन का अधिकार घोषित किया है?

(2) क्या राज्य के गोवा सत्याग्रहियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार की है? यदि हां, तो क्या श्री मोहन लाल पटवा, निवासी बारां का नाम भी इस सूची में है?

(3) गोवा सत्याग्रहियों को पेंशन दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत में फ्रांस व पुर्तगाल की कालोनीज में स्वतंत्रता-संघर्ष को इस योजना के तहत सम्मान पेंशन मन्जूर किये जाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन का हिस्सा माना है।

(2) राज्य सरकार ने राज्य के गोवा सत्याग्रहियों की सूची तैयार नहीं की है। स्वतंत्रता संग्राम सैनानी समिति कोटा ने "गोवा सत्याग्रह" नामक पुस्तक राज्य सरकार को भेजी है। इस पुस्तक में कोटा सत्याग्रह में भाग लेने वाले 39 व्यक्तियों की सूची है जिसमें क्र०सं० 28 पर श्री मोहन लाल पटवा का नाम भी है।

(3) गोवा सत्याग्रहियों को पेंशन देने से सम्बन्धित मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा चाही गयी स्वीकृति

139. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कितने मामलों में चालान की स्वीकृति कार्मिक विभाग से चाही गई और उनमें से कितने मामलों में स्वीकृति प्रदान कर दी गई ?

(2) उक्त मामलों में ट्रेप के कितने मामलों में स्वीकृति मांगी गई और कितनों में स्वीकृति नहीं दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने मामले अभी निर्णय के लिए कब से व कहां पर विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पिछले तीन साल (वर्ष 1981, 82, 83) में कुल 29 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान जयपुर में भेजे गये। जिनमें से तीन प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

(2) उपर्युक्त प्रकरणों में से ट्रेप के 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति मांगी गई। जिनमें से तीन प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्ष 1981,82 83 का ऐसा कोई ट्रेप केस नहीं है जिसमें अभियोजन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार ने मना किया हो।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची

सूची दिनांक 31–12–83 तक निम्न अपराधों में राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति आना शेष है :—

क्रमांक	अपराध संख्या	विरुद्ध	विभाग	अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्र भेजने का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	83/80	श्री महेशचन्द्र गुप्ता, सहायक अभियन्ता एवं अन्य सिंचाई विभाग, जयपुर	उप शासन सचिव कार्मिक (क–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर	6–12–83
2.	80/80	,,	,,	6–12–83
3.	69/80	,,	,,	6–12–83
4.	67/80	,,	,,	6–12–83
5.	85/80	,,	,,	6–12–83

1	2	3	4	5
6.	81/80	,,	,,	6–12–83
7.	70/80	,,	,,	6–12–83
8.	82/80	,,	,,	6–12–83
9.	79/80	,,	,,	6–12–83
10.	84/80	,,	,,	6–12–83
11.	68/80	,,	,,	23–11–83
12.	78/80	,,	,,	6–12–83
13.	2/80	श्री रामलाल डाबी, आर. ए. एस., भू. पू. सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर	,,	6–12–83
14.	22/82	,,	,,	6–12–83
15.	23/82	,,	,,	7–12–83
16.	33/82	,,	,,	17–12–83
17.	57/81	श्री माणकचन्द मोदी, निदेशक, राज्य बीमा विभाग, जयपुर एवं अन्य	,,	17–12–83
18.	58/81	,,	,,	30–12–83
19.	59/81	,,	,,	17–1–83
20.	64/82	श्री हरमेन्द्रसिंह, सहायक अभियंता एवं अन्य सिंचाई विभाग, सवाईमाधोपुर	उप शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर	15–6–83
21.	62/82	अधिकारीगण, सा.नि.वि. बाड़मेर	,,	1–11–83
22.	89/82	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश, विकास परियोजना अभिकरण, सवाईमाधोपुर	,,	18–8–83
23.	1/79	डा. मोहम्मद ताहीर, भू. पू. अधीक्षक, पशु प्रजनन केन्द्र रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर	,,	29–9–83
24.	1/83	श्री बी. डी. जोशी, सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग, अलवर	,,	23–11–83

1	2	3	4	5
25.	11/81	श्री शिवदानसिंह चौधरी, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जोधपुर	,,	23-1-83
26.	58/82	डा. अमृतलाल सोनी, इन्चार्ज, पी. एच. सी. मोलासर, नागौर	,,	8-8-83

सूची जिनमें स्वीकृति दी गई :—

क्रमांक	अपराध संख्या	विरुद्ध	अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने का दिनांक
1.	38/81	श्री नाथाराम, आर. ए. एस., बूंदी	5-9-81
2.	21/81	श्री बिरधीचन्द, डी. एस. ओ., अलवर	6-9-82
3.	61/82	डा. ओमप्रकाश खण्डेलवाल, कोटा	12-5-83

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 110 की सूची)

राजस्थान में जिलेवार पशुधन संख्या वर्ष 1983

	जिले का नाम	गाय वंश	भैंस वंश	भेड़ वंश	वकरा वकरी	घोड़े एवं टट्टू	सूअर वंश	ऊंट वंश	अन्य गधा गधी	कुल पशुधन
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	497304	171430	774672	522513	572	11369	3536	4788	1986384
2.	अलवर	411807	461893	152759	583390	1274	15245	17262	10380	1654010
3.	वांसवाड़ा	533862	145689	27691	305711	896	64	2779	8727	1025419
4.	वाड़मेर	491468	40919	1157295	1335322	2199	794	109089	47376	3184462
5.	भरतपुर	261397	3707153	101144	224936	1296	21694	3346	8437	992403
6.	भीलवाड़ा	719133	233919	955225	749618	1074	8129	11858	5985	2684941
7.	बीकानेर	455736	57110	1079973	395687	303	52	58752	8544	2656157
8.	बूंदी	336342	127709	123560	362268	1236	5740	4109	1489	962513
9.	चित्तौड़गढ़	818034	254983	206761	547854	2249	3750	5708	6384	1845723
10.	चूरू	285381	149954	693455	799917	267	256	107724	6259	2043223
11.	धौलपुर	150897	152188	15266	122664	1437	4640	1602	3210	451904
12.	डूंगरपुर	424103	147369	228358	303843	673	294	2069	3976	1110665
13.	गंगानगर	623083	417959	613834	413324	1851	5568	115944	7016	2198579
14.	जयपुर	872530	669028	521351	993202	2057	22442	25098	9343	3115051
15.	जैसलमेर	260230	1082	874527	405437	691	—	51749	22073	1615789
16.	जालौर	373702	138998	533636	402800	1327	3500	15402	6114	1475479

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	झालावाड़	508622	165904	25887	280243	3042	4615	1408	3085	992806
18.	झुन्झुनू	159661	214092	236037	523408	279	2064	37635	3140	1176316
19.	जोधपुर	527319	98993	1147882	834351	487	490	49846	7693	2607081
20.	कोटा	767141	209308	52850	404930	2838	14212	7228	4856	1463303
21.	नागौर	584814	205328	1215302	974854	1515	3236	40338	2522	3087989
22.	पाली	498718	180827	761175	543538	1026	6723	11660	9070	8018737
23.	सवाई माधोपुर	553923	401683	170055	631322	1510	22313	8821	10312	1799939
24.	सीकर	283892	248392	416721	765958	685	3845	37811	3876	1761170
25.	सिरोही	241611	70562	190215	250521	1019	2040	4419	2194	762581
26.	टौंक	443157	171042	448713	391514	647	12687	2543	2555	1472858
27.	उदयपुर	1381878	528417	661771	1340336	2978	3375	15101	12672	3946528
कुल	योग :—	13465945	6034931	13386115	15409451	35428	179137	752887	222076	49485970

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 154 की प्रति)

रिपोर्ट इत्तला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 286 रा. पु. रे.)

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 146 जा० फौ० प्राने पर वाक होती है)

थाना–दौसा जिला–जयपर राजस्थान

जुर्म नं० (सुर्खी में) 49 तारीख और वक्त बकुआ 14-2-78 से पूर्ण

तारीख और वक्त जब इत्तला हुई मय रिपोर्ट नं० रोजनामचा आम	तारीख 14-4-78 समय 9-10 पीएम रपट नं० 554
आयं बकुआ और फासला और सिम्प थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो—	शिव टिन इण्डस्ट्रीज दौसा जानिब पश्चिम फासला $1\frac{1}{2}$ फलांग
तारीख व वक्त रवानगी थाने से—	हमरा डाक

नाम व नम्बर 88 हल्के में ब कुआ अन्दर साजा नम्बर 29

आय और सकूनत इत्तला कुनिन्दा और मुस्तगीस सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान	Shri D. K. Sharma, Deputy Director of Industries Jaipur.
नाम और सकूनत मुलजिमान निवास स्थान अपराधी—	
मुख्तसिर हालत जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो—	धारा 3/7 ई. सी. एक्ट
कार्यवाही तफतीश जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तला करने में हुई हो—	रिपोर्ट जरिये डाक प्राप्त होने पर मुकदमा कायम कर तफतीश शुरू की गई
नतीजा मुकदमा—	एफ. आर. अदम सबूत नं० 42 26–8–78 दिनांक 6-2-79 को अनुसंधान पुनः खोला गया।

दस्तखत एसडी—लक्ष्मण सिंह ओहदा–एस० एच० ओ० दौसा

रिपोर्ट तहरीरी (पुश्त पर)

रिपोर्ट तहरीरी

Confidential. Government of Rajasthan. Office of the Deputy Director of Industries. No. PI (JDO)/JO/Confi/77 dated the February 14th, 78. To Superintendent of Police, Jaipur. Sub–FIR against M/s. Shiv Tin Industries, Dausa District Jaipur (Raj.). Dear Sir, M/s. Shiv Tin Industries, Dausa is a registered Small Scale Industry located near Railway crossing at Dausa as per record of this office. This is a partnership concern and Sarva Shri Brij Kishore Sharma and Anand Behari Sharma sons of Shri Nawal Kishore Sharma are partners of this Unit. This Unit was provisionally registered under S.S.F. No. JAF/33172/172/PR Dated 1-5-72. This Unit was alloted on 25-2-73 the following Iron & Stell items for the construction of factory shed at Dausa:–1. Angles 65 × 65 × 6 MM 1.99 1 MJ. 2. Channels 100 × 50 mm—2.760 MT 3. Joists 150 × 75 mm 3.280 MT 4. Rounds 12 mm 2.125 MJ 5, GL, Sheets 211 sheets 6. Plates 10–12 mm–0.525 MT. The unit installed the machinary and went in to production in the month of August 1973 and permanent Registration certificate was granted vidi No. JAI/343/73/347 per dated 18-8-73. This unit was alloted iner plates by the department and Rajasthan small Industries corporation during the inspection of this unit on 23rd Aug, 1977 by Shri M.K. Jain District Industries Officer of this office. It was found that unit mis utilised 3.280 MJ Joists which were obtained by this unit forth construction of the shed and it was found the unit neither used joists for construction nor the unutilised material was found at the site and thus unit misutilised 3.280 MT of joists. During the inspection of the record, it was found that the unit sold 5300 Kg. at tin plates to M/s. Sailendra Engineering works, 27A Industrial Estate Jaipur South. The Tin plates were procured by the unit for the manufacturing tin containers and this sale of 5300 Kg. at tin plates also amounts to misutilisation tin plates and Joists fall under Essential commod. and action against this unit under the Essential Commodities Act 1955. may kindly be take immediately against and what's owner relevant documents and information are needed for proceeding further in this case, will be made available by this officer. Yours faithfully Sd/–14.2. (D.K. Sharma) Deputy Director of Industries, Jaipur.

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी० के० शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज़, जयपुर, तारीख 14 फरवरी, 1978 की मार्फत श्रीमान् एस० पी० साहब जयपुर के पत्रांक 7235–36, तारीख 14–4–78 के श्री राधेश्याम, एल० सी० 2153 ने लाकर पेश की जिसके साथ आडिट रिपोर्ट की नकल संलग्न प्राप्त हुई। असल रिपोर्ट से मामला जुर्म 3/7 ई० सी० एक्ट का पाया जाता है। अतः मुकदमा नं० 49 बदफा मजकूर कायम कर तफतीश सुपुर्द श्री दलीपसिंह, ए० एस० आई० के की गई।

एस. डी.
लक्ष्मण सिंह
एस० एच० ओ०, पी एस०, दौसा
14-4-78

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूचना

थाना सुल्तानपुर व सांगोद जिला कोटा में गत दो वर्षों (1982 व 1983) में
घटित अपराधों की सूची

क्रम संख्या	नाम थाना	अपराध शीर्षक	कुल पंजीकृत अभियोग	संख्या अभियोग जिनमें अभियुक्त गिरफ्तार हुए	संख्या अभियोग जिनका चालान हुआ	संख्या अभियोग विचाराधीन न्यायालय	संख्या अभियोग जिनका निर्णय हुआ सजा	रिहा	नाम अभियुक्त जिनको न्यायालय द्वारा सजीयाम किया गया	नाम व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा रिहा-बरी निरपराधी पाये गये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	थाना सुल्तानपुर	डकेती	—	—	—	—	—	—	शून्य	—
		कत्ल	5	3	3	3	—	—	—	—
		लूट	4	4	4	4	—	—	—	—
		नकबजनी	26	10	10	9	1	—	(1) सत्यनारायण पुत्र मदनलाल तेली सा० सुल्तानपुर (2) सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण सा० सुल्तानपुर प्रताड़ना देकर छोड़ा गया	— —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		बलवा	26	24	24	24	—	—	—	—
		चोरी	51	26	28	28	—	—	—	—
		अन्य भा०द०सं०	166	139	141	137	2	—	(1) राधेश्याम सुनार 4 पीओ एक्ट को फायदा दिया गया (2) हीरालाल माली-1 माह कैद 500)रु० जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 15 योग कैद	—
		आर्म्स एक्ट	4	4	4	4	—	—	—	—
		आवश्यक वस्तु अधिनियम	1	1	1	1	—	—	—	—
		जुआ आदि	1	1	1	1	—	—	—	—
		छुआछूत एक्ट	1	1	1	1	—	—	—	—
		दीगर एक्ट	3	3	3	3	—	—	—	—
2.	थाना सांगोद	डकैती	1	1	1	1	—	—	—	—
		कत्ल	3	3	3	3	—	—	—	—
		लूट	6	2	2	2	—	—	—	—
		बलवा	80	61	61	61	—	—	—	—
		नकबजनी	35	15	15	14	—	1	—	उदयलाल गूजर पुत्र किशनलाल नि० आवा को संदेह का लाभ देकर छोड़ा गया।

(२२)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		चोरी	53	24	25	25	—	—	—	—
		अन्य भा०द०सं०	256	215	215	203	4	1	(1) श्री जगदीश पुत्र जोधराज पानाहेडा 3 पी ओ एक्ट का फायदा दिया । (2) हेमराज पुत्र रत्तीलाल नि. कोठडी पी ओ के तहत प्रताड़ना देकर छोड़ा । (3) किशना पुत्र केसरी कोली नि. बदाया मुलजिम को 1000) रु. के जमानत व मुचलकों पर छोड़ा । (4) गोपाल पुत्र मोतीलाल नि. दवावर कला 2000) रु. के जमानत मुचलकों पर छोड़ा ।	(1) प्रेमचन्द पुत्र मांगीलाल नि० माईकला (2) मु. शांति पत्नी मांगीलाल नि. माईकला (3) कटी पत्नी बाबूलाल नि. माईकला संदेह का फायदा देकर छोड़ा गया ।
		आर्म्स एक्ट	5	5	5	5	—	—	—	—
		अफीम एक्ट	1	1	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		आबकारी एक्ट	1	1	1	1	—	—	—	—
		आवश्यक वस्तु अधिनियम	2	1	1	1	—	—	—	—
		विस्फोटक अधि०	1	1	1	1	—	—	—	—
3.	प्रिजरवेसन सरटेन ऐनीमल एक्ट		3	3	3	3	—	—	—	—
		छुआछूत एक्ट	2	2	2	2	—	—	—	—
		जुआ एक्ट	16	16	16	1[illegible]	6	—	(अ) 1. धन्नालाल पुत्र रामकल्याण 2. रामकल्याण पुत्र कालूराम 3. विरधीलाल पुत्र मांगीलाल 4. लालचन्द पुत्र पन्ना नि. सांगोद प्रत्येक पर 50-50 रुपये जुर्माना	—
									(ब) 1. चन्द्रप्रकाश पुत्र अमरलाल 2. रामस्वरूप पुत्र मथुरालाल 3. हेमराज पुत्र मोतीलाल नि. सांगोद मुलजिमान को प्रताड़ना देकर छोड़ा गया	—
									(स) 1. कान्हा पुत्र शंकर 2. मोहन पुत्र रामप्रताप 3. राजमल पुत्र ज्ञानचन्द	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									4. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 5. लालचन्द पुत्र कन्हैयालाल माली नि. सांगोद-प्रत्येक पर 50-50 रुपये जुर्माना (द) 1. कान्हा पुत्र शोरराज नि. सहपुरया 50) रु. जुर्माना 2. मोइनोदीन पुत्र ईदा नि. सांगोद 50) रु. जुर्माना 3. निजामुदीन पुत्र सुलतान नि. सांगोद 50 रुपये	
		अन्य एक्ट आव-आवश्यक सेवा अधिनियम	5	3	3	1	—	2	—	(अ) (1) बी.डी. शर्मा, एल.डी.सी. (2) बजरंग (3) नन्दकिशोर (4) ओमप्रकाश (5) अब्दुल रहमान (6) किशनलाल (7) अब्दुल फरीद (8) उस्मान गनी (9) करीम बेग (10) गोपाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(11) मांगीलाल
										(12) जवाहरलाल
										(13) रामेश्वर प्रसाद
										(14) अब्दुल सलाम
										(15) रामस्वरूप
										(16) कृष्णगोपाल
										(17) अमान्त
										(18) छीतरलाल
										(19) घासीलाल
										(20) महावीर प्रसाद
										(21) कृष्णचन्द्र
										(22) शबीर बेग
										(23) रामनारायण
										(24) बजरंगलाल
										(ब) (1) रामेश्वर
										(2) बाबूलाल

226

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 156 की सूची)

भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार संघ लि० जयपुर की विभिन्न प्रवृत्तियों से सम्बद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की है अथवा विचाराधीन है, का विवरण ।

क्र. सं.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-सूची	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1.	सूत्र सूचना बी आर न० 149/82 दिनांक 31–7–82 विरुद्ध श्री अशोक जैमन भू० पू० जनरल मैनेजर एवं श्री सीताराम गुप्ता मैनेजर उपभोक्ता संघ सहकारी विभाग, जयपुर ।	(1) जांचाधीन है ।
2.	प्राथमिक जांच 34/82 इस विभाग में दर्ज की गई । इस प्राथमिक जांच में गम्भीर आरोप होने के कारण इस विभाग में केस संख्या 13/83 दर्ज किया गया ।	(2) दिनांक 13–2–84 को अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत किया जाकर न्यायालय में पेश किया जा चुका है ।
3.	प्राथमिक जांच 159/83 विभाग की पहल पर सूत्र सूचना एकत्रित की जाकर अक्टूबर, 1983 में पंजीबद्ध की गई । यह जांच समाज कल्याण विभाग, राज० जयपुर द्वारा बर्तन क्रय करने की अनियमितता से सम्बद्ध ।	(3) जांच विचाराधीन है ।
4.	प्राथमिक जांच संख्या 11/84, माह फरवरी, 1984 में श्री त्रिपुरेश शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ (कर्मचारी) जयपुर द्वारा की गई शिकायत पर उपभोक्ता संघ के उच्च अधिकारियों द्वारा दवाइयां क्रय करने में अनियमितता बाबत ।	(4) जांच विचाराधीन है ।
5.	प्रकरण संख्या 35/83 विरुद्ध अधिकारीगण, सहकारी उपभोक्ता संघ, सहकारी विभाग, राजस्थान जयपुर ।	(5) अन्वेषणाधीन है ।
6.	प्रकरण संख्या 36/83 विरुद्ध श्री रामबल्लभ शर्मा, प्रभारी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मेडिकल ब्रान्च, जयपुर एवं अन्य ।	(6) दिनांक 3–9–83 को बाद तफतीश अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत दिया जाकर न्यायालय में पेश किया जा चुका है ।

227

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची)

लाभान्वित व्यक्तियों की सूची — परिशिष्ट 'अ'

पंचायत समिति, इटावा

क्र.सं.	नाम उद्यमी उद्योग	उद्योग	ऋण	अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6
1	श्री गन्नी मोहम्मद	साइकिल रिपेरिंग	3000	–	3000
2	,, मुस्ताक	,,	3000	–	3000
3	,, फकरूदीन	हौजरी	1500	–	1500
4	,, फजल मोहम्मद	चूड़ी की दूकान	1500	–	1500
5	,, अहमद	लकड़ी कार्य	1500	–	1500
6	,, तूफान	बांसबेंत	1000	–	1000
7	,, बादूलाल	,,	1000	–	1000
8	,, प्रहलाद	,,	1000	–	1000
9	,, राम प्रसाद	,,	1000	–	1000
10	,, लटूर	,,	1000	–	1000
11	,, बाबू	,,	1000	–	1000
12	,, राम स्वरूप	,,	1000	–	1000
13	,, बाबूलाल	,,	1000	–	1000
14	,, पन्नालाल	घड़ी रिपेरिंग	1500	–	1500
15	,, रामलाल	लकड़ी कार्य	2000	–	2000
16	,, दरेरबाई	सिलाई	1000	–	1000
17	,, फेगा	बांस बेंत	1000	–	1000
18	,, रामचन्द्र	बांस टोकरी	1000	–	1000
19	,, हीरालाल	कारपेन्टरी	1000	–	1000
20	,, लाज मोहम्मद	साइकिल रिपेरिंग	2700	–	2700
21	,, सत्यनारायण बैरागी	कारपेन्टरी	1000	–	1000
22	,, नसरूदीन खां	लौहारी	1000	–	1000
23	,, बन्शी	आटा चक्की	12000	–	12000
24	,, रमजानी	रेडीमेड	1000	–	1000

1	2	3	4	5	6
25	श्री अब्दुल गफूर	रेडिमेड	1000	–	1000
26	,, इब्राहीम	साइकल	2700	–	2700
27	,, उसमान खां	,,	2700	–	2700
28	,, बद्री लाल	चर्म	1000	–	1000
29	,, हलकू	,,	1000	–	1000
30	,, गोपाल	साइकल	2700	–	2700
31	,, नारायण रेंगर	चर्म	1000	–	1000
32	,, रमेश चन्द्र	साइकल	3000	–	3000
33	,, कमलेश	मुर्गीपालन	2000	–	2000
34	,, विशनलाल	कुम्हारी	2000	–	2000
35	,, शिवनारायण बैरागी	साइकल	3000	–	3000
36	,, मदन	सिलाई	1000	–	1000
37	,, गंगाराम	सिलाई	1000	–	1000
38	,, छीतर	साइकल	3000	–	3000
09	,, बजरंगा	तेल घानी	3000	–	3000
40	,, धन्ना	कारपेन्टरी	4000	–	4000
41	,, रसीद	साइकल	3000	–	3000
42	,, भैरूलाल	,,	3000	–	3000
43	,, छन्नू	बांस टोकरी	1000	–	1000
44	,, हजारी	ताड़पत्ती	5000	–	5000
45	,, घनश्याम	साइकल	3000	–	3000
46	,, रमेश चन्द्र	साइकल	3000	–	3000
47	,, सम्भूदयाल	साइकल	3000	–	3000
48	,, केशरी लाल	आसनझुग्गी	2000	–	2000
49	,, गणेश	आसनझुग्गी	2000	–	2000
50	,, कल्याण	साइकल	3000	–	3000
51	,, बाबूलाल	रूई मशीन	2000	–	2000
52	,, लटूरलाल	बांस टोकरी	1000	–	1000
53	,, देवलाल	साइकल	2700	–	2700
54	,, राधेश्याम	साइकल	2700	–	2700

1	2	3	4	5	6
55	श्री जीवालाल	तेलघानी	3000	–	3000
56	,, रमेश	साइकल	2700	–	2700
57	,, मांगीबाई	सिलाई	1000	–	1000
58	,, केशर बाई	सिलाई	1000	–	1000
59	,, मन्नूभाई	साइकल	3000	–	3000
60	,, भंवरलाल	कच्छी उद्योग	400	–	400
61	,, नारायण	कच्छी उद्योग	400	–	400
62	,, छीतरलाल	कच्छी उद्योग	400	–	400
63	,, जूम्मा/ख्वाजू	लौहारी	2200	1200	3400
64	,, गंगाराम/रघुनाथ	कुम्हारी	2450	1450	3900
65	,, बाबूलाल/हरिराम	चर्म रंगाई	3750	3750	4500
66	,, सोहनलाल/बूचीराम	बांस बेंत	1100	100	1200

परिशिष्ट 'ब'

लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

पंचायत समिति अन्ता

क्र. सं.	नाम उद्यमी उद्योग	उद्योग	ऋण	अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भवानी शंकर/अमरलाल मांगरोल	चर्म रंगाई	3750	750	4500
2.	श्री कालूलाल/किशनलाल मांगरोल	,,	3750	750	4500
3.	श्रीमती कमला बाई/धनलाल मांगरोल	,,	3750	750	4500
4.	श्री कालूलाल/कन्हैयालाल, मांगरोल	,,	3750	750	4500
5.	श्री चतरा/पांचू ,,	,,	3750	750	4500
6.	श्री प्रसाद/टूडू रेगर ,,	चर्म जूता	2250	250	2500
7.	श्री धन्नालाल/परमानन्द ,,	,,	2250	250	2500
8.	श्री छीतरलाल/माधोलाल, बम्बोरी	चर्म रंगाई	3750	750	4500
9.	श्री हीरालाल/कालूलाल, बम्बोरी	,,	3750	750	4500
10.	श्री रेवड़ीलाल/रामकरण रातड़िया	,,	3750	750	4500
11.	श्री पूरणमल/किशनलाल मांडलीखुर्द	सूतारी	1600	600	2200
12.	श्री हीरालाल/लक्ष्मीनारायण दीगोद	,,	1600	600	2200
13.	श्री गणपतलाल/मोटूलाल, अन्ता	बांसबेत	1100	100	1200
14.	श्री कालूलाल/किशोरीलाल ,,	,,	1100	100	1200
15.	श्री ओमप्रकाश/छोटूलाल ,,	,,	1100	100	1200
16.	श्री रमेश/केशरीलाल, पाटूनन्दा	,,	1100	100	1200
17.	श्री मदनलाल/मोहनलाल ,,	सुथारी	2200	1200	3400
18.	श्री केशव/छगना ,,	कुम्हारी	2275	1275	3550
19.	श्री बंशीलाल/मूलचन्द, अन्ता	बांसबेत	1100	100	1200
20.	श्री छोटूलाल/माधोलाल ,,	,,	1100	100	1200

(23)

1	2	3	4	5	6
21.	श्री बजरंगलाल/गोपीलाल अन्ता	बांसवेत	1100	100	1200
22.	श्री डूंगरीलाल/कंवरलाल बालदड़ा	कुम्हारी	2275	1275	3550
23.	श्री रामदयाल/सुखलाल, मांगरोल	बांसवेत	1100	100	1200
24.	श्री हजारीलाल/गेन्दीलाल, शीसवाली	,,	1100	100	1200
25.	श्री सूरजमल/श्रीलाल, मांगरोल	,,	1100	100	1200
26.	श्री बाबूलाल/केदार, शीसवाली	,,	1100	100	1200
27.	श्रीमती नारंगीबाई/रिवड़ीमल शीसवाली	,,	1100	100	1200
28.	श्री बजरंगलाल/जयकिशन शीसवाली	चर्म जूता	2250	250	2500
29.	श्री पन्नालाल/घासीलाल शीसवाली	,,	2250	250	2500
30.	श्री चेनराम/कालूराम, बम्बोरी	,,	2250	250	2500
31.	श्री मांगीलाल/भैरूलाल, मांगरोल	,,	2250	250	2500
32.	श्री बाबूलाल/किशनलाल, शीसवाली	कुम्हारी	2400	1400	3800
33.	श्री रामचन्द्र/भैरूलाल, ,,	,,	2400	1400	3800
34.	श्री बछीलाल/	बीसाइती सामान	1000	—	1000
35.	श्री सूरजमल	लकड़ी का कार्य	3000	—	3000
36.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	आटा चक्की	7000	—	7000
37.	श्री नग्गा बन्जारा	,,	8000	—	8000
38.	श्री रवीकोल्ड स्टोरेज	आइस केण्डी	5000	—	5000
39.	श्री भवानी शंकर	लकड़ी कार्य	2000	—	2000
40.	श्री राजेन्द्र कुमार	साइकल मरम्मत	2000	—	2000
41.	श्री अब्दुल मजीद	बुनाई	2000	—	2000
42.	श्री यासीन मोहम्मद	,,	2000	—	2000
43.	श्री फतेह मोहम्मद	,,	2000	—	2000
44.	श्री अल्ला बक्स	,,	2000	—	2000
45.	श्री कालूलाल	ऊनी बरसाती	2000	—	2000
46.	श्री पन्नालाल	,,	2000	—	2000

1	2	3	4	5	6
47.	श्री कल्याणमल	रेडीमेड वस्त्र	1000	—	1000
48.	श्री जमील अहमद	बुनाई	2000	—	2000
49.	श्री अजीलुर रहमान	,,	2000	—	2000
50.	श्री अब्दुल राजी	,,	2000	—	2000
51.	श्री भंवरलाल	रेडीमेड वस्त्र	2000	—	2000
52.	ममुखान	बुनाई	2000	—	2000
53.	श्री गोरधनमल	आइसक्रीम	1500	—	1500
54.	श्री फजलू खान	बुनाई	2500	—	2500
55.	श्रीमती अल्लाबन्दी	,,	2000	—	2000
56.	श्री मोहम्मद हुसैन	,,	2000	—	2000
57.	श्री मोल मोहम्मद	,,	2000	—	2000
58.	श्री अब्दुल रजाक	,,	2000	—	2000
59.	श्री मोहम्मद हुसैन	,,	2000	—	2000
60.	श्री रामचन्द्र नाई	रेडीमेड वस्त्र	1000	—	1000
61.	श्री नजर मोहम्मद	बुनाई	2000	—	2000
62.	श्री जान मोहम्मद	,,	2000	—	2000
63.	श्री क्यूम	,,	1000	—	1000
64.	श्री मोहम्मद सिद्धी	,,	2000	—	2000
65.	श्री रसूल मोहम्मद	,,	2000	—	2000
66.	श्री अनवर हुसैन	,,	2000	—	2000
67.	श्री इलाई बक्स	,,	2000	—	2000
68.	श्री नजीर मोहम्मद	,,	1000	—	1000
69.	श्री मोहम्मद हनीफ	,,	2000	—	2000
70.	श्री रतनलाल	कुम्हारी	2000	—	2000
71.	श्री नाथूलाल	लकड़ी कार्य	2000	—	2000
72.	श्री रहमत अली	बुनाई	2000	—	2000
73.	श्री अब्दुल अजीज	,,	2000	—	2000
74.	श्री अब्दुल गनी	,,	2000	—	2000
75.	श्री अब्दुल बसीर	,,	2000	—	2000
76.	श्री मोहम्मद इब्राहीम	,,	2000	—	2000

(233)

1	2	3	4	5	6
77.	श्री मुश्ताक अहमद	बुनाई	2000	—	2000
78.	श्री भोलाराम	कुम्हारी	2000	—	2000
79.	श्री अब्दुल गफूर	बुनाई	2000	—	2000
80.	श्री मोहम्मद हुसैन	,,	2000	—	2000
81.	श्री मोहम्मद यासीन	बीड़ी	5000	—	5000
82.	श्री अब्दुल गनी	बुनाई	2000	—	2000
83.	श्री मोहम्मद सिद्धीक	,,	2000	—	2000
84.	श्री लक्ष्मीनारायण	साइकल मरम्मत	1000	—	1000
85.	श्री ईश्वरचन्द	,,	2000	—	2000
86.	श्री अब्दुल अजीज	बुनाई	2000	—	2000
87.	श्री महफूज खान	रेडीमेड वस्त्र	5000	—	5000
88.	श्री मोहम्मद इस्माइल	बुनाई	2000	—	2000
89.	श्री धनलाल/ग्यारसीलाल	चर्म कार्य	2000	—	2000
90.	श्री धन्नालाल/मथुरालाल	,,	2000	—	2000
91.	श्री राजेन्द्र कुमार	,,	1000	—	1000
92.	श्री रामगोपाल	,,	1000	—	1000
93.	श्री भोजूलाल	,,	2000	—	2000
94.	श्रीमती रामीबाई	,,	1500	—	1500
95.	श्री भैरूलाल	,,	1000	—	1000
96.	श्री सूरजमल	,,	2000	—	2000
97.	श्री मांगीलाल	,,	2000	—	2000
98.	श्री गोरधनलाल	,,	2000	—	2000
99.	श्री भागचन्द	,,	2000	—	2000
100.	श्री गजानन्द	,,	2000	—	2000
101.	श्री भंवरलाल	,,	2000	—	2000
102.	श्री राजमल	,,	2000	—	2000
103.	श्री चम्पालाल	,,	2000	—	2000
104.	श्रीमती लोन्दीबाई	बांसवेत	1000	—	1000
105.	श्री धन्नालाल	चर्म कार्य	1000	—	1000
106.	श्री देवीलाल	,,	2000	—	2000

1	2	3	4	5	6
107.	श्री कालूलाल	चर्म कार्य	2000	—	2000
108.	श्रीमती पारस रानी	,,	2000	—	2000
109.	श्री परमानन्द	चर्म कार्य	1000	—	1000
110.	श्री माधोलाल	,,	1500	—	1500
111.	श्री लड्डूलाल	,,	1000	—	1000
112.	श्री ग्यारसीलाल	,,	1000	—	1000
113.	श्री नन्दलाल	,,	2000	—	2000
114.	श्री प्रहलाद	,,	2000	—	2000
115.	श्री घासीलाल	,,	2000	—	2000
116.	श्री भंवरलाल	बांसवेत	800	—	800
117.	श्री केदार	,,	800	—	800
118.	श्रीमती शांतिबाई	,,	800	—	800
119.	श्री ब्रह्मानन्द	,,	1500	—	1500
120.	श्री गजानन्द	प्रिन्टिग डाई०	2500	—	2500
121.	श्री दुर्गाशंकर	फ्लोर॰मिल	9900	—	9900
122.	श्री राजेन्द्र	चर्म कार्य	2000	—	2000
123.	श्री रामगोपाल	चर्म उद्योग	2000	—	2000
124.	श्री जगन्नाथ	,,	5000	—	5000
125.	श्री प्रभुलाल	,,	2000	—	2000
126.	श्री नन्दलाल	,,	2000	—	2000
127.	श्री गोभरीलाल	साइकल	2000	—	2000
128.	श्री भंरूलाल	चर्म उद्योग	2000	—	2000
129.	श्री मुन्नालाल	,,	2000	—	2000
130.	श्री दुर्गा किशोर	,,	2000	—	2000
131.	श्री सीताराम	,,	1000	—	1000
132.	श्री जगन्नाथ	,,	1500	—	1500
133.	श्री भोलूलाल	,,	1500	—	1500

1	2	3	4	5	9
134.	श्री रामप्रताप	चर्म उद्योग	1000	—	1000
135.	श्री शंकर	,,	1000	—	1000
136.	श्री हीरा रेगर	,,	1000	—	1000
137.	श्री धन्ना रेगर	,,	1000	—	1000
138.	श्री गणेश रेगर	,,	1000	—	1000
139.	श्री चौहान फ्लोर मिल्स	फ्लोर मिल्स	1174	—	1174
140.	श्री मोहम्मद हुसैन	बुनाई	2000	—	2000
141.	श्री इलाई वर्क्स	बुनाई	2000	—	2000

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 158 की प्रतिलिपि)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Personnel (A–III)

Statement of against Shri M B. Mathur, Executive Engineer, Irrigation

Charge No. 1.

That the said Shri M. B. Mathur while functioning as Executive Engineer, Flood Control Division, Deeg during the period from 10-5-78 to 9/79 did not follow codal rules in inviting N. I. T. for the work of supplying and erection of steel structures on the pump house buildings along K. P. Drain at chains 10.4, 75, 95, 157, 373.5, 262, 644, 816, 881. 960 R. S. 960 L. S., 1019 and 998 as indicated in the statement of allegation No. 1

Charge No. 2.

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri M. B. Mathur, Executive Engineer acted beyond his powers in sanctioning of estimates for the work of supplying and erection of steel structures on the pump house buildings along K.P. drain at chains 10.4, 75, 95, 157, 262, 373.5, 644, 816, 881, 960 R. S., 960 L.S. 1019 and 998, as indicated in the statement of allegation No. 2.

Charge No. 3.

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri M. B. Mathur, Executive Engineer did not arrange for procurement of steel required for the work of supplying and erection of steel structure on the pump house buildings along K.P. drain at chain 10.4, 75, 95, 157, 262, 373.5, 644, 816, 881, 960 R. S., 960 L. S., 1019 and 998, through Steel Authority of India but arranged from market and thereby the Government suffered an un-necessary loss of Rs., 240/– per structure on this account. In this way the said Shri M. B. Mathur caused wrongful loss to the Government as indicated in para No. 3 of statement of allegations.

237

Charge No. 4.

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri M. B. Mathur, Executive Engineer, acted against codal rules by entering into negotiations for the work of supplying and erection of steel structures on the pump house buildings along K. P. drain at chains 10.4, 75, 95, 157, 262, 373.5, 644, 816, 801, 960 R. S., 960 L. S., 1019 and 998, with the contractors who tendered on 18-12-78 instead of inviting fresh tenders, as indicated in para No. 4 of the statement of allegations.

Charge No. 5.

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri M. B. Mathur, Executive Engineer acted beyond his powers and approved tenders for the work of supplying and erection of steel structures on the pump house buildings along K.P. drain at chains 10.4, 75, 95, 157, 262, 373.5, 644, 816, 881, 960 R. S., 960 L. S., 1019 and 998 at higher rates and thereby allowed undue benefits to the contractors to the extent of Rs. 2,42,450/– and caused consequent loss to the Government, as indicated in para No. 5 of the statement of allegations.

Sd/–

(S. N. TONDON)

Deputy Secretary to Government,

238

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Personnel & Adm. Reforms

Personnel A-III

Statement of Allegations Against Shri M.B. Mathur Executive Engineer.

Allegation No. 1.

That the said Shri M.B. Mathur, Executive Engineer while functioning as Executive Engineer, Flood Control Division, Deeg, invited short notice tenders for supply and erection of steel structures for pumping stations along Kama Pahari drain at chains 10.4, 75, 95, 157, 262, 373.5, 644, 816, 881, 960 R. S., 960 L.S., 1019 and 998 vide his office letter No. 4108-29 dated 23.11.78, without getting the design drawing and estimates approved from the competent authority. He did not obtain sanction of competent authority before calling short term N.I.T. In this way the said Shri M.B. Mathur did not follow the codal rules.

Allegation No. 2.

13 Similar structures for the pumping house were proposed to be constructed at different chains of Kama Pahari drain from Chain 10.4. to Chain 1019 and at the crossing of Gurgoan canal and Kama Pahari drain the cost for these works amounted to abont Rs. 5 lacs but Shri M.B. Mathur Executive Engineer split the work and prepared 13 different estimates in order to bring down the estimated cost of the work within his own competence. Being a building work in nature it was not within the competence of Executive Engineer. Moreover, the items involved in the work were non B. S. R. Shri M.B. Mathur should have obtained sanction for the estimate of the work from the competent authority but he did not do so as he himself sanctioned 13 different estimates. These estimates were sanctioned by him in June, 1979 for amounts ranging from Rs. 73,089 to Rs. 80,818/- in which a lumpsum provision was taken of Rs. 60,000 for supply and erection of steel structures on pumping station. These estimates were sanctioned by him in June, 1979 whereas he sanctioned the tenders for the work of supplying and erection of steel strucrtures on the pump house buildings along Kama Pahari drain at chains 10.4, 75,

95, 157, 262, 373.5, 644, 816, 881, 960 R.S., 960 L. S., 1019 and 998 in January, 1979. The estimates should have been sanctioned bofore starting of works. This way Shri M. B. Mathur, Executive Engineer, did not follow the codal rules and acted beyond his competence and power.

Allegation No. 3.

The work involved use of considerable amount of steel but the said Shri M. B. Mathur, did not make any effort to arrange for the steel from the Steel Authority of India which supplies steel to Government Departments on concessional rates. Thus cost of work would have been considerably reduced had Shri Mathur incorporated condition of departmental supply of Steel. As the contractors arranged steel from open market they naturally charged higher amounts and thus there was unnecessary financial loss to the Government. Had the steel been procured through Steel Authority of India, the Government would not have suffered the said wrongful loss of Rs. 4,248/– per structure on this account.

Allegation No. 4.

In response to N. I. T. dated 23.11.78 based on unapproved drawings the lowest rate received was of M/S Briji Basi Construction Co., Rs. 24;001.60 per structure. On receipt of the approved drawing from Director, Design, Jaipur, in which there were some changes as compared to the original design, Shri M. B. Mathnr, Executive Engineer instead of calling fresh tenders on the basis of approved drawing and specification invited the original tenderers for submitting their revised offers vide his letter dated 11.1.79. Thus the said Shri M.B. Mathur acted against codal rules by not re-inviting fresh tenders for the work after taking action regarding rejection of earlier tenders as per rules. In this manner Shri M. B. Mathur acted against the codal rules.

Allegation No. 5.

The lowest revised offers received on 17.1.79 varied from Rs. 54,488/– to Rs. 54,800/– per structure with the condition of additional payment of sales tax (i.e, total average cost of Rs. 57,

952/– per structure) which were approved by Shri M. B. Mathur and orders were placed for 13 structures on 22.1.79 costing more than Rs. 7 lacs. Even if the steel was to be purchased from the open market, the cost of the structures should not have exceeded Rs. 39, 300/– per structure although by purchasing from S. A. I. the cost might have been about Rs. 36,900 per structure only. In this manner, excess cost on an average to the extent of Rs. 18,650/– has been incurred per structure resulting in wrongful financial loss of more than Rs. 2,42,450/– to the Government. The sanction of the tenders granted by Shri M.B. Mathur for this work was not within his powers. Thus the said Shri M. B. Mathur mis-used his powers by approving tenders at high rates and thereby he allowed undue advantage to the contractors and caused wrongful financial loss to the Government.

Sd/–

(S. N. TONDON)

Deputy Secretary to the Government.

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची)

क्र०सं०	ग्राम	कोड नं०	हैण्ड पम्प जिनकी लोर्आरिग गिरी हुई है	दिनांक जबसे खराब है
1.	बेडला	100	1	10.2.84
2.	सींगपुरा	112	1	;;
3.	भडका	40	1	;;
4.	छानकाखेडा	108	1	;;
5.	जगदीशपुरा	175	1	;;
6.	बिरावली	60	1	,,
		योग:–	6	

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची)

भूजल विभाग द्वारा जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी पंचायत समितियों में बनाये गये नलकूपों की ग्रामवार सूची :–

पं० समिति	वर्ष	कुल संख्या	ग्राम	बनाये गये नल कूपों की संख्या
मारवाड़ जंक्शन	1980-81	5	जाटेन	1
			सिनला	4
	1981-82	13	सिनला	8
			केनपुरा	1
			आकावास	1
			जाटेन	2
			भगवानपुरा	1
	1982-83	26	सिनला	11
			जाटेन	4
			बनियावास	1
			खारची	1
			खालड़ी	5
			धासली	2
			मांडा	1
			आऊवा	1
रानी	1982–83	1	इन्दरवाड़ा	1
देसूरी	1980 से 1983	शून्य		शून्य

प्रपत्र "अ"

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची)

वागन सिंचाई परियोजना, चित्तौड़गढ़

नहरों के निर्माण में अवाप्त भूमि एवं मुआवजा भुगतान की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई	अवाप्त भूमि का विवरण कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा	अवाप्त भूमि जिसका भुगतान कर दिया गया है। कृषकों की सं.	अवाप्त भूमि जिसका भुगतान कर दिया गया है। क्षेत्रफल	बकाया भूमि जिसका भुगतान शेष है। संख्या	बकाया भूमि जिसका भुगतान शेष है। क्षेत्रफल बीघा	बकाया भूमि जिसका भुगतान शेष है। क्षेत्रफल बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दायीं मुख्य नहर	203	179	07	196	172–18	7		6–09
2.	बायीं मुख्य नहर	230	238	13	211	226–01	19		12–12
3.	आलोद माइनर (सैन्ट्रल कैनाल)	63	50	11	63	50–11			—
4.	अन्य वितरिकाएं	445	345	13	—	—	445		345–13
	योग :	941	814	04	470	449–10	471		364–14

प्रपत्र—अ—1

बागन परियोजना, चित्तौडगढ़ की दायीं मुख्य नहर में अवाप्त होने वाली भूमि का विवरण

क्र०सं०	नाम ग्राम	अवाप्त भूमि का विवरण जिसका मुआवजा भुगतान किया जाना है।				विशेष विवरण
		कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल बीघा		बिस्वा	
1.	सांगरिया	8	7	—	07	
2.	आलाखेड़ी	18	17	—	10	
3.	सुधारन खेड़ा	14	14	—	11	
4.	जन्तई	4	3	—	19	
5.	नान्दोली	16	14	—	05	
6.	भाटोली	4	3	—	00	
7.	पाला खेड़ी	16	20	—	14	
8.	देवरी	4	3	—	10	
9.	ओरवाड़िया	15	14	—	13	
10.	धानुजा	20	12	—	12	
11.	निकुम	75	56	—	18	
12.	मिनाणा	9	10	—	08	
	योग—	203	179	—	07	

———

अ–II

बागन परियोजना की बायीं मुख्य नहर में अवाप्त होने वाली भूमि का विवरण

क्र०सं०	नाम गांव	नाम तहसील	अवाप्त भूमि का विवरण			विशेष विवरण
			कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल		
				वीघा	विस्वा	
1	2	3	4	5	6	
1.	तलाऊ	डूंगला	15	19	15	
2.	पीराना	,,	7	8	17	
3.	आलोद	,,	16	16	11	
4.	आनन्दपुरा	,,	7	4	06	
5.	मलूकदास की खेड़ी	,,	22	11	04	
6.	नोगांवा	,,	18	16	15	
7.	परमेश्वरपुरा	,,	16	12	10	
8.	देवा खेड़ा	,,	4	3	09	
9.	भाटोली	,,	15	31	15	
10.	सारंगपुरा	,,	1	0	15	
11.	बिकारड़ा	,,	67	59	13	
12.	आकोला	भदेसर	31	34	03	
13.	रदइखेड़ा	,,	7	17	06	
14.	घनेत	,,	1	0	06	
15.	तरजला	,,	3	1	08	
		योग–	230	238	13	

अ–III

बागन परियोजना चित्तौड़गढ़ के वितरिकाओं में अवाप्त होने वाली कृषि भूमि का विवरण

क्र०सं०	नाम माइनर	कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल बीघा	+ बिस्वा	विशेष विवरण
1	2	3	4		5
(अ)	**दांयी मुख्य नहर**				
1.	फिनोदड़ा माइनर	25	10	02	
2.	पुनावली 1	22	17	19	
3.	पुनावली 2	14	8	18	
4.	निकुंम माइनर	19	8	18	
5.	बिलड़ी माइनर	24	15	14	
6.	चूना खेड़ा माइनर	33	23	16	
	योग–	137	85	07	
(ब)	**बांई मुख्य नहर**				
1.	नोगांवा माइनर	21	7	15	
2.	चिकारड़ा–1	77	59	06	
3.	चिकारड़ा–2	25	17	02	
4.	आकोला कला	27	29	10	
5.	फतहपुरा	17	19	09	
6.	आकोला खुर्द	54	43	08	
7.	घनेत	40	29	03	
8.	लक्ष्मीपुरा	47	54	13	
	योग–	308	260	06	
	कुल योग–	445	345	13	
	आलोद माइनर–	63	50	11	

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 170 की सूची)

परिशिष्ट I

बिन्दु संख्या 'अ' प्रशासन शहरों की ओर के दौरान कराये गये कार्यों का विवरण :—

सड़क निर्माण किमी.	नाली निर्माण किमी.	शौचालय	हैण्डपम्प के पाइप लाइन	विविध रिटेनिंग वाल कलवर्टादि	बिजली व्यवस्था पोल	भवन मानचित्र की स्वीकृति	मौके पर दिये गये कब्जे	आवासीय भूखण्ड/ मकान आवंटन	पट्टा वितरण	नियमन	संस्थाओं को भूमि आवंटन	वृक्षारोपण	नियमन से आय	विकास कार्य पर व्यय-राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.76	0.24	14	6	0.23	26	17	37	829	133	1285	5	300	5.62 लाख	1.62 लाख

बिन्दु संख्या 'ब' दिये गये आश्वासन

6.57	5.38	26	7	20	100	—	—	—	387	448	—	—	0.52 लाख	11.50 लाख

परिशिष्ट II "क"

अभियान के पश्चात् कराये गये अब तक कार्यों का ब्यौरा (कराये गये)

सड़क निर्माण क्रिमी.	नाली निर्माण किमी.	शौचालय	हैण्डपम्प के पाइप लाइन	विविध रिटेनिंग बाल कलवर्टादि	बिजली व्यवस्था पोल	भवन मानचित्र की स्वीकृति	मौके पर दिये गये कब्जे	आवासीय भूखण्ड/ मकान आवंटन	पट्टा वितरण	नियमन	संस्थाओं को भूमि आवंटन	वृक्षारोपण	नियमन से आय	विकास कार्यों पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.47	4.72	6	60	0.10	41	—	—	—	347	40	—	—	0.22 लाख	7.33 लाख

बिन्दु संख्या 'ख'   बकाया कार्य जो कराये जाने हैं एवं प्रगति पर हैं।

1.10	1.66	20	—	0.10	59	—	—	—	40	408	—	—	0.30 लाख	4.17 लाख

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की तालिका)

परिशिष्ट–क

जयपुर शहर में पिछले दो वर्षों में बरामदों में किये गये अतिक्रमणों की सूची:–

चौकड़ी सरहद :–

1. श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री मनमोहन लड्ढा,
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रामजी लाल उर्फ भगत,
3. श्री कालूराम पुत्र श्री सुन्दर लाल,
4. श्री याकूब पुत्र श्री शफी मोहम्मद ।

(नोट :–उपरोक्त स्थानों पर अदालत से स्टे चल रहा है)

चौकड़ी–रामचन्द्र जी :–

1. सिल्वर हाउस, दामोदर लाल पुत्र गट्टू लाल अग्रवाल, दुकान नं० 249, रामगंज बाजार,
2. फर्म–प्रहलाद श्याम सुन्दर, मालिक–हरिनारायण पुत्र रामलाल, खंदा–माणक चौक,
3. मोतीलाल पुत्र छाजुलाल, मुंशी महल वाले,
4. हरिनारायण पुत्र श्री भौरीलाल, कांवटियों का खुर्रा, रामगंज बाजार ।

चौकड़ी तोपखाना हजूरी

1. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री हरिनारायण, सूरजपोल बाजार
2. श्री रामपाल पुत्र श्री फूलचन्द धोबी, सूरजपोल बाजार,
3. श्री मूलचन्द पुत्र श्री राधाकिशन,
4. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, सूरजपोल बाजार,
5. श्री शाहबुद्दीन, श्याजुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान,
6. अब्दुला व अब्दुल बशीर पुत्र अजीमुल्ला, घाट बाजार,
7. श्री अब्दुल शकूर पुत्र श्री अब्दुल कादर, घाट बाजार,
8. डा. एन. के. कूलवाल, सूरज पोल बाजार
9. श्री हरिनारायण शर्मा, आदर्श ज्ञान विद्यालय, सूरजपोल, बाजार ।

परिशिष्ट–क

चौकड़ी घाटगेट

1. श्री इन्दर लाल पुत्र श्री श्याम लाल, दु. नं. 379, जौहरी बाजार,
2. श्री मोहन लाल सर्राफ, हल्दिया हाउस, जौहरी बाजार,
3. श्रीमती भगवती देवी पत्नी रामचन्द्र, रूप बिहारी जी का मन्दिर, जौहरी बाजार,
4. डा. विजय काला, काला क्लीनिक, जौहरी बाजार,
5. श्री प्रभूदयाल पुत्र उदयलाल, दु. नं. 345, जौहरी बाजार,
6. श्री भागसिंह पुत्र श्री सायब सिंह, दु. नं. 259, जौहरी बाजार,
7. श्री छगन लाल पुत्र भूरामल, दु. नं. 350, जौहरी बाजार
8. श्री मोहन लाल पुत्र श्याम लाल, रामगंज बाजार, मुंशी महल के सामने
9. श्री कमरूद्दीन एवं इकरामूद्दीन, रामगंज बाजार, मस्जिद रहमानिया
10. श्री मोहन लाल पुत्र चुन्नी लाल पंजाबी, दु. नं. 320, जौहरी बाजार

चौकड़ी तोपखाना देश

1. श्री रूप नारायण सरदारमल शर्मा, दु. नं. 170, किशनपोल बाजार,
2. श्री सूरजमल वैद्य, किशन पोल बाजार।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूची)

तहसील सांगानेर में लगाये गये पेड़ों की सूचना

वर्ष	स्थान	लगाये गये पौधों की संख्या	अप्रेल/मई, 83, की गणना में जीवित पौधों की सं.
1981–82	राष्ट्रीय उच्च मार्ग 12 कि.मी. 15 से 32	16,303	11,442
1981–82	गोनेर	11,755	9,404
1982–83	राष्ट्रीय उच्च मार्ग 12 कि.मी. 15 से 26	11,247	8,707
1982–83	जयसिंहपुरा	11,997	8,400
1982–83	मुंदाउ	15,750	13,632
1982–83	मुंहाना बीड़	10,000	6,302

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची)

प्रपत्र "क"

टौंक डिवीजन में सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत पर वर्ष वार किए गये खर्चे का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्ष 80–81	वर्ष 81–82	वर्ष 82–83	वर्ष 83–84 में (जनवरी तक खर्च)
1	2	3	4	5	6
	"अ" राजकीय सड़कें				
	मरम्मत पर किया गया खर्चा–				
1.	मेन्टीनेंस एण्ड रिपेयर्स आफ रोडस् इन टौंक डिस्ट्रिक	4551205/–	4449242/–	6499689/–	3104524/–
	निर्माण कार्य—				
1.	उनियारा नेवड़ा रोड इन क्लूडिंग डी.डी.वर्क	533881/–	958681/–	12343/–	—
2.	सी. डी. वर्क उनियारा इन्द्रगढ़ रोड	42932/–	63371/–	13819/–	—
3.	डिग्गी मेन रोड टू कल्याण जी	—	22473/–	—	—
4.	पचेवर नगर रोड	3525/–	336112/–	—	474775/–
5.	ए/आर टू सिन्धीलिया टेम्पल फ्राम मालपुरा टू लाम्बाहरिसिंह	—	59715/–	—	—
6.	बी/टी फ्राम हमीरपुर टू झिराना रोड	341855/–	238084/–	—	—
7.	मिसिंग लिंक बोनली निवाई रोड	226458/–	547783/–	169993/–	18888/–
8.	ए/आर टू दूनी टू घर	261600/–	133754/–	23520/–	209778/–
9.	कन्सट्र. आफ काकोड नगर रोड	299900/–	161345/–	784340/–	348563/–

1	2	3	4	5	6
10.	बी/टी मालपुरा लाम्बाहरि सिंह रोड	404914/–	1396264/–	—	37085/–
11.	धौकलिया सुथरा रोड		—	680/–	205452/–
12.	ए/आर उनियारा टू देवल वाया जोहर	260361/–	96813/–	—	—
13.	ए/आर टू सोप	452488/–	—	—	—
14.	ए/आर टू पचेवर आन दूदू मालपुरा केकड़ी रोमड टू अबादा	276570/–	25058/–	—	—
15.	ए/आर टू कॉटोली विलेज आन लाम्बाहरिसिंह रोड	47167/–	9933/–	—	—
	"ब" राजकीय उच्च मार्ग पर मरम्मत कार्य	—	2044328/–	3293459/–	3556860/–
	राजकीय उच्च मार्ग पर निर्माण कार्य	—	—	2050008/–	994997/–

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची)

मैसर्स शिव टिन इण्डस्ट्रीज, दौसा/जयपुर द्वारा प्राप्त टिन प्लेट का विवरण किलो ग्राम में

माह	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84 फरवरी, 83 तक
अप्रेल	9639 (अप्रेल, 77 से जून, 78)	–	–	–	–	–	54830
मई	–	–	–	–	–	21694	43069
जून	–	–	59480	–	–	–	40426
जुलाई	–	–	23250	–	–	15090	71900
अगस्त	–	–	–	–	–	44480	66904
सितम्बर	–	–	–	–	46170	46495	30462
अक्टूम्बर	–	–	21950	–	21830	59320	78697
नवम्बर	–	–	–	–	21940	29535	97902
दिसम्बर	–	–	51256	–	–	86338	78426
			जुलाई से जनवरी तक				
जनवरी	–	26376	–	–	21826	50866	72830
फरवरी	–	23450	–	–	–	105700	133485
मार्च	–	–	–	–	–	30480	–
योग	9639	49826	155936	निल	111766	491998	768931

कुल योग: 15,88,896 कि. ग्राम

परिशिष्ट 'ब'

मैसर्स शिव टिन इण्डस्ट्रीज, दौसा/जयपुर द्वारा टिन पीपों की विक्रय की गई मात्रा (संख्या में)

माह	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	1630	4400 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल, जयपुर मै. रोहतास इण्ड., जयपुर	6600 मै. श्री टिन कन्टेनर्स प्रा. लि. जयपुर मै. प्रीमियर वेजीटेबिल	16300 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल मै. श्री टिन कन्टेनर्स, दुर्गापुरा	—	—
मई	1100	10791 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल, जयपुर मै. श्री कन्टेनर्स, दुर्गापुरा	12050 मै. श्री टिन कन्टेनर्स प्रा. लि. मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रा. लि.	5400 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रा. लि. जयपुर	—	11690 मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. जयपुर
जून	3952	7718 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल	16200 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल	7600 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल	—	16495 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल

1	2	3	4	5	6	7
		मै. श्रीराम आयल, भरतपुर				मै. रोहतास इण्ड. मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. जयपुर ।
जुलाई	—	—	22614	6505	—	18167
			मै. प्रीमियर वेजी-टेबिल जयपुर	मै. प्रीमियर वेजी-टेबिल		मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस मै. आर. पी. एस. वनस्पति इण्ड. जयपुर मै. प्रीमियर वेजी-टेबिल
अगस्त	9400	—	13200	—	—	36587
			मै. प्रीमियर वेजी-टेबिल मै. श्री कन्टेनर्स			मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. मै. प्रीमियर वेजी-टेबिल्स

1	2	3	4	5	6	7
						मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस
सितम्बर	3088	—	17746	—	7100	40809
			मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रो. मै. श्री कन्टेनर्स, दुर्गापुरा		मै. रोहतास इण्ड. लि.	मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज मै. प्रीमियर वेजीटेविल प्रोडक्टस । मै. रोहतास इण्ड. मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस
अक्टूबर	6501	—	2186	—	28800	41076
			मै. श्री कन्टेनर्स प्रा. लि. दुर्गापुरा		मै. रोहतास इण्ड. लि.	मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. मै. प्रीमियर वेजीटेबिल

257

1	2	3	4	5	6	7
						मै. ए. सी. बत्रा एण्ड सन्स, दिल्ली
नवम्बर	1000	—	12500	—	16300	32780
			मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडक्टस प्रा. लि.		मै. रोहतास इण्ड.	मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस मै. प्रीमियर वेजीटेबिल मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज
दिसम्बर	6919	—	11500	—	10800	75748
			मै. श्री कन्टेनर्स प्रा. लि. दुर्गापुरा मै. प्रीमियर वेजीटेबिल्स		मै. रोहतास इण्ड.	मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. मै. रोहतास इण्ड. प्रा. लि.

1	2	3	4	5	6	7
जनवरी	8928	—	3300 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडक्टस प्रा. लि. जयपुर	—	15395 मै. रोहतास इण्डस्ट्रीज	30500 मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस मै. अग्रवाल इण्डस्ट्रीज मै. रोहतास इण्डस्ट्रीज मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज
फरवरी	—	—	4400 मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडक्टस प्रा. लि.	—	15359 मै. रोहतास इण्ड. मै. शारदा एण्टरप्राइजेज।	12662 मै. आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस मै. प्रीमियर वेजीटेबिल्स

259

1	2	3	4	5	6	7
मार्च	—	2100 मै. प्रीमियर वेजी-टेबिल्स प्रोडक्टस	—	—	—	52800 मै. प्रीमियर वेजी-टेबिल्स मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस मै. रोहतास इण्डस्ट्रीज
कुल योग :	63519	85009	122296	35805	97754	367314

मैसर्स शिव टिन इण्डस्ट्रीज दौसा/जयपुर द्वारा टिन पीपों की विक्रय की गई की मात्रा (संख्या में)

माह	1983—(फरवरी 84 तक)	क्रियेताओं के नाम
अप्रैल, 83	76236	मैसर्स प्रीमीयर वेजीटेबिल्स/मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस/मै. रोहतास इण्ड. लि./आर. एस. इण्डस्ट्रीज
मई, 83	85527	,, ,, ,, ,, ,,
जून, 83	50100(50160)	,, ,, ,, मैसर्स आर.एस.सी. वनस्पति इण्ड.
जुलाई, 83	48382	मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडक्टस/मै. जयपुर आयल प्रोडक्टस/मै. रोहतास इण्ड. लि.
अगस्त, 83	43590	मै. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोड./मै. जयपुर आयल प्रोड./मैसर्स आर.एस.सी. वनस्पति लि./ मैसर्स राजेश एण्टरप्राइजेज
सितम्बर, 83	48276	मै. प्रीमियर वेजी. प्रोड./मै. जयपुर आयल प्रोड./मैसर्स अम्बिका आयल मिल्स, जोधपुर/मै. रोहतास प्रोडक्टस प्रा. लि./मैसर्स आर.सी.एस. इण्ड/मै. राजेश एन्टरप्राइजेज
अक्टूबर, 83	53996	में. प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोड./मै. जयपुर आयल प्रोड./मैसर्स अम्बिका आयल मिल्स, जोधपुर मै. रोहतास इण्ड/मै. राजेश एण्टरप्राइजेज
नवम्बर, 83	66875	मै. प्रीमियर वेजीटेबिल्स प्रोड./मै. जयपुर आयल प्रोड./मैसर्स अम्बिका आयल मिल्स/मै. रोहतास इण्ड./मै. राजेश एन्टरप्राइजेज

(262)

1	2	3
दिसम्बर, 83	58485	मै. प्रीमियर वेजीटेबिल्स प्रोड./मै. जयपुर आयल प्रोड./मै. अम्बिका आयल मिल्स, जोधपुर/मै. रोहतास इण्ड./मै. राजेश एन्टर प्राइजेज/मै. मारुति टिन फैक्ट्री, जाम नगर/मै. कृष्णा टिन फैक्ट्री/मै. कित फैक्ट्री जामनगर
जनवरी, 84	61855	मैसर्स जयपुर आयल प्रोड./मै. रोहतास इण्ड./मै. यूनीयन टिन इण्ड./आर.सी. वनस्पति/मै. राजेश एण्टरप्राइजेज
फरवरी, 84	83827	मै. आर.सी.एस. इण्ड./मै. जयपुर आयल प्रोड./मै. रोहतास इण्ड./मै. आर.सी.एस. इण्ड./मै. राजेश एण्टरप्राईजेज इण्ड.
योग :	675909	

कुल योग : अप्रेल 1977 से फरवरी, 1984 तक 1367604 नग

263

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 189 का विवरण)

नगर परिषद् जयपुर, द्वारा किये गये खर्च की सूची

क्र. सं.	माह	खर्चा
(1)	अगस्त, 81	88,786.98
(2)	सितम्बर, 81	3,71,665.69
(3)	अक्टूबर, 81	5,53,560.20
(4)	नवम्बर, 81	1,60,896.97
(5)	दिसम्बर, 81	2,16,305.23
(6)	जनवरी, 82	79,813.92
(7)	फरवरी, 82	1,575.00
(8)	जनवरी, 83	3,994.00
(9)	मार्च, 83	31,160.91
		15,07,758.90

(264)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये खर्च की सूची

क्र. सं.	नाम कार्य जो वर्ष 1981 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ।	खर्चा
(1)	सड़क एवं फुटपाथ से मिट्टी हटाने का कार्य अम्बाबाड़ी	86,657/–
(2)	शास्त्री नगर	12,304/–
(3)	बस्सी सीतारामपुरा	77,325/–
(4)	नाहरी का नाका	2,23,554/–
(5)	सुभाष नगर	—
(6)	जनता कालोनी	1,02,192/–
(7)	सेठी कालोनी	43,620/–
(8)	कार्य लालकोठी	51,431/–
(9)	लकड़ी पत्थर मण्डी योजना	—
(10)	ऋषि गालव नगर योजना	51,627/–
(11)	बजाज नगर योजना	77,000/–
(12)	मालवीय नगर योजना	38,737/–
(13)	आटोमोबाइल योजना	—
(14)	झालाना डूंगरी योजना	8,987/–
		7,73,434/–

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 190 का विवरण)

नगर परिषद, टौंक द्वारा निम्न प्रकार सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं :—

(1)	सफाई हेतु नियुक्त दो कर्मचारियों पर वेतन, भत्तों आदि सहित दि. 1-4-83 से 29-2-84 तक व्यय	12980.00
(2)	प्याऊ पर नियुक्त कर्मचारी को वेतन, भत्तों आदि सहित दि. 1-4-83 से 29-2-84 तक व्यय	7843.00
(3)	पानी के बिलों का जलदाय विभाग को दिनांक 2-4-83 से 29-2-84 तक भुगतान	3578.00
(4)	प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत मण्डल को दिनांक 1-4-83 से 29-2-84 तक भुगतान ।	1906.76
		24307.76